

**DUE DATE SLIP**

**GOVT. COLLEGE, LIBRARY**

**KOTA (Raj.)**

**Students can retain library books only for two weeks at the most.**

<b>BORROWER'S No.</b>	<b>DUe DTATE</b>	<b>SIGNATURE</b>

# हमारी नाट्य-साधना

[ हिन्दी-नाट्य-कला का विकास और इतिहास ]



लेखक :

राजेन्द्रसिंह गौड़, एम॰ ए॰



आराम मेहरा एण्ड को॰

गाईयान, आगरा

अशाकः  
श्रीराम मेहरा पुस्ट को०  
मार्गियान, आगरा

---

प्रथम संस्करण  
मूल्य २।।  
सं० २०१०

---

मुद्रकः  
श्री प्रेमचन्द्र मेहरा  
न्यू इंडिया प्रेस, हलाहालाद

स्वर्गीया माताजी  
श्रीमती सुन्दरदेवी  
तथा  
स्वर्गीय पिताजी  
श्री लक्ष्मीसिंह गौड  
की  
पुण्य पद्म पावन  
सृति  
में

## निवेदन

हिन्दी-नाट्य-कला अभी अपने विकास-काल में है। पारचात्य नाट्य-कला से उसे जो स्फुर्ति और प्रेरणा मिल रही है। उसपर अभी भारतीय रंग नहीं चढ़ सका है। इस दिशा में आधुनिक नाटककारों का प्रयास हो रहा है, नवे-नये प्रयोग हो रहे हैं, नवी-नवी शैलियों का निर्माण हो रहा है, नवे-नये विषयों की स्रोज हो रही है और ग्राचीन तथा अवाचीन में समन्वय स्थापित किया जा रहा है। इससे यह आशा की जाती है कि निकट भविष्य में हिन्दी-नाट्य-कला अपनी संस्कृति, अपनी सभ्यता और अपने नये धातावरण के अनुकूल स्वतंत्र रूप से अपने स्थानित्व का परिचय देने में समर्थ होगी। जबकि उसका स्पष्ट रूप सामने नहीं आता, जबतक उसकी अपनी कसौटी तैयार नहीं होती, जबतक उसके आदर्शों और उसकी शैलियों का मापदंड स्थिर नहीं होता, जबतक उसकी माँगें पूरी नहीं होतीं और जबतक हिन्दी-रंगमंच का निर्माण नहीं होता, तबतक उसपर लिखी गयी प्रत्येक पुस्तक अधूरी ही समझी जायगी। प्रस्तुत पुस्तक इसका अपवाद नहीं है।

मैं नाटककार नहीं हूँ। नाट्य-कला के गहन बहूरों में भी मेरी पहुँच नहीं है। इसलिए मैं यह दावा नहीं कर सकता कि इस पुस्तक में जो कुछ है यह सब मौलिक है, सब नया है। याते वही हैं जो इससे संबंध रखनेयादी अन्य पुस्तकों में देखने को निलती हैं। उनमें और इसमें भेद केवल इतना ही है कि मैंने उन समस्त विषयों को विद्यार्थियों की सुविधा के अनुसार अभिनव रूप में प्रस्तुत किया है। इस पुस्तक में मैंने नाट्य-कला-संबंधी प्रत्येक बात को स्पष्ट रूप से समझाने का प्रयत्न किया है और तुलनात्मक दृष्टि से भी उस पर विचार किया है।

पूरी पुस्तक आठ अध्यायों में विभाजित की गयी है और प्रत्येक अध्याय में जो विषय लिया गया है उसपर यथाशक्ति पारचात्य और भारतीय दृष्टिकोणों से साल भाषा में विचार किया गया है। इस प्रकार मैंने हिन्दी-नाट्य कला के विविध रूपों को दियार्थियों तक पहुँचाने की चेष्टा की है। अपनी इस चेष्टा को सफल बनाने के लिए मैंने डा० नरेन्द्र, प्रो० सत्येन्द्र, डा० सौमनाथगुप्त, डा० एस० पी० खन्नी, श्री गुजार राय, श्री ब्रजराजदास, डा० रामसुन्दरदास, डा० लक्ष्मीसागर धार्येप्रभूत विद्वानों और कलाकारों की रचनाओं से पूरी सहायता ली है। अतः मैं उनके प्रति हार्दिक कृतज्ञता प्रकट करता हूँ। इस पुस्तक की रचना करते समय लोक-नाट्य की ओर भी मेरा ध्यान गया था, पर उचित सामग्री के अमाव में मैं उसके संबंध में कुछ लिखने का साहस नहीं कर सका। अगले संस्करण में इसपर भी प्रकाश ढालने की चेष्टा करूँगा।

मैं अपनी सीमाएँ जानता हूँ। हिन्दी-नाट्य-कला को अपनी इस पुस्तक का प्रधान विषय बनाकर मैंने जो साहस किया है उसका संगर्ह दायित्व मुक्त रहे हैं। इसमें मुझसे जो भूलें हुई हैं यदि हमारे पाठ्य उनके प्रति उदारतापूर्वक मेरा ध्यान आकृष्ट करेंगे तो मैं उनका आमार स्वीकार करूँगा।

२२७, मीरापुर,  
इलाहाबाद—३  
कार्तिक एकादशी, सं० २०१०

राजेन्द्रसिंह गौड़

## विषय-सूची

: १ :

### नाटक की मूल प्रवृत्तियाँ और उनका महत्व

नाटक की मूल प्रवृत्तियाँ, नाटक का जन्म, साहित्य में नाटक की प्रतिष्ठा, नाटक और रूपक, काव्य में नाटक का स्थान, नाटक और महाकाव्य, नाटक और उपन्यास, नाटक का महत्व। .....पृष्ठ १-१५

: २ :

### संस्कृत-नाटकों का विकास और हास

संस्कृत नाटकों की उत्पत्ति, संस्कृत-नाटकों की प्राचीनता, संस्कृत-नाटकों पर यूनानी प्रभाव संस्कृत-नाटक का इतिहास, संस्कृत-नाटकों का हास। .....पृष्ठ १६-२८

: ३ :

### संस्कृत-नाट्य-कला का शास्त्रीय विवेचन

इत्य काव्य के उपररण, इत्य काव्य के भेद, रूपक के भेद, उपरूपक के भेद, रूपक के तत्त्व—(१) वस्तु, वस्तु में अर्थ-प्रकृति, वस्तु में कार्य की अवस्थाएँ, वस्तु में संधियाँ, वस्तु-विधान, अंक और इत्य, (२) पात्र, (३) रस, (४) अभिनय, (५) शृंगार, रूपक के प्रारंभिक अंग, रूपक में पात्रों की भाषा। .....पृष्ठ २९-४८

: ४ :

### हिन्दी-नाटकों का इतिहास और विकास

हिन्दी-नाटकों का अम्युदय, हिन्दी-नाटक-रचना में वाधाएँ, हिन्दी-नाट्य-साहित्य का इतिहास, हिन्दी-नाट्य-कला का विकास। पृष्ठ ४९-८१

: ५ :

## हिन्दी नाट्य-कला का शास्त्रीय विवेचन

हिन्दी-नाटक के विषय, नाटकों के भेद, सुखान्त और दुखान्त नाटक, दुखान्त नाटक की आधारभूत प्रवृत्ति, नाटक के तत्त्व, नाटकीय विधान में संकलनश्य का महत्त्व, नाटकीय विधान में संगीत का महत्त्व, हिन्दी-नाटकों पर पाठ्यान्य प्रभाव, प्राचीन और आधुनिक नाटक, नाटक में स्वगत-कथन का प्रयोग, नाटक में रंग-संकेतों का महत्त्व !.....पृष्ठ ८२-१३१

: ६ :

## एकांकी की उत्पत्ति और विकास

संस्कृत-पुकांकी का जन्म, शैंगरेत्री-पुकांकी का जन्म, हिन्दी-पुकांकी का जन्म, पुकांकी का महत्त्व, पुकांकी की परिमापा, पुकांकी की विशेषताएँ, नाटक और एकांकी, पुकांकी और कहानी, पुकांकों के मूल तत्त्व, पुकांकी के भेद, प्राचीन और नवीन पुकांकी, हिन्दी-पुकांकी की प्रतीतियाँ, पुकांकी का मविष्य !.....पृष्ठ १३२-१३३

: ७ :

## नाट्य-साहित्य में प्रहसन का स्थान

नाटक में हास के रूप, प्रहसन का स्वरूप, प्रहसन का प्रयोजन, प्रहसन की पृष्ठभूमि, प्रहसन के विषय, प्रहसन में हास्य के सिद्धान्त, प्रहसन में हास्य के आलंबन, प्रहसन में हास की शीलियाँ, प्रहसन के भेद, प्रहसन की प्रगति, साहित्य में प्रहसन का स्थान !.....पृष्ठ १३४-२१४

: ८ :

## रंगमंच और रंगमंचीय नाटक

रंगमंच और नाटक का संबंध, रंगमंच की उत्पत्ति, संस्कृत-रंगमंच की रूपरेखा, जन-रंगमंच का विकास, जन-रंगमंचीय नाटक, हिन्दी-रंगमंच की स्थापना, रंगमंच और चित्रपट !.....पृष्ठ २१४-२३४

# हिन्दी-नाट्य-कला का विकास

## नाटक की मूल प्रवृत्तियाँ और उनका महत्व

मानव अनुकरण-प्रिय प्राणी है। बचपन से वह अनुकरण द्वारा ही बोलना, उठना-बैठना, चलना-फिरना और अन्य उपनाटक की मूल योगी बातें सीखता है। अपनी मातृ-भाषा का शब्द प्रवृत्तियाँ भी उसे अनुकरण-द्वारा ही प्राप्त होता है। अनुकरण-द्वारा ही वह हँसना, बात-चीत करना, शुद्ध भाषा का प्रयोग करना तथा शिष्टाचार-संवंधी अन्य बातें सीखता है। इतना ही नहीं, कभी वह मूँछे लगाकर पिंडा बनता है, कभी हाथ में छड़ी लेकर अव्यापक होने का अभिनय करता है, कभी अपने बड़ों की वेश-भूषा और पढ़नावे का अनुकरण कर हास्यमय बोतावरण की सूचिकरता है, कभी लकड़ी के डडे को घोड़े का रूप देकर उसे सरण्ड दीड़ाता है और कभी) स्वयं इंजिन बनकर और अपने समवयस्क बालकों की ट्रेन बनाकर भक-भक करता चलता है। यालिकाएँ भी प्रायः गुड्डे-गुड़ियों के विवाह-द्वारा अपने भावी दाम्पत्य-जीवन का काल्पनिक सुख अनुभव करती हैं। बचपन के इन सेलों में अनुकरण की प्रवृत्ति को कलना से बहुत बल मिलता है। कलना मानव की अनुकरण-प्रवृत्ति को अनुप्राणित करती है और अनुकरण-प्रवृत्ति सुत शक्तियों को जागरित कर देती है। इस प्रकार मानव स्वयं अपनी अनुकरण-प्रवृत्ति द्वारा अपनी शक्तियों का विकास और अपने अमादों की पूर्ति करता है। यहीं मानव पशु से ऊपर उठ जाता है।

मानव पशु से एक बात में और भी भेद है। वह आत्म-विकास-प्रिय प्राणी है। उसमें कुछ है, कुछ नहीं है। जो नहीं है, उसी की पूर्ति करना;

पूर्ण मानव बनना, उसके जीवन का घ्रेय है, यही उसका परम लक्ष्य है। इह लक्ष्य की सिद्धि में अनुकरण उसको सहायता करता है। अनुकरण आत्म-विकास का सहायक है, साधन है। अपने जन्म से मृत्यु तक अनुकरण-द्वारा वह जितने प्रकार के सासारिक अनुभव प्राप्त करता है उन्हें वह अपने में पचाकर, अपने हाइ-मास और रक का अंग बनाकर संसार के समक्ष नये रूप और नये रंग में प्रस्तुत करता है। इससे उसकी संकुचित सीमाएँ विकसित हो जाती हैं। यही उष्णके आनन्द का कारण है। इसी आनन्द-प्राप्ति के लिए वह सतत प्रपलशील रहता है। अपने इस प्रपल में वह अपने आनन्द को अपने तक ही सीमित नहीं रखता। आनन्द बटोरना ही नहीं, आनन्द विखेरना भी उसका एक उद्देश्य है। वह स्वयं आनन्दित होकर दूसरों को भी अपने आनन्द से लाभ उठाने का अवसर देता है। इस प्रकार आनन्द के पारस्परिक आदान-प्रदान से उसमें एक नई शक्ति, एक नई प्रवृत्ति—आत्माभिव्यक्ति—का अन्मुदय होता है। आत्माभिव्यक्ति द्वारा वह अपने विचार और अनुभव ही नहीं, दूसरों के विचारों और अनुभवों का भी प्रतार करता है। मानव की यही शक्ति साहित्य को जन्म देती है। साहित्य मानव की आत्माभिव्यक्ति का परिणाम है। हमारे काव्य, हमारे उपन्यास, हमारे नाटक—सबके सब लेखक की आत्माभिव्यक्ति नहीं तो और क्या है! आत्माभिव्यक्ति अपूर्ण मानव को पूर्ण बनाता है। अपने विचारों को दूसरों पर प्रकट करने और दूसरों के विचारों को स्वयं प्रहरण करने में उसकी अपूर्णता नष्ट हो जाती है। इस प्रकार आत्मविकास से अनुकरण और अनुकरण से आत्माभिव्यक्ति को जो प्रेरणा और स्फूर्ति मिलती है वही साहित्य को जन्म देती है और जब उसमें अनुकरण को प्रधानता मिलती है तब नाटक का प्रादुर्भाव होता है। नाटक की मूल प्रवृत्ति है आत्म-विकास और आत्म-विकास का मुख्य साधन है अनुकरण। अनुकरण होता है वेण-भूपा का, स्वर और लहजे का, चाल-ढाल का। यह अनुकरण जितना ही वास्तविक

और प्रकृत होता है, नाटक उतना ही सफल, लोक-प्रिय, प्रभावशाली और कलापूर्ण होता है।

नाटक की जिन मूल प्रवृत्तियों का अभी उल्लेख किया गया है

उन्होंने मानव-हृदय और मस्तिष्क को नाटक-रचना

नाटक का की और क्य और कैसे प्रेरित किया—यह ईश्वर की

जन्म सत्ता की भाँति ही रहस्यपूर्ण है। वास्तव में नाटक

उतना ही प्राचीन है जितना मानव-जीवन। मानव

की उत्पत्ति के साथ ही नाटक का जन्म हुआ है। विकासवाद के सिद्धांत

के अनुसार आज का सम्य मानव आरम्भ में बनमानुस रहा होगा। उस

समय उसकी मुख्य आवश्यकता रही होगी जुधा-शान्ति। जुधा-शान्ति के

पश्चात् जीवन की रक्षा का प्रश्न भी उसके सामने आया होगा और

जब उसे अपनी इन शारीरिक आवश्यकताओं की पूर्ति में वाधाएँ मिली

होगी तब उसने एकाकी जीवन त्यागकर सामूहिक रूप से जीवन ज्यतीत

करने और उन वाधाओं पर विजय पाने की चेष्टा की होगी। अपनी

इस चेष्टा में वह कभी पराजित हुआ होगा और कभी विजयी। पराजित

होने पर उसने प्रकृति की असार शक्ति की पूजा की होगी और विजयी

होने पर अपने उल्लास की अभिव्यक्ति। धीरे-धीरे मनोविकारों के

अभ्युदय और सम्यता के विकास के साथ-साथ उसने प्रणय का—

दामत्य प्रेम का—भी आनन्द लूटा होगा। सम्भव है, सर्वप्रथम प्रेमा-

नुभूति ने ही उसे नृत्य करने के लिए विवश किया ही और उसी अवसर

पर उसकी स्वरन्जहरी ने संगीत का रूप धारण कर लिया हो। जो भी

हो, किसी ने उसे देखा नहीं, किसी ने उसे समझा नहीं। आज हम

अनुमान और कल्पना के सहारे इस चात को स्वीकार कर लेते हैं कि

उन बनमानुसों ने अपनी जुधा शान्त करने, अपनी जीवन-रक्षा करने,

अपनी प्रणय-लिप्सा को रूप्त करने तथा प्रकृति की अपार शक्ति की

पूजा एवं अर्चना करने के लिए जो भी प्रयत्न किये होंगे और उन प्रयत्नों

के फलस्वरूप उन्हें जो भी अनुभूतियाँ प्राप्त हुईं होगी उन्हीं के आधार पर नाट्यकला का जन्म हुआ है।

नाट्यकला मानव की मानवीनतम् घरोदर है। इसने मानव-जीवन के इतिहास को सुरक्षित रखा है। हमारे आज के साहित्य में नाटक का जो रूप हमें दिखाई देता है वह रूप उस समय उसका न रहा होगा, इसमें कोई चन्द्रेह नहीं, पर जिन मूल प्रवृत्तियों ने उस श्रधकारपूर्ण युग में नाटक को जन्म दिया थे अब भी हैं और सम्भिके अन्त तक वनी रहेंगी। आज के सभ्य युग में नाटकरचना की जो प्रेरणा मिल रही है और भविष्य में इस दिशा में जो भी प्रेरणा मिलेगी उसके मूल में भी वही प्रवृत्तियाँ इसी प्रकार कार्य करती हुई दोस पड़ेंगी।

यह है नाटक के जन्म की काल्पनिक कथा। हम इस कथा को सत्य

मानें अथवा न मानें, हम इस पर विश्वास करें साहित्य में नाटक अथवा न करें—एक बात तो हमें माननी ही होगी की प्रतिष्ठा और वह यह कि जो सामाजिक अथवा मानविक प्रवृत्तियाँ नाटक को जन्म देती हैं उनके कारण साहित्य में उसका महत्व अत्यधिक हो जाता है। अब हमें यह देखना है कि उसे यह महत्व क्या और किस स्थिति में प्राप्त होता है।

हम अभी बता चुके हैं कि अनुकरण-मात्र से नाटक का जन्म होता है। नाटक अभिनय की अपेक्षा रखता है। जबतक अनुकरण अभिनय का रूप धारणा नहीं करता तबतक वास्तविक शार्थों में उसे नाटक अथवा रूपक की एशा नहीं दी जा सकती। नाटक में अभिनय का होना अनिवार्य है। अभिनय का अर्थ है—शारीरिक चेष्टाओं-द्वारा हृदय के भावों का प्रकाशन। साहित्य में ऐसी समलै चेष्टाओं का गूल्यांकन तभी होता है जब वे तत्संबंधी नियमों के संचय में ढल जाती हैं। कहने का गतर्थ यह है कि साहित्यिक अनुशासन के अन्तर्गत आने से ही रूपक अथवा नाटक को साहित्यिक रूप प्राप्त होता है और हम उसे नाट्य-साहित्य कहते हैं।

नाट्य-साहित्य सम्बन्ध और संस्कृति की उच्चता का द्योतक है। जो जाति जितनी समय और सुन्दरता होती है, उसका नाट्य-साहित्य उतना ही उच्च कोटि का होता है। यही कारण है कि यह विश्व की सभी जातियों और सभी देशों में नहीं पाया जाता। कुछ जातियों में रूपकों का प्रचार तो है, पर उन्हें साहित्यिक रूप नहीं मिला है। ऐसी जातियाँ असम्भव ही समझी जाती हैं। अद्दे सम्भव जातियों में भी बहुत सी ऐसी हैं जिन्होंने वास्तविक अर्थों में तो नाट्य-साहित्य का विकास नहीं किया है, पर रूपकों के संगीत, नृत्य, भावभंगी, वेश-भूपा आदि भिन्न-भिन्न आवश्यक और उपयोगी अग्रों में अपनी इच्छा-विशेष के अनुसार परिवर्तन और परिवर्धन करके उसके अनेक भेदों और उप-भेदों की सृष्टि की है। सम्भव जातियों ने नाट्य को शास्त्रीय अथवा साहित्यिक रूप अवश्य दिया है, पर जैसा कि पहले बताया जा चुका है, उसे भी उनकी सम्भवता एवं संस्कृति के अनुसार उन्नत रूप मिला है। नाटक, वास्तव में, उसी समय साहित्य की श्रेणी में आता है जब उसमें अभिनय के साथ ही कथोपकथन का आयोजन होता है। कथोपकथन जितना संयत, जितना शिष्ट, जितना विचारपूर्ण और गंभीर होता है, नाटक उतना ही साहित्य तथा तत्संबंधी जाति की मर्यादा और गौरव बढ़ाता है। नाटक हमारी संस्कृति और सम्भवता का रखक है। उससे हमारे प्राचीन और भूत—दोनों की रक्षा होती है और उसी से भवित्व को भी प्रेरणा मिलती है। विदेशों में आर्य जाति और उसके संस्कृत साहित्य को जो सम्मान मिला है उसमें अभिशान शाकुंतल का भी हाथ है।

अब यह प्रश्न उठता है कि नाटक है क्या? व्युत्पत्ति की दृष्टि से

नाटक संस्कृति की नद् धारा से बना है। नद् का अर्थ है—सात्त्विक भावों का प्रदर्शन। प्राचीन समय में रूपक सात्त्विक भावों का प्रदर्शन करनेवाला व्यक्ति नट कहलाता था। इस प्रकार जिस साहित्य का संबंध

नट से होता था उसे नाटक कहते थे ! नाटक का अभिनव अथवा किसी भी अवस्था का अनुकरण नाट्य कहलाता था । नाट्यमें रत की प्रशानता होती थी । उसमें भावों के अभिनव के साप-साय क्योंक्यों भी रहता था । उस समय वह रूपक का एक भेद था, पर आगे चलकर वही रूपक का पर्याय हो गया । रूपक ने अभिनव करनेवाला किसी दूसरे व्यक्ति का रूप धारण करके उसके अनुष्ठार हाथ-भाष्य करता और बोलता था । यह कार्य वह दूसरी उत्तमता से करता था कि उसमें और वास्तविक व्यक्ति में प्रत्यक्षतः कोई अन्तर नहीं रह जाता था । इससे वह स्पष्ट है कि रूपक में अनुकरण की प्रतृति को नाट्य का रूप धारण करना परमायश्यक है । केवल अनुकरण न तो नाटक ही है और न रूपक ही । वह एकमात्र बालकों का खेल है । इस प्रकार नाटक और रूपक में कोई मौलिक भेद नहीं है । प्राचीन संस्कृत-साहित्य में रूपक का प्रचलन था, आज हम उसी अर्थ ने नाटक का प्रयोग करते हैं ।

इस अन्यत्र कह आये हैं कि रूपक में संगीत और काव्य का विधान होता है । ऐसी दशा में प्राचीन-संस्कृत-आचारों काव्य में नाटक ने उत्ते काव्य के अन्तर्गत माना है । उनके अनुसार का स्थान काव्य के दो भेद होते हैं—एक दृश्य, दूसरा अब्द । अब्द काव्य पढ़े भी जा सकते हैं और सुने भी जा सकते हैं । उनके द्वारा पाठकों अथवा श्रोताओं के हृदय में शब्दों के पठन अथवा अवलोकन द्वारा रस-संचार होता है । दृश्य काव्य में शब्दों के अतिरिक्त पात्रों की वेश-नूपा, उनकी आकृति तथा उनके अभिनव से दर्शकों को भाव-भग्न होना पड़ता है । इस प्रकार दृश्य काव्य प्रत्यक्ष-नुभव का एक महत्वपूर्ण माध्यम है । भव्य काव्य का अनुभव अप्रत्यक्ष होता है । अब्द काव्य में आँखें पढ़ती हैं, दृश्य काव्य में आँखें देखती हैं । अब्द काव्य में शब्दों-द्वारा कहना की सहायता से मानसिक चित्र उतार जाता है, दृश्य काव्य में कहना पर इच्छना बल नहीं देना पड़ता ।

उसमें हमको यदी प्रतीत होता है कि हम वास्तविकता को देख रहे हैं। अब्य काव्य में अनुभवों आदि का बण्णन शब्दों-द्वारा होता है; दृश्य काव्य में अभिनय-द्वारा। इसीलिए दृश्य काव्य, अब्य काव्य की अपेक्षा अधिक और स्थायी प्रभाव उत्पन्न करने में सहायक होता है। अब्य काव्य में केवल अवणेन्द्रिय को आनन्द मिलता है, पर दृश्य काव्य में अवणेन्द्रिय के साथ-साथ चक्षुरिन्द्रिय को भी। चक्षुरिन्द्रिय का विषय रूप है, इसलिए दृश्य काव्य को रूपक कहना सुकिसिगत ही है। ऐसी दशा में दृश्य काव्य रूपक का पर्याय हो जाता है, पर अब जो नाटक लिखे जा रहे हैं उनमें कविता के अभाव के साथ-साथ अभिव्यञ्जना भी काव्य-मय नहीं होती। इसलिए आधुनिक नाटकों को काव्य के अन्तर्गत रथान देना उचित नहीं जान पड़ता। आधुनिक नाटक मुख्यतः गद्यमय होते हैं।

इससे स्पष्ट है कि नाटक और काव्य, साहित्य के दो भिन्न-भिन्न अंग

हैं और उनकी रूप-रेखा एवं उनकी अभिव्यञ्जना-रीली नाटक और कहीं भी एक-दूसरे से मेल नहीं खाती। पर इतनी महाकाव्य विभिन्नता होते हुए भी यह तो मानना ही होगा कि दोनों मानव-जीवन की व्याख्या करते हैं और दोनों का विकास अन्तर्दृढ़न्दू के चित्रण में होता है। कथानक की दृष्टि से नाटक की तुलना महाकाव्य से हो सकती है। महाकाव्य का कथानक नाटक के कथानक की अपेक्षा अधिक विस्तृत होता है। महाकाव्य के कथानक के गर्म में अनेक छोटी-छोटी प्रारंभिक कथाओं का समावेश रहता है; नाटक के कथानक में एकमात्र उन्हीं महत्वपूर्ण घटनाओं तथा परिस्थितियों को अपनाना पड़ता है जिनके बिना कथा का विकास ही नहीं हो सकता। ऐसी दशा में किसी महाकाव्य के कथानक को बिना काट-चुड़ाइ के, नाटक के कथानक के रूप में परिणत करना अत्यन्त कठिन है। महाकाव्य के विषयों की सीमा भी अपेक्षाकृत सीमित है। नाटक इतिहास, पुराण, लोकगाथा, समाज, राजनीति, नीति, मानव-दर्शन, वर्तमान-समस्याएँ—इनमें से किसी से भी अपनी रचना के लिए सामग्री

बटोर सकता है, पर महाकाव्य एकमात्र इतिहास और पुण्य से ही अपनी रचना के लिए प्रेरणा प्रहरण करता है। इसलिए जहाँ महाकाव्य का नायक देखता अथवा महामुद्रा होता है वहाँ नाटक का कोइं भी प्राणी हो सकता है। इसके अतिरिक्त महाकाव्य के पात्र वात्त्विक होते हैं और नाटक के अवात्त्विक। ये वात्त्विक पात्रों का केवल प्रतिनिधित्व करते हैं।

नाटक और महाकाव्य में रचना की दृष्टि से भी अन्तर है। महाकाव्य में कवि अपने व्यक्तित्व को पाठक के सामने स्पष्ट कर देता है, पर नाटक में लेखक का व्यक्तित्व छिपा रहता है। वह सामने आकर कुछ कहने की अपेक्षा अपने पात्रोंद्वारा ही रहता है। इसलिए दस्तरत्व की समानता होने पर भी दोनों की रचना-शैली में अन्तर ही जाता है। याद दृष्टि से यदि देसा जाय तो जात होगा कि महाकाव्य में उगों का विभान होता है और प्रत्येक उर्ग के अन्तर्गत किंतु एक घटना का छन्दों ने वर्णन होता है। नाटक ने अंक होते हैं और प्रत्येक अंक के अन्तर्गत एक या कई दृश्य होते हैं जिनमें से प्रत्येक में नूल दया से सम्बन्ध रखनेवाली किसी घटना का अभिनयात्मक वर्णन होता है। वर्णन-प्रधान होने के कारण महाकाव्य के अध्ययन से हमें प्रत्येक घटना का अप्रत्यक्ष अनुभव होता है, पर नाटक के सम्बन्ध में यह जात नहीं कही जा सकती। नाटक अभिनय-प्रधान है। उसके लिए रंग-भैंच की आवश्यकता होती है। ऐसी दया में दर्शक एक ही बैठक में एक निश्चित समय के भीतर किसी नाटक को देखकर उससे प्रत्यक्ष अनुभव प्राप्त कर सकते हैं। महाकाव्य का आनन्द स्वयं पढ़ने अथवा दूसरों के मुल से सुनने से प्राप्त हो सकता है। उसके लिए समय का प्रतिबन्ध नहीं है। इसके अतिरिक्त नाटक की कला महाकाव्य की कला की अपेक्षा अधिक व्यापक है। नाटक में पाण्डु-कला, भूर्ज-कला, चित्र-कला, वैण-भूषा, संगीत, नृत्य, मापण, अभिनय तथा इनसे सम्बन्ध रखनेवाली कई कलाओं की आवश्यकता पड़ती है। महाकाव्य में इनका विशेष

महत्व नहीं है। नाटक कला-प्रधान है, महाकाव्य वर्णन तथा माव-प्रधान। महाकाव्य संस्कृति और सम्भवाँ का प्रतिविव है। किसी महाकाव्य को पढ़कर हम उससे सम्बन्ध रखनेवाली जाति की संस्कृति और सम्भवा का ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। नाटक में राष्ट्र का गौरव चित्रित होता है। नाटक देखने के समय हमें वही आनन्द मिलता है जो इतिहास का अध्ययन करने अथवा अपना चित्र देखने में। इस प्रकार नाटक का आनन्द आत्मानन्द होता है, महाकाव्य का ब्रह्मानन्द। नाटक अनुकूल-प्रधान है, महाकाव्य रस-प्रधान। वहिमुखी होने के कारण नाटक हमारी समस्त इद्रियों को, हमारी समस्त चेतनाओं को एक साथ प्रभावित करता है। महाकाव्य अन्तमुखी होता है। उसके अध्ययन अथवा शब्द से हमारी समस्त चेतना एक साथ प्रभावित नहीं होती।

इस प्रकार हम देखते हैं कि नाटक और महाकाव्य दोनों साहित्य के दो भिन्न-भिन्न अंग हैं। हम आरम्भ में बता चुने हैं कि प्राचीन काल के दृश्य काव्य, आधुनिक काल में विज्ञान की उन्नति और नाट्य-कला के विकास के कारण, इतने परिवर्तित हो गये हैं कि उन्हें काव्य के अन्तर्गत रखने में संकोच होता है। सिनेमा और रेडियो के आविष्कार ने तो नाटक की परिभाषा में भी हेर-फेरकर दिया है। नाटक अब दृश्य ही नहीं, अव्यभीत हो गये हैं। ऐसी दशा में महाकाव्य और नाटक में जो पार्यवय है, वह बढ़कर इतना अधिक होना जा रहा है कि दोनों पर तुलनात्मक दृष्टि से विचार करना ही व्यर्थ है।

नाटक और उपन्यास में भी मौलिक अन्तर है। इसमें संदेह नहीं कि दोनों अपने कथानक की सामग्री एक ही छेत्र से नाटक और एकत्र करते हैं, दोनों जीवन का व्याख्यान करते हैं, दोनों में कथा-वस्तु का संगठन प्रायः एक-सा होता है, दोनों घटना-प्रधान होते हैं; दोनों का भूत से सम्बन्ध रहता है, दोनों का आरम्भ, विकास और अन्त मी प्रायः एक-सा होता है, दोनों में व्यक्ति का प्राधान्य रहता है, दोनों

का उद्देश्य चित्तरंजन करना है, दोनों में कथोपकथन और चरित्र-चित्रण की भी समानता रहती है; परं इतना होते हुए भी दोनों एक नहीं हैं। उपन्यास की कथा छोटी-से-छोटी और बड़ी-से-बड़ी हो सकती है, परं नाटक में इतनी स्वतंत्रता नहीं है। नाटक अपने नियमों और सीमाओं से ज़कड़ा रहता है। उपन्यास अरनेग्राम में परिपूर्ण होता है, अर्थात् एक उपन्यासकार अपनी परिपि में उन सभी वस्तुओं का समावेश कर देता है जिन्हें वह अपनी कथनीय वस्तु के विकास के लिए उपयुक्त और बांधनीय समझता है। इसके विषद् नाटक अपने आप में पूर्ण होता है। उसे अपनी पूर्णता के लिए पद-पद पर वाह रखेतों वीं अपेक्षा रहती है। कहने का तात्सर्व यह कि नाटक पूर्ण सफल तभी समझा जाता है जब सफलता-पूर्वक उसका अभिनय किया जा सके। उपन्यास पर्णन-प्रधान होता है, नाटक अभिनय-प्रधान। उपन्यास विशेष कर पढ़ने के लिए और नाटक खेले जाने के लिए लिखे जाते हैं। नाटक का आनन्द एक ही बैठक में लिया जा सकता है; उपन्यास कमरे में ले जाकर आराम के साथ उताह, दो उताह में समाप्त किया जा सकता है। नाटक के लिए नाव्यशाला में जाना पड़ता है और एक निश्चित समय तक ही वहाँ रहना पड़ता है। उपन्यास में साधारण अध्यायों से, जो छोटे-से-छोटे और बड़े-से-बड़े हो सकते हैं, काम चल जाता है और लेखक अपनी ओर से भी वहुत कुछ रहता तथा समझता रुक्खा चरित्र-चित्रण में सहायता पहुँचाता रहता है, परं नाटक में श्रंकों और दृश्यों का विधान होता है। उसमें लेखक को अपनी ओर से कुछ कहने और समझाने की आवश्यकता नहीं पड़ती। वह जो कुछ रहना चाहता है उसे वह पानी के भाष्यमन्दार कहता है। उपन्यासकार की भाँति नाटककार उब यातों की व्याख्या नहीं करता। इसलिए उपन्यास के कथोपकथन, नाटक के कथोपकथन की अपेक्षा लम्बे होते हैं। उपन्यास से अग्रत्यक्ष अनुभव होता है, नाटक से प्रत्यक्ष। उपन्यासकार घटी हुई घटना का वर्णन करता

## नाटक की मूल प्रवृत्तियाँ और उनका महत्व

है, और उसके द्वारा अपना व्यक्तित्व प्रत्यक्ष कर देता है। नाटककार धटी हुई घटना का बर्णन नहीं करता। वह घटना की प्रत्यक्ष में आवृत्ति-कर अपने व्यक्तित्व को, सिनेमा के आपरेटर की भाँति, छिपाये रखता है। यदि उसका व्यक्तित्व कहीं दिखाई पड़ता है तो वह किसी पात्र के रूप में सामने आता है। उपन्यास के पात्र वास्तविक होते हैं। वे अपने निजी रूप में सर्वन वर्तमान हैं। नाटक के पात्र दूसरों का प्रतिनिधित्व करते हैं। इस प्रकार के सफल प्रदर्शन के लिए नाटक की रचना में पर्याप्त शान और कला-कौशल की आवश्यकता पड़ती है; उपन्यास के लिए अपेक्षाकृत कम। उपन्यासकार क्रियाशील नहीं होता, नाटककार क्रियाशील होता है। उपन्यासकार के लिए सभी कलाओं का ज्ञान आपेक्षित नहीं है, नाटककार को जीवन-संबंधी प्रत्येक कला का ज्ञान होना आवश्यक है।

भाषा की दृष्टि से उपन्यास रियलिटी और नाटक कुस्त होता है। समय का बन्धन न रहने के कारण उपन्यास में जहाँ पात्र बातें करते समय बहक जाते हैं और सहसा बाचाल हो उठते हैं, वहाँ नाटक में समय का बन्धन होने के कारण पात्रों को बहकने और बाचाल होने का अवसर नहीं मिलता। ऐसी दशा में उन्हें अपने भावों और विचारों को संज्ञेप में, दृश्यरूप में, कहने का अभ्यास-सा हो जाता है। उपन्यास की भाषा गच्छमय होती है और नाटक की गच्छमय और पथमय दोनों। नाटक में उपन्यास की अपेक्षा कुछ अधिक कवित्व रहना आवश्यक है। मूलतः नाटक काव्य का ही एक भेद है और उपन्यास गच्छ का एक अंग। नाटकों में अवसरानुकूल उपयुक्त और उचित बालावरण का निर्माण करने के लिए संगीत की योजना करनी पड़ती है, पर उपन्यास में ऐसा नहीं होता। नाटक की कला उपन्यास की कला से भेष्ठ है। नाटककार कवि, लेखक, संगीताचार्य, अभिनेता और बहुअनुभवी होता है। उपन्यासकार के लिए इतने प्रकार के अनुभवों की आवश्यकता नहीं पड़ती। इस प्रकार हम देखते हैं कि नाटक और उपन्यास की सीमाएँ भिज्ञ-भिज्ञ हैं और इस कारण दोनों में मौलिक अन्तर है।

साहित्य के दो प्रमुख अंगो—काव्य और उपन्यास से नाटक की तुलना करने के परचात् यह स्पष्ट हो जाता है कि नाटक का महात्व अपनी विशेषताओं के कारण नाटक का महत्व अतुलनीय है। नाटक हमारी सुन सेवनाओं को सचेत करता है, हमारी अमृत भावनाओं को मूर्त रूप प्रदान करता है, हमारी मृत्त अभिलापाओं को जीवित कर उन्हें संदित, अनुपासित और तीव्रतर बरता है और हमें स्वयं अपना मार्ग बनाकर आगे बढ़ने के लिए प्रोत्याहित करता है। पुराण और इतिहास के निर्जीव पृष्ठों को नाटक ही जीवन-दान देता है और अपनी कला से उन्हें वाचाल बनाता है। यह हमारी भावनाओं, हमारी इच्छाओं और हमारी अभिलापाओं को वास्तविक रूप में चिनितकर हमें सावधान करता है और हमारा परिष्कार करता है। इसने नाटक देखकर जानि की है, सामाजिक रुदियों में उत्तर-फैर किया है, जीवन की रूप-रेखा बदली है। नाटक जन-गाहित है। उसमें लोक-हित और लोक-रंजन की अत्यधिक छमता है। काव्य, उपन्यास, कहानी आदि से जनता का उत्तना मनोरंजन नहीं होता जितना नाटक से। नाटक जीवन की वास्तविकता को स्पष्ट रूप में अंकित और उसे वास्तविक रूप में हमारे सामने प्रस्तुत करता है। इसलिए उसमें अद्भुत प्रभावोत्तमक शक्ति है। नाटक के सामने साहित्य के अन्य अग अपूर्ण है। काव्य, उपन्यास, कहानी आदि, जहाँ हमारी जिजाइ को तुष्ट करने में विफल रहते हैं वहाँ नाटक उसे तुष्ट करके उसका नेतृत्व करता है। इसके अतिरिक्त साहित्य के अन्य अंग एक राय, एक वैठक में एक निश्चित समय के भीतर इतने भारी जन-समूह को आनन्दमग्न नहीं कर सकते जितने भारी जन-समूह को नाटक अपनी कला-द्वारा रस-प्लावित कर सकता है। नाटक हमारी भावनाओं का, हमारे भूत कालीन गौरव का, हमारे इतिहास और पुराण का, हमारी वर्तमान समस्याओं का इश्य-रूप है। उसमें हमारी सुरचिन्कुरचि है, हमारी सफलता-विकलता है, हमारा उत्थान-पतन है, हमारी शुचिता-अशुचि है, हमारे जीवन

की समस्त निषिद्धियाँ हैं। हम उसे देखकर अपना सब कुछ जान और पहचान सकते हैं। हम नाटक नहीं देखते, रंगमंच पर हम अपने जीवन की स्थष्टि कांकियाँ देखते हैं।

शास्त्रीय दृष्टि से भी नाटक का अत्यधिक महत्व है। नाटक लोक-तांत्रिक कला है। उसमें कई कलाओं का संविधान है। स्थापत्य, चित्र-कला, संगीत, वाय, नृत्य, काव्य, इतिहास, समाज-शास्त्र, वेश-भूमा की सजावट, रंग-मंच का शृङ्खार—इन सभी शास्त्रों और कलाओं का समावेश नाटक में होता है। नाट्य-कला के आदि आचार्य भरत मुनि ने नाटक को सभी काव्यों में श्रेष्ठ माना है। उनके अनुसार योग, कर्म, सारे शास्त्र, समस्त शिल्प में से कोई ऐसा नहीं है जिसकी नाटक-नृत्यना में आवश्यकता न पड़ती हो। इसीलिए नाटक को पंचम वेद की रूंदा से विभूषित किया गया है। वेद भगवान् की वाणी है। नाटक को वेद के समक्ष रखना उसके महत्व को चार चाँद लगाना है। हम वेद की वाणी न भी मुर्में, पर नाटक देखने आवश्य जाते हैं।

---

## संस्कृत-नाटकों का विकास और हास

संस्कृत-नाट्यमें नाटक का जन्म कब और किस प्रकार हुआ, यह निरचयपूर्वक नहीं बद्धा जा सकता। भरत मुनि के नाट्य-संस्कृत-नाटकों शास्त्र के अनुसार नाट्य-कला की उत्पत्ति देवी मानी की उत्पत्ति जाती है। एक पौराणिक कथा के आधार पर यह कहा जाता है कि सत्य सुग के पश्चात् वेता युग के प्रथम चरण में महेन्द्र आदि देवाताओं ने सृष्टिकर्ता ब्रह्म के पास जाकर इस बात के लिए सुनिश्ची की कि वह मनोरंजन के कतिष्य ऐसे साधन प्रस्तुत करें जिनसे देवतागण आनन्द लाभ करके अपना दुःख भूल सकें। ब्रह्म ने उनकी प्रार्थना स्वीकार की और बहुत खोच-विचार के पश्चात् नाट्य-वेद की रचना की। इस वेद की रचना में उन्होंने ऋग्वेद से कथोपकथन, रामवेद से गायन, वज्रवेद से आभिनय-कला और अथवेद से रस लिया। विश्वकर्मा ने रंग-मंच का निर्माण किया, शिव ने साहडव और पार्वती ने लाल्य-नृत्य की शिक्षा दी और विष्णु भगवान् ने चार नाट्य-शैलियों का निर्माण किया। इस प्रवार देवी नाट्य-वेद, जिसे पंचग वेद भी कहते हैं, मनुष्यों के मनोरंजनार्थ पृथ्वी पर अवतीर्ण हुआ और भरत मुनि उसके प्रथम आचार्य हुए। उन्हीं के द्वारा सर्वप्रथम पृथ्वी पर नाटक का आविभाव हुआ। उन्होंने अपने सी पुत्रों को नाटक के भिन्न-भिन्न श्रंगों में शिद्धा देकर उनके द्वारा अभिनय कराया।

नाटक की उत्पत्ति के सम्बन्ध में इह पौराणिक कथा का ऐतिहासिक महत्व नहीं है, पर इससे इतना अवश्य स्पष्ट हो जाता है कि आरम्भ

में नाटक-रचना की प्रेरणा वेदों से ही प्राप्त हुई है। वेद हमारे प्राचीनतम् धर्म-ग्रंथ हैं। उन्होंने समस्त भारतीय विद्याओं और कलाओं का विकास हुआ है। शूद्रवेद में इंद्र, अग्नि, यज्ञ, उपर्युक्त, मरुत् आदि देवताओं की स्तुति के गीत और यमयमी तथा पूलरवा उर्वशी के कथोने कथन मिलते हैं। साथ ही सामवेद में गानि-विद्या की पूर्णता है और अर्थात् अर्थवृण में बादन-गायन के साथ नृत्य का उल्लेख है। इससे यह स्पष्ट है कि नाटक-रचना के आवश्यक उपकरण वीज रूप से वेदों में विद्यमान हैं और सभवतः उन्हीं के आधारे पूर्ण उत्तम समय बुड़े लड़के यंगों के अवसर पर अभिनय हुआ करते थे। इस प्रकार के अभिनय प्रयोगः देव-पूजा और धार्मिक कृत्य-सम्बन्धी होते थे। ऐसी दराएँ में भारतीय नाटकों का आरम्भ देव-पूजा और धार्मिक कृत्यों से ही माना जाता है। प्रोफेटर मैसस भूलर, लेबी तथा डा० हेंटेल, आदि-विदेशी आचार्यों ने भाइसी मत की पुष्टि की है, पर कुछ ऐसे भी हैं जिन्हें यहे मत 'स्वीकार नहीं है। उनका कहना है कि भारतीय नाटक का उदय सामाजिक और लौकिक कृत्यों से हुआ है।

मूलक वीरों की पूजा से भारतीय नाटकों का आरम्भ माननेवालोंमें डा० रिजवे का प्रमुख स्थान है। उनका मत है कि प्रारम्भिक काल में भूत आत्माओं की प्रसन्नता के लिए गीत, नाटक आदि का आयोजन में होता था। इसी प्रकार प्रोफेटर कोनों भारतीय नाटक का उदय लौकिक कृत्यों से मानते हैं। उनका विश्वास है कि समाज में लोक-रंजन के लिए जो गीत, नृत्य आदि होते हैं, उन्हीं से नाटक का जन्म हुआ है। इसमें सन्देह नहीं कि भारत में रहस्यमय शक्ति की उपाधन के साथ-साथ मूलक वीरों की पूजा भी होती थी और शृंग-विवर्तन तथा फसल काठने आदि के अवसरों पर गीत और नृत्य का आयोजन भी होता था, पर नाटक का उदय केवल लौकिक और सामाजिक कृत्यों से मानना सर्वथा अनुचित ही होगा। जिन कल्याणशील विदेशी विद्वानों ने भारतीय नाटकों का आरम्भ केवल लौकिक और सामाजिक कृत्यों से माना है वे

वास्तव में भारत की आत्मा को नहीं पहचानते। भारत आरम्भ से ही धर्मपरिवर्तन देश रहा है। अतः उसके लौकिक, सामाजिक और धार्मिक इलेखों में कभी भी विशेष अन्तर नहीं रहा। हमारे जितने भी लौकिक और सामाजिक झूल्य हैं वे सद-केन्द्र लिहीन-लिही धार्मिक सिद्धान्त पर आधारित हैं। ऐसी दृष्टि ने वे किसी प्रकार भी घन से पृथक् नहीं किये जा सकते। अतः दा० रिजर्वे तथा प्रोफेसर कोनों के सिद्धान्त हमें मान्य नहीं हैं।

भारतीय नाटकों की उत्तराचि के सम्बन्ध में आचार्य सिंहत का मत भी विचारर्थीय है। उनका बहना है कि भारतीय नाटकों का उदय कठपुत्रलियों के नृत्य से हुआ है। वास्तव में यह मत भी दा० रिजर्वे और प्रोफेसर कोनों के मतों की भाँति अमात्मक है। गुणात्म की वृद्धक्या और राजशेष्ठर की वाल-न्यायण से यह प्रनापित होता है कि प्राचीन भारत में कठपुत्रलियों द्वाया अन्य प्रकार की पुत्रलियों का नृत्य होता था। वृद्धक्या में लिखा है कि मायामुर की कन्या के शस ऐसी कठपुत्रली थी जो नानवी-गावी थी और इवा में भी उड़ सकती थी। महाभारत में भी कठपुत्रलियों का उल्लेख है, पर इन कठपुत्रलियों के नृत्य से नाटक का आरम्भ मानना कहीं तक उचित है, यही विचार-रीय है। इस सम्बन्ध में सिंहत महोदय का उक्त 'सूत्रधार' शब्द और स्थापकों को लाने वी प्रथा पर अदलादल है। उनका बहना है कि कठपुत्रलियों के नृत्य में जो डोए पकड़ता था, वही भारतीय नाटक का सूत्रधार यन्गया। पर यह तक रखेया निराधार है। 'तूत' शब्द कई अर्थों में प्रयुक्त होता है। इसका साधारण अर्थ है—डोए। मकान बनाने वाले कारीगरों के पास भी 'तूत' होता है, किसी कथा के तारतम्य को भी 'तूत' कहते हैं, किसी बात के बढ़ाने को भी 'तूत' कहा जा सकता है, च्याकरण और दर्शन आदि शब्दों के भी 'तूत' होते हैं। इस प्रकार 'तूत' के मिथ-मिथ अर्थ हैं। प्रसादबी ने 'तूत' का लाइरिक अर्थ लिया है। उनका कहना है कि 'जिसमें अनेक बहुरूप अधित हो और

जो सूक्ष्मता से सब में व्याप्त हो उसे 'सूक्ष्म' कहते हैं और 'सूक्ष्मधार' वह है जो कथावस्तु और नाटकीय प्रयोजन के समस्त उपादानों को ठीक-ठीक सचालित करता हो।' कहने का तात्पर्य यह कि आधुनिक नाटकों के अभिनय-संचालन में डायरेक्टर (निर्देशक) का जो स्थान रहता है वही स्थान प्राचीन काल के नाटकों के अभिनय-संचालन में सूक्ष्मधार का रहता था। ऐसी दशा में 'सूक्ष्मधार' शब्द के आधार पर कठपुतलियों के गृह्य से नाटक का आरम्भ मानना सर्वथा असंगत है।

इस प्रकार हम देखते हैं कि भारतीय नाटकों का अन्युदय न तो पौराणिक आख्यान के अनुसार हुआ है और न लौकिक अथवा सामाजिक कृत्यों द्वारा। जो लोग कठपुतलियों के गृह्य से नाटक का आरंभ स्वीकार करते हैं वे भी भ्रम में हैं और भारतीय धर्म के स्वरूप को पद्धतानने की चेष्टा नहीं करते। वास्तव में हमारे सभी प्रकार के कृत्य, चाहे वे लौकिक हों अथवा सामाजिक, धर्म के ही अन्तर्गत आते हैं। प्राचीन काल में रीति, गृह्य आदि सभी धर्म के अंग माने जाते थे और इनके द्वारा दर्शकों तथा सुननेवालों को जो आनन्द प्राप्त होता था वह भौतिक आनन्द होने पर भी आध्यात्मिक आनन्द माना जाता था। इन सब वातों को ध्यान में रखते हुए हम इसी निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि भारतीय नाटकों का उदय वैदिक कर्मकारण तथा धार्मिक अवसरों पर होनेवाले अभिनयात्मक कृत्यों से हुआ। पीछे से रामायण, महाभारत, काव्य और इतिहास-ग्रन्थों से उसे पर्याप्त सामग्री मिली और वह अपने पूर्ण विकसित रूप में आ गया।

अब प्रश्न यह है कि संस्कृत-नाटकों का आरम्भ कब से माना

जाय? वेदों में नाटय-साहित्य की जो सामग्री प्रचुर संस्कृत-नाटकों मात्रा में मिलती है वह इस बात का ऐतिहासिक की प्राचीनता प्रमाण नहीं है कि वैदिक काल में नाटकों की रचना हो चुकी थी। संस्कृत-साहित्य के इतिहास में पाखिनि का समय ईषा-पूर्व लगभग ४०० वर्ष माना जाता है। उन्होंने अपने,

व्याकरण में कृशाश्व और छिलातिन् नाम के नाटकों का उल्लेख किया है और उनके डेढ़ शताब्दि पश्चात् पतंजलि ने अपने मद्दाभाष्य में 'कंस-बध' और 'यति-वंधन' की चर्चा की है। वाल्मीकि रामायण से भी नाटक होना सिद्ध होता है। अयोध्यार्जी के वर्णन-प्रसंग से यह पता चलता है कि उस समय देवल नाटक ही नहीं, बरन् अभिनेताओं के संघ भी बन गये थे। हरिवश पुराण में भी राम-जन्म और कौविर-रमाभियार नाम के नाटकों के खेले जाने का सविस्तर वर्णन मिलता है। दीदू-पार्मिक ग्रन्थ पद्मनाथपिटक के 'चुल्लवग्म' से नर्तकियों से जात करने और नाटक देखने के अपाराध में अहवानित और पुनर्वंषु नाम के दो भिन्न शब्दों को प्रभाजनीय दरहट मिलने की कथा वा पता चलता है। इसी प्रकार ईसा से पायः ३०० वर्ष पूर्व जैनकल्पसूक्तों ने भी एक ऐसे जड़वृत्ति साधु का उल्लेख है जो नाटक देखने गया था। भरत मुनि का समय तो अबतक अनिश्चित ही है, पर उनके नाटय शाल के अध्ययन से यह जात स्पष्ट हो जाती है कि उनका आविर्मान दीदू-काल के बहुत पहले हुआ था। लक्षण-प्रत्यों की रचना लक्ष्म-अन्यों के पश्चात् ही होती है। इससे यह भी प्रमाणित होता है कि भरत मुनि के पूर्व कई नाटक लिखे जा चुके थे। स्वयं भरत मुनि ने अपने नाटय-शाल में 'अमृत-न्मेयन' और 'त्रिपुर-न्दाह' नाम के दो नाटकों के खेले जाने का उल्लेख किया है। इन सब बारों से यह स्पष्ट है कि लगभग दाँड़ चहल वर्ष पूर्व हमारे देश में नाटकों का भरपूर प्रचार हो सुका था।

हमने अभी संस्कृत-नाटकों की ग्राचीनता के सम्बन्ध में जो मत निश्चित किया है उससे कठिन्य विदेशी विद्वान् सहमति संस्कृत-नाटकों पर नहीं है। उनका बहना है कि संस्कृत नाटय-साहित्य यूनानी प्रभाव का विकास यूनानी प्रभाव के अन्तर्गत हुआ है।

अतएव यूनानी नाटकों की अपेक्षा संस्कृत-नाटकों की ग्राचीनता अमान्य है। उनका यह मत कहीं तक मुक्तिर्थत है—यह इतिहास के अध्ययन से स्पष्ट हो जाता है। मारत पर सिक्कदर का

आकमण पूर्वों सन् ३२६-७ में हुआ था। ऐतिहासिक इष्टि से तभी से भारत और यूनान का संपर्क स्थापित हुआ, पर इस संपर्क का हमारे साहित्य और कला पर यथेष्ट प्रभाव नहीं पड़ा। सिकन्दर के पश्चात् भारत में यूनानियों का जो प्रभुत्व शेष रह गया या वह भी उसके लौटते ही समाप्त हो गया। पूर्वों सन् १५५ में बिनेंद्र (मिलिन्द) की भारत पर चढ़ाई हुई और उसे भी दो वर्ष पश्चात् वहाँ से लौट जाना पड़ा। मौर्य-ग्रामीन नरेशों का मिथ्य तथा यूनान के राजवंशों से संबंध अवश्य था, पर इतना नहीं कि साहित्य और कला के सेत्र में हम उससे प्रेरणा ग्रहण करते। वालव में हमारे लिए यूनानी नाट्य-साहित्य से किसी प्रकार की प्रेरणा ग्रहण करने का वह समय था भी नहीं। बिनेंद्र के समय में ही यूनान में नाटक-रचना का हास हो चुका था। ऐसी दशा में संस्कृत-नाटकों पर यूनानी-प्रभाव का प्रश्न ही नहीं उठता। जो पाश्चात्य आलोचक संस्कृत-नाटकों पर यूनानी प्रभाव की घोषणा करते हैं वे भ्रम-चश कालिदास और भास आदि को ईसवी चौथी शताब्दि के आस-पास का बताकर आपने मठ की पुष्टि करते हैं। पर आधुनिक खोजों से यह यात कपोल-कल्पित विद्ध हो चुकी है। कालिदास का समय ईसा-पूर्व पहली शताब्दि के लगभग माना जाता है।

संस्कृत-नाटकों पर यूनानी नाट्य-साहित्य का प्रभाव अँकने के लिए हमें यूनानी नाट्य-साहित्य की रूप-रेखा पर भी विचार करना चाहिए। यूनानी नाट्य-साहित्य के अनुसार भी नाटक का आरम्भ देव-पूजा से माना जाता है। यूनान में डायोनिशियन देवता के उत्तरों के अवसर पर वर्णर्म ने समय खुले हुए रंगशाला में वीर-गाया तथा धार्मिक दंत-कथा पर आधारित अभिनय हुआ करते थे। इन अभिनयों में नट-गण ऊँचे जूते पहनकर तथा बड़े-बड़े चेहरे लगाकर आपनी कला का प्रदर्शन करते थे। इस प्रकार की प्राचीनतम् प्रातः रचना, जिसे ट्रोलोजी बहते थे, ईसाचर्चलस का पर्सी है जो पूर्वों सन् ४७२ ई० में पुरस्कृत हुई थी। यह दुःखात रचना थी। यूरोपिडीज़, सोफीक्लस आदि भी

अपनी-अपनी दुःखान्त रचनाओं के बारण प्रसिद्ध नाटककार थे। यूरो-पिडीज का समकालीन था उसका प्रतिदूरी एस्ट्रिटोफेस। वह मुखांतरचना का प्रबल समर्थक था। उसके आविर्माव से दुःखान्त नाटकों का पतन हो गया और उनके स्थान पर मुखान्त नाटकों का उदय हुआ। कालांतर में यह कला यूनान से रोग में गयी और वहाँ भी इसका अन्धा विकास हुआ; परन्तु पूर्वों तृतीय शतान्द्र के प्रचारात् कार्निवल के खेतों का प्रादुर्भाव होने पर वहाँ भी नाट्य-कला का पतन हो गया। इसके बाद ही ईसाई-धर्म का प्रचार हुआ। इस धर्म के अनुयायी नाट्य-कला के परम विरोधी थे। ऐसी दशा में नाटक-रचना का कार्य घायः रुमात्स-सा हो गया। मध्यकाल में पोथों का अधिकार स्थापित होने पर डेढ़ सद्द वर्ष पश्चात् पुनः नाटक-रचना को प्रोत्साहन मिला। इससे यह स्तूप है कि मार्तीय नाट्य-कला यूनानी नाट्य-कला की अपेक्षा अत्यंत प्राचीन है।

स्तुतत्व की दृष्टि से भी संस्कृत-नाटक यूनानी नाटकों से प्रभावित नहीं जान पड़ते। मार्तीय नाटकों की सामग्री पर मार्तीय संकृत और सम्बन्धता की स्पष्ट छाप है और उसका रामायण तथा महामारत से सीधा संबंध है। यूनान के नाटकों का बातावरण ही दूसरा है। वहाँ के नाटकों के कथानकों में जीवन-निर्माण की कला का सर्वथा अमाव है। मानव-जीवन कैसा होना चाहिए—इस बात की शिक्षा हमें यूनानी नाटकों से नहीं, बरन् मार्तीय नाटकों से मिलती है। यूनानी नाटक चरित्र-प्रधान होते हैं, मार्तीय नाटक प्रकृति और रस-प्रधान मार्तीय नाटकों के कथानक मुखान्त होते हैं। दुःखान्त नाटक जीवन को छिन्न-भिन्न करके उसमें निराशा की उद्भावना करते हैं। इस प्रकार यूनानी नाटक मार्तीय नाटकों से बहुत दूर हो जाते हैं। मार्तीय नाटक आदर्शवादी है, यूनानी यथार्थवादी।

आकार की दृष्टि से भी यूनानी नाटक मार्तीय नाटकों से भिन्न है। मार्तीय नाटक शंकों में विमाजित होते हैं, यूनानी नाटकों में शंकों का विमाजन नहीं होता। उनमें दो दृश्यों में अन्तर लाने के लिए

सम्मिलित-गान 'कोरस'—का आयोजन होता था। भारतीय और यूनानी रंगशालाओं में भी अन्तर था। यूनानी रंगशालाएँ खुली हुई होती थीं। उनमें पट आदि की व्यवस्था नहीं थी। भारतीय रंगशालाएँ कलापूर्ण और अत्यन्त सुव्यवस्थित होती थीं। इसी प्रकार अन्य बातों में भी दोनों एक-दूसरे से भिन्न थे। 'यवनिका' शब्द को लेकर कुछ लोगों ने संस्कृत-नाटकों पर यूनानी प्रभाव दिखाने की चेष्टा की है, पर वह भी निराधार है। वास्तव में 'यवनिका' का गुद रूप 'जवनिका' है और यही प्राचीन नाटक-ग्रन्थों में प्रचलित है। ऐसा लगता है कि यूनानी प्रभाव को सिद्ध करने के लिए कतिपय विदेशी विद्वानों ने 'यवनिका' को 'यवनिका' का रूप देकर यह कहना आरंभ कर दिया कि भारतीय नाटकों पर यवन अर्थात् यूनान देश के नाटकों का प्रभाव है। कुछ का यह भी मत है कि प्रधान पदों यवन (यूनान) देश से आये हुए कपड़े से बनता था, इसलिए उसे 'यवनिका' कहते थे, पर 'जवनिका' शब्द का आविष्कार होने से अब इन मर्तों का कोई महत्व नहीं है। 'जव' का अर्थ है 'वेता'। इस प्रकार 'जवनिका' उस पट को कहेंगे जो आसानी से उठाया और गिराया जा सके।

इस प्रकार हम देखते हैं कि भारतीय नाटक अपने बातावरण, अपनी परंपरा, अपनी सम्यता एवं सत्कृति के अनुकूल उत्तम और विकसित हुए हैं। उन पर किसी की छाप नहीं है। वे अपने में परिपूर्ण और मौलिक हैं। उनका अपना दृष्टिकोण है, उनकी अपनी सुरक्षा और उनकी अपनी कला, उनके अपने नियम और अपने सिद्धान्त हैं।

संस्कृत-नाटक-साहित्य के संबंध में हमने अब तक जो कुछ कहा है उससे उसकी प्राचीनता सिद्ध हो जाती है। वेदों संस्कृत-नाटकों में उसका मूल है, इसकी चर्चा हम कर चुके हैं। का इतिहास हम यह भी बता चुके हैं कि रामायण, महामारत तथा अन्य धार्मिक ग्रन्थों में हमें नाट्य-साहित्य-संबंधी जो शालियाँ मिलती हैं उनसे भी उसकी प्राचीनता सिद्ध होती

है और उसका इतिहास यहुत कुछ स्पष्ट हो जाता है। पिर भी उसका क्रमवद् इतिहास हमें नहीं मिलता। वास्तव आकमलों के फलस्वरूप उसके भाएँडार का अधिकार्य इतना नष्ट-भ्रष्ट हो जुआ है कि दून मणिक रूप से उसके संबंध में कुछ भी नहीं कह सकते। इस उमय दृमारे पास जो कुछ है और इस संबंध में विदेशी विद्वानों द्वारा जो सामग्री मिली है उससे संत्कृत नाट्य-साहित्य के इतिहास का सूत्र कालिदास के समय से मिलता है। कालिदास का समय भी संदिग्ध है। दा० ईश्वरी-प्रताप के मतानुसार उनका होना तुम काल में सिद्ध होता है, पर यह सर्वमान्य नहीं है। गुरुकालान चन्द्रगुम विकायादित्य का समय ३७५-४१३ ई० है। निस्तंदेह कालिदास का यह समय नहीं हो सकता। देखी दशा में उनकी संपूर्ण रचनाओं को ही प्रमाण मानकर आगे बढ़ना होगा। उनकी रचनाओं से स्तूप है कि यह महाकवि होने के साथ-साथ नाट्य-कार भी थे। उन्होंने प्रातु-संहार, रघुवंश, कुमारसंभव और मेष्टूत नाम के तीन महाकाव्यों तथा अभिशान शाकुन्तल, विनोदवर्णी और मालविकामिमित्र नाम के तीन नाटकों की रचना की। इन रचनाओं का संस्कृत साहित्य में सबोच्च स्थान है। अभिशान शाकुन्तल का तो कई भाषाओं में अनुवाद हो जुआ है।

कालिदास ने अपने पूर्ववर्ती नाटककारों में भास, सीमित और कविपुत्र का उल्लेख किया है, पर इनमें से किसी के संबंध में दून निरचयपूर्वक कुछ भी नहीं कह सकते। भास के तेरह प्रमाणिक नाट्य अन्यों का पता अवश्य चला है और सन् १६१२-१५ में प१० गुरुगति शाखी द्वारा उनका संगादन भी हो जुआ है, पर उनका समय भी संदिग्ध ही है। उनकी समस्त रचनाओं में से पंचरात्र, त्वद्रशस्वदत्ता, चारदत्त, प्रतिमा और अभियेष के हिन्दी-अनुवाद भी ही जुके हैं जिनसे यह स्पष्ट होता है कि वह अपने समय के उच्च कोटि के कलाकार थे। उन्होंने कई प्रकार के रूपक और उपरूपक भी लिखे थे।

कालिदास के परवर्ती नाटककारों में अश्वघोष का नाम आता है।

अश्वघोष कुषाणवंशीय राजा कनिष्ठ के समय में हुए थे। दा० ईश्वरीप्रसाद के अनुसार कनिष्ठ का समय सन् १२८ ई० माना जाता है, पर कुछ विद्वान् सन् ७८ भी यताते हैं। जो भी हो, इसमें तो सन्देह ही नहीं किया जा सकता कि वह अपने समय के अप्रतिम कलाकार थे। उनकी रचनाएँ वौद्ध-धर्म-स्वरूपी होती थीं। नाटक-रचना की दृष्टि से वौद्ध तथा बैग-काल उग्रुक नहीं थे। इसीलिए इन दोनों कालों में किसी प्रसिद्ध नाटककार का नाम नहीं मिलता। गुरु-साध्वित्य का उदय होने पर संस्कृत-साहित्य को पुनः प्रेरणा मिली और उस समय कई नाटक भी लिखे गये। तत्कालीन साहित्य के इतिहास से पता चलता है कि शूद्रक और विशाखदत्त उन समय के प्रसिद्ध नाटककार थे। शूद्रक का 'भृद्धकटि८' और विशाखदत्त का 'मुद्राराज्ञ' अपने समय की अप्रतिम रचनाएँ हैं। इन दोनों रचनाओं में राजनीतिक पड़यंत्र और प्रेमकथा के सुन्दर समन्वय में ही उनके कथानकों का विकास हुआ है।

संस्कृत-नाटक-साहित्य में श्री हर्ष का नाम भी अत्यन्त महत्वपूर्ण है। भारतीय इतिहास में उनका समय ६०६ ई० से ६४७ ई० तक माना जाता है। वह कन्नीज के राजा थे। उनके दरबार में उस समय के मुख्यसिद्ध विद्वान् वाण मह रहते थे। हर्ष स्वयं विद्वान् थे। नाटक-रचना में उनका अच्छा अभ्यास था। उन्होंने दो नाटकाओं—'रत्नावली' और 'प्रियदर्शिका' तथा एक नाटक 'नागानन्द' की रचना की थी। वह नव और पद्य, दोनों आकानी से लिख सकते थे। उन्हीं के सम-कालीन महेन्द्रपिकम भी नाटककार थे। वह पल्लव-नरेश सिंहविष्णु धर्म का पुत्र थे। आठवीं शताब्दि में संस्कृत के प्रसिद्ध कवि मवभूति का उल्लेख मिलता है। उनका वास्तविक नाम श्रीकंठ था। वह वैद, उत्तरनियद, साखर और योग के अच्छे लोग थे। उनके लिखे हुए तीन नाटक मिलते हैं—महावीर-चरित्र, उत्तर रामचरित्र और मालती-माधव। इन तीनों नाटकों का संस्कृत-साहित्य में अच्छा स्थान है। इनसे पता चलता है कि भवभूति अपने समय के अष्ट कलाकार थे।

भवभूति के परवर्ती नाटककारों में भट्टनारायण का नाम लिया जाता है। भट्टनारायण ने केवल एक नाटक लिखा है—वैरासंहार। इसका कथानक महाभारत से लिया गया है। नवर्ती शतान्दि के लगभग मुरारी कवि का लिखा 'अनर्यदाष्ट' नाटक मिलता है। इनके अतिरिक्त नवम् शतान्दि में राजशेखर ने चार नाटकों की रचना की है जिनके नाम हैं—कपूरमंबरी, वालरामायण, वालभारत और विद्याल मंजिका। इनमें से कपूरमंजिकी प्राकृत में होने से सटक है। इसका हिन्दी-अनुवाद भारतेन्दु ने किया है। राजशेखर अपनी नाट्य-रचना में अधिक सफल नहीं है। उनके समवालीन नाटककारों में स्वन्-इयानन, चेमीश्वर, दामोदर मिथ तथा कृष्ण मिथ अधिक प्रसिद्ध हैं। चेमीश्वर ने 'चंड-कीशुक' और 'नीप-धानन्द' की रचना की है। अभिनय की दृष्टि से ये दोनों नाटक अनुप-युक्त हैं। चंड-कीशिक का हिन्दी-रूपान्तर 'सत्य हरिश्चन्द्र' भारतेन्दु ने किया है। दामोदर मिथ का 'इतुमन्नाटक' भी इसी काल की रचना है। कृष्ण मिथ का 'प्रवीध-नन्दोदय' एक माध्यात्मक नाटक है। इस नाटक के हिन्दी में कहीं अनुवाद मिलते हैं। संस्कृत में राम और कृष्ण का आश्रय लेकर कई नाटक लिखे गये हैं। इनमें राम-कथा पर आधित जपदेव का 'प्रणज्ञरापव' और चैतन्य महाप्रभु के शिष्य स्पर्शवामी के 'विद्याध-मापव' तथा 'लंलित माधव' बहुत प्रसिद्ध हैं। ये रचनाएँ आज से लगभग ४०० वर्ष पूर्व की मानी जाती हैं। इनके अतिरिक्त और भी नाटक लिखे गये हैं जिनका रचना-याल वि० सं० १७००-१८०० के लगभग माना जाता है। इस काल के नाटककारों में राम-वर्मा, सामराज दीक्षित, कुलशेखर, विश्वालदेव विघ्नराज, सोमनाथ, जयहिंद सूर और वेकटनाथ आदि विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं।

नाटक के लक्षण-मन्त्रों में भरतमुनि का 'नाट्यशास्त्र' ग्रन्थ ग्रन्थ है। अभिन-पुराण में साहित्य के अन्य अंगों के साथ नाटक का विवेचन किया गया है। पनंजय के 'दण्ड रूपक' का भी नाटक के लक्षण-

ग्रन्थों में बहा मान है। साहित्य-दर्पणाकार विश्वनाथ कवि ने भी साहित्य-दर्पण के छठे परिच्छेद में नाटक के तत्त्वों की विशद् विवेचना की है। इन प्रसिद्ध लक्षण-ग्रन्थों के अतिरिक्त और भी कई ग्रन्थ देसे हैं जो संस्कृत में अपनी-अपनी विशेषताओं के कारण प्रसिद्ध हैं, पर उनमें मौलिकता का अभाव है।

हमने अभी संस्कृत नाट्य-साहित्य के इतिहास की संक्षेप में जो संस्कृत नाटकों का हास्य ल्यन्सेला अकित की है उससे यह स्पष्ट हो जाता है कि दसवीं शताब्दि से उसका हास्य आरम्भ हो गया था। दसवीं शताब्दि भारतीय इतिहास में परिवर्तन-काल माना जाता है। इस समय उत्तर-पश्चिम से भारत पर मुख्लमानों के आक्रमण हो रहे थे और उर्बन्त उन्हें विजय प्राप्त हो रही थी। ऐसी दशा में राज्यों की सीमाएँ बदल रही थीं, एक राज्य के स्थन पर दूसरे राज्य की स्थापना हो रही थी, एक सम्प्रता और सम्झौति पर दूसरी सम्प्रता और उस्कृति अपना खिला, जमा रही थी। ऐसे अशान्त वातावरण में साहित्य-निर्माण के लिए कौछुल अवसर नहीं था। इसके अतिरिक्त वह उज-दरवारों में ही कौचुल और नाटककार आधय पाते थे और स्वतन्त्र रूप से साहित्य का निर्माण करते थे। हिन्दू-राज्यों के नष्ट हो जाने से यह सुविधा भी जाती रही। इसलाम-धर्म संगीत और नाट्य-कला विरोधी था। इसलिए इसलामी राज्यों की स्थापना होने पर भी उनके अन्तर्गत नाट्य-कला को प्रोत्साहन नहीं मिला। कालान्तर में मनोरंजन के साधनों में भी परिवर्तन हो गया। रंगशालाएँ उत्तर गयी और उनका स्थान अन्य प्रकार के मनोरंजनों ने ले लिया। सच पूर्धिएं तो उस समय धार्मिक पक्षपात, राजनीतिक उथल-पुथल और सामाजिक दुर्ब्यवस्था इतनी बढ़ गयी थी कि भारतीय जनता अपने जीवन से ही निराश होती जा रही थी। उसे अपनी जान के लाले पड़े हुए थे। इन परिस्थितियों में नाटकों का हास्य होना अवश्येभावी ही था।

नाटकों के हास वा एक और कारण था। भाषा की दृष्टि से यदि देखा जाय तो पता चलेगा कि गुप्त-साम्राज्य के पतन के पश्चात् संस्कृत की लोक-प्रियता नष्ट हो गयी थी और उसके स्थान पर सर्वसाधारण की भाषा ने अपना रंग लमा लिया था। इस प्रभार घरे-घरे सर्वसाधारण की भाषा साहित्यिक भाषा हो गयी और संस्कृत के बल विद्वानों तक ही सीमित रह गयी। गुप्तजामानों के आक्रमण से उसकी शिद्धा का कम मौद्द गया और हिन्दू-राज्यों से उसे प्रोत्साहन मिलना बन्द हो गया। ऐसी दशा में जनता उसकी ओर से उदारीन हो गयी। इस प्रभार जब भाषा का महत्व ही नष्ट हो गया तब उसमें रचना हो ईं कैसे सकती थी। संस्कृत में नाटक का ही नहीं, काव्य आदि के हास का भी यही कारण है। दसवीं शताब्दि के पश्चात् हमें संस्कृत के जो नाटक मिलते हैं उनमें से अधिकांश भाषा और कला की दृष्टि से निज़ामोंटि के हैं। नाट्य-साहित्य में उनका कोई महत्वपूर्ण स्थान नहीं है।

---

## संस्कृत नाट्य-कला का शास्त्रीय विवेचन

हम पहले बता चुके हैं कि प्राचीन संस्कृत-आचार्यों ने साहित्य के अन्तर्गत काव्य के दो भेद किये हैं—भव्य काव्य दृश्य काव्य के और दृश्य काव्य। हम यह भी बता चुके हैं कि दृश्य उपकरण काव्य अभिनय-प्रधान होता है। अभिनय-प्रधान होने के कारण यह अवलोकित के साथ-साथ चल्लुरिद्रिय को भी प्रभावित करता है। चल्लुरिद्रिय का विषय है 'रूप'। दृश्य काव्य में दर्शक रंगमंच से 'रूप' का प्रयत्न अनुभव करता है। यह प्रत्यक्ष अनुभव पात्रों अथवा अवस्था की अनुकृति से होता है। इसी अनुकृति में 'दृष्टिनोचन' के लिए पात्रों का रूप रखा जाता है और इसीलिए दृश्य काव्य की 'रूपक' संज्ञा है। पर केवल अनुकृति अथवा अभिनय से ही रूपक का संपूर्ण रूप उपस्थित नहीं होता। उसका दर्शकों की दृष्टि में वास्तविक होना भी आवश्यक है। कहने का तात्पर्य यह कि जबतक अनुकार्य और अनुकर्ता की एकता प्रदर्शित नहीं होती और दर्शक उसे वास्तविक नहीं समझता तबतक अभिनय सफल नहीं समझा जाता। अभिनय की सफलता के लिए दर्शक के हृदय में यह प्रतीति होना आवश्यक है कि जो कुछ उसकी आर्थिक के सामने हो रहा है वह वात्स-विक है, कुत्रिम नहीं। दर्शक के हृदय में इसी प्रतीति के साथ दृश्य काव्य के तीसरे उपकरण-रूप-का उद्देश होता है। बिना 'रूप' की निष्पत्ति के दृश्य काव्य का वास्तविक रूप सामने नहीं आता।

'संस्कृत नाटकाचार्यों' के अनुसार दृश्य काव्य के अन्य उपकरणों में नृत्य और नृत को भी स्थान दिया है। नृत्य और नृत के सम्बन्ध में

इस अन्यत्र विचार करेंगे। यहाँ इतना ही कहना अलग होगा कि जब इन दोनों के साथ यीत और कथोपकथन का सामंजस्य हो जाता है तब दृश्य काल का संपूर्ण रूप साजने आ जाता है। इस प्रकार दृश्य काल के साथ उपकरण दुए—(१) अभिनव (२) वास्तविकता की प्रतीक्षा (३) रस का उद्ग्रेष (४) रूप (५) रुत (६) संगीत और (७) कथोपकथन।

**दृश्य-काल के द्विन उपकरणों का हनने अभी संक्षेप में वर्णित किया है उन्हें ज्ञान में रखकर प्राचीन संस्कृत-नाटक-दृश्य काल चारों ने दृश्य-काल के दो भेद किये हैं—(१) रूपक के भेद और (२) उपरूपक। रूपक में 'रस' की प्रधानता रहती है। 'रस' की परिपक्षा है। रूपक की सकलता का प्रमाण है। 'रस' के परिपाक में जिस प्रकार विभाद-अनुभाव आदि उद्दायक होते हैं उसी प्रकार नाटकीय 'रस' की परिपुष्टि में गृह और रुठ आदि सहायता प्रदान करते हैं। इसलिए रूपक में अनुकृति का स्थान गौण रहता है। उपरूपक अनुकृति-प्रधान होता है। उसमें 'रस' की निष्पत्ति का स्थान गौण रहता है। हमारे यहाँ रूपकों का विस्तार बहुत घड़ा है। 'नाटक' से रूपक व्यापक हैं और रूपक से भी व्यापक है 'नाटक'। इस प्रकार रूपक और उपरूपक दोनों नाटक के अन्तर्गत आते हैं।**

**भरत मुनि के नाट्य-शास्त्र के अनुकार** वस्तु, पात्र और रस के शावार पर रूपक के दस भेद किये गये हैं—१. नाटक, २.

**रूपक के भेद** नाटकण, ३. भाषण, ४. प्रहरण, ५. डिम, ६. चरायोग, ७. समवद्धार, ८. वीथी, ९. अंक और १०. इंहामूर्ग।

इन भेदों में नाटक ही प्रमुख है। यहाँ इस क्रमानुसार इन्हीं पर संक्षेप में विचार करेंगे:—

(१) **नाटक**—रूपक के भेदों में नाटक का प्रमुख स्थान है। इसमें नाट्य-शास्त्र उम्बन्धी सभी लक्षणी, निष्पत्ति और रथी का समावेश होता

है और यह सब प्रकार के रूपकों का प्रतिनिधित्व भी करता है। इसी लिए नाटकाचार्यों ने इसे 'नाट्य-प्रकृति' कहा है। हिन्दी में नाटक शब्द रूपक का स्थानापन्न हो गया है। शास्त्रीय दृष्टि से इस में (१) इतिहास-प्रसिद्ध कथा होनी चाहिए, (२) कथा का नायक अभिगम्य शुद्ध से युक्त धीरोदात्त होना चाहिए, (३) शृंगार, वर और कवण रसों में से किसी एक की प्रधानता होनी चाहिए, (४) पाँच से दस तक अङ्कों का विधान होना चाहिए, (५) अत्रम् के अङ्कों की अनेक विधियाँ अङ्कों का आकार छोड़ा होना चाहिए और (६) यथार्थ्यान पांचों संवियों और शार्य-प्रकृतियों का प्रयोग होना चाहिए। उपर्युक्त में निर्वंहण-संभिंश्च अद्भुत होनी चाहिए। आजकल इन विशिष्ट गुणों से समझ नाटक नहीं लिखे जाते। प्राचीन काल के नाटकों में कालिदास कृष्ण अभिज्ञान शाकुन्तला इसका उदाहरण है।

(२) प्रकरण—इसका कथानक लौकिक अथवा कवि-कलित्त होना है और नायक धीरशात्। वह मंत्री, वाक्षण अथवा वैश्य, कोई भी हो सकता है। धर्म, अर्थ और काम की प्राप्ति के लिए वह प्रयत्नशील रहता है। उसकी नायिका कुल-कन्या अथवा वैश्या और कभी दोनों होती हैं। इस दृष्टि से इसके तीन भेद होते हैं—(१) शुद्ध प्रकरण वह होता है जिसमें नायिका कुल-कन्या होती है, 'मालती-माधव' इसका उदाहरण है। (२) विघ्न प्रकरण वह होता है जिसमें नायिका वैश्या होती है। 'पुष्प दूतिका' इसका उदाहरण है। (३) संकीर्ण प्रकरण वह है जिसमें दोनों प्रकार की नायिकाएँ होती हैं। 'मृच्छकटिक' इसका उदाहरण है। अन्य वातों में 'प्रकरण' नाटक के ही समान होते हैं।

(३) भाग—इसका कथानक कलित्त होना है और एक ही पात्र दो पात्रों का काम करता है। वह बुद्धिमान् त्रिट् होता है और अपने तथा दूरुरों के धूताधूर्ण फृत्यों का कथोपकथन के रूप में प्रकाशन करता है। वह स्वयं प्रश्न करता है और स्वयं ही उत्तर देता है। इस प्रकार उसका कथोपकथन कलित्त होता है। वह ऊपर की ओर मुँह उठाकर

किसी कल्पित पुरुष से यातें नहीं होता है। नाट्य-शास्त्र में इस प्रकार की उक्त-प्रयुक्ति को आकाश-मापित कहते हैं। इसने नायक योग और गौदयं के वर्णन के 'वीर' और 'शृंगार' की सुंष्ठु बरता है। इसके अतिरिक्त प्रायः भारती और दर्ही-नहीं की शिक्षा का प्रयोग होता है। अल्पों के सहित सुख और निर्वहण के बल दो संघियाँ रहती हैं। भरतेन्दु का 'निपस्यनिपमीषधम्' इसी प्रकार का उदाहरण है। ओगरेजी का मोनो ड्रामा भाण्य-बैठा ही होता है। इसे हिंदी का एकांकी कह सकते हैं।

(४) प्रहसन—इसका कथानक भी कल्पित होता है। इसमें हात्य-रस की प्रधानता रहती है और केवल एक ही अंक होता है। लक्ष्मे दुख और निर्वहण संघियाँ होती हैं। 'कंधेर नगरी' आदि इसके उदाहरण हैं। हिन्दी-एकांकी में इसको भी मणना की जाती है। आगे इस सम्बन्ध में हम स्वतंत्र रूप से चिचार करेंगे।

(५) ठिम—इसका कथानक पुराण अथवा इतिहास-प्रचिद होता है जो चार अंकों में विभाजित रहता है। इसमें देवता, गंगादेव, भूर, मिथाच, मेन आदि १६ नायक होते हैं और माना, इन्द्रजाल, संशान आदि का प्राधान्य रहता है। इसमें कीर्तिकी के अतिरिक्त तीनों वृत्तियों और 'हास्य' तथा 'शृंगार' के अतिरिक्त योग रहों का प्रयोग होता है। इसमें जार ही संघियाँ होती हैं। 'चिपुरदाह' इसका उदाहरण है।

(६) व्यायोग—इसका कथानक पुराण अथवा इतिहास-प्रचिद और नायक धीरोद्धत राजपर्व अथवा दिव्य पुरुष होता है। इसमें केवल कई नर-पात्र होते हैं और दुख होता है, पर वह स्त्री के कारण नहीं होता। अंक केवल एक रहता है जिसमें एक ही दिन का दृढ़ान्त रहता है। रहों में 'हास्य' और 'शृंगार' और वृत्तियों में कीर्तिकी का प्रयोग नहीं होता। योग वालों में यह ठिम के मिलता-नुलता है। भरतेन्दु का 'घनजय-चिजय' इसी प्रकार का है। हिन्दी में इसे भी एकांकी के अन्तर्गत मान सकते हैं।

(७) समवकार—इसका कथानक इतिहास-प्रचिद, पर देवता

तथा अमुरों से सम्बन्ध रखनेवाला होता है। इसमें बारह देवामुर नायक होते हैं और प्रत्येक का पृथक्-पृथक् फल होता है। अंक तीन होने हैं। पहले में छः घड़ी, लगभग दाईं घंटे, का वृत्तान्त और दो संधियाँ, दूसरे में दो घड़ी (४८ मिनट) का वृत्तान्त और एक संधि तथा तीसरे में एक घड़ी (२४ मिनट) का वृत्तान्त और एक संधि होती है। इसमें विमर्श संधि का अमाव रहता है। आमुख-द्वारा पात्रों का परिचय होता है और वीर रस को प्रधानता रहती है। संस्कृत-साहित्य में 'अमृत-मंथन' इसी प्रकार का रूपक है।

(८) थीथी—इसका कथानक कल्पित होता है। इसमें एक ही अंक रहता है। पात्र एक अथवा दो रहते हैं जो उत्तम अथवा मौख्यमुख्य पुरुष होते हैं। इसमें भी भाषण के सुमान आकाश-भाषित-द्वारा उक्ति प्रयुक्त होती है। रसों में शृंगार और चीर, वृत्तियोंमें कीशिकी वृत्ति, संधियों में मुख और निर्वहरण और पांचों 'अर्थ-प्रकाशतयैऽक्षीमधारात्मा' रहती है। इसकी भी हिन्दी-एकाकी में गणना की 'जाती-हेभर्सलीला' मधुकर' इसका उदाहरण है।

(९) अंक—इसका कथानक इतिहास-प्रसिद्ध होता है, पर लेखक अपनी कल्पना-शक्ति से इसमें विस्तार कर सकता है। इसमें वाणी का युद्ध होता है और उसी के अनुधार जय-पराजय का निश्चय होता है। साधारण पुरुष इसका नायक होता है। स्त्रियों के विलाप का आधिक्य होने के कारण यह कहण रस-प्रधान होता है। इसमें लास्य के दसों अंग, भुख तथा निर्वहण संधियाँ और भारती तथा कीशिकी वृत्तियाँ होती हैं। अंक केवल एक ही होता है। इसे भी हिन्दी-एकाकी के अन्तर्गत ले सकते हैं। इसका उदाहरण है—शर्मिष्ठा यथाति।

(१०) ईहामृग—इसमें कथानक कुछ प्रसिद्ध और कुछ कल्पित होता है और इसका धीरोदत नायक ईरिणी-सदृश अलभ्य नायिका की इच्छा करता है। प्रतिनायक उसे नायक से कुड़ाना चाहता है।

फलतः युद्ध तक की नीवत आती है, पर युद्ध नहीं होता। इसमें चार अंक और तीन संधियाँ होती हैं।

उपरूपक के अठारह भेद होते हैं जिनके नाम हैं :—(१) नाटिका

(२) ब्रोटक, (३) गोषु), (४) सट्टक, (५) नाट्यगुणक, उपरूपक के भेद (६) प्रस्थानक, (७) उल्लाप्य, (८) काव्य, (९) रागक, (१०) प्रेखण, (११) संलापक, (१२) धी-गदित, (१३) शिल्पक, (१४) विलासिका, (१५) दुर्मतिलका, (१६) प्रकरणिका, (१७) हल्तीश और (१८) भाणिका। इनमें से नाटिका, ब्रोटक, प्रकरणिका और सट्टक ही मुख्य हैं। नाटिका नाटक के समान ही होता है। इसमें नाटक और प्रकरण का मिश्रित रूप रहता है। पात्रों में अधिक सख्ति लियों की होती है। नायक और ललित राजा होता है और नायिका राजन्दंश की कोई प्रबोध नायिका अथवा रनिवास से सम्बन्ध रखनेवाली कोई अन्य अनुग्रहवर्ती सुन्दरी होती है। महारानी के भय से नायक राजा अपने प्रेम में शक्ति रहता है। नायक और नवीन नायिका का सम्मिलन उसी के अधीन रहता है। इस प्रकार यह शह्नार रस-प्रवान होता है। इसमें चार अंक होते हैं और कथा कल्पित होती है। 'रत्नावली' इसका उदाहरण है।

ब्रोटक पाँच, सत्त, आठ अथवा नी अंकों का होता है और देवता तथा मनुष्य इसके पात्र होते हैं। प्रत्येक अंक में विदूषक का व्यापार रहता है। इसमें शेष सभ वातें नाटक के ही समान होती हैं। प्रकरणिका प्रकरण के जोड़ वा उपरूपक है। इसमा नायक व्यापारी होता है और उसकी नायिका उसी की जानि की होती है। शेष वातें प्रकरण के समान होती हैं। सट्टक भी नाटिका के समान होता है। इसकी रचना पाहूँच में होती है। इसमें अद्भुत रस की प्रधानता रहती है। इसके अंकों को 'जवनिका' कहते हैं। इसका उदाहरण 'कार्परमंजरी' है। उपरूपक के अन्य भेद अनावश्यक हैं। आज के साहित्य में उनका कोई मूल्य नहीं है। यस्तुतः वे नाटक-लक्षणकारियों के मस्तिष्क की उपज-मात्र हैं।

हम अभी प्राचीन शास्त्रीय हृषिकोण से वस्तु, नायक और रस के आधार पर किये गये रूपक तथा उपरूपक के विभिन्न रूपक के तत्त्व मेदों के सम्बन्ध में विचार कर चुके हैं। वास्तव में यही तीनों रूपक के प्रधान तत्त्व हैं। इनमें अभिनय इसलिए नहीं दिया गया है कि वह तो सबमें समिलित रूप से वर्तमान रहता ही है। यदि पृथक् रूप से अभिनय और वृत्ति को भी रूपक के तत्त्वों में समिलित कर लें तो उसके पांच तत्त्व हुएः—(१) वस्तु, (२) पात्र, (३) रस, (४) अभिनय, और (५) वृत्ति। चरित्र-चित्रण और कथोपकथन इन्हीं पांचों के अन्तर्गत आ जाते हैं। उद्देश्य-तत्त्व भी रस-तत्त्व में तिरोहित थे जाता है। रूपक के तत्त्वों में इन सबका पृथक् स्थान नहीं है। पाश्चात्य समीक्षा-पद्धति चरित्र-चित्रण पर विशेष बल देती है और प्राचीन भारतीय नाट्य-परम्परा रस-परिपाक पर। हिन्दी के आधुनिक नाटकों में पाश्चात्य समीक्षा-पद्धति का ही अनुसरण मिलता है। आधुनिक नाटकों के तत्त्वों पर हम अन्वय विचार करेंगे। यहाँ प्राचीन रूपकों के तत्त्वों पर विचार किया जाता है।

रूपक का प्रथम और महत्त्वपूर्ण तत्त्व है वस्तु। वस्तु को कथावस्तु अथवा 'झाट' भी कहते हैं। वस्तुतः इसकी सफलता पर ही रूपक की सफलता निर्भर करती है। वस्तु का कथा-संगठन जितना सुव्यवस्थित और सुखंगात्मित होता है रूपक रस-परिपाक में उतना ही सफल होता है।

[१] आधार-सम्बन्ध की हृषि से वस्तु-भेद—आधार सम्बन्ध से वह तीन प्रकार की होती हैः—(१) प्रख्यात, (२) उत्पाद्य और (३) मिश्र। जो वस्तु इतिहास, पुराण अथवा परम्परागत-जनश्रुति पर आधारित होती है वह प्रख्यात कहलाती है। उत्पाद्य उस वस्तु को कहते हैं जिसे कवि अथवा नाटककार अपनी कल्पना से गढ़ता है। आधुनिक सामाजिक तथा समस्या-प्रधान नाटकों के कथानक प्रायः इसी प्रकार के

है। इसके विषद् जिस दस्तु में कल्पना और इतिहास दोनों का सम्बन्ध रखता है उसे मिथ्य कहते हैं।

[२] संगठन की दृष्टि से वस्तु-भेद—संगठन अथवा किन्त्वात् की दृष्टि से वस्तु दो प्रकार की होती हैः—(१) आधिकारिक और (२) प्रासंगिक। आधिकारिक वस्तु का सम्बन्ध मूल कथा ते होता है। मूल कथा की गहायक कथा को प्रासंगिक वस्तु कहते हैं। प्रासंगिक वस्तु का उद्देश्य आधिकारिक वस्तु की सीदर्यनृदि करना और मूल कथा अथवा व्यापार के विकास में सहायता देना है। आधिकारिक वस्तु में प्रधान नायक-नायिका की फल-सिद्धि होती है और प्रासंगिक वस्तु में उससे सम्बन्ध रखनेवाले अन्य पात्रों की। यह फल-सिद्धि नायक की फल-सिद्धि से भिन्न होती है, पर उससे नायक का हित-साधन अवश्य होता है। आधिकारिक वस्तु की सहायक एक अथवा कई प्रासंगिक कथाएँ हो सकती हैं। ये दो प्रकार की होती हैः—(१) पराक्रा और (२) प्रकरी। यब प्रासंगिक कथा का प्रधान आधिकारिक कथा के साथ अन्त तक चलता है तब उसे पराक्रा कहते हैं। इसके विषद् जब प्रासंगिक कथा योड़ी दूर चलकर शान्त हो जाती है तब उसे प्रकरी कहते हैं।

[३] कथोपकथन की दृष्टि से वस्तु-भेद—कथोपकथन की दृष्टि से वस्तु के तीन भेद और हैः—(१) आव्य, (२) अश्राव्य और (३) नियत-आव्य। जो सब पात्रों के मुनने योग्य हो उसे आव्य और जो किसी पात्र के मुनने योग्य न हो उसे अश्राव्य अथवा स्वगत कहते हैं। आधुनिक नाटकों में स्वगत कथन का प्रयोग अस्वामाविक माना जाता है, पर कही-कही होता भी है। जो यात के बल कुछ ही पात्रों के मुनने योग्य होती है उसे नियत-आव्य कहते हैं। यह दो प्रकार का होता हैः—(१) अपवारित और (२) चर्चातिक। अपवारित का अर्थ है—गोपनीय रखना, छिपाना। सामने के पात्र की ओर से मुँह फेरकर उसके किसी रहस्यपूर्ण बात के सम्बन्ध में उससे दिपाकर कटाक्ष घरने को अपवारित कहते हैं। जब रंगभूमि

पर कई पात्रों में से केवल दो पात्र, अनादिका के अतिरिक्त शेष तीन उँगलियों की ओट देकर, गुज समापण करते हैं तब उसे जनातिक कहते हैं। आकाश-भाषित भी कथोपकथन का एक प्रकार माना गया है। इसमें कोई पात्र आकाश की ओर मुँह उठाकर किसी कल्पित पाथ से बातें करता है। इस प्रकार आकाश-वाणी से यह भिन्न होता है।

बस्तु में कुछ ऐसे चमत्कारयुक्त शंश अथवा साधन भी होते हैं जो उसे प्रधान १८—अर्थ, धर्म अथवा काम की प्राप्ति बस्तु में की ओर अप्रसर करते हैं। प्राचीन नाट्य-शास्त्र के अर्थ-प्रकृति अनुसार इन चमत्कारयुक्त शंशों को अर्थ-प्रकृति कहते हैं। यह पाँच प्रकार की होती है:—(१) बीज, (२) विन्दु, (३) पताका, (४) प्रकरी और (५) कार्य। मुख्य फल का हेतु वह कथा भाग, जो क्रमशः विस्तृत होता जाता है, बीज कहलाता है। जिस प्रकार बीज में फल छिपा रहता है उसी प्रकार बीज में नाटक के फल की संभावना रहती है। इसका प्रारंभिक रूप अत्यन्त सूक्ष्म रहता है, पर ज्यो-ज्यो व्यापार-शृंखला आगे बढ़ती है त्यो-त्यो इसका भी विस्तार होता जाता है। बीज के अंकुरित होने और कथाभूत के आगे बढ़ने पर विविध विरोधी तथा अप्रासंगिक बातें उपस्थित होती हैं, पर उन सबमें कथानक को अविच्छिन्न रखनेवाला तत्व विन्दु कहलाता है। पताका और प्रकरी के सम्बन्ध में फहले बताया जा चुका है। यहाँ इसना ही स्मरण रखना चाहिए कि इनके नायकों का कोई स्वतन्त्र उद्देश्य नहीं होता। कार्य वह प्रधान साध्य है जिसके लिए आधिकारिक बस्तु का विधान, समस्त उपायों का आरम्भ और सामग्री का एकत्रीकरण होता है। रत्नावली नाटिका में कार्य है उदयन और रत्नावली का विवाह। इसी के लिए आधिकारिक बस्तु का विधान और समस्त साधनों का सूखपात्र हुआ है।

प्रत्येक रूपक में कार्य-शृंखला की पाँच अवस्थाएँ होती है:—(१)

आरम्भ, (२) प्रथल, (३) प्राप्त्याशा, (४) निर-  
वस्तु में कार्य ताति और (५) फलागम। जिसमें दिवी पल की प्राप्ति  
की अवस्थाएँ के लिए औलुन्य होता है उसे आरंभ और दिवने  
उस पल की प्राप्ति के लिए योग्यता से उच्चोग दिया  
जाता है उसे प्रथल कहते हैं। पल-प्राप्ति की आया दो प्राप्त्याशा इहते  
हैं। इहनें विफलता की आशंका भी बनी रहती है। उफलता का निरचन  
हो जाने को नियताति और सफलता प्राप्त होने की अवस्था दो फला-  
गम कहते हैं। शहुन्तला नाटक में शहुन्तला को देखने की इच्छा को  
आरम्भ; दुष्पन्त का नादब्य से उसके सम्बन्ध में उलाह करने की  
प्रथल; दुर्योग श्रिय के शापका किंचित् शमन हो जाने पर प्राप्त्याशा;  
अंगृही मिलने पर निलन की आया का निरचन हो जाना नियताति  
और अन्त में शहुन्तला और दुष्पन्त का निलन फलागम है।

अर्थ-प्रहार और अवस्थाओं के मेल की संधि बहते हैं। बलु-

दिन्दास में नृधि का स्थान अत्यन्त महसूपूर्ण है।

वस्तु में संविधाँ लकड़ विविष पटनाश्रो तथा कथाओं का एक अभीष्ट  
लल के लिए प्रयित ल्ल है। अरुः लहौं एक प्रयोजन-  
काली घटनाश्रो से निर्मित कथाओं में से जो सुख विभिन्न प्रयोजनशाले  
आगे के कथाश से सम्बन्ध करती है उसे ही संधि कहते हैं। इसके दर्शन  
में होते हैं:—(१) मुख, (२) प्रतिसुख, (३) गर्भ, (४) विमर्श और  
(५) निर्वहण। 'प्रारम्भ' नामक अवस्था के साथ संयोग होने से लहौं  
अनेक रसों और अर्थों के व्यंजक वीज की उत्पत्ति होती है दहौं मुख  
संधि समन्वी जाती है। प्रतिसुखसंधि में वीज अंकुरित होता हुआ  
दिखायी देता है। इसी से घटनान्क आगे चलता है। इसमें फल-प्राप्ति  
के प्रारम्भिक उत्तरों के रहस्य कुछ तो उद्घाटित हो जाते हैं और कुछ  
अस्पष्ट रहते हैं। गर्भ संधि में अंकुरित वीज का और भी वित्तार होता  
है। इसमें प्राप्त्याशा और पदाका का नेत देता है और फल-प्राप्ति की  
ओर अपवर उत्तरों में संदर्भ रहता है, अर्थात् कभी उत्तर का विवार

होता है, कभी हासि । विमर्श संधि में निष्ठाप्ति और प्रकरी का मेल होता है । इसमें गर्भ संधि की अपेक्षा वीज का अधिक विनाशक होता है, परन्तु इसके फलोन्मुख होने पर शार, क्रोध और विपत्ति आदि वाधाएँ उपस्थित होनी हैं । इन वाधाओं के कारण आशा का दूर एक दम विच्छिन्न हो जाता है । इस संविको अवकर्शं संधि भी कहते हैं । निर्वहण संधि अथवा उपसंहार में समस्त विज्ञ शान्त हो जाते हैं और पूर्व कथित चारों संधियों में वर्णित प्रयोगन की सिद्धि हो जाती है ।

अर्थ-प्रकृतियों, अवस्थाओं तथा संधियों से यह स्पष्ट है कि यद्यपि उनका प्रयोग मिश्र-भिन्न विधियों से किया जाता है तथापि उनमें से प्रत्येक के पाँच-पाँच मेद होते हैं और उनमें एक प्रकार से तात्त्विक सहयोग होता है । अर्थ-प्रकृति वस्तु के तत्त्वों से, अवस्थाएँ कार्य-व्यापार से और संधियाँ रूपक-रूपना के विभागों से सम्बन्ध रखती हैं । इनका स्पष्टीकरण निम्न सारिणी से हो सकता है :—

अर्थ-प्रकृति	+	अवस्था	=	संधि
१. वीज	+	आरंभ	=	मुख
२. दिन्दु	+	प्रयत्न	=	प्रतिमुख
३. पताका	+	प्राप्तवारा	=	गर्भ
४. प्रकरी	+	निष्ठाप्ति	=	विमर्श
५. कार्य	+	फलाग्रम	=	निर्वहण

रूपना की हाई से वस्तु में दो प्रकार की सामग्री रहती है :—(१)

दृश्य वस्तु और (२) सूच्य वस्तु । दृश्य वस्तु वह

वस्तु-विधानः सामग्री होती है जो प्रचान रूप से मंच पर दिखायी जाने और दृश्य जाती है और उसका विस्तार करना आवश्यक है ।

इसके विशद कुछ सामग्री ऐसीं भी होती हैं जिसे मंच पर दिखाने की तो आवश्यकता नहीं होती, पर जिसकी रूपना देना अनेकांत होता है । ऐसी सामग्री को सूच्य वस्तु कहते हैं । सूच्य वस्तु में लम्बी यात्रा, वश, मृत्यु, मुद्द, विघ्न, नगर आदि का घेरा ढालना,

लूटमार, अग्रिकांड, भोजन, स्लान, चुंचन, अनुलेपन, बल पदनना आदि की गणना की जाती है। इनका रंग में वर पर दिखाना वर्जित है। दृश्य-वस्तु के अन्तर्गत आनेवाली वार्ता और कों में दिखायी जाती है। उन्हें अंकों में दिखाते समय निम्न वार्ता पर ध्यान देना आवश्यक है :—

(१) रूपक के प्रधान खंड को अङ्क कहते हैं। अङ्क में नाथक के कृत्यों का प्रत्यक्ष वर्णन रहता है, अतएव उसे सुरक्षा और मापपूर्ण होना चाहिए। एक नाटक में ५ से १० तक अंक हो सकते हैं।

(२) प्रत्येक अङ्क में प्रधानता एक ही रस को मिलनी चाहिए और वह भी या तो शृङ्खला को अथवा बीर को। अन्य रसों को यीए स्थान मिलना चाहिए। अन्यत रस अंक के अन्त में आना चाहिए।

(३) प्रत्येक अंक की दृश्य-वस्तु में एक दिन से अधिक की घटनाओं का समावेश नहीं होना चाहिए। यदि उसकी सामग्री अधिक है तो उसे संक्षेप कर लेना चाहिए। संक्षेप करते समय घटनाओं की संख्या पर ध्यान रखना अत्यन्त आवश्यक है।

(४) एक अङ्क की दूसरे अङ्क के साथ इत फलार संशदता होनी चाहिए कि साथारणतः अगले अङ्क की घटना पिछले अङ्क की घटना से निकली हुई और उससे जुड़ी हुई जान पड़े। प्रत्येक अङ्क की कथा को सततःपूर्ण नहीं होना चाहिए।

(५) अङ्कों का आकार समयः छोटा होता जाना चाहिए।

(६) यदि किसी अङ्क में किसी कार्य की समाप्ति अथवा किसी फल की सिद्धि होती जान पड़े तो कार्य-व्यापार को अप्रसर करने के लिए किसी तत्त्वान्वयी घटना का समावेश कर देना चाहिए।

(७) दो अङ्कों के बीच में एक वर्ष तक का समय अंतर्हित होना चाहिए। यदि इससे अधिक का समय दिलाना अभीष्ट हो तो उसे घटाकर एक वर्ष या उससे भी कम कर देना चाहिए और इसकी सूचना दर्शकों को दे देनी चाहिए।

प्राचीन नाटककारी ने दर्शकों को दो अङ्कों की पट्टनाओं के सम-

यान्त्रर की सूचना देने के लिए अङ्गों के अन्तर्गत दृश्यों का विधान किया है जिन्हें अर्थोपदेशक कहते हैं। अर्थोपदेशक-द्वारा वे बातें भी प्रकट की जाती हैं जो सूच्य-वस्तु में गिनी जाती हैं। इनका स्पष्टीकरण पाँच प्रकार से होता है :—

(१) विष्कंभक—वह दृश्य है जिसमें पहले अथवा बाद में होने-वाली घटना की सूचना संक्षिप्त वर्णन अथवा दो पात्रों के कथोपकथन-द्वारा दर्शकों को दी जाती है। यह अङ्ग के पहले अर्थात् नाटक के आरंभ में अथवा दो अङ्गों के बीच में आता है। पात्रों के अनुसार यह दो प्रकार का होता है :— (१) शुद्ध और (२) संकर। जिसमें पात्र मध्यम श्रेणी के होते हैं और संस्कृत बोलते हैं वह है शुद्ध और जिसमें पात्र मध्यम तथा निम्न श्रेणी के होते हैं और संस्कृत के साथ प्राकृत भी बोलते हैं वह संकर कहलाता है। आधुनिक नाटकों में इस प्रकार का मेद अनावश्यक है। अब न तो ऊँच-नोच का मेद ही है और न कोई संस्कृत और प्राकृत ही बोलता है।

(२) प्रवेशक—वह दृश्य है जिसमें विष्कंभक की भाँति पूर्व अथवा आगे आनेवाली घटनाओं को सूचना दी जाती है। दोनों में अन्तर केवल इतना ही है कि प्रवेशक में यह सूचना केवल ऐसे नीच पात्रों-द्वारा दी जाती है जो उत्कृष्ट भाषा का प्रयोग नहीं करते। दूसरी बात यह है कि इसका विधान पहले अङ्ग के पूर्व न आकर अन्य दो अङ्गों के मध्य में होता है। इसमें उन्हीं बातों का समावेश होता है जो कहने से छूट जाती है। शकुन्तला-नाटक में इन दोनों के उदाहरण मिल सकते हैं।

(३) चूलिका—नेमध्य में किसी रहस्य की सूचना देना चूलिका कहलाता है। इस प्रकार की सूचना पदे के पीछे से दी जाती है।

(४) अकास्थ—अङ्ग के अन्त में याहर जानेवाले पात्रों-द्वारा अगले अङ्ग की कथा की जो सूचना दी जाती है उसे अकास्थ कहते हैं। इसके द्वारा अभिनीत अङ्ग की कथा के साथ अमिनेय अङ्ग की संगति मिला दी जाती है।

(५) अंकावतार—जब रंग-भेंच पर दिना पात्रों के दरले हुए पूँछोंको कशा हो अगले अह में चलानी जाती है तब अंकावतार होता है। अंकावतार ने पात्रों का परिवर्तन नहीं होता। एक अह के पाँडुका अन्त होने पर बाहर जाकर उसके अगले अह में पुनः आ जाते हैं।

रूपक ने बत्तु ते भी नद्दन्पूर्ण तत्त्व है पात्र। रूपक के तभी इन्हीं तत्त्व पात्र के शापित रहते हैं। पात्र के दो तुल्य भेद हैं:—(१)

प्रधान और (२) साधक। पात्रों ने प्रधान पात्र  
२. पात्र को नायक कहते हैं। रूपक ने नायक वो ही कल-

प्राप्ति होती है और वही कथान्त्र को आरम्भ ते अंत तक अप्रत्यक्ष करता है। प्राचीन नाट्य-शास्त्रों में उसे सब उदात्त गुणोंठ सम्मन जाना गया है। यह विनीत, मधुर, स्तारी, दक्ष, मिथंवद, शुचि, सोकमित्र, काही, रुद्धवंश, स्थिर, मुवा, डुदिलान्, प्रहाणान्, स्नुतिन्दुपह, उलाही, कलामान्, शाल-चक्षु, आत्म-सम्मानी, रह, दद, वेजत्वी और धार्मिक होता है। नायक के इन गुणोंते स्मृत है कि हमारे प्राचीन रूपकों में चरित्र के विकास का कोई स्पान ही नहीं था। जो चरित्र स्वर्य विकरित है, उसका उन्होंना विकास हो सकता है। इस दृष्टि से नायक नपे गुणों को धारण न करके रंग-भेंच पर अपने गुणों का केवल उद्घाटन करता था। नायक के अद्यगुणों का उद्घाटन भी प्राचीन नाटकवारों को अपेक्षित नहीं था। वे उसके द्वारा जनता के नैतिक विचारों को आधार नहीं पहुँचाना चाहते थे। आधुनिक नाटककार न तो इसने नायकों में उक्त गुणों का होना आवश्यक मानते हैं और न उनके दोनों को गौमनीय रखते हैं। नाटक ने उनका उद्देश्य होता है—नायक के चरित्र का विकास। इसके दिव्य रूपकों ने नाटककार का उद्देश्य रहता था—सह या परिसाक। इस के परिसाक के लिए धर्म और उदात्त प्रकृतिपाले नायकोंकी ही सूचि की जाती है। स्वभाव-भेद से उनके चार भेद होते हैं:—(१) धीरोदात्त, (२) धीरललित, (३) धीरशांत और (४) धीरोदृढ़त। इन चारों प्रकार के नायकों से स्मृत है कि धीरता

नायक का प्रधान गुण है। जो भीर और हड़ नहीं, जो अपने आपको धरा में नहीं रख सकता वह नायक नहीं हो सकता। यहीं हम इन्हीं के सम्बन्ध में विचार करेंगे :—

(१) धीरोदात्त नायक—इस प्रकार के नायक का चरंत्र अत्यन्त उदात्त होता है। उसमें शक्ति के साथ समा एवं हड़ना और आत्म-गौरव के साथ विनाय एवं निरभिमानता रहती है। रामचन्द्र और युषिष्ठिर धीरोदात्त नायक हैं।

(२) धीरललित नायक—इस प्रकार का नायक यड़े बोमल स्वभाव का होता है। वह कलाविद, मुखान्येया और निश्चन्त-मना होता है। दुष्यन्त धीरललित नायक है।

(३) धीरशान्त नायक—इस प्रकार का नायक व्राण्डण अथवा वैश्य होता है। उसका स्वभाव शान्त और सन्तोषी होता है। उसमें उप्रता नहीं होती। इसीलिए इस प्रकार के नायक लक्षिय नहीं होते। मालती माधव के नायक माधव ऐसे ही नायक हैं।

(४) धीरोदृढ़त नायक—इस प्रकार का नायक मायावी, असहन-शाल, छली, रदू, उद्धर, आत्म-प्रशंसक तथा स्वभाव से प्रबल और चपल होता है। उसमें गुण कम और दोष अधिक होते हैं। वह अहकार और दर्प से भरा हुआ होता है। भीम और मेघनाद धीरोदृढ़त नायक हैं।

प्राचीन परंपरा के अनुकार रूपक में उक्त चारों प्रकार के नायकों में से किसी एक प्रकार के नायक का होना अनिवार्य है, अन्यथा नाटकीय शृंखला की एकला की रक्षा ही नहीं हो सकती। गौण पात्रों में स्वभाव का परिवर्तन दिखाया जा सकता है। कहीं वह उदात्त, कहीं ललित, कहीं शान्त और कहीं उद्धर हो सकता है। नायक में स्वभाव का परिवर्तन अवधिनीय है। नाट्य-शास्त्रकारों ने उनमें से प्रत्येक के उन्नः चार-चार भेद किये हैं—(१) अनुकूल, (२) दक्षिण (३) शठ और (४) धृष्ट। अनुकूल नायक एक ही पर्वी-बन होता है। राम अनुकूल धीरोदात्त नायक हैं। दक्षिण नायक की एक से अधिक

पंक्तियाँ होती हैं। उनमें से नवीन के प्रति उसका विशेष आकर्षण होता है, पर अन्य के प्रति भी उसका पूर्णत् प्रेम रहता है। शाठ नायक दिलाने के लिए एक ही पल्ली में अनुरक्त रहता है, पर छिपे-छिपे अन्य नायिकाओं से भी प्रेम करता है। घृष्ण नायक वही कर्म खुलकर करता है। नायिका के प्रति आकर्षण की इष्टि से इन चारों प्रकार के नायकों का समापेश एक ही नायक में भी हो सकता है। नाटकाचार्यों नेट्रके भी तीन-तीन भेद किये हैं:—(१) ज्येष्ठ, (२) मध्यम और (३) अधम। इनमें से प्रत्येक के पुनः तीन-तीन भेद किये गये हैं:—(१) दिव्य, (२) अदिव्य और (३) दिव्यादिव्य। इस प्रकार नायक के कुल  $4 \times 4 \times 3 \times 3 = 144$  भेद होते हैं। ये भेद सामान्य गुणों के आधार पर ही किये गये हैं। इनके अतिरिक्त नायक में शोभा, पिलाच, माधुर्य, गांभीर्य, दिफस्ता, तेज, लालित्य और औदार्य—इन शाठ सात्त्विक गुणों का होना भी आवश्यक है। इससे यह स्पष्ट है कि हमारे प्राचीन शास्त्रकारों ने मानव-स्वभाव की सूक्ष्मातिसूक्ष्म प्रवृत्ति पर विचार किया है और तब उन्हें अपने लोगों का नायक बनाया है।

रूपर में नायक के अतिरिक्त उसकी सदायता के लिए अन्य पात्र भी होते हैं। नायक का प्रतिद्वन्द्वी प्रतिनायक होता है। वह सदा धीरोदत होता है। उर्ध्वा के द्वारा नायक के गुणोंका उद्घाटन होता है। ग्रासंगिक कथा का नायक पीठमर्द कहलाता है। पीठमर्द नायक का द्वंतरण मित्र होता है। वह कार्य-कुशल, अनुचारी और भक्त होता है। नायक के शेष सदायक व्यवसायों होते हैं। उनके छुः भेद हैं:—(१) गृंगार-सहाय, (२) अर्धचिन्ता-सहाय, (३) दंड-सहाय, (४) धर्म-सहाय, (५) अन्तःपुर-गदाय और (६) संचाद-सहाय अर्थात् दूत। गृंगार-सहाय में (१) विद् (२) चेट, (३) विदूपक आदि होते हैं। विद् नायक का निजी सेवक होता है। वह अपने स्वामी को प्रसन्न रखने के लिए गृत्य, गीत आदि कई उपायों से काम लेता है। चेट का शर्य है दास। विदूपक भी नायक का मित्र होता है। उसका काम लोगों को हँसाना है। वह

अपनी वेश-भूषा, चाल-दाल और आचार-व्यवहार से सपको हँसाया करता है। अर्थ-चिन्ता-सहाय प्रायः राजा होते हैं जिन्हें अपनी अर्थ-व्यवस्था के लिए मंत्री और कोपाध्यक्ष पर निर्भर रहना पड़ता है। दंड-सहाय दुष्टों के दमन में सहायक होते हैं। धर्म-सहाय पुरोहित, तपत्वी और बहावादो; अंतःपुर सहाय हिज़े, और संवाद-सहाय दूत आदि होते हैं। दूत किसी कार्य की सिद्धि के लिए अथवा सदेश देकर भेजे जाते हैं। इस प्रकार सहायक पात्रों का भी विशद् विवेचन प्राचीन नाट्य-ग्रंथों में मिलता है।

नायक की भाँति नायिकाओं के भी भेद और उपभेद किये गये हैं। नायक को पत्नी को नायिका कहते हैं। आचार्यों ने नायिका के तीन प्रधान भेद माने हैं—(१) स्वकीया, (२) परकीया और (३) सामान्या। स्वकीया नायिका पतिव्रता, चरिचवती, लज्जावती और अपने पति की सेवा में रत होती है। परकीया पराई होती है। वह विवाहिता भी हो सकती है और अविवाहिता भी। सामान्या किसी की लंबी नहीं होती। उसे गणिका कहते हैं। इन तीनों प्रकार की नायिकाओं के सूक्ष्मातिसूक्ष्म गुणों के आधार पर संख्यातीत भेदोपभेद किये गये हैं। यहाँ हम उन सब का विवेचन उपयुक्त नहीं समझते। आधुनिक नाटकों में जिस स्त्री का प्रधान भाग रहता है, वही नायिका कहलाती है। नायक की प्रिया होना उसके लिए आवश्यक नहीं है।

अब हमें रूपक के तीसरे तत्त्व—रस—पर विचार करना है। रस ही रूपक की आत्मा है। इसका अर्थ है आस्ताद्य। पारि-

३. रस      भाषिक भाषा में स्थायी भाव जब विभाव, अनुभाव और सचारी भावों से पुष्ट होकर अपनी परपक्वावस्था को पहुँचता है तब उसके आस्तादन से सहदय उज्जनों के हृदय में जो आनन्द उत्पन्न होता है उसे रस कहते हैं। इस परिभाषा को समझने के लिए हमें स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव तथा सचारी भाव का अर्थ समझना चाहिए। भरत मुनि के अनुसार रसों के आधार भाव हैं।

भाव मन के विकार को कहते हैं। विकार का अर्थ है—परिवर्तन। इस प्रकार किसी चल्लु को देखने अथवा कल्पना से उस पर विचार करने से मन की जो दशा हो जाती है उसे भाव कहते हैं। इन भावों ने से जो भाव आदि से अन्त तक रहता है वही स्थायी भाव कहलाता है। स्थायी भाव के अतिरिक्त मन के अन्य भाव संचारी अथवा व्यभिचारी भाव कहलाते हैं। जबतक स्थायी भाव मन में रहता है तबतक उसी का प्राधान्य रहता है और समस्त संचारी भाव उसके अनुर्गत रहते हैं। स्थायी भाव हो रस के लिए नूलाघार उत्पत्तित करते हैं। संचारी भाव चाहिए होते हैं। उनका उद्देश्य एकमात्र स्थायी भाव को पुष्ट करना होता है। ऐसे मन-रूपी ज्ञान में लहर की भौति उठते हैं और हण्डमात्र में विलीन हो जाते हैं। उनकी सख्त तीस मात्री गर्व है जो इस प्रकार है :—निवेद, ग्लानि, शंका, अम, धृति, जड़ता, हर्ष, देन्य, उप्रता, चिन्ता, आस, असूया, अमर्प, गर्व, सृष्टि, भरण्य, मद, त्वम, निद्रा, विशेष, ब्रौहा, अपस्मार, मोह, मति, अलस्ता, आवेग, तर्क, अथहिता, व्याधि, उन्माद, विपाद, औत्सुक्य और चपलता। किसी भी रस की पुस्तक से इन संचारी भावों के संबंध में विशेष रूप से जाना जा सकता है। यहाँ केवल इतना ही ध्यान में रखना चाहिए कि रस में एक स्थायी भाव के साथ कई संचारी भाव आ सकते हैं और एक संचारी भाव कई रूपों में आ सकता है।

हम अभी यता चुके हैं कि स्थायी भाव ही रस के निष्पादक होते हैं, पर उनके रस-अवस्था तक पहुँचने के पूर्व उनका जागरित होना आवश्यक है। यह कार्य विभाव करते हैं। हमारे मन में जो भावों दो विशेष रूप से उत्पन्न करते हैं उनको विभाव कहते हैं। विभाव दो प्रकार के होते हैं :—(१) आलम्बन और (२) उद्दीपन। मन में स्थायी भाव को उत्पन्न करनेवाले को आलम्बन और उसके पोषक को उद्दीपन विभाव कहते हैं। आलम्बन विभाव पर ही रस आभित रहता है। जिसके हृदय में भाव उदय होता है वह आश्रय और जिमकी देखकर किसी

के हृदय में भाव उदय होता है वह आत्मवन होता है। उदाहरणार्थ, यदि लक्षण को देखकर परशुराम के हृदय में कोष उत्तम्न होता है तो परशुराम आश्रय और लक्षण आलम्बन होगे। आश्रय के मन में भाव उदय होने पर यदि उससा वाल्प प्रदर्शन होतो उस प्रदर्शन को अनुभाव कहेंगे। कोष से परशुराम का पैर पटकना, दाँत पीसना आदि अनुभाव ही है। इसके विरुद्ध आलम्बन की चेष्टाएँ उदाहरण कहलायेंगी। राम का हँसना और किनकना कौशिल्या के लिए उदाहरण है और कौशिल्या का हाथ फैलाना और राम को गोद में उठा लेना आदि अनुभाव है। अनुभाव तीन प्रकार के होते हैं :—(१) मानसिक (२) कायिक और (३) सात्त्विक। जब मन में स्थायी भाव के कारण कोई विभाव उत्पन्न होता है तब उसे मानसिक अनुभाव कहते हैं। मानसिक अनुभूति का वाह्य-प्रदर्शन ही कायिक अनुभाव कहलाता है। यही अनुभाव जब मन की अत्यन्त विहृतकारी दशा से उत्पन्न होते हैं तब सात्त्विक अनुभाव कहलाते हैं। सात्त्विक अनुभाव आठ हैं :—स्तंम, स्वेद, रोमाच, स्वरम्भंग, वेप्यु, वैवर्ण्य, अश्रु और प्रलय। अनुभाव के तीनों भेदों में यही आठ सात्त्विक अनुभाव प्रमुख हैं। इनकी उत्पत्ति कृत्रिम नहीं होती। भावावेश में इनकी उत्पत्ति स्वयं हो जाती है।

इस प्रकार हम देखते हैं कि रस की उत्पत्ति में विभाव, अनुभाव, संचारी भाव तथा स्थायी भाव सहायक होते हैं। विभावों से स्थायी और संचारी भावों की और स्थायी भाव से अनुभावों की उत्पत्ति होती है। रसों पर सब का सामूहिक प्रभाव पड़ता है। हम पढ़ते चला जुके हैं कि स्थायी भाव ही रस को जन्म देता है। स्थायी भाव नी होते हैं :—रति, ह्यात, शोक, कोष, उत्साह, भय, तुगुणा अथवा पुणा, विरमय और निवेद अथवा शम्। इन्हीं नी स्थायी भावों के अनुसार कम्याः नी रसों की उत्पत्ति होती है :—(१) शृंगार, (२) हास्य, (३) करुणा, (४) रौद्र, (५) वीर, (६) भयानक, (७) वीभत्स, (८) अद्भुत और (९) शान्त। इनका संक्षिप्त परिचय आगे दिया जाता है।

(१) शृंगार रस—इस रस का स्थायी भाव रति है। यह सबसे अधिक ज्यापक रस है। इसमें आठों स्थायी भावों, आठों सात्त्विक अनुभावों तथा सभी संचारी भावों का उपयोग होता है। इसके दो भेद होते हैं—(१) विप्रलंभ और (२) संयोग। विप्रलंभ शङ्कार में दियोग और संयोग शङ्कार में सम्बोध होता है।

(२) हास्य रस—इस रस का स्थायी भाव हास है। अपने अपना पराये परिधान, बचत अथवा किया-कलाप से उत्तम हुए हास का परिषुष्ट होना हास्य रस कहलाता है। इसके छः भेद होते हैं :—(१) स्त्रित, (२) हसित, (३) विहसित, (४) उपहसित, (५) अपहसित और (६) अतिहसित। निद्रा, अम, ग्लानि और मूर्छा हास्य के संचारी भाव हैं।

(३) वीर रस—इस रस का स्थायी भाव उत्साह है। इसमें मति, गर्व, पृति, और प्रदूर्ध संचारी सदाचारक होते हैं। इसके तीन प्रकार हैं—(१) दयार्थीर, (२) दानवीर और (३) मुद्दन्वीर।

(४) अद्भुत रस—इस रस का स्थायी भाव विस्मय है। आधर्यजनक लौकिक पदार्थों से अद्भुत रस होता है। अश्व, स्वेद आदि इसके अनुभाव और हर्ष, आवेग, पृति आदि इसके पोषक संचारी भाव हैं।

(५) वीभत्स रस—इस रस का स्थायी भाव जुरुप्सा अथवा घृणा है। नाण-खंकोच और मुख मोड़ना आदि इसके अनुभाव और आवेग, व्याधि तथा शंका आदि इसके संचारी भाव हैं।

(६) भयानक रस—इस रुप का स्थायी भाव भय है। वेम्पु, स्वेद, शोक और चैचिन्य इसके अनुभाव और दैन्य, संभग, मोह, आस आदि इसके संचारी भाव होते हैं।

(७) रौद्र रस—इस रस का स्थायी भाव क्रोध है। अपने होठों को दाँतों से दसाना, कंप, भुकुटी टेढ़ी करना, स्वेद, मुख का लाल होना, पैर पटकना आदि इसके अनुभाव और अमर्प, मद, स्मृति उप्रता, आवेग आदि इसके सदाचारक संचारी भाव हैं।

(८) करुण रस—इस रस का स्थायी भाव शोक है। इष्टनाय अथवा अनिष्टागमन आदि इसके विभाव; निःश्वास, दृदन, प्रलाप आदि इसके अनुभाव और निद्रा, अपस्मार, दैन्य, मरण आदि इसके संचारी भाव होते हैं।

(९) शान्त रस—इस रस का स्थायी भाव शाम है। संत-समागम तीर्थाटन, शरीर की चुण-भंगुता आदि इसके विभाव; तल्लीनता, रोमाच, परमानन्द की अवस्था आदि इसके अनुभाव और मति, चिन्ता, धृति, स्मृति, हर्प आदि इसके संचारी भाव हैं।

उपर्युक्त नीरसों के अतिरिक्त एक दूसरा रस व्यात्सल्य भी है। यालक-बालिकाओं के प्रति माता-पिता अथवा अन्य लोगों का जो सहज आकर्षण होता है वही इस रस को जन्म देता है। हँसना, किलकारी भारना, चलना, बोलना आदि इसके उद्दीपन विभाव और हाथ पैलाकर उन्हें उठा लेना, उनका चुंबन करना, उन्हें खिलाना आदि इसके अनुभाव हैं। भरत मुनि ने इन दूसरों में से केवल आठ रसों को माना है। उनके अनुषार चार रस मुख्य और चार गौण होते हैं। शृंगार, वीर, वीभत्स, और रीढ़ मुख्य रस हैं। शृङ्गार से हास्य का, वीर से अद्भुत का, वीभत्स से भयानक का और रीढ़ से करुण का संबन्ध रहता है। अतएव हास्य, अद्भुत, भयानक और करुण गौण रहे हैं। आजकल यह मत मान्य नहीं है।

हम अभी बता चुके हैं कि रस के परिपाक के लिए स्थायी भाव, संचारी भाव, विभाव तथा अनुभाव की परम आवश्यकता होती है, पर इनके होते हुए भी कभी-कसी रस-परिपाक नहीं होता। इसके निम्न कारण हो सकते हैं :—

(१) जब विभाव, अनुभाव आदि अन्य सामग्री के प्रवल न होने के कारण स्थायी भाव अंकुरित होकर ही रह जाता है तब रस का परिपाक नहीं होता। इसे भावोदय कहते हैं।

(२) जब एक भाव के उदय होते ही दूसरा भाव उदय होकर उसे

दवा देता है और स्वयं प्रबल हो जाता है तब रस का परिपाक नहीं होता। इसे भाव-शांति कहते हैं।

(३) जब एक भाव मन को एक और खीचता है और दूसरा दूसरा और तथा इन दोनों में से कोई इतना प्रबल नहीं हो पाता कि दूसरे को दवा सके तब रस का परिपाक नहीं होता। इसे भाव-संतुष्टि कहते हैं।

(४) जब कई भाव एक ही साथ उदय होते हैं और अपने से पूर्व के भाव को दबाते जाते हैं तब रस का परिपाक नहीं होता। इच्छे भाव-शब्दलता कहते हैं।

रसों के संबंध में एक बात और जान लेना आवश्यक है। कुछ रस स्वभाव से ही आपस में विरोधी होते हैं। इनकी सूची इस प्रकार हैः—

(१) कशण, बीमत्स, रीढ़, चीर और भयानक शृङ्खार रस के विरोधी होते हैं।

(२) कशण और भयानक हास्त के विरोधी होते हैं।

(३) भयानक और शात चीर रस के विरोधी होते हैं।

(४) शृङ्खार, चीर, रीढ़, हास्त और शांत भयानक रस के विरोधी होते हैं।

(५) शृङ्खार बीमत्स का विरोधी होता है।

(६) रीढ़ अद्भुत का विरोधी होता है।

(७) शृङ्खार, रीढ़, चीर, हास्त और भयानक शांत रस के विरोधी होते हैं।

इस सम्बन्ध में हमें इतना ध्यान में रखना चाहिए कि प्रत्येक दणा में विरोधी रसों का एक साथ वर्णन सदौप नहीं होता। दोप तभी होता होता है जब विरोधी रस एक ही आलंबन अथवा एक ही आधय से संबंध रखते हैं। इन दोनों दणाओं को स्थिति-विरोध कहते हैं। जब विरोधी रस इतने संजिक था जाते हैं कि एक दूसरे के शान में वापक होते हैं तब ज्ञान-विरोध होता है। एक साथ दो विरोधी रसों को लाने के लिए नाटककारों को उक्त बातों पर विशेष रूप से ध्यान देने की आवश्यकता पड़ती है।

अभिनय रूपक का चौथा तत्त्व माना गया है। यद्यपि यह कथा-वस्तु, पात्र और रस के अन्तर्गत आ जाता है, तथापि ७. अभिनय इसकी पृथक् व्याख्या कर देना कला को दृष्टि से उप-सुक्त जान पड़ता है। वास्तव में यदि ध्यानपूर्वक देखा जाय तो अभिनय ही रूपक का मुख्य अंग है। साधारणतः नाटकीय वस्तु की अभिव्यक्ति को अभिनय कहते हैं। शास्त्रीय दृष्टि से अभिनय शब्द 'शोन्' धातु से बना है जिसका अर्थ है—पहुँचाना। रूपक में जिस साधन-द्वारा नाटकीय वस्तु अर्थ की पूर्ण अभिव्यक्ति की और पहुँचायी जाती है उसे अभिनय कहते हैं। अभिनय चार प्रकार का होता है:—(१) आंगिक, (२) वाचिक, (३) आहार्य और (४) सात्त्विक। इनका वर्णन इस प्रकार है:—

(१) आंगिक अभिनय—आङ्गों-द्वारा संपादनीय अभिनय आंगिक अभिनय कहलाता है। इसका सम्बन्ध शरीर के विभिन्न आङ्गों से रहता है। इसके तीन भेद हैं:—(१) शारीर, (२) मुखज, (३) चेष्टाकृत। शरीर के विभिन्न आङ्गों का हिलाना-हुलाना आदि शारीर; मुख-चेष्टा-द्वारा अभिनय मुखज और तैरने, घुड़सवारी करने तथा पतंग उड़ाने आदि का अभिनय करना चेष्टाकृत कहलाता है। रस के परिपाक में इस प्रकार के अभिनयों से बड़ी सहायता मिलती है।

(२) वाचिक अभिनय—वाणी से कहकर किया जानेवाला अभिनय वाचिक अभिनय कहलाता है। इस प्रकार के अभिनय में पात्र वाणी द्वारा उन व्यक्तियों का अनुकरण करते हैं जिनका वेश धारण करके वे रंग-भंग पर आते हैं। दास का रूप धारण करनेवाला दास की वाणी में और राजा बनकर आनेवाला राजा की वाणी में अभिनय करता है। इस प्रकार कथोपकथन-सम्बन्धी सब निर्देश वाचिक अभिनय के अन्तर्गत आते हैं।

(३) आहार्य अभिनय—वेश-भूग के अनुकरण को आहार्य अभिनय कहते हैं। इस प्रकार के अभिनय में देश-काल का स्थान

रखना आवश्यक होता है। अशोक को कोट-पतलून में दिखाना अरं-  
गत ही होगा। इसी प्रकार पात्रों की योग्यतानुसार उनके वर्ण और वक्त  
पर ध्यान देना आवश्यक है।

(४) सात्त्विक अभिनय—सात्त्विक भावों को प्रदर्शित करनेवाला  
अभिनय सात्त्विक अभिनय कहलाता है। स्वेद, रोगाच, कंप, स्तंभ,  
और अधु-प्रवाह आदि द्वारा अवस्था का अनुकरण सात्त्विक अभिनय  
माना गया है। यद्यपि इस प्रकार के अभिनय में कायिक सहयोग रहता  
है, तथापि अभिनय की दृष्टि से इसकी स्वतंत्रता है। सात्त्विक अभि-  
नय में फेला सात्त्विक भावों का अभिनय होता है, कायिक में शरीर  
और भाव दोनों का। सात्त्विक भावों का अभिनय सरल नहीं है।

अभी जिन चार प्रकार के अभिनयों का वर्णन किया गया है उनका  
वास्तविक होना परम आवश्यक है। जबतक दर्शक के हृदय में  
उनकी वास्तविकता चिद नहीं होती तबतक रस का परिपाक नहीं  
होता और जबतक रस का परिपाक नहीं होता तबतक अभिनय सफल  
नहीं समझा जाता। अतः स्पृक की सफलता की दृष्टि से अभिनेता के  
लिए वह परम आवश्यक है कि वह अपने सामने ऐठे हुए लोगों के  
हृदय पर इस बात की छाप लगा दे कि वह जो कुछ दिखा रहा है वह  
सत्य और वास्तविक है, कृत्रिम नहीं। अभिनेता और अभिनय की  
सफलता का पही रहस्य है।

स्पृक के उपकरणों में अभिनय के अन्तर्गत नृत्य और नृत पर भी  
विचार किया गया है। किसी भाव को प्रदर्शित करने के लिए व्यक्ति-  
विशेष के अनुकरण को नृत्य कहते हैं। इसमें आगिक अभिनय की  
अधिकता रहती है। अभिनय-रहित केवल नाचने को नृत बहने है।  
नृत दो प्रकार का होता है—(१) तांडव और (२) लाल्य। लाल्य  
अन्धों के अनुसार तांडव का आविष्कार शिव ने और लाल्य का पार्वती  
ने किया है। तांडव का प्रधान गुण उद्घटता और लाल्य का मधुरता है।  
इनमें स्पृकों से विशेष सम्बन्ध नहीं रहता।

रूपक का अन्तिम तत्व है वृत्ति । इसका साधारण अर्थ है—वर-  
नाव, काम अथवा दंग । नाट्य-शास्त्र में पात्रों आदि

४. वृत्तियाँ के विशेष प्रकार के बहाव अथवा कार्य-जीवनी को  
वृत्ति कहते हैं । साहित्य-दर्पण के टीकाकार ने रसा-  
स्वाद के प्रधान कारण को वृत्ति माना है । इससे यह लिद्ध हुआ कि  
रूपक के यात्र अपने चारों प्रकार के अभिनय तथा प्रसंगानुकूल दर्शकों  
में नाटकीय रस के परिपाक के सहायतार्थी जो विशेषता उत्पन्न करते हैं  
उसे वृत्ति कहते हैं । इसीलिए भरत-मुनि ने वृत्तियों को नाट्य की मात्राएँ  
माना है । वृत्तियाँ चार होती हैं :—(१) भारती, (२) सात्वती (३)  
आरभटी और (४) कौशिकी । इनमें पहली शब्द-वृत्ति और शेष तीन  
अर्थवृत्ति कहलाती है । इन चारों का संचित वर्णन इस प्रकार है :—

(१) भारतीवृत्ति—इसकी उत्पत्ति ऋग्वेद से मानी गयी है । इसका  
सम्बन्ध केवल नदीं अथवा भरतों से रहता है, इसलिए इसे भारती वृत्ति  
कहते हैं । इसमें जियाँ वर्जित रहती हैं । यह शब्द-वृत्ति होती है ।  
इसमें संस्कृत मापा के वाक्यों तथा वाचिक अभिनय की प्रवानता रहती  
है ; साहित्य-दर्पणाकार का मत है कि यह सब रसों में काम आती है,  
पर भरत-मुनि ने इसका सम्बन्ध करुण तथा अद्भुत से और भारतेन्दु  
ने केवल धीरेन्द्र से माना है । रूपक के प्रारम्भिक कुर्यों में ही यह  
मुख्यतः पायी जाती है ।

(२) सात्वती वृत्ति—इसकी उत्पत्ति यजुर्वेद से मानी गयी है ।  
इसका सम्बन्ध शीर्य, दया, दान, दाक्षिण्य आदि सात्त्विक भावों से रहता  
है । इसमें धीरोचित कार्य रहते हैं जिससे आनन्द की वृद्धि होती है ।  
इसका सम्बन्ध धीर रस से है, पर इसमें योङ्ग रौद्र और अद्भुत का भी  
समावेश रहता है ।

(३) आरभटी वृत्ति—इसकी उत्पत्ति सामवेद से मानी गयी है ।  
इसमें संग्राम, क्रीध, माया, इन्द्रजाल, छुन और संवर्प आदि दिखाया  
जाता है । इसका प्रयोग रौद्र रस में होता है ।

(४) कौशिकी वृत्ति—इसकी उल्लंघि अथवेद से मानी गयी है। और इसका सम्बन्ध गीत, नृत्य, विलास, रति आदि से रहता है। इसमें स्त्रियों के व्यापार भी सम्मिलित होते हैं। इन्हीं कारणों से यह मधुर वृत्ति मानी गयी है। इसका प्रयोग शङ्खार और हास्य में होता है।

यहाँ तक हमने रूपक के तत्त्वों पर विचार किया है। अब हम रूपक-

रचना के कुछ अन्य आवश्यक अंगों पर विचार रूपक के करके इस अध्याय को समाप्त करेंगे। हम यह अनन्त प्रारम्भिक अंग बता चुके हैं कि हमारे यहाँ प्रत्येक कार्य को, चाहे वह सामाजिक हो अथवा साहित्यिक, धर्म का रूप दिया गया है। रूपक है तो एक साहित्यिक कृति, पर उस पर भी आदि से अन्त तक धर्म का आवरण चढ़ा हुआ है। पार्मिक कृत्य हमारे जीवन और साहित्य के मुख्य अंग हैं। हमारे नाट्य-शास्त्रों में उन सभी धार्मिक कृत्यों का सविस्तर वर्णन मिलता है जिनसा करना रूपक की मुख्य कथा का आरंभ करने के पूर्व आवश्यक है। ऐसे कार्यों को नाट्य-शास्त्र में पूर्व-रङ्ग कहते हैं। इनका उद्देश्य है—रंगशाला के विष्णों को दूर करना। भरत मुनि के अनुषार सबसे पहले नगाङ्गा घजाकर लोगों को नाटकारंभ की सूचना दी जाती है। इसके अनन्तर गानेवाले और बाजा बजाने-वाले आदि रंग-मंच पर आकर अपने यंत्र आदि को टीक करते और उनके सुर आदि मिलाकर उन्हें बजाते हैं। बाजा बजने के साथ ही सूत्रधार रंग-मंच पर फूल छिटकाता हुआ आता है। उसके साथ एक तैवक जल-पात्र और दूसरा इन्द्र-धजा लिए रहता है। सूत्रधार जल-पात्र से जल लेकर अपने को पवित्र करता है और फिर इन्द्र-धजा लेकर टहला हुआ सुतिपाठ करता है। इस सुतिपाठ को नाँदी कहते हैं। इसके पश्चात् वह उस देवता की खुति करता है जिससे नाटक का सम्बन्ध रहता है। नाँदी के पश्चात् रङ्ग-द्वार नामक कृत्य का आरंभ होता है। इसमें नाटक के आरम्भ की सूचना होती है। सूत्रधार श्लोक का पाठ और इन्द्र-धजा की वन्दना करता है। इसके पश्चात् पार्वती

श्रीर भूतों को प्रसन्न करने के लिए दृत्य होता है। अन्त में सूत्रधार और विदूषक आदि आपस में बातें करके रंग-मंच से चले जाते हैं।

रंग-मंच से सूत्रधार के चले जाने के पश्चात् स्थापक का प्रवेश होता है। स्थापक की वेश-भूषा सूत्रधार के ही समान होती है। वह अपनी वेश-भूषा से इस बात की भूत्तना देता है कि जो रूपक आरम्भ होनेवाला है उसका सम्बन्ध देवताओं से है अथवा मनुष्यों से। वह सुन्दर छन्दों में देवताओं आदि की वन्दना करता है श्रीर रूपक तथा उसके रचयिता के संबंध में कहर रूपक का आरम्भ करा देता है। इन कृत्यों में भारती वृत्ति का प्रयोग होता है।

रूपक-रचना में वृत्तियों का जो स्थान है उससे भाषा का घनिष्ठ संबंध है। रूपकों में पात्रों की भाषा कैसी होनी रूपक में पात्रों चाहिए—इस प्रश्न पर भी हमारे प्राचीन नाटककारों की भाषा ने विचार किया है। उनका कहना है कि रूपक में पात्रों की भाषा उनके गुण, कर्म और स्वभाव के अनुसार होनी चाहिए। ऐसा करने का उद्देश्य स्वाभाविकता का परिपालन मात्र था। इसके अनुसार यह नियम बना दिया गया था कि जो पात्र जिस वर्ग का हो वह उसी वर्ग की भाषा का प्रयोग करे। उस समय की प्रधान भाषाएँ थीं :—संस्कृत और प्राकृत। उच्च पुरुषों, संन्धारियों, महाराजियों श्रीर कहीं कहीं वेश्याओं को भी संस्कृत में बोलने का विवान मिलता है। प्राकृत के अनेक ऐद और उपऐद गिना कर उनके प्रयोगों के भी नियम दिये गये हैं। राधारण खिलों को प्राकृत में ही बोलने का आदेश दिया गया है। मध्यम श्रीर अधम लोगों को शौर सेनी, नीचों को मागधी, राज्यकाली तथा पिशाचों को पैराची और चांडालों आदि को अपभ्रंश भाषा में बोलने का विधान मिलता है। प्रयोजन के अनुसार उत्तम पात्रों की भाषा में परिवर्तन करने का नियम है। कथोपकथन में छोटे, बड़े श्रीर वर्यावरतालों के प्रति किन शब्दों का प्रयोग करना चाहिए, इसका भी सुविस्तर विधान मिलता है।

## हिन्दी-नाटकों का इतिहास और विकास

पिछले शताब्दी में हम देखा चुके हैं कि दसवीं शताब्दी से संस्कृत नाटकों की रचना का हाउ आरंभ होता है। लगभग हिन्दी-नाटकों यही समय हिन्दी के उत्थान का भी है। भारे-वर्ते का अनुदय हिन्दी ने संस्कृत का स्थान इस प्रकार प्रदूष कर लिया—इस प्रश्न पर विचार करना हमाग मंतव्य नहीं है। हमें तो, संक्षेप में, यह देखना है कि संस्कृत के पश्चात् हिन्दी में नाटकों का आरंभ कब और किस प्रकार हुआ? इस प्रश्न का उचित उत्तर देने के लिए हमें हिन्दी-साहित्य की प्रगति पर विचार करना होगा। हम यह तो जानते ही हैं कि हिन्दी-साहित्य का इति-हाउ वीर-गाया-काल से आरंभ होता है। यह काल सं० १०५० से आरंभ होकर सं० १३५५ तक समाप्त हो जाता है। ऐतिहासिक दृष्टि से इस काल का विशेष महत्व है। मार्तीय इतिहास में यह काल वास्त्र आकरणों और आनतरिक संबंधों के लिए प्रसिद्ध है। सब्राद् दर्शनदेवन के साम्राज्य के घंटावर्षों पर जिन छोटेन्होठे स्वतंत्र राजों का उत्तरापथ में निर्माण हुआ उनकी पारस्परिक द्वेष-भावना ही इस काल की जगती है। इसी काल में मुङ्लमानी के आकरण भी हुए। ऐसे अस्तित्व पातावरण में सादेव-निर्माण का कार्य केवल चारछों तक ही सीमित रहा। चारण दरवारी कवि थे। वे अपने शाश्वत-शताब्दी के बीरनापूर्ण काव्यों की प्रणवा में कविताएँ किया करते थे। कभी-कभी अपने आपने शताब्दी के साथ वे युद्ध-त्यज में भी जाते थे और अपनी वाणी के अविरित अपनी तलवार से भी उनका उत्ताप बढ़ते थे। उस समय

गद्य का सर्वत्र अभाव था। ऐसे राजनीतिक एवं साहित्यिक बातावरण में नाटक-रचना के लिए किसी कहाँ से भी प्रोत्साहन मिलने की आशा नहीं थी।

वीर-नाथा-काल के पश्चात् हिन्दी-साहित्य के इतिहास में भक्त-काल का प्रादुर्भाव हुआ। यह काल सं० १३७५ से सं० १७०० तक रहा। इस काल में भी राजनीतिक और सामाजिक परिस्थितियों की विपरीता के कारण हिन्दू-मावना की प्रतिकिंग के फलस्वरूप केवल संत, सूफी और भक्त-कवियों की रचनाओं का प्रचार हुआ। कबीर, जायसी, सूर और तुलसी की वाणी ने तत्कालीन जनता और साहित्यकारों को अपनी ओर इतना अधिक आकृष्ट कर लिया कि उनमें से किसी का भी नाटक-रचना की ओर ध्यान ही नहीं गया।

हिन्दी-साहित्य के इतिहास का रीति-काल भी नाटक-रचना के उम्मुक्ष छिद्र नहीं हो सका। यह काल सं० १७०० से स० १८०० तक रहा। इसमें सन्देह नहीं कि इस काल में मुसलिमानों की विरोधी-नीति में घड़ूत-कुछ परिवर्तन हुआ और धीरे-धीरे वे भी राजपूत-नाजाओं की भाँति विलास-प्रिय हो गये, पर उनमें साहित्य के इस अंग की पूर्ति नहीं हो सकी। मुसलिम-साहित्य में नाटक के लिए कोई स्थान ही नहीं था। संस्कृत सीमित और संकुचित होकर ब्राह्मणों की सम्पत्ति बन गयी थी; फारसी में नाटक-साहित्य का अभाव था; उदूँ अपने शीशव काल में थीं; ब्रज का योजन्याला था, पर उसका गद्य नाटक-रचना के लिए उपयुक्त नहीं था; हिन्दी-गद्य की सम्मेलना अर्भा निश्चिन्त ही नहीं हुई थी; कविता-रामिनी विलास-प्रिय नरेशों के दरबारों का शूझार कर रही थी और कवि तथा साहित्यकार उसे विविध प्रकार के अलकारों से सजाकर बाहराही लूट रहे थे। ऐसी दशा में नाटक लिखता भी तो कौन लिखता ! पर इन बाधाओं के होते हुए भी कुछ नाटक लिखे गये। विहार के साहित्य-प्रेमेयों ने संस्कृत नाटकों की परम्परा की रक्षा की। मैथिजु कोकिल विद्यापति ठाकुर, लालकर्ण, भानुनाथ, इर्पनाथ भा आदि के नाटक संस्कृत-परम्परा में ही मिलते हैं।

अब रहा आधुनिक काल। हिन्दौ-साहित्य के इतिहास में इस काल का प्रादुर्भाव सं० १६०० से हुआ। भारतीय इतिहास में यह वह समय था जब धीरे-धीरे मुगल-साम्राज्य का पतन और अँगरेजों का उत्कर्ष आरम्भ हो रहा था। अँगरेजों ने भारत में बम्बई के द्वार से प्रवेश किया और धीरे-धीरे उन्होंने दक्षिण तथा पूर्व भारत पर अपना प्रसुल्त स्थापित किया। वे ज्ञापारी होने के साथ-साथ राजनीति-कुशल भी थे। उन्होंने यहाँ की जनता और यहाँ के नरेशों से एक साथ संदर्भ स्थापित किया। जनता के समर्क में आने से यहाँ उन्हें अपनी भाषा और अपने साहित्यिक एवं राजनीतिक विचारों का प्रचार करने का अवसर मिला, वहाँ तत्कालीन साहित्यकारों को भी अपने साहित्य की त्रुटियों को समझने-बूझने का अवसर मिला। ब्रिटिश साम्राज्य स्थापित होने पर भारत में जब अँगरेजी शिक्षा का प्रचार हुआ और अँगरेजों तथा भारतीयों ने एक दूसरे की भाषा एवं साहित्य का अध्ययन आरम्भ किया तब पहले-पहल बैंयर्ड तथा मद्रास में ऑफ्रेंजी और भारतीय बिचार-धाराओं के संघर्ष के फलस्वरूप एक नयी चेतना, एक नये साहित्यिक वातावरण का उदय हुआ। पहला: इस नई लहर से साहित्य के विभिन्न अगों को यहाँ स्कुरण मिला यहाँ नाटक भी अलूता न रह सका। उस समय मराठी और गुजराती साहित्य में अर्ध-अर्ध नाटक लिखे गये। धीरे-धीरे यही लहर बङ्गाल में पटुचां और बङ्गला भाषा में भी कई बुन्दर नाटकों का रचना हुई। वालानार में पिहार और उत्तर प्रदेश के साहित्यकारों पर भी उचका प्रभाव पड़ा। हिन्दी के पास संस्कृत की नाट्य-परम्परा थी, पर उससे उसने कुछ भी ग्रहण नहीं किया। बङ्गला के नाटक ही हिन्दौ-नाटकों के पथ-प्रदर्शक बन गये। हिन्दों में कई बङ्गला-नाटकों का अनुवाद हुए और कुछ मौलिक नाटक भी लिखे गये। इस प्रकार हिन्दी में नाटक-रचना का एक नवीन युग आरम्भ हो गया जिसका विरुद्धित रूप आज हमारे सामने है।

परन्तु नाटक-रचना के मार्ग में अभी बड़ी-बड़ी बाधाएँ थीं। हिन्दी का अपना कोई रंग-मंच नहीं था। रंग-मंच की हिन्दी-नाटक-सुविधा, विकास एवं उन्नति ने जहाँ सोलहवीं शताब्दी में ही शेषपियर को जन्म देकर पाश्चात्य नाट्य-कला को तरम सीमा तक पहुंचा दिया था वहाँ हिन्दी-साहित्य के पास प्राचीन परम्परा के हाते हुए भी तत्सम्बन्धी कोई साधन उच्चीयवीं शताब्दी तक उपलब्ध नहीं हो सका। भारत के आशात-पूर्ण राजनीतिक वातावरण में प्राचीन-काल के प्रेक्षागृह नष्ट हो चुके थे। उनके स्थान पर भारतीय शैली के नये प्रेक्षागृह बनने की विशेष सम्भावना नहीं थी। श्रृंगरेजों के आगमन से प्लासी-युद्ध (सन् १७५७) के भी पहले कलकत्ता में श्रृंगरेजी-शैली के अनुसार एक प्रेक्षागृह का निर्माण हुआ था। कहते हैं, शिराजुहीला ने सन् १७५६ ई० में इसी प्रेक्षागृह की छत से श्रृंगरेजों पर अभिन्नपर्यां की थी। इसके अनन्तर सन् १७३६ ई० में वहाँ दूसरा प्रेक्षागृह खोला गया था। यद्युपरि भी नाट्य-शालाएँ खोली गयी थीं। अठारहवीं शताब्दी के अन्तिम श्रीर उच्चीयवीं शताब्दी के प्रारंभिक भाग में भी कलकत्ता में कई आधुनिक शैली की रंगशालाओं का निर्माण हुआ। इन रङ्गशालाओं में बङ्गला-नाटकों का प्रदर्शन हुआ जिससे बङ्गला-भाषा में नाटक-रचना का प्रचार हिन्दी से बहुत पहले हो गया। भारतेन्दु हरिश्चन्द्र ने कलकत्ता जाकर जब बङ्गला-नाटकों तथा रंगशालाओं का उन्नत रूप देखा तब उन्हें हिन्दी की शोचनीय दशा पर बहुत दुःख हुआ। कलकत्ता से लौटने के पश्चात् उन्होंने इस दिशा में विशेष प्रयत्न किया। उनके जीवन-काल में कई रंगशालाओं की स्थापना की और बड़ी चहल-पहल रही, पर उनके आंति बंद करते ही उनका प्रभाव नष्ट हो गया। आज भी हिन्दी-प्रेक्षागृहों के अभाव के बाराह नाटक-रचना में विशेष बाधाएँ भिल रही हैं।

हिन्दी-नाटक निर्माण में दूसरी बाधा थी अभिनेताओं की सामाजिक स्थिति के कारण। सुन्दर नाट्य-साहित्य के प्रणाली, संवर्द्धन एवं विकास

के लिए रंगशालाओं की ही नहीं, अभिनु उच्च कोटि के शिक्षित, सन्द्र और सदाचारी अभिनेताओं और अभिनेत्रियों की भी आवश्यकता होती है। अभिनेताओं के आभाव में रंगशालाओं का, और रंगशालाओं के आभाव में नाटकों का महसूब विद्यार्थियों के पाठ्य-क्रम के अनियंत्रित और कुछ ही ही नहीं सकता। भारत में अभिनेताओं का आभाव प्राचीन काल से ही रहा है। प्राचीन-काल में अद्वैत-शिक्षित और निष्प्रलौटि के व्यक्ति, जो नट कहलाते थे, पूम-पूमकर अपनी अभिनय-कला का प्रदर्शन करते थे, पर उन्होंन्हों रंगशालाओं की लोकनियता बड़ी त्वेत्वों कुलीन और शिक्षित व्यक्तियों ने भी अभिनय-कला में माग लेना आरंभ किया और उनके सहयोग से नात्य-साहित्य अपनी चरम संज्ञा पर पहुँचा, परन्तु संस्कृत-नाटक-रचना का छाप होने पर जब रंगशालाएँ समाप्त हो गयीं तब अभिनेता भी समाप्त हो गये और उनके स्थान पर बालान्तर में धार्मिक प्रेरणा के फलस्वरूप गुरुजीला संघ कृष्णलीला और लोकरंगन की मात्रा के फलस्वरूप स्वांग आदि की अवस्था हुई। इन समस्त खेलों में साधारण स्थिति के लोग ही असाहित्यिक ढंग से अपनी अभिनय-कला का प्रदर्शन करते थे। भारतेन्दु के पूर्व कदाचित् किसी नाटक का अभिनय नहीं हुआ। उनके समय में उनके प्रदर्शन एवं सहयोग से कई नाटकों के अभिनय हुए जिनमें उन्होंने त्वयं माग लेकर अभिनेताओं की सामाजिक स्थिति एवं लोक-रचि में सुधार करने की ओर संवेदन किया, पर आगे चलकर इसका स्थायी प्रभाव नहीं पड़ा। वीरेन्द्री शुगान्दी के आरम्भ में नाटकों की न्यूनाधिक लोक-प्रियता बढ़ने पर जब पारसी नाटक-कंपनियों का प्रादुर्माव हुआ तब उनमें ऐसे व्यक्तियों ने ही अभिनेताओं का कार्य करना आरम्भ किया जिनकी सामाजिक स्थिति अच्छी नहीं थी। नाटकों के अभिनय में माग लेना उच्च कुल के शिक्षित एवं साहित्यिक व्यक्ति निन्दा और अपचाद का कारण समझते थे। आज इनेमा के प्रचार के बारण अभिनेताओं की सामाजिक स्थिति और लोक-रचि में विशेष परिवर्तन हो गया है और

धरि-धारे सुशिद्धित व्यक्ति भी अभिनेताओं का जीवन अपना रहे हैं। ऐसी दशा में यदि रंगशालाओं पा निर्माण आरंभ हो जाय और उनके रंग मंच से हिन्दी-नाटकों का अभिनव होने लगे तो निस्सन्देह हिन्दी-नाटक-रचना को दयेष्ट बल मिलेगा और हिन्दी का नाट्य-साहित्य लोकप्रिय हो जायगा।

इमने अभी नाटक-निर्माण में जिन हो वावाप्रों का उल्लेख किया है उनके रहते हुए भी यदि हिन्दी-गद्य की अभिव्यजना-शक्ति प्रबल होती तो हिन्दी-नाट्य-साहित्य का विकास हो सकता था। भारतेन्दु के पूर्व हिन्दी-गद्य का स्वरूप इतना अविकसित, अपरिपक्व और अभिव्यजना-शक्तिहीन था कि उसमें नाटक-रचना हो ही नहीं सकती थी। भारतेन्दु ने अपने सतत् परिश्रम से इस अभाव की पूर्ति की। उन्होंने तत्कालीन हिन्दी-गद्य को बहुत से दोरों से मुक्त किया, उसे नाटकीय भाषा के अनुकूल बनाया और उसमें स्वयं रचना करके दूसरों का पथ-प्रदर्शन किया। इससे नाटक-निर्माण में बड़ी सहायता मिली, पर जो औज और माधुर्य नाटकीय भाषा के लिए बाछूनीय है उसका अभाव बना ही रहा। कालान्तर में प्रसाद ने इस अभाव की पूर्ति की और तब से हिन्दी-नाटकों में जिस भाषा को स्थान मिला वह अभिनेताओं के भावों को व्यक्त करने में समर्थ हो सकी। आज के नाटकों में गद्य का जो श्रौढ़ रूप देखने को मिलता है वह कई कलाकारों के सतत् परिश्रम का परिणाम है।

पर उपर्युक्त वाक्याओं के रहते हुए भी रचनाएँ हुई हैं और हो सकती हैं। प्रश्न उठता है कि फिर नाटक क्यों नहीं लिखे गये? इस प्रश्न का उचित उत्तर देने के लिए हमें उस युग की मानसिक प्रवृत्तियों पर विचार करना होगा और यह देखना होगा कि उनमें नाटकीय रचना के तत्त्व ये अध्यवा नहीं। नाटकीय-रचना के दो तत्त्व हैं—एक तो जीवन के प्रति विशिष्ट दृष्टिकोण और दूसरा इस दृष्टिकोण का व्यवित्त्य-हीन अभिव्यञ्जन। तत्कालीन साहित्य और इतिहास के अध्ययन से हमें यह ज्ञात होता है कि उस युग में इन दोनों तत्त्वों का मुख्यतः अभाव था। शतान्द्रियों की दासता, विभिन्न धार्मिक आनंदोलनों तथा कर्मवाद आदि

दार्शनिक सिद्धान्तों ने उस समय के सामाजिक जीवन को गतिहीन बना दिया था। वेदों, उपनिषदों तथा इसी प्रकार के अन्य धार्मिक एवं दार्शनिक अन्यों ने हमारा मानसिक और आत्मिक स्तर इतना ऊँचा कर दिया था कि हम संसार की घस्तु ही नहीं रह गये थे। जीवन के प्रति उदासीनता का एक कारण तत्कालीन चुब्ब और असान्त राजनीतिक वातावरण भी था जिसने हमें नियनिवादी बना दिया था। कहने का तात्पर्य यह कि उस युग में कई ऐसे कारण संगठित हो गये थे जिनके पलस्त्वरूप हम गतिशील होने की अपेक्षा चिन्तनशील हो गये, उमाज से हमारा नामा टूट-गा गया और व्यक्तिगत साधना हमारे जीवन का लक्ष्य बन गयी। इस प्रकार जीवन का संतुलन बिगड़ गया, हमारा व्यक्तित्व निर्वल और निष्प्राण हो गया। कभी हमने भक्ति के आधेश में आत्म-समर्पण किया और संतों की ज्ञानभरी वार्षी मुनक्कर असार-संसार से मुक्त होने और मोक्ष प्राप्त करने की चिना की। ऐसा परिस्थिति में नाटक-रचना की चिना होनी भी तो किसे होती और क्यों? व्यक्तित्व-प्रधान जीवन से काव्य को प्रेरणा मिलती है, नाटक को नहीं। नाटक जीवन के प्रति एक विग्रिष्ट दृष्टिकोण का व्यक्तित्व-रूदृढ़त अभिव्यंजन है। इस प्रकार हम देखते हैं कि नाटक-रचना के लिए वह सुग सर्वथा अनुपयुक्त ही गा। अंगरेजों के संकर्म में आने के पश्चात् जब हमारे जीनव-सम्बन्धी दृष्टिकोण में परिवर्तन हुआ, जब हमने व्यक्तिगत साधना के स्थान पर सामाजिक जीवन का महत्व सुमझा और जब हमारी धार्मिक एवं दार्शनिक परंपराएँ बुद्धिवाद में परिणत होने लगी तब अन्य लोकोपयोगी साहित्य के साथ नाटक-रचना के लिए भी अनुकूल वातावरण मिला जिसके पलस्त्वरूप हिन्दी-नाट्य-साहित्य में भारतेन्दु-काल का आविर्भाव हुआ। इस काल में जीवन के प्रति परिवर्तित दृष्टिकोण के साथ-साथ उन सभी दोषों का परिहार हो गया है जो नाट्य-साहित्य के विकास में वाधक हो रहे थे। आज का नाट्य-साहित्य जीवन के प्रत्येक कद्द से अपनी सामग्री एकत्र कर रहा है और उसमें नवीनत्यी उद्भावनाएँ हो रही हैं।

हमने अभी कहा है कि हिन्दी-नाटकों का अभ्युदय भारतेन्दु-काल से आरम्भ होता है। भारतेन्दु-काल के पूर्व हमें जो हिन्दी-नाट्य-साहित्य मिलता है वह नाट्य-कला की साहित्य का दृष्टि से नहीं, वरन् प्रेतिहासिक दृष्टि से विशेष महत्त्व श्रितिहास का है। आधुनिक खोजों से हिन्दी-नाटकों का सूचनापत्र लगभग सत्तरहवीं शताब्दी के अन्तिम पूर्वार्द्ध से माना जाता है। अतएव उस काल से अबतक के कुल समय को विकास-क्रम की दृष्टि से हम पाँच भागों में विभाजित कर सकते हैं :—

- (१) भारतेन्दु के पूर्व का नाट्य-साहित्य……(१६४३-१८६६)
- (२) भारतेन्दु-काल का नाट्य-साहित्य………(१८६७-१८०४)
- (३) सधि-काल………………..(१८०५-१८२५)
- (४) प्रसाद-काल का नाट्य-साहित्य!………(१८२५-१८३३)
- (५) आधुनिक काल का नाट्य-साहित्य……(१८३४—)

[१] भारतेन्दु के पूर्व का नाट्य-साहित्य (१६४३-१८६६)—भारतेन्दु के पूर्व के नाट्य-साहित्य का आरम्भ सत्तरहवीं शताब्दी के अन्तिम पूर्वार्द्ध भाग से माना जाता है। उस समय से भारतेन्दु के उदय तक हमें जो हिन्दी का नाट्य-साहित्य मिलता है उसे हम दो भागों में विभाजित कर सकते हैं :—(१) अनूदित और (२) मौलिक। अनूदित नाटकों में कुछ तो नाटकीय काव्य है और कुछ गद्य-वद्य मिश्रित नाटक। यनारसी दास जैन-दासा अनूदित समयसार नाटक और हृदय राम उपनाम 'राम'-दारा अनूदित हनुमन्नाटक आदि नाटकीय काव्य है। मौलिक नाटकीय-काव्यों में प्राणचंद चौहान-इत 'रामायण महानाटक' तथा कृष्णजीवन लघ्वीराम-कृत 'करुणाभरण' आदि की गणना की जाती है। प्रायः देखा गया है कि प्रत्येक साहित्य में नाटकों की उत्तरति इसी प्रकार के नाटकीय काव्यों से हुई है। कलात्मक दृष्टि से सत्कालीन अनूदित नाटकों में प्रदोष-चन्द्रोदय का सर्वप्रथम स्थान है। यह संस्कृत के प्रदोष-चन्द्रोदय का अनुशाद है और इसके

साहित्य का शिलान्यास किया। इस कार्य में उन्हें बँगाल के नाटककारों से भी प्रेरणा मिली। इस समय बङ्गला के नाटककारों में रामनारायण तर्फ़-रत्न, माइकेल मधुसूदन दत्त और दीनबन्धु मिश्र की अच्छी ख्याति थी। भारतेन्दु का उन सबसे परिचय था। श्रीगरेजी नाट्य-साहित्य से भी उनका सपर्क स्थापित हो चुका था। इस प्रकार भारतेन्दु ने अपने समय में जिस नाट्य-साहित्य को जन्म दिया उस पर एक साथ सब का प्रभाव पड़ा और उसके सुन्दर समन्वय में उनकी कला का विकास हुआ। उनके समकालीन भीनिवास दास, बद्रीनारायण चौधरी 'प्रिमवन', प्रतापनारायण मिश्र, राधा कृष्णदास, केशवराम भट्ट आदि के नाटकों की बड़ी धूम थी। उनकी रचनाओं के विषय भिन्न-भिन्न प्रकार के थे और उनमें प्रतिष्ठित शैलियां और विचार-धाराओं का संपूर्ण विकास हुआ था। कई बातों में आज भी उनके नाटक हमारे पथ-प्रदर्शक हैं। उनमें पौराणिक आख्यानों, ऐतिहासिक चरित्रों एवं घटनाओं, धार्मिक राष्ट्रीय तथा सामाजिक समस्याओं आदि के चित्रण के साथ-साथ सामयिक विषयों की आलोचना भी प्रहरन के रूप में मिलती है। पौराणिक धारा के अन्तर्गत रामचरित सम्बन्धी कई नाटक लिखे गये, पर उनमें नाट्य-कला का अच्छा विकास नहीं हुआ। कृष्ण-चरित और तत्सम्बन्धी लीलाओं को भी लेकर नाटकों की रचना हुई। इन रचनाओं में 'दरिश्रीघ' के दो नाटकों 'प्रद्युम्न-विजय' (१८६३) और 'रुक्मणी-परिणय' (१८६४) को अच्छी ख्याति मिली। राधाचरण गोस्वामी का 'श्रीदाम' (१८०४) भी कला की दृष्टि से उत्कृष्ट चिद्र हुआ। अन्य पौराणिक आख्यान सम्बन्धी नाटकों में 'दमयन्ती-स्वर्यंवर' को अच्छा स्थान मिला। ऐतिहासिक एवं अन्य धाराओं में पौराणिक धारा की अपेक्षा कम रचनाएँ हुईं। ऐतिहासिक धारा में मुख्यतः भारतेन्दु ने ही नाटक लिखे। सामाजिक धारा के अन्तर्गत भारतेन्दु-काल में जिन विषयों को नाटक का रूप दिया गया उनमें चाल-विवाह, वृद्ध-विवाह, पाखंड, नारी-जीवन की कठिपय समस्याओं तथा तत्कालीन आचार-विचारों आदि को प्रधानता मिली।

गो-द्वा और गो-वप की समस्या को लेकर भी कुछ नाटक लिखे गये। प्राचीन प्रथाओं और विचारों के स्कैडन-प्रैडन में भी कई नाटकों की रचना हुई। प्रेम-प्रधान नाटकों में तत्कालीन नाटककारों की प्रतिमा का अच्छा विकास हुआ। उस समय के नाटककारों के लिए यह एक नवीन सामाजिक विषय या और स्वयं भारतेन्दु ने इस धारा का पथ-प्रदर्शन किया था। इस धारा में भारतेन्दु-हृति 'विद्या-सुन्दर', भीनिवासदाय-हृति 'प्रेममोहिनी' आदि का प्रमुख स्थान है। ये सुखान्त नाटक हैं। दुल्हाँओं में धीनिवासदास-हृति 'खण्डीर-प्रेममोहिनी' आदि। उल्लोखनीय हैं। इन नाटकों के अध्ययन से पता चलता है कि 'इस धारा के नाटककारों ने अपनी कथापत्रों का स्वाभाविक विकास न दिखाकर अधिकांश आकृतिमिक घटनाओं का आभ्यंग लिया है।' इस प्रकार इनमें प्रेम के भिन्न-भिन्न रूपों का विवरण नहीं है।

प्रेम-प्रधान नाटकों की माँति ही देश-प्रेम सम्बन्धी नाटक, प्रतीक-चारी नाटक तथा प्रदृशन भी भारतेन्दु-काल की नवीनताओं में से हैं। राम-प्रेम की धारा के अन्तर्गत भारतेन्दु-हृति रचनाओं को विशेष लोक-प्रियता प्राप्त हुई। प्रतीकचारी-धारा में कमलाचरण-हृति 'अद्भुत नाटक' आदि मीलिक रचनाएँ हैं। इनमें भाषों और विचारों का मानवीकरण किया गया है। प्रह्लाद भारतेन्दु-काल की विशेष संभत्ति है। इस प्रकार के नाटकों में हास्य और व्यंग का अच्छा निवेदण हुआ है। भारतेन्दु ने स्वयं इनका प्रणयन किया और अन्य नाटककारों ने उनसे प्रेरणा प्राप्त करके विविध सामाजिक विषयों के आधार पर प्रहरनों की रचना की। देवकीनन्दन निशाठी-हृति 'एक-एक के तीन-तीन,' वात्सल्यण महृ-हृति 'जैरा काम वैला परिणाम,' प्रतापनारायण मिथ्रकृति 'कलिकौतुक रूपहू' किशोरलाल गोस्यामी-हृति 'चौरट चैपेट' और विजयानन्द-हृति 'महा श्रेष्ठ नगरी' आदि का उस समय अच्छा प्रचार हुआ। चाल्चत्व में वे प्रदृशन उस समय की राजनीतिक, सामाजिक तथा पार्मिक विचार-धाराओं का प्रतिनिधित्व करते हैं।

भारतेन्दु-काल में मौलिक नाटकों के प्रणयन के साथ-साथ अनूदित नाटकों की भी अच्छी रुपाति हुई। इस युग में संस्कृत के प्रायः सभी अच्छे-अच्छे नाटकों के अनुवाद हुए। भवभूत-कृत उत्तर राम-चरित 'मालती-माधव' तथा 'महावीर-चरित' के हिन्दी-अनुवादों का अच्छा प्रचार हुआ। सन् १८६८ में लाला सीताराम ने कालिदास के 'माल-विकामि मित्र' का हिन्दी-अनुवाद किया। इनके अतिरिक्त 'वेणुसिंहार', 'मृच्छकटिक', 'रघावली' तथा 'नागानन्द' के भी हिन्दी-अनुवाद हुए। इन संस्कृत-नाटकों के अनुवादों के साथ ही बँगला के कठिपय नाटकों का भी हिन्दी में अनुवाद किया गया। माइकेल, मुमुक्षुदान-कृत 'पश्चावती' तथा 'कृष्ण-कुमारी' आदि के बड़े सफल हिन्दी-अनुवाद हुए। श्रॉगरेजी से भी कई अनुवाद हुए। शेवसपियर के 'मचेंट आफ वेनिस' का 'दुर्लभ-बंधु', 'वेनिस नगर का सौदागर' तथा 'वेनिस नगर का ब्यापारी' 'कमेडी आफ एरस' का 'अमज़ालक', 'एज यू लाइक इट' का 'मन भावन' तथा 'शेमियो एंड जूलियट' का 'प्रेमलीला', 'मैक्येथ' का 'साहसेन्द्र साहस' के नाम से अनुवाद प्रकाशित हुए। 'फिंग लेथर' का अनुवाद इसी नाम से किया गया। इन अनूदित नाटकों के साथ-साथ रूपातरित नाटकों की रचना भी इस युग की एक विशेषता है। ८० के शताब्दी ने 'सरोजिनी' के आधार पर 'सज्जाद-संबुल' और 'सुरेन्द्र-विनोदिनी' के आधार पर 'शमशाद-सीधन' की रचना की। इन दोनों रूपातरित नाटकों का हिन्दी में अच्छा प्रचार हुआ।

इस प्रकार नाटक-निर्माण की दृष्टि से भारतेन्दु-काल में नाटकों के प्राचीन विषयों की पुनरावृत्ति ही नहीं हुई, अपितु कठिपय ऐसे नवीन विषयों को भी जन्म दिया गया जो भावी हिन्दी-नाटक कारो के लिए पथ-प्रदर्शक बन गये। इसमें संदेह नहीं कि कई कारणों से यह काल नाटक-रचना के लिए क्षणिक ही सिद्ध हुआ थी और आगले दस वर्षों में किसी महत्वपूर्ण नाटक की रचना नहीं हो सकी; फिर भी इसी काल ने प्रसाद-युग को जन्म दिया और यदि यह कहा जाय कि भारतेन्दु-काल में ही प्रसाद-युग का बीज विद्यमान था तो अस्युक्ति न होगी।

(३) संधि-काल का नाट्य-साहित्य (१९३५-१९४५) — भारतेन्दु-काल के अन्त से प्रसाद-काल के आरंभ तक का समय हिन्दी-नाट्य-साहित्य के इतिहास में संधि-काल माना जाता है। इसका आरंभ सन् १९३५ से होता है। भारतीय इतिहास में यह वर्ष वड़े महत्व का है। इसी वर्ष बंग-भग के प्रश्न ने सर्वदेशव्यापी आनंदोलन का रूप धारण किया जिसके फलस्वरूप राजनीतिक एवं साहित्यिक सेवों की विचार-धारा में आश्चर्यजनक परिवर्तन हो गया। इस परिवर्तन का हिन्दी के तत्कालीन नाट्य-साहित्य पर भी प्रभाव पड़ा और हम देखते हैं कि इन दस-वर्षाएँ वर्षों का नाट्य-साहित्य भारतेन्दु-काल के नाट्य-साहित्य से कई बातों में भिन्न हो गया। इसका प्रत्यक्ष प्रमाण भौतिक नाटकों में पीराणिक धारा के अस्तर्गत तो नहीं, पर ऐतिहासिक, प्रेम-प्रधान और समस्या-प्रधान नाटकों के वस्तु-विन्यास में अवश्य मिला। राम-धारा तथा कृष्ण-धारा में जो नाटक लिखे गये उनमें पीराणिक दृष्टिकोण को ही महत्व दिया गया। कला की दृष्टि से भी उनमें किसी प्रकार की उत्कृष्टता नहीं आ यकी। पीराणिक आख्यानों को लेकर जो नाटक रचे गये, उनमें महावीरचिंह-कृत 'नल-दमयंती', जयशंकर प्रसाद-कृत 'करुणालय' और बद्रीनाथ मह-कृत 'कुरुक्षेत्रदहन' को ही प्रधानता मिली। 'कुरुक्षेत्रदहन' ने हिन्दी के रूचान्तरित नाटकों में एक नये दिशा की दर्जना दी। ऐतिहासिक धारा के नाटकों में शालिग्राम-कृत 'कुरु-विक्रम'; विद्रावन लाल-कृत 'तीनापति-उदाल' और बद्रीनाथ मह-कृत 'चन्द्रगुप्त' और 'तुलसीदास' ही अधिक प्रसिद्ध हुए। इन नाटकों में ऐतिहासिक घटनाओं के साथ ऐतिहासिक धारावरण के चित्रण में लेखकों को भारतेन्दु-काल के लेखकों की अपेक्षा अधिक सफलता मिली। इसी प्रकार समस्या-प्रधान नाटकों में भाग्याजिक और राष्ट्रीय विचारों का ऐसा मुन्द्र समन्वय हुआ कि भारतेन्दु-काल में दोनों का जो पृथक् त्वरूप था वह नष्ट हो गया। इस धारा के नाटकों में मिश्रकन्युओं का 'नित्रोन्मीलन' ही विशेष रूप से चलेकर्नाय है। यह सन् १९४५ को रंचना है। इसमें लेखक-द्वय ने

यही सावधानी से अपने अदालती अनुभवों का चित्रण किया है। प्रहसनों में बद्रीनाथ मट्ट-कृष्ण 'चुंगी की उम्मेदवारी' अधिक प्रसिद्ध है।

उपर्युक्त मौलिक नाटकों के अतिरिक्त सस्कृत, आँगरेजी और चंगला के मौलिक नाटकों के भी हिन्दी में अनुवाद हुए। सत्यनारायण ने 'उत्तर रामचरित' का अनुवाद किया। यह अनुवाद हिन्दी में अत्यंत महत्वपूर्ण सिद्ध हुआ। इसके अतिरिक्त लाला चीताराम ने 'मृद्गुकटिक' और सदानन्द अवस्थी ने 'नामानन्द' का अनुवाद किया। शेक्सपियर के कई नाटकों के भी अनुवाद हुए। पर इन अनुवादों में उन्हें विशेष सकृतता नहीं मिली। इस प्रकार हम देखते हैं कि सन्धिकाल के नाट्य-साहित्य में भारतेन्दु-काल के नाट्य-साहित्य की अपेक्षा ऐसा परिवर्त्तन हुआ, जो आगे चलकर प्रशाद-युग को सफल एवं महत्वपूर्ण बनाने में लहायक हो गका।

(४) प्रसाद-काल का नाट्य-साहित्य (१९१६-१९४२) — प्रसाद का आविर्मांव हिन्दी-नाट्य-साहित्य में उस समय हुआ जब महायुद्ध की समाप्ति के पश्चात् देश में राजनीतिक परिस्थितियाँ अत्यन्त भीषण रूप धारण करती जा रही थीं और सार्वजनिक जीवन में असंतोष तथा निराशा घर करती जा रही थी। इस देश-व्यापी असंतोष और निराशा का साहित्य पर यी प्रभाव पड़ा। तत्कालीन साहित्यकारों ने बड़े मार्मिक शब्दों में आँगरेजी सरकार की नीति का विरोध किया और जनता की रुचि को अपनी रचनाओं का माध्यम बनाया। उस समय जो काव्य और नाटक लिखे गये उनमें राष्ट्र-प्रेम की भावना अपनी चरम सीमा पर पहुँच गयी। इस राष्ट्रीय चेतना के साथ-साथ सामाजिक चेतना को भी साहित्य में स्थान मिला। वैज्ञानिक आविष्कारों के कलस्वरूप शोषक और शोषितों के अन्तर्युद्ध को लेकर जो नवीन प्रश्न उठ गड़ा हुआ उसने साहित्य में प्रगतिवाद को जन्म दिया। छावाचाद और रहस्यवाद को भी उसी समय हिन्दी-साहित्य ने अपनाया। शेक्सपियर की नाट्य-कला और भावुकता की प्रतिक्रिया के रूप में पाश्चात्य नाट्य-साहित्य में

जिस नई कला और बुद्धिवादी विचार-शाय का जन्म हुआ उसने मां चत्कारीन हिन्दी-नाटककारों को प्रभावित किया। इस प्रकार प्रशाद-काल का नात्य-साहित्य कई धाराओं को लेकर हमारे सामने आया। इस प्रकार भारतेन्दु-काल में जिन नाटकीय प्रवृत्तियों का बोझारोन्न दुआ या वे संधि-काल में अंकुरित होकर प्रशाद-काल में कठिन नवीन प्रवृत्तियों, नवीन चेतनाओं और नवीन विचार-धाराओं के संरग्म में आकर पुष्टि और फलान् दु हुईं। इस संदेश में हमें यह स्थान रखना चाहिए कि इस युग में जिस नात्य-साहित्य की स्थाना हुईं उसका शरीर तो भारतीय या, पर उस शरीर के भीतर जो आत्मा थी वह पूर्वान्तर और पाश्चात्य नाटकीय परम्पराओं के समन्वय से बनी थी। कहने का तात्पर्य यह कि हिन्दी-नात्य-साहित्य के नाटककारों द्वा आरंभ में संतुलित नात्य-साहित्य से जो प्रेरणा मिली वह भारतेन्दु-काल में पाश्चात्य नात्य-कला से आधिक प्रभावित होकर प्रशाद-काल में एकदम परिवर्तित हो गयी। प्रशाद-काल के नाटकों पर शोक्तप्तियर की नाट्य-कला का दर्शन प्रभाव पड़ा है।

नाटक-रचना की दृष्टि से प्रशाद-काल में भारतेन्दु-कालीन सभी धाराओं को स्थान मिला। मीलिक नाटकों में दौराणिक धारा के अन्तर्गत बहुत कम नाटक लिखे गये। राम-शाय ने केवल दीर्घीन नाटकों की रचना हुई जो कला की दृष्टि से सकल नहीं हुए। कृष्ण-धारा ने विद्योगीहरि का 'द्विष्ठोगिर्णा' ही विदेष रूप से उल्लेख-नाम है। अन्य दौराणिक आख्यानों की सेहर जो नाटक लिखे गये उनमें मैथिलीशरण गुप्त वा 'विलोचना', कीर्तिक का 'मीष्म' तथा गोविन्दहर्षम पंत वा 'धरमाला' विदेष रूप से उल्लेखनाम है। इन नाटकों में पुष्टि न को नूतन दृष्टि से देखने की सफल चेष्टा की गयी है और पद्य-याकि हंत्कृत-नाटक-परंपरा का पालन किया गया है। ऐतिहासिक धारा के अन्तर्गत वेचन शर्मा उप्र का 'महात्मा ईसा'; प्रेमचन्द का 'बदला'; भीलन्द का 'प्रताप प्रतिद्वारा' उदयशंकर भट्ट का 'विद्यमानिल' तथा 'ठ

गोविन्ददास का 'हयं' की गणाना की जाती है। इन नाटकों में मी भूत को बत्तमान की दृष्टि से देखने का सफल प्रयास तथा देश-प्रेम का प्रभावोत्पादक चित्रण है। राष्ट्रीय धारा में प्रमचन्द का 'संग्राम' अत्यन्त उत्कृष्ट रचना है। समस्या-प्रधान नाटकों में लद्दमीनारायण मिथ का 'संन्यार्थी', 'रुद्रस का मंदिर' और 'मुक्ति का रहस्य' एक नई दिशा के सूचक हैं। इनमें लेखक का बुद्धिवादी दृष्टिकोण है और ऐसा लगता है कि प्रसाद के नाटकों की प्रतिक्रिया के रूप में इनका उदय हुआ है। इस समय की अन्य प्रेम प्रधान रचनाएँ उल्लेखनीय नहीं हैं। प्रहसनों में जे० पी० अंतिवास्तव-कृत 'दुमदार आदमी', 'उखट-फेर' तथा 'मरदानी औरत'; गोविन्दबल्लभ पंथ-कृत 'कंजूस की खोपड़ी', बेचन शर्मा उम्रन्कृत 'चार बेचारे' और सुदर्शन-कृत 'आनरेरी मजिस्ट्रेट' अधिक प्रसिद्ध हैं।

उपर्युक्त मौलिक नाटकों के अतिरिक्त प्रसाद-काल में संस्कृत-नाटकों के भी अनुवाद हुए हैं। सत्यनारायण ने भवभूति-कृत 'मालती-माघव' का, विजयानन्द त्रिपाठी ने कालिदास के 'मालत्रिकाग्निमित्र' का, और मैथिली-शरण गुप्त ने भास के 'स्वप्न वास्यदत्ता' का अनुवाद किया। इन अनुवादों का हिन्दा की तत्कालीन नाट्य-रचना पर प्रत्यक्ष प्रभाव नहीं पड़ा। अँगरेजी नाटकों में शेक्सपियर के 'ओथेलो' का अनुवाद हुआ। इसके साथ ही रुसी लेखक महात्मा टालस्टाय के तीन नाटकों के अनुवाद 'कलबार की करण्ट', 'अँधेरे में उजाला' और 'चिंदा लाई' के नाम से प्रकाशित हुए। इनका अनुवाद अँगरेजी से किया गया। अँगरेजी से ही जे० पी० अंतिवास्तव ने फ्रांसीसी नाटककार के कुछ प्रहसनों का अनुवाद किया। इन नाटकों को मौलिक नाटकों का अनुवाद न कहकर यदि उनका रूपान्तर कहा जाय तो अनुचित न होगा। अँगरेजी के प्रसिद्ध नाटककार जान गाल्सबर्डी-कृत 'स्ट्राइक, जस्टिस' और 'सिल्वर वाक्त' के अनुवाद क्रमशः 'हइताल', 'न्याय' और 'चार्दी की डिविया' के नाम से प्रकाशित हुए। बेलजियम के प्रसिद्ध कवि मारिस मेटर लिंक की दो छोटी नाटिकाओं का हिन्दी-अनुवाद पदुमलाल पुस्तकालय बख्शी ने किया।

इन अँगरेजी अनुवादों के साथ-साथ यैंगला के नाटकों का भी हिन्दी में अनुवाद हुआ और द्विजेन्द्रलाल शाय के अनूदित नाटकों को अधिक लोकप्रियता मिली। सन् १९१६ से सन् १९२५ तक उनके सभी नाटकों का हिन्दी में अनुवाद हो गया। उनके अनूदित नाटकों में से 'एरा-प्रताप', 'दुर्गादान', 'निवाहन्पतन', 'शाहजहाँ', 'नूरजहाँ', 'सीता', 'भीष्म' और 'चन्द्रगुम' आदि ने हिन्दी-भगत में धूम मचा दी। रवन्द बाबू तथा गिरीशचन्द्र शोप के भी कई नाटकों के अनुवाद हुए, पर उन्हें अधिक सफलता नहीं मिली। इन यैंगला नाटकों के अतिरिक्त गुड़-राती और मराठी नाटकों के भी अनुवाद लोक-प्रिय नहीं सके।

इस प्रकार हम देखते हैं कि नाटक-रचना को इटि से भारतेन्दु-युग की अपेक्षा प्रसाद-युग अधिक सफल रहा। भारतेन्दु अपने समय के नेता थे। नेता होने के नाते उन्होंने अपने व्यक्तित्व से अपने उम्मकालीन नाटककारों को सुमान रूप से प्रभावित किया था, पर प्रसाद अपने काल के नेता नहीं थे। वह अपने व्यक्तित्व से अपने समकालीन नाटककारों को प्रभावित नहीं कर सके। उनकी रचनाएँ उनकी व्यक्तिभूत साधना का परिणाम थीं। भारतेन्दु के व्यक्तित्व में लोक-साधना का पर्याप्त बल था। उनका साहित्य प्रचार का साहित्य था। हिन्दी में 'सब कुछ' दिलाने के लिए ही उस समय साहित्य के विभिन्न अंगों की भाँति, नाटकों का प्रचार एवं प्रसार हुआ था। प्रसाद-युग में यह बात नहीं थी। वैज्ञानिक आविष्कारों, चर्जनीतिक हलचलों और साहित्य की नीदन पाश्चात्य मान्यताओं ने प्रसाद-युग को जो बुद्धिकादी इटिकोण प्रदान किया उसने प्रत्येक साहित्यकार को स्वतंत्र रूप से सोचने और समझने की क्षमता प्रदान की। इसलिए प्रसाद अपने स्थान पर प्रसाद ही रहे। वह अपने आदर्शों के अनुयार सबको एक साय लेकर न चल सके।

(५) आधुनिक काल का नाट्य-साहित्य (१९३४...)-प्रसाद-युग के पाश्चात् ही सन् १९३४ से हिन्दी नाट्य-साहित्य के इतिहास में आधुनिक युग का आरम्भ हुआ। नाटकोंय प्रवृत्तियों की दौष्टि से यह युग

अभी अपने निर्माण-काल में है। इसका प्रथम उत्थान सन् १९३४ से भारतीय स्वतंत्रता की द्वितीय कांति सन् १९४२ तक माना जाता है। इन आठ-नवीं वर्षोंमें जो हिन्दी-नाट्य-साहित्य निर्मित हुआ उस पर तरहालीन राजनीतिक एवं साहित्यिक प्रवृत्तियों का पर्याप्त प्रभाव पड़ा। राजनीतिक दृष्टि से यदि देखा जाय तो यह समय भारतीय स्वतंत्रता-आनंदोलन के इतिहास में अत्यन्त निराशाजनक था। प्रशाद-युग में निराशा और असंतोष ने जन-जीवन में चेतना और स्फूर्ति भर दी थी, पर प्रस्तुत युग में सन् १९३३ के गांधी-इरविन समझौते तथा लन्दन की गोलमेज सम्मेलनों की विफलता के कारण देश में जो शिथिलता आ गयी थी उससे नाश्च-साहित्य को प्रेरणा नहीं मिली। उसे प्रेरणा मिली तत्त्वालोन विदेशी साहित्यिक बातावरण से। उस समय पाश्चात्य नाट्य-साहित्य में नीवन प्रयोग हो रहे थे। वैज्ञानिक आविष्कारों तथा मनोवैज्ञानिक अनुसंधानों के फलस्वरूप साहित्य में नवीन स्फूर्ति और चेतना आ रही था। फाइट के सिद्धान्तों की बड़ी धूम थी। आस्कर वाइल्ड, बर्जीनिया बुल्क, एच० जी० बेल्ट, गाल्सबर्दी आदि की रचनाओं से पाश्चात्य साहित्य सुखंपत्र हो रहा था। उसमें चित्रित प्रत्येक समस्या बुद्धिवाद और उपयोगितावाद की कमीटी पर कमी गयी थी। नाश्च-साहित्य में ऐनरिक इब्सन के रचनाओं की धूम थी। उन्होंने अपने नाटकों में भावुकता के स्थान पर बुद्धिवादी दृष्टिकोण से वर्तमान जीवन की समस्याओं का चित्र-रण किया था। इस प्रकार इन कलाकारों द्वारा पाश्चात्य साहित्य में एक नवीन युग का आरम्भ हुआ जिसने कालान्तर में हिन्दी-साहित्य को भी प्रभावित किया। यह प्रभाव प्रशाद-युग की अपेक्षा प्रस्तुत काल पर अधिक स्वयापक रूप में दिखायी दिया। सबसे पहले लाल्हमीनारायण मिश्र ने अपने समस्या-प्रधान नाटकों में इस प्रभाव को प्रदर्शित किया। उन्होंने नारी की समस्या को, तर्क और ज्ञान की तुला पर तीलकर, मुन-झाने की चेष्टा की और हिन्दी नाश्च-साहित्य में एक नये अध्याय की सुषिट की।

आधुनिक युग के प्रथम उत्थान-काल में पौराणिक धारा के अन्तर्गत कम नाटक लिखे गये। राम-धारा के अंतर्गत केवल चेठजी का 'कर्तव्य' (पूर्वार्द्ध) ही सफल रहा। इसी प्रकार कृष्ण-धारा के अंतर्गत उनके ही 'कर्तव्य' (उत्तरार्द्ध) को प्रधानता मिली। उदयशंकर भट्ट का 'राधा' भी इसी धारा की एक विशिष्टरचना है। अन्य पौराणिक आख्यानोंके आधार पर लिखे गये नाटकोंमें उदयशंकर भट्टकृत 'अंशा', 'सगर-विजय', 'मस्तगंधा' और 'विश्वामित्र' विशेषरूप से उल्लेखनीय हैं। कला की दृष्टि से उद्ग्रन्थी का 'गड़ा का बेटा' भी एक उत्कृष्ट रचना है। ऐतिहासिक नाटकोंमें उदयशंकर भट्टकृत 'दाहर या सिंघ-पतन', गोविन्द वल्लभ पंतकृत 'शजमुद्दुट' और 'अन्तःपुर का छिद्र'; उपेन्द्रनाथ घण्टकृत 'जय-पराजय'; हरिकृष्ण प्रेमकृत 'रद्दा-बन्धन', 'शिवा-साधना', 'प्रतिशोध', 'स्वप्न-भूमि', 'आहुति' और 'मदिर'; सेठजीकृत 'दुलीनता' और 'शयि-गुन' आदि अधिक प्रसिद्ध हैं। इस धारा के अधिकार पूर्ण नाटककार हरिकृष्ण प्रेमी है। प्रेम-प्रधान नाटकोंमें कमलाकान का 'प्रवासी' विशेषरूप से उल्लेखनीय है। सुभित्रानंदन पंत का 'ज्योत्सना' प्रतीकचारी-धारा के नाटकोंमें एक विशिष्ट रचना है। समस्या-प्रधान नाटकोंमें राधू-प्रेम की धारा या समन्य इस काल की एक विशेषता है। इस धारा के प्रमुख नाटककार हैं लद्दामानारायण मिश्र। 'रात्रोग', 'सिद्धूर की होली' और 'आर्धी रात' उनकी इस काल की समस्या-प्रधान रचनाएँ हैं। इनके अतिरिक्त उग्रकृत 'डिक्टेटर', 'चुम्बन' और 'आदाय', गोविन्द वल्लभ पंतकृत 'शंगूर की बेटी', बृन्दावन लालकूल 'धर्ते-धर्ती'; चेठजीकृत पिकास, 'सेवारथ' तथा 'प्रकाय'; उपेन्द्रनाथ अरुकृत 'त्वर्ग की भलता' और प्रेमीर्ज-कृत 'धारा' तथा 'वन्धन' का भी समस्या-प्रधान नाटकोंमें प्रमुख स्थान है।

इन नाटकोंके साथ-साथ एकांकियोंकी रचना भी इस युग की विशेषता है। प्रसाद-नुप ने कई एकांकियोंको जन्म दिया था और उनका अच्छा विसाध हुआ। भुवनेश्वर के ६ एकांकियोंका एक संग्रह

'कारवाँ' प्रकाशित हुआ। इसके बाद गणेशप्रसाद द्विवेदी-कृत 'सोहाग विन्दी', रामकुमार वर्मा-कृत 'गृध्वराज की आँखें', 'रेशमी याई' तथा चाषन्मित्रा; उदयशंकर भट्ट-कृत 'अभिनव एकाकी' तथा 'बींका हृदय'; सेठजी-कृत 'सप्तराश्म', 'पंचमूल', 'दो नाटक' तथा 'नवरत्न' और अश्क-कृत 'देवताओं की छाया में' विशेष रूप से उल्लेखनाय हैं। इन प्रकाशनों से एकाकियों की लोक-प्रियता बढ़ गयी और यह स्पष्ट हो गया कि उनके आगे नाटकों का भविष्य संदिग्ध एवं अधिकारमय है।

आधुनिक काल का द्वितीय उत्थान-काल सन् १९४२ की द्वितीय जन-कान्ति से आरम्भ होता है। यह काल एकाकी-चरचना की हापि से अत्यन्त महत्वपूर्ण है। नाटक के चेत्र में ऐतिहासिक और सामाजिक नाटकों की रचना विशेष रूप से हुई है। पीराणिक धारा में पृथ्वीनाम शर्मा का 'उमिला', लद्दमीनारायण मिश्र का 'नारद की बाणी', गोविंद घल्लम पंत का 'याति' और 'कर्तव्य', सेठ गोविंद दास का 'कर्ण' तथा चतुरसेन शास्त्री का 'राधाकृष्ण' विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं। सामाजिक नाटकों में सेठजी-कृत 'दुःख क्यों', 'महत्व किसे'; 'बड़ा पापा कौन'; अश्क का 'कैद'; 'मलक', तथा लद्दमीनारायण मिश्र का 'गुड़िया का घर' महत्वपूर्ण रचनाएँ हैं। स्वतन्त्रता प्राप्त होने पर कतिपय राष्ट्रीय मावना-प्रधान नाटक भी लिखे गये हैं। इछ दिशा में सेठजी का 'पाकिस्तान' तथा 'सिद्धान्त-स्वातन्त्र' विशेष महत्व के हैं। ऐतिहासिक नाटकों में प्रेमीजी का 'मित्र' 'विष-पान', 'बदार' तथा 'शपथ'; लद्दमीनारायण मिश्र का 'गदड़धर' 'बत्सराज' तथा 'दशाश्वमेध' बैनीषुरी का 'संघ मिश्र' और 'सिंहल-विजय'; बृन्दावनलाल वर्मा का 'पूर्व की ओर', 'बीरबल', 'झाँसी की रानी', 'कारभीर का काटा'; रामकुमार वर्मा का 'रिवाजी' और चतुरसेन शास्त्री का 'अजित सिंह' तथा 'राज-सिंह' आदि प्रमुख हैं। एकाकी के चेत्र में नाटककारों को इससे कहीं अधिक सफलता मिली है। इस दिशा में रामकुमार वर्मा की रचनाओं का महत्वपूर्ण स्थान है। 'भूषतारा', 'सप्त किरण', 'रजतराश्म' उनके एकाकी-

संग्रह हैं। उपेन्द्रनाथ अश्व के एकांकियों में 'चरखाहे' 'तुफान से पढ़ले' और 'देवताओं की छाया में' प्रसुत हैं। 'नाटक और नायक' में सत्यगुरु शरण अवस्थी के एकांकी संग्रहीत हैं। 'सगुन', 'जहाँदार शाह', 'लो भाइ पंचो लो', 'धीरे हाथ' आदि में वृन्दावनलाल बर्मा की एकांकी रचनाएँ हैं। वाल-साहित्य में भी अच्छे एकांकी लिखे गये हैं। रेडियो से भी प्रायः एकांकी प्रसारित होते रहते हैं। भिन्न-भिन्न पर्याजाओं में हिन्दी एकांकी को स्थान मिलने से नाटककारों का ध्यान विशेष रूप से इस ओर गया है।

उपर्युक्त मौलिक नाटकों के अतिरिक्त अन्य भाषाओं के नाटक भी अनूदित हुए हैं। इस दिया में कहैयालाल माणिकलाल मंशु की 'शम्वर कन्या' तथा 'भ्रुवत्वामिनी देवी' विशेष महत्वपूर्ण हैं। गुजराती नाट्य-साहित्य में इनका विशेष महत्व है। 'विरोधिनी' नाटक का भी यस्तूत ये हिन्दी में अनुवाद हुआ है।

हिन्दी-नाट्य-साहित्य का जो इतिहास अभी प्रस्तुत किया गया है

'उससे हिन्दी नाट्य-कला के विवास की स्पष्ट रेखाएँ दिन्दी-नाट्य-कला द्वारे सामने आ जाती हैं। इस यह बता चुके हैं कि का विवास भारतेन्दु के आविर्माव के पूर्व का समस्त नाट्य-साहित्य दो प्रकार का था—मौलिक और अनूदित।

इस यह भी बता चुके हैं कि मौलिक नाटकों की रचना में यस्तूत-नाट्य-प्रणाली का अनुकरण किया गया था। हिन्दी का पहला मौलिक नाटक है—आनन्द रघुनन्दन। यह सन् १७०० के लगभग की रचना है। इसकी भाषा ब्रजभाषा है और इसमें गद्य तथा एवं दोनों का सम्बोधन किया गया है। नाटकीय कला की दृष्टि से इस पर संस्कृत-नाट्य-प्रणाली का पूर्ण प्रभाव पड़ा है। वही मझलान्चरण, वही प्रस्तावना, वही श्रूक-विमाजन और वही दृश्य-परिवर्तन जो संस्कृत-नाट्य-कला की आधारभूत-परंपराएँ हैं, इसमें भी देखने को मिलती है। इनके साथ-साथ पात्रों के नामकरण पर 'प्रबोध-चन्द्रोदय' की प्रतीकारमक प्रणाली का स्पष्ट

प्रभाव है। समस्त नाटक में काव्यत्व की प्रधानता और अन्त में भरत-वाक्य की प्रतिष्ठा का भी यही तात्पर्य है कि नाटककार ने अपनी नाटक-रचना में सर्वत्र संस्कृत नाट्य-परम्परा का पालन किया है। अनेक यह निर्दिशों कहा जा सकता है कि हिन्दी-नाटकों ने अपने प्रारम्भिक युग में सर्वप्रथम संस्कृत-नाट्य-परम्परा से ही प्रेरणा-ग्रहण की और धार्मिक आख्यानों के आधार पर प्रबंध-काव्यों की काव्य-प्रधान संवाद शैली को अपनाकर अपना विकास किया। इसे हम हिन्दी-नाट्य-कला के विकास का प्रथम युग कह सकते हैं।

हिन्दी-नाट्य-कला के विकास का द्वितीय युग भारतेन्दु-काज से आरम्भ होकर प्रसाद-युग के आविर्माव पर समाप्त होता है। इस युग की गति इतनी तीव्र और उभयत है कि हमें उसके निर्माण पर आश्चर्य होता है। इसके दो कारण हैं—एक तो भारतेन्दु का व्यक्तित्व और दूसरा युग की माँग। जिस युग में भारतेन्दु ने जन्म लिया उस युग में भारत अपनी प्रगाढ़ निद्रा त्यागकर औँगड़ाई ले रहा था। इस औँगड़ाई को दूर करके भारत के आलत्य ग्रस्त शरीर में नवीन चेतना और स्फूर्ति का संचार करना भमाज-सुधारकों, धार्मिक उपदेशकों, राजनीतिक नेताओं और साहित्यकारों का काम था। हुआ भी यही। राजा राममोहन राय, स्वामी दयानन्द, भारतेन्दु हरिचन्द्र प्रभृत महानात्मा और ने एक-एक कार्य-भार अपने कन्धों पर उठा लिया और उसकी सफलता में अपना सर्वस्व समर्पण कर दिया। ऐसे चेतना-सम्बन्ध युग में हिन्दी-साहित्य के विभिन्न शांगों के साथ-साथ उसके नाट्य-साहित्य को भी पर्याप्त बज मिला। साहित्यिक दृष्टि के उस समय बहुला-साहित्य के माध्यम से शेषसंपियर के नाटकीय सिद्धान्तों का प्रचार बढ़ रहा था। ऐसी दशा में हिन्दी-नाट्य-साहित्य पर भी उसका प्रभाव पड़ा। फलतः पूर्व भारतेन्दु-काल में हमें जो संस्कृत नाट्य-परम्परा मिली थी उसे बड़ा धक्का लगा। शेषसंपियर की भावुकता और यथार्थवादिता ने संस्कृत-नाटककारों की बुद्धिवादिता तथा आदर्शवादिता पर ऐसा जादू डाला कि हिन्दी के नाटक-

कार उसके ताल्कालिक आकर्षण का लोभ संवरण न कर सके। भारतेन्दु ने अपने नाटकों में संस्कृत-नाट्य-परंपराओं की यथार्थि बहुत रक्षा की थी, पर वह भी पारचात्य नाटकों की कला के प्रमाण से अपनी लेखनी को न दबा सके। अपनी मौलिक रचनाओं में उन्होंने प्रधानता तो दी संस्कृत-परंपरा को, पर उसके बाय ही पारचात्य नाट्य-परंपरा ज्ञा भी पालन किया। एक प्रकार से यही भारतेन्दु-काल की नाटक-शैली बन गई और कालान्तर में इसी शैली का विकास हुआ। हिन्दी-नाटकों में नान्दीपाठ, सूधधार की प्रत्तावन, कवि-परिचय, स्वगत-कथन, आकाश-मापित, नेपथ्य, भरतवाक्य आदि की कोई आवश्यकता ही नहीं रह गयी।

नाटकीय तत्वों की दृष्टि से भारतेन्दु-कालीन हिन्दी-नाटकों में कथा-वस्तु का अच्छा विकास हुआ। भारतेन्दु-काल के पूर्व वह पौराणिक कथाओं तक ही सीमित था। भारतेन्दु-युग में उसका चैत्र अपेक्षा-कृत अधिक विस्तृत हो गया। पुराण के अतिरिक्त इतिहास, समाज और राजनीति से भी उसका गठबंधन हो गया। इन नृत्न तथा पुरातन विषयों को कथा-वस्तु के रूप में सँजोकर उसे अको तथा दृश्यों में विभाजित करने की भी प्रणाली चल पड़ी और संकलन-वय का भी प्रयोग होने लगा। विषय और वस्तु-परिवर्तन की भाँति ही पात्रों का रूप भी बदला। उनका चैत्र पद्धते की अपेक्षा अधिक विस्तृत हो गया। संस्कृत के नाटक आदर्शवादी होते थे। अतएव उनके प्रात्र वही हो सकते थे जो किसी आदर्श की स्थापना एवं रक्षा कर सकें। आरंभ में हिन्दी-नाटकों के पात्रों का चयन इसी दृष्टि से होता था, पर जब भारतेन्दु-युग ने आदर्श पात्रों के साप-साप यथार्थ जीवन के चैत्र से भी पात्रों का चयन आरंभ किया तब नायक-नायिका के लिए कोई प्रतिक्रिया ही नहीं रह गया। ऐसी परिस्थिति में कुलीनता और चरित्र की उल्लटता की दृष्टि से नहीं; अपितु चरित्र के विकास के लिए जीवन के वास्तविक चैत्र से पात्रों का चयन होने लगा। इससे चरित्र-चित्रण को हिन्दी नाटकों में प्रधानता मिल गई। यानव अपनी स्वाभाविक परिस्थितियों

में अपने चरित्र का विकास किस प्रकार करता है; अपने संघर्षपूर्ण जीवन में वह कहाँ सफल और कहाँ विफल होता है, अपने दैनिक जीवन में वह किन-किन धातो-प्रतिधातों को सहन श्रथवा उनको उपेक्षा करता है; वह कहाँ उठता, कहाँ गिरता और कहाँ दीड़ता है आदि वार्तों का मानव के चरित्र से जो संबंध है चरित्र-चित्रण द्वाया उसी संबंध पर निर्भूत तत्कालीन नाटककारों का धीरे-धीरे लक्ष्य बन गया। इस प्रकार के चरित्र-चित्रण में एक दोष अवश्य आ गया और वह था नाटककार का पात्रों के चरित्र के साथ अपने व्यक्तित्व का समन्वय। इस दोष ने कथोपकथन में बड़ी वापाएँ उपस्थित की। नाटककारों की उपदेशात्मक प्रवृत्ति के फलस्वरूप लम्बे-चाँडे भाषणों की घोजना ने नाटक के इस सत्त्व को जो धर्मका पहुँचाया उससे नाटक का नाटकज्ञ ही नष्ट हो गया। एक बात और हुई। भारतेन्दु के अतिरिक्त अन्य नाटककारों ने अपने नाटकों में अवसर और पात्र के अनुकूल न तो सुरचिपूर्ण हिन्दी-गीतों का समावेश किया और न वृत्त का विधान। इस प्रकार हम देखते हैं कि भारतेन्दु-काल में हिन्दी का नाट्य-साहित्य संस्कृत परम्परा से बहुत कुछ हटकर पाश्चात्य नाट्य-कला के प्रभावान्तर्गत आ गया।

भारतेन्दु-काल से प्राच्य और पाश्चात्य परंपराओं द्वारा समन्वित जो नाटकीय सिद्धान्त हमें प्राप्त हुए, प्रसाद-युग में उनका पूर्णतः विकास हुआ और इसी युग से हिन्दी-नाट्य-कला के तृतीय युग का आरंभ माना गया। इस युग में भारतेन्दु-कालीन बहुतसे दोषों का परिहार हो गया और नाटकीय विधान में बहुमुखी मौलिकता दिखायी देने लगी। प्रस्तावना और वर्जित विषय दिखानेवाले गर्भाक्षी, प्रवेशकों और विष्कंभकों आदि के स्थान पर आवश्यकनानुसार दृश्यों का आयोजन किया गया। साथ ही रंगमचोय तथा साहित्यिक नाटकों में समन्वय स्थापित करने की चेष्टा की गयी। प्रसाद-काल के पूर्व हिन्दी में जो नाटक लिखे जाते थे वे अधिकारा रंग-मच के अनुभ्युक्त हीते थे। प्रसाद-काल में इस दोष का यथाशक्ति परिहार किया गया। कथा-बस्तु में भी कई

नवीन प्रयोग हुए। पौराणिक नाटकों में अबतक रामकृष्ण आदि को देवता के रूप में चित्रित करने की परम्परा थी। प्रसाद-युग ने उन्हें अधिकांश मानव के रूप में प्रतिष्ठित किया गया। इसी प्रकार ऐतिहासिक घटनाओं की कथा-वस्तु में भी नूतनता दिखायी दी। ऐतिहासिक घटनाओं के साथ ऐतिहासिक वातावरण के निर्भार की कला से भारतेन्दु वालीन नाटककार परिचित नहीं थे। इस दिशा में सर्वप्रथम प्रसादजी ने ही नेट्रन किया। इसके साथ ही उन्होंने अपने ऐतिहासिक नाटकों की कथा-वस्तु में प्रभासित ऐतिहासिक सामग्री का सम्बन्धित किया। इससे भावी नाटककारों को इतिहास की अछूती और संकोर्ह गतियों में भ्रमण करके अपने नाटकों के लिए रोचक और सम्भानुदृत छान्तों खोजने में विशेष प्रोत्साहन मिला। सामाजिक नाटकों की कथा-वस्तु में भी विशेष परिवर्तन हुआ। अबतक प्रत्येक सामाजिक एवं राष्ट्रीय समस्या का रूप पृथक्-पृथक् था। प्रसाद-युग में इन दोनों सामाजिक समस्याओं में समन्वय स्पसित करके उन्हें एक रूपता प्रदान की गई। सामाजिक एवं राष्ट्रीय चेतना के प्रभाव से इस युग में हिन्दू-उत्तरियन एकता, बाल-विवाह, नारी-समस्या, जाति-समस्या, दिवाह-सन्तान, आर्थिक समस्या आदि अनेक समस्याओं ने जन्म लिया और उन सब का एकीकरण हिन्दौनाटकों में किया गया। इन समस्याओं के साथ-साथ लक्ष्मीनारायण मिथ्र व्यक्ति की समस्या लेकर सर्वप्रथम हिन्दों के रंग-भन्न पर आये। भारतेन्दु-आल में नाटककार विरोधी परिस्थितियों के चित्रण तथा उपदेशाप्रद दृश्यों द्वारा समाज में नुकार की योजना प्रस्तुत करना चाहते थे। मिथ्री ने उन दोनों को हठाकर उनके स्थान पर उक्के और बुद्धि की प्रतिष्ठापित किया। वह समस्या को गहराई तक उत्तरे और वहों से उन्होंने उनके कारण और उनके निवारण का पता लगाया। इस प्रकार इस युग ने हमें दो नाटकीय धाराएँ देखने की मिली—एक तो मायुकरा-प्रधान रूप जो वर्क्टीन रथा औंगरेजी नाटककार शोक्टरियर की शैली से प्रभावित था, और दूसरा

तर्कपूण्ड बुद्धिमादी रूप जिस पर दृश्यसेन का प्रभाव था। इस प्रकार हम देखते हैं कि वर्तमान काल में हिन्दी-नाटकों को सर्वतोन्मुखी विभास का अवसर मिला। देश-प्रेम की समस्या; युग-युग से दबी हुई नारी की समस्या तथा इन्हीं से सर्वथित अन्य ऐसी समस्याएँ नाटक का विषय यन गर्या जिनके कारण उनकी लोक-प्रियता प्रमाणित हो गयी।

हिन्दी-नाटकों का आधुनिक काल प्रसाद-कालीन नाट्य परंपराओं से ही अधिकांश प्रमाणित है। रसी नाटकवारों की आधिक समस्या-प्रधान-रचनाओं एवं प्रगतिवादी धाराओं का भी हिन्दी-नाटकों पर प्रभाव पड़ रहा है। नाटकीय-विधान में गीत आदि वी अनावश्यकता समझी जा रही है और अंक तथा दृश्य-विधान में भी नवीन प्रयोग हो रहे हैं। इन नवीन प्रयोगों को मधिष्य में कहीं तक सफलता मिलेगी, यह अभी नहीं कहा जा सकता।

## हिन्दी-नाट्य कला का शास्त्रीय विवेचन

दिष्टते अध्याय में हिन्दी-नाट्यकला के विकास के सम्बन्ध में हमने जो कुछ कहा है, उससे हमें हिन्दी-नाटकों के विषयों का अच्छा परिचय मिल जाता है। यद्य हम यहाँ उसी के सम्बन्ध में पृष्ठक् स्तर से विचार करेंगे। प्राचीन नाटकों के अध्ययन से हम यह जान सकते हैं कि सत्कालीन युग में पात्र और रस की दृष्टि से केवल पौराणिक कथाओं का चरन थोड़ा था। इस प्रकार उस समय नाटकीय विषयों का दैव अल्पता सीमित और संदृचित था। आज यह बात नहीं है। आधुनिक नाटक संस्कृत के आशेषकादी घेरे से निकलकर जीवन के व्यायेवादी दैव में आ गये हैं। इसलिए उनके लेखकों के सामने एक नहीं, अनेक विषय हैं। सबसे पहले पौराणिक विषय को ही लीजिए। इस विषय के अन्तर्गत तीन प्रकार के आख्यानों का महत्त्व है:—(१) यम उम्मन्दी आख्यान, (२) कृष्ण उम्मन्दी आख्यान तथा (३) अन्य पौराणिक चरित्र-संबंधी आख्यान। प्राचीन हिन्दी-नाटकों में इन पौराणिक चरित्रों को प्रायः देवता के रूप में चित्रित किया गया है; परन्तु आधुनिक नाटकों में उन्हें नुस्खतः मानव का रूप मिला है और उनके चरित्र का स्वामार्दिक विकास दिखाया गया है। इस प्रकार उनके जीवन का व्याय चित्रण ही आधुनिक नाटककारों का घेय है।

पुराण के प्रत्यात् इतिहास दी आधुनिक नाटकों का विषय हो सकता है। इतिहास में ही देश के प्राचीन गौरव की कहानी स्वर्णोक्ति रहती है। ऐसी दशा में ऐतिहासिक विषय-चयन में नाटककार का भुख्य

स्थेय दर्शकों के हृदय में भूतकालीन गीरव तथा उत्कर्ष के प्रति गर्व की मायना का उद्देश्य एवं प्रसार करना रहता है। इस दृष्टि से हमारे इतिहास से हिन्दी-नाटककारों को प्रचुर सामग्री मिल सकती है। चन्द्र-गुप्त, अशोक, राणाप्रताप, शिवाजी, लक्ष्मीवाई, दुर्गात्रिती, अहल्याबाई, मीरा, गुब गोविन्दसिंह, महात्मा गांधी आदि आदर्श वीरों की कथाएँ हमारे लिए सदैव पथ-प्रदर्शक रही हैं और जबतक हमारा इतिहास रहेगा तबतक हमें उनमें प्रेरणा और सूर्ति मिलती रहेगी। इन वीरों की कथाओं के अतिरिक्त उन ऐतिहासिक घटनाओं, क्रातियों एवं राष्ट्रीय आनंदोलनों को भी नाटकीय कथानक का रूप दिया जा सकता है जिनका हमारे इतिहास में अमर स्थान है।

आधुनिक नाटकों में हमारी सामाजिक समस्याओं को भी स्थान दिया जा सकता है। पुराण और इतिहास की अपेक्षा यह अत्यंत व्यापक और वर्तमान जीवन से सम्बन्धित विषय है। इसके अन्तर्गत सामाजिक आचार-विचार, रीति-रिवाज, रहन-सहन के साथ बाल-विवाह, बहु-विवाह, वृद्ध-विवाह, मध्यान, वेश्या-नृति आदि अन्य कुरीतियों को नाटकीय विषय का रूप दिया जा सकता है और उनके द्वारा सुधार की योजना प्रस्तावित, प्रचारित एवं प्रसारित की जा सकती है। इस प्रकार के विषयों के नाटकों में प्रहरन का प्रमुख स्थान है। इस्त्य मामाजिक कुरीतियों का अत्यन्त सफल और सच्चा सुधारक है। उसके द्वारा जो कार्य वर्षों में नहीं हो पाता वह एक ज्ञान में हो जाता है। अन्य सामाजिक विषयों में कौटुम्बिक जीवन की समस्या, पुरुष और नारी का प्रेम, जाति-रक्ता की समस्या, नारी की समस्या, पूँजीपति और अमजीवी की समस्या, विवाह की समस्या, महाजन और कर्जदार की समस्या आदि का प्रमुख स्थान है। इन समस्याओं को नाटकीय रूप देकर उनकी गुरुत्वी सुलभानेवाले नाटक हिन्दी में 'समस्या-प्रधान नाटक' कहलाते हैं। इन नाटकों का मुख्य उद्देश्य जनता और समाज के समूख इन समस्याओं की विषमताओं तथा तत्सम्बन्धी सामाजिक इनिलांभ

का लेखा-जोखा प्रस्तुत कर उसे उनका हल सोबने के लिए बाह्य करना है। इंधर हिन्दी में इन समस्याओं को लेकर कहे सफल नाटक लिखे गये हैं और धारे-धीरे उनका प्रचार बढ़ता जा रहा है।

राजनीति भी आधुनिक नाटकों का महत्वपूर्ण विषय हो सकता है। यद्यपि इह विषय से सम्बन्धित गमत्वाएँ सामाजिक समस्याओं के अन्तर्गत आसानी से रखी जा सकती हैं, तथापि कई दृष्टियों से इनका पृथक ही महत्व है। घरमान राजनीति में कई 'वाद' चल रहे हैं और उनका सर्वव प्रचार किया जा रहा है। इस प्रकार के प्रचार-वार्य में नाटक का योग सर्वोपरि है। पूँजीवाद के विश्व सम्बद्धादी आदर्शों का, वानायाही के विश्व जनतंत्र के आदर्शों का, सामाजिकवाद के विश्व गार्थीवादी आदर्शों का, हिसा के विश्व श्रहिंवा का तथा इसी प्रकार के अन्य राजनीतिक सिद्धांतों का प्रचार रंग-मंच से बड़ी सफलतापूर्वक किया जा सकता है। इन विषयों से सम्बन्धित नाटकों में नाटकज्ञारों द्वारा इनके अपने राजनीतिक भिदान्तों के प्रचार में जनता का सहयोग प्राप्त करना होता है। वे अपने नाटकों में निष्पक्ष मात्र से अपने व्यक्तित्व को पृथक् रखकर पिरोधी राजनीतिक वादों का खटन करते हैं और उनके प्रति लोगों को सचेत करते हैं। ऐसी दशा में दृष्टि अपने नाटकीय-विद्यान में बड़ी सरकंता से काम लेना पड़ता है।

दार्शनिक सिद्धांत भी नाटक के विषय बनाये जा सकते हैं और उनका खंडन-भंडन रंग-मंच से किया जा सकता है। जीवन और जंगत् के दीच जो अनेकानेक मतभतांतर चल रहे हैं ऐसे किधान-किसी दार्शनिक सिद्धांत पर आधित होते हैं और उनमें से किसीन्नर्हसी से नाटककार का विशेष सम्बन्ध रहता है। अतएव जब नाटककार उन दार्शनिक भिदातों को अपनी रचना का विषय बनाता है तब दार्शनिक नाटकों का आविर्भाव होता है। दार्शनिक नाटकों में आस्तिकवाद, विज्ञासवाद, अनीश्वरवाद, भक्तिवाद, अवलारवाद, दैतवाद, अद्वैतवाद, यग्यार्थवाद, गतिवाद, कलावाद, मनोविज्ञान आदि की व्याख्या उखल भापा और

शीली में की जाती है। इस प्रकार के नाटकों का उद्देश्य जनता में शार्मिक अथवा साहित्यिक भावना का प्रचार कर मन विशेष के प्रति उसका ध्यान आकृष्ट करना होता है।

मानवीय भाव में नाटक के विषय बनाये जाते हैं। प्रेम, ममता, चीरता, क्रोध, कायरता, निर्दयता, लोप आदि ऐसे भाव हैं जो आदि काल से मानव-चरित्र में निहित हैं। रंगभूमि से इन भावों का प्रदर्शन देखकर मानव अपने आपको पहचानता है और फिर अपने हृदय में उद्गुणों की प्रतिष्ठा करता है। जो नाटक इन भाव-समूहों के आधार पर लिखे जाते हैं उनकी शीली अविकाश प्रतीकात्मक होती है। इस शीली के अन्तर्गत नाटक के विषय को दो भागों में विभाजित कर लेते हैं; जिनमें से पहले भाग के प्रतिनिधि एक विशेष भाव-समूह होते हैं और दूसरे भाग के प्रतिनिधि उसके प्रतिकूल भाव-समूह। इस प्रकार दोनों परस्पर विरोधी भाव-समूहों में वाय द्वन्द्व स्थापित किया जाता है और अन्त में एड़ की विजय घोषित की जाती है। अन्तर्द्वन्द्व इससे भिन्न होता है। दो परस्पर विरोधी भावों का यह एक ही पात्र में प्रारोप किया जाता है तथा नाटक में अन्तर्द्वन्द्व की स्थापना होती है। शेषसंप्रियर तथा प्रसादजी के नाटकीय पत्रों में अन्तर्द्वन्द्व अधिक भिलता है।

इस प्रकार हम देखते हैं कि मानव-जीवन से सम्बन्ध रखनेवाले सभी विषय नाटक के विषय बन सकते हैं। मनुष्य की पारिवारिक जीवन की उल्लम्भ, उसकी सामाजिक जीवन की समस्याएँ, उसकी शार्मिक एवं राजनीतिक जीवन की जटिलताएँ, उसके मानसिक तथा आध्यात्मिक जगत् के विषम द्वन्द्व—सब पर कभी एक साथ और कभी पृथक रूप से नाटककारों ने नाटक लिखे हैं और वे अपनी रचनाओं में सफल हुए हैं। जिस प्रकार नाटकीय कला में समस्त कलाओं का समन्वय है, उसी प्रकार नाटक के समस्त विषयों में जीवन के सम्बल विषयों का सफलतापूर्वक समन्वय हो सकता है। हमें यह न भूलना चाहिए कि इमारा जीवन एक महान नाटक है और यह विश्व ही उसका रंगभूमि है।

अब आधुनिक हिन्दी-नाटक के भेदों पर विचार कीजिए। विषय, उद्देश्य और शीली के अनुसार हिन्दी-नाटक शास्त्रियों नाटकों के ने उन्हें कई भेदों में विभाजित किया है। विषय की भेद दृष्टि से उनके पौराणिक, ऐतिहासिक, सामाजिक, राजनीतिक, दार्शनिक, धार्मिक, नैतिक, प्रतीकात्मक आदि कई भेद हो सकते हैं। इन नाटकों के विषय और उनके उद्देश्य के सम्बन्ध में हम अभी विचार कर चुके हैं। पारचात्य परंपरा के अनुसार विषय के प्रभाव की दृष्टि से नाटकों के अट्टगारात्मक, दुखात्मक, हास्यजनक, उपदेशात्मक, सुखात्मक आदि कई भेद होते हैं। प्रदर्शन-विधि के अनुसार भी नाटक कई प्रकार के होते हैं। द्वायानाटक, मूकाभिनय नाटक, गीतिनाट्य, नृत्यनाट्य, शृङ्खला नाटक आदि इसी के अन्तर्गत आते हैं। रचना की दृष्टि से एकोंकी और अनेकोंकी नाटक होते हैं।

उद्देश्य की दृष्टि से आधुनिक हिन्दी-नाटक के तीन भेद हो सकते हैं :— (१) सांस्कृतिक (२) नैतिक और (३) समस्या-प्रधान। सांस्कृतिक नाटकों से हमारा वात्सर्य उन नाटकों से है जिनमें सर्वव्य संस्कृति का चित्रण किया जाता है। इस दृष्टि से प्रसाद और गेड गोविन्ददास के नाटक अपने उद्देश्य में अत्यन्त सफल हैं। उनके नाटकों का आधार समूद्र आर्यभारत का जीवन है। मारतीय संस्कृति का मूलमंत्र है सेपा और प्रेम-द्वारा चिर सुख-शान्ति की स्थापना। सेठजी और प्रलादजी ने मारतीय संस्कृति का दस्ती प्रेणा को अपने नाटकों में अद्दण किया है। नैतिक नाटकों का मूलमंत्र है भावुकतापूर्ण आदर्शचाद। इनके अन्तर्गत उन नाटकों का समावेश होता है जिनमें कर्तव्य की माँग के आधार पर किसी नीति की स्थापना की जाती है। इस प्रकार के नाटक दो रूपों में मिलते हैं :— (१) पौराणिक और (२) राष्ट्रीय। पौराणिक नैतिक चेतना-संवर्पी-नाटकों की आधारभूत कथा पौराणिक होती है और उनका उद्देश्य होता है अनीति पर नीति की विजय घोषित करना तथा

प्राचीन गीरथ के प्रति पाठक अथवा दर्शक के हृदय में लालसा उत्पन्न करना। पं० उदयशुक्र भट्ट का 'सगरन्विजय' इसी प्रकार का नाटक है। राष्ट्रीय नैतिक चेतना संबंधी नाटकों की आधारभूत कथा ऐतिहासिक होनी है और उनका उद्देश्य होता है भारत के प्राचीन वीरों वा गीरथ-गान करते हुए उनकी संकीर्णता, पारस्पारिक कलह आदि का दृष्टिरिशाम दिखाकर देश-वासियों में उदास भावनाएँ जागरित करना। इरिकृष्ण प्रेमी का 'रचा-यम्बन' इसी प्रकार का नाटक है।

समस्या-प्रधान नाटक वीदिक चेतना के प्रमाण हैं। इनका जन्म भावकला और रोमांस के त्रिरोध में हुआ है। इनकी शैली मनोविश्लेषण की शैला है। इनके दो रूप हैं:—(१) व्यक्ति की समस्या और (२) सामाजिक-राजनीतिक समस्या। व्यक्ति और समाज के पारस्परिक संबंध के फलस्वरूप जो अनेक समस्याएँ जन्म लेती हैं उनमें 'सेक्स' की समस्या सब से अधिक महत्वपूर्ण होती है। इसका सीधा सम्बन्ध है विवाह की संस्या से। हिन्दू-सुसाज में विवाह-न्यूनस्था, आवश्यकता से अधिक, रुद्धिवद्ध हो गयी है जिसके के कारण अनेक विषमताएँ उपस्थित हो गयी हैं। इन विषमताओं को 'सेक्स' सम्बन्धी पाश्चात्य विचार-धारा से भी प्रोत्साहन मिला है। साथ ही आधुनिक मारी की अर्धीन समस्या भी सामने आयी है। ऐसी दशा में हिन्दी वे नाटककारों ने अपनी वीदिक दृष्टि से इन समस्याओं को सुलझाने का प्रयत्न किया है। पं० लक्ष्मी-नारायण मिश्र का 'मुक्ति का रहस्य' इसी प्रकार का समस्या-नाटक है। सामाजिक-राजनीतिक समस्या-नाटक इससे भिन्न होता है। इस प्रकार के नाटकों का सीधा सम्बन्ध गांधीवाद के व्यवहार-पद्धति से है। इनकी समस्या हमारी राजनीति और समाज नीति की ऊपरी सतह को ही छूती है। इनमें न तो जीवन के गहन तत्त्वों की व्याख्या होती है और न उनका यद्यपि विश्लेषण। इनका आधार है व्यावहारिक आदर्शवाद जो जीवन के नैतिक विधान की अपेक्षा करता है। सेठ गोविन्ददास का 'सेवा-पथ' इसी प्रकार का नाटक है।

शैली के अनुसार भी नाटक के भेद किये जा सकते हैं। इसके अन्तर्गत नाटक मुख्यतः आठ प्रकार के होते हैं:—(१) वस्तु-प्रधान, (२) चरित्र-प्रधान, (३) व्यापार-प्रधान, (४) संवाद-प्रधाना (५) उद्देश्य-प्रधान, (६) प्रतीक-प्रधान, (७) भावनात्म और (८) गीतिनाट्य। वस्तु-प्रधान नाटकों में घटना प्रधान होती है और चरित्र-चित्रण गौण रहता है। हाँकूण्णे प्रेमा का 'रक्षा-वन्धन' इसी प्रकार का नाटक है। चरित्र-प्रधान नाटक में चरित्र-चित्रण को मुख्य और घटनाओं को गीण स्थान मिलता है। इस प्रकार के नाटक चारित्रिक द्रन्द को लेकर चलते हैं और इनकी सबसे बड़ी सफलता चरित्र-निर्माण पर ही आधारित रहती है। लक्ष्मीनारायण मिथ का 'मुक्ति का रहस्य' इसी प्रकार का नाटक है। व्यापार-प्रधान नाटक में घटनाओं और कियाओं का अधिक समावेश रहता है, संवाद का अश्य कम रहता है और कियाओं के फल-स्वरूप कोई त्वाभाविक तथा शानिदार्य फल प्राप्त होता है। अँगरेजी में ऐसे नाटकों को 'ऐक्यनस्ट्रे' कहते हैं। संवाद-प्रधान नाटकों में अधिकार्य नाटकीय व्यापार संवाद-द्वारा सिद्ध होता है और भाषा-शैली पर अधिक बल दिया जाता है। उद्देश्य-प्रधान नाटक में किसी विषेष उद्देश्य का प्रतिपादन होता है। तेठ गोविन्ददास का 'भू-दान-वृष्णि' इसी प्रकार का नाटक है। प्रतीक-प्रधान नाटक को नाट्य रूपक भी कहते हैं। ऐसे नाटकों में भावनाओं अभिवा सिद्धान्तों को मूर्च्छ रूप में चित्रित किया जाता है। इनके दो रूप मिलते हैं—एक में तो मनुष्य की अन्तर्वृचिर्या मूर्च्छ रूप धारण करके हमारे सामने आती है और दूसरे में पात्र वाधारण की-पुष्प द्वारा द्वारा होते हैं, परन्तु उनका स्वतंत्र व्यक्तित्व नहीं होता। वे भावनाओं के प्रतीक मात्र होते हैं। दिनदो ने सुमित्रानन्दन पंच-कृत 'ज्योत्सना' पढ़ाए और प्रसादजीकृत 'कामना' दूसरे प्रकार के नाट्य रूपक हैं। गीति नाट्य से तात्पर्य उन नाटकों ने है जो पद्य-नद द्वारे हैं और जिनमें कार्य की अपेक्षा भाव और वाक्य संघर्ष की अपेक्षा आन्तरिक संघर्ष का प्रबलत्य रहता है। मन, खी, एक भावना का दूसरी

## हिन्दी-नाट्य कला का शास्त्रीय विवेचन

भावना के विरुद्ध संघर्ष ही गीतिनाट्य की विशेषता है। गीतिनाट्य नाट्य-कविता भी नहीं है। नाट्य-कविता में नाट्य-तत्त्व रहते अवश्य हैं, पर उनका आस्थादन पढ़कर ही लिया जा सकता है अर्यात् वे आधिनेय नहीं हैं। गीतिनाट्य अभिनेय है। नाट्य-कविता में नाट्य-तत्त्व गौण होता है और गीतिनाट्य में यह मुख्य होता है। गीतिनाट्य और भावनाट्य में अन्तर है। दानों का प्राण-तत्त्व है भावना—मन का संघर्ष, पर गीतिनाट्य का माध्यम है कविता और भावनाट्य का माध्यम है गदा। गोविन्दबल्लभ पंत का 'वरमाला' भावनाट्य और प्रसादजी का 'करुणालय' गीतिनाट्य है।

उपर्युक्त पंक्तियों में हम सुखान्त और दुखान्त नाटकों के सम्बन्ध

में संकेत कर चुके हैं। यहाँ हम उन पर पृथक् रूप से सुखान्त और दुखान्त नाटक का अन्त चिर वियोग में होता है। इसालिए कुछ

नाटककारों ने उसे वियोगान्त अथवा बासद मी कहा है। वियोगान्त नाटक हमारी संस्कृति और सम्यता के अनुकूल नहीं है। लोकोत्तर आनन्द की प्राप्ति ही हमारे समस्त प्रकार के साहित्य का लक्ष्य रहा है। इस लक्ष्य-सिद्धि में जो तत्त्व बाधक होते अथवा हो सकते हैं उनका त्वाग, हमारे साहित्य-मनोविद्योंने, बड़ी सावधानी से किया है। नाटक के सम्बन्ध में तो ऐसे तत्त्वों पर विशेष रूप से दृष्टि रखनी पड़ती है, क्योंकि वह हमारी प्रत्येक इन्द्रिय को प्रभावित करता है। ऐसी दशा में जो शिद्धाचार के विरुद्ध है, जो हमारी सुखचि के प्रतिकूल है, जिसे दिखाना अथवा व्यवहार में लाना नैतिक दृष्टि से लज्जाजनक है, जो हमारे नैतिक जीवन पर बुरा प्रभाव ढालता है उसे नाटक में स्थान देना सर्वथा त्याज्य है। साहित्य दर्पणाकार ने लिखा है :—

दूराहानं वधो युद्धं राज्येदशादिविलयः।

विवाहो भोजनं शापोत्सगीं मृत्युरत्सत्था।

दन्तच्छेदं नसच्छेदमन्यद् ग्रीढ़ा करञ्चयत्।

में उनका अटल विश्वास था। ईश्वरीय न्याय के विकद आवाज़ उठाना वह नास्तिकता समझते थे। मृत्यु-दण्ड, और वह भी भौतिक स्वार्थों के लिए, पाप और भय की दृष्टि से देखा जाता था। इससे जनता में ईश्वर के प्रति अथदा और ईश्वरीय अनुयासन के प्रति धृणा उत्पन्न हो सकती थी। इसके साथ ही भारतीय अध्यात्मवाद के आधारभूत सिद्धान्त 'ग्रावागमन' की भी अधैलना होने का भव था। इस सिद्धान्त के अनुसार आत्मा के अभरत्व में विश्वास करनेवाले भारतीयों ने सामाजिक जीवन में मृत्यु की भयकरता बहुत ही कम कर दी थी। उनका कहना था कि मृत्यु से जीवन का अन्त नहीं होता। मनुष्य अपने-अपने कर्मानुसार बार-बार जन्म लेता और मरता है। मृत्यु शरीर-परिवर्तन का साधन-मात्र है। इससे आत्मा का परिवर्तन नहीं होता। इस प्रकार की विचार-धारा ने दुरान्त नाटकों को जड़ ही काट दी और इसीलिए हमारे नाटककार उसे न अपना सके।

दुरान्त अथवा विद्योगान्त नाटकों की सृष्टि में पाश्चात्य विचार-धारा का ही गहरा हाथ है। उस विचार-धारा का जीवन के प्रति यथादेवादी दृष्टिकोण है। उसके अनुसार मानव-जीवन कोलादलपूर्ण, अशान्न, जुब्ध, असंयत, स्थार्थपणयण और धर्मोगामिनी प्रवृत्तियों का समूह-मात्र है। जीवन के इसी पक्ष की चित्रित करना पाश्चात्य साहित्य का लक्ष्य है। पाश्चात्य काव्य, नाटक और उपन्यास इसी लक्ष्य का समर्थन और अनुमोदन करते हैं। इससे स्पष्ट है कि भारतीय साहित्य में जो त्याज्य है उसे पाश्चात्य साहित्य में मान्यता दी गयी है। इस प्रकार की मान्यता का विशद और प्रकृत रूप हमें पाश्चात्य नाटकों में देखने को मिलता है। यीसवीं शताब्दी-नूर्व के अधिकाश पाश्चात्य नाटकों में जीवन की जो व्याख्या हमें मिलती है उसमें हमें मानव हृदय का रक्तरंजित दम्दाही दिखायी पड़ता है। सहनशीलता, क्रमा, त्याग और अहिंसा आदि सात्त्विक प्रवृत्तियों के कोमल स्पर्श से मानव-हृदय को जो शक्ति और सान्त्वना मिलती है, उसका उनमें प्रायः अभाव

है और इसी अभाव के कारण पाश्चात्य साहित्य में वियोगान्त अथवा दुखान्त नाटकों का बहुत्य है।

हिन्दी में वियोगान्त अथवा दुखान्त का जो अर्थ ग्रहण किया जाता है, 'ट्रेजेडी' का अर्थ उससे कुछ भिन्न होता है। वियोग अनेक प्रकार ते हो सकता है, पर ट्रेजेडी का वियोग विशेष प्रकार का होता है। संस्कृत-नात्य साहित्य में वियोगान्त नाटक मिलते हैं, पर ट्रेजेडी के अन्तर्गत उनकी गणना नहीं की जा सकती। 'उचर रामचरित' को हम वियोगान्त नाटक कह सकते हैं, पर वह ट्रेजेडी नहीं है। ट्रेजेडी का वियोग रक्षण पर आधित रहता है। पाश्चात्य नात्य साहित्य में इस प्रकार के जितने नाटक मिलते हैं उनके कथानकों में रक्षणत की ही विर्मापिका है। अँगरेजी साहित्य के प्राण 'शोकप्रियर' की प्रत्येक ट्रेजेडी—हैमलेट, मैकब्रेथ, शोधलो, जूलियस सोजर, कारोलेनस, किंग जान, किंग लियर, रिचर्ड दि सेकेरड और यर्ट—में हत्या का जैसा वीभत्स व्यापार है पैसा अन्यत्र युर्लम है। शोकप्रियर ही नहीं, अन्य पाश्चात्य नाटक कार भी इस दोष से मुक्त नहीं हैं। उन्होंने स्वतन्त्रतापूर्वक अपने-अपने रंग-मंच से हत्या का प्रचार किया है और तत्कालीन आलोचकों ने उनके इस प्रकार के रक्षणत की भूरि-भूति प्रशंसा की है। ऐसा क्यों है?

हम जानते हैं कि प्रत्येक साहित्य अपने समाज, अपने इतिहास और अपने घातावरण से प्रेरणा प्राप्त करता है। साहित्य समाज का, राष्ट्र का प्रतिविव है। जैसा समाज होता है, इतिहास का जैसा गठन होता है, उसी के अनुरूप साहित्य की विचार-धारा का निर्माण होता है। पाश्चात्य सम्बता के इतिहास में श्रीक लम्बता जैसी निर्मम और निर्दय रही है, उससे इतिहास का प्रत्येक विद्यार्थी परिचित है। पहले-बहल उसी सम्पत्ता ने साहित्य में ट्रेजेडी को जन्म दिया और फिर कालान्तर में योरप के भिन्न-भिन्न देशों ने, अफ्री-अपरनी जातीय परम्परा एवं दर्शि के अनुकूल, उसे प्रदण किया। उन्होंने उसकी आत्मा का किंचित् संस्कार नहीं किया—शौर करते भी क्यों? बैठल, गाय आदि वर्वर जातियों

के उपर रक का उनके मस्तिष्क और हृदय पर इतना गहरा प्रभाव पड़ा है कि कर आचार से उनका स्वामानिक प्रेम हो गया है। स्यार्थवालों के निर्देश व्यवहार, रोम-निवासियों के लैडिएटर के खेल, क्रूसेड का रक्षणात्, इन्क्वीजिशन का हत्याकारण, यहूदियों वा उत्तीर्ण, विचकैफट के आमानुषिक दण्ड, क्रांस के प्रोटेस्टेन्टों और रोमन कैथोलिकों का रोमांचकारी हत्याकारण आदि ऐसी अनेक ऐतिहासिक घटनाएँ हैं जिनके आधार पर यह कहा जा सकता है कि योरप-निवासियों के जीवन और इतिहास का गठन कूर और निर्मम उपकरणों से ही हुआ है। ऐसा जीवन और ऐसा ऐतिहासिक बातावरण ट्रैजेडी के लिए ही उपयुक्त हो सकता है। अँगरेजी नाटककार शेक्सपियर की रक्षणात्-प्रियता के मूल में भी यही रहस्य है।

भारतीय नाटक रक्षणात्-शून्य है। ट्रैजेडी की शैली को किंचित् अपनाते हुए भी हमारे नाटककारों ने अपनी रचनाओं को उन दोषों से सर्वथा मुक्त रखा है जिनके बारण पाश्चात्य नाटक व्यवशाला बन गये हैं। विष्णुगान नाटकों का मुख्य उद्देश्य है—कहण रस का संचार, परन्तु जिस ढंग से शेक्सपियर ने अपने नाटकों में कहण रस का संचार किया है उससे अधिकारा धूणा का ही प्रबार होता है। ईर्ष्या के वशीभूत होकर उथेलो ने अपनी निर्दोष पल्ली डेस्ट्रिमोना का जिस निर्देशता से वध किया है उसका समर्थन कोई भी सहृदय व्यक्ति नहीं कर सकता। सीता, शकुनतला अथवा मीरा यदि शेक्सपियर के हाथों में पड़ी होती तो उसका भी वध हो गया होता, परन्तु हमारे नाटककारों ने ऐसा नहीं किया। वाल्मीकि ने सीता की पुष्पक विमान में बिठाकर आनन्द घनि और पुष्प कूष्ठि के साथ स्वर्गारोहण कराया है। सीता का दुःख नारी-हृदय का वास्तविक दुःख है। उसके दुःख के प्रति दर्शकों के हृदय में कहण और सहानुभूति का ही उदय हो सकता है। डेस्ट्रिमोना का वध स्वार्य, ईर्ष्या और धूणा का प्रबारक है। उसके प्रतिशहानुभूति होते हुए भी हम उपोक्तों को देखकर धूणा से अपनी आँखें बन्द कर लेते

है, पर सीता के स्वर्गारोहण के अवसर पर हमारे हृदय में राम के प्रति श्रद्धा के मात्र ही उदय होते हैं। राम ने सीता का परित्याग इंधर्दृश्य नहीं, नारी-जाति की सम्मान-रक्षा की भावना से किया था। औपेली की-सी इंधर्दृश्य, त्वर्यार्थता, निर्देशता और मावृकता उनमें नहीं थी। ऐसी दशा में राम और सीता के चरित्र से मानव-समाज के संगठन को जो शक्ति और खूबि मिल सकती है वह उथोलो और डेस्ट्रिनोना के चरित्र से मिलना असंभव है। उथोलो को पढ़कर हमारे हृदय में रक्षात का बोज ही शंकुरित होगा। आज के सामाजिक जीवन में जो मीमण और रोपांचकारी हत्याएँ हो रही हैं उनमें से अधिकांश केन्द्र में शेषनियर की मावृकतापूर्ण रक्षात्-शियता ही कार्य कर रही है।

हमने दुखान्त नाटकों के सम्बन्ध में अवकल जो कुछ लिखा है

उससे हमारा यह लात्मं कवापि नहीं है कि उनकी दुखान्त नाटक रचना होनी ही नहीं चाहिए। हम रक्षात्-रक्षात् की आधारभूत दुखान्त नाटकों के पक्षपात्रों नहीं हैं। रक्ष-भंच से प्रवृत्ति हत्या का प्रचार करना मानवीय भावनाओं के सर्वया प्रतिकूल है।

उससे हमारी सामाजिक प्रवृत्तियों का पतन होता है, हमारे सात्त्विक गुणों की प्रतिष्ठा भग छोड़ी है, ईश्वरीय न्याय पर आँच आती है और हमारे विश्वासों को छेस नगरी है। हत्या कभी भी हमारे आनन्द की सामान्वितार में सहायक नहीं हो सकती, उससे हमारी रागात्मक प्रवृत्तियों का हनन ही होता है। उसमें जीवन को उठाने, उसे सजाने-सेवारने का आदर्य नहीं, जीवन को पतनोंमुखी बनाने का छन्निम प्रयत्न रहता है। इसीलिए हमारे आचारों ने अपने साहित्य में दूसरों के वध अथवा आत्महत्या को प्रब्रह्य नहीं दिया। रक्षात्-शूद्ध्य दुखान्त के वे अवश्य पक्षपात्रों में और उन्होंने उनकी रचना भी की। उनके ऐसे नाटकों में हमें जीवन की विशद व्याख्या मिलती है, ऐसी व्याख्या जो हमारे जीवन के अनुकूल और हमारे जीवन के निकट है।

पास्त्यव में नाटक सुखान्त हो अथवा दुखान्त—दोनों का एक ही

लक्ष्य है और वह है रसानुभूति-द्वारा आनंद की अभिवृद्धि। रस नी हैः—  
 शहार, हास्य, वीर, अद्भुत, शान्त, करण, रीढ़, भयानक और वीभत्स।  
 इनमें से प्रथम पाँच—शहार, हास्य, वीर, अद्भुत और शान्त—का सम्बन्ध सुखान्त से और शेष चारः—करण, रीढ़, भयानक और वीभत्स—का सम्बन्ध दुखान्त से है। नाटककार जब अपनी प्रतिभा के बल से करण, रीढ़, भयानक अथवा वीभत्स का सम्बन्ध हमारी रागात्मक प्रवृत्तियों के साथ स्थापित करता है तभी लोकोन्नत आनंद की सृष्टि होती है और नाटक का ध्येय चरितार्थ होता है। इस प्रकार का सम्बन्ध स्थापित करके रसानुभूति करने में नाटककार को बड़ी साधानी से काम लेना पड़ता है। वास्तव में दुखान्त के कथानक का गठन जीवन की गम्भीर परिस्थितियों से होता है; इसलिए उसमें अपेक्षाकृत सहानुभूति की मात्रा अधिक रहती है। इसे दर्शकों के हृदय में जागरित करने के लिए नाटककार प्रकृत अथवा कृतिम उपयोग काम लेता है। प्रकृत उपयोग-द्वारा जागरित की हुई सहानुभूति, कृतिम उपायों-द्वारा जागरित की हुई सहानुभूति की अपेक्षा अधिक तीव्रता, बलवती और स्थायी होती है। इस प्रकार की सहानुभूति से हमारे दुखात्मक अनुभवों की सकुचित सीमा विस्तृत हो जाती है। उस समय हमारे एकाकी व्यक्तित्व तथा तत्सम्बन्धी घटनाओं का देश-काल सम्बन्धी वर्णन दूर जाता है और हम समूचे मानव-समाज के प्रति अपनी सहानुभूति का प्रकाशन करने लगते हैं। इस प्रकार लीकिक जीवन की कटुता, उसका स्वार्थपूर्ण संघर्ष, उसका यात्सर्व, उसका देष्प, उसका दुःख, उसका मय, उसकी हिंसात्मक प्रवृत्ति—उसका मानव-समाज की मंगलमयी भावना में समाहार हो जाता है। दूसरों के दुःख के प्रति अपनी उपेदना एवं सहानुभूति का प्रकाशन करने तथा उनके लिए आसु बहाने में हमें जो मुख और आनंद प्राप्त होता है उससे हमारे दुःखों का भी शमन हो जाता है। दूसरों का दुःख देखकर हम अपना दुःख भूल जाते हैं। उस समय हम अकेले नहीं रहते, हम एक जन-समूह के साथ रहते हैं। यही हमारी आत्मा

का विस्तार है और यही आत्मविस्तार हमारे सुख, हमारे आनन्द का कारण है। दुःखान्त नाटकों की लोकप्रियता का यही रहस्य है।

उपर्युक्त पंक्तियों में आधुनिक नाटकों का जो वर्गीकरण प्रस्तुत किया गया है उससे यह न समझना चाहिए कि उनके नाटक के गठन में विशेष मौलिक अन्तर रहता है। हम स्वभाव तत्त्व में एक-दूसरे से भिन्न हो सकते हैं, पर शारीरिक रचना में हम सब समान हैं। नाटकों के सम्बन्ध में भी यही वातन्त्रिकार्थ होती है। उनमें कुछ ऐसी विशेषताएँ होती हैं जो समान रूप से सबमें पायी जाती हैं। इन्हें हम नाटकीय तत्त्व बहते हैं। नाटकीय तत्त्व छः हैं:—(१) कथानक, (२) वस्तु-विधान, (३) चरित्र-चित्रण, (४) कथोपकथन, (५) देश-काल और (६) उद्देश्य। इन तत्त्वों के अतिरिक्त और भी कई तत्त्व हो सकते हैं, पर उन सबका समावेश इन्हीं छः के अन्तर्गत हो जाना है। प्रत्येक नाटक की रचना इन्हीं तत्त्वों के आधार पर होती है। अतः इनके सम्बन्ध में यहाँ संक्षेप में विचार किया जाता है:—

(१) कथानक—नाटक को इतिवृत्त को कथानक बहते हैं। कथानक मानव-जीवन का सक्रिय और गतिशील रूप है। यही नाटकीय को प्रभावित करता है और उनको स्वरूप प्रदान करता है। चरित्र के विना नाटक की रचना हो सकती है, पर कथानक के विना उसकी सत्ता संदिग्ध है। नाटकीय प्रभाव, सक्रियता और चरित्रों की सजीवता एवं गतिशीलता के लिए कथानक वाहोना परम आवश्यक है। इसके छः मेंद होते हैं:—(१) पौराणिक, (२) ऐतिहासिक, (३) आनुशौष्ठिक, (४) काल्पनिक, (५) प्रतीकात्मक और (६) वास्तविक। पौराणिक इतिवृत्त किसी देश के प्राचीन पर्म-प्रथाओंमें वर्णित कथाओंसे सम्बन्ध रखते हैं। ऐसी कथाओं का ऐतिहासिक प्रभाग नहीं मिलता। रामायण और महाभारत की कथाएँ इसी प्रकार की हैं। ऐतिहासिक इतिवृत्त का संवर्ण इतिहास से होता है। महाराणा प्रनाप, शिवाजी आदि ऐतिहासिक

है। आतुर्गृहीतिक ऐसे इतिवृत्त होने हैं जो अनुभूति पर आधारित रहते हैं। इनका भी ऐतिहासिक प्रमाण नहीं मिलता। काल्पनिक इतिवृत्त नाटककार की बहना को उपज होते हैं। धार्मिक, वैदानिक, पारिवारिक तथा सामाजिक नाटक अधिकाश कल्पन ही होते हैं। प्रतीकात्मक इतिवृत्त में भावों को व्यक्ति के रूप में चित्रित किया जाता है। संसार की जड़-बस्तुओं को भी ऐसे कथानक में स्थान दिया जा सकता है। वास्तविक इतिवृत्त में नाटककार अपने ही जीवन का घटनाएँ अकित करता है। सेठ गोविन्ददास का 'महत्व मिसे' नाटक इसी प्रकार के कथानक के आधार पर लिखा गया है। इस प्रकार के समस्त कथानकों में निम्नलिखित विशेषताओं का होना आवश्यक है :—

[१] कथानक का सम्बन्ध मानव-जीवन की घटनाओं से होना चाहिए।

[२] कथानक अपने में पूर्ण और निरपेक्ष होना चाहिए।

[३] कथानक का विस्तार एक निश्चित सीमा और समय के बीतर होना चाहिए। वह न तो इतना छोटा हो कि अपना वास्तविक लाद्य खो दें और न इतना विशाल कि जटिल हो जाय। उसे हमारी स्मृति-शक्ति में समा सकने के योग्य होना चाहिए।

[४] कथानक की पूर्णता के लिए उसके आदि, मध्य और अन्त का निधय होना आवश्यक है। आरम्भ कथानक का वह भाग होता है जो किसी पूर्ववर्ती घटना पर आधित नहीं रहता, मध्य में पूर्व तथा पश्चात् घटनाओं का योग रहता है और अन्त में आरम्भ तथा मध्य की सारी घटनाएँ देन्द्रीभूत होकर एक निश्चित् परिणाम पर पहुँच जाती हैं। उस समय किसी घटना की अपेक्षा नहीं रहती। कथानक के इन अंगों में ऐस्य और सामेतस्य का होना आवश्यक है।

[५] कथानक में अनावश्यक घटनाओं का संकलन न होना चाहिए। उसका समरण होना आवश्यक है। नाटककार को नाटकीय कथानक के

शुलनात्मक अभिव्यक्ति के लिए भी अवधर रहता है। इसमें मानसिक द्वन्द्व अधिक रहता है जिसका उच्चरोत्तर विकास होता है। जबतक नाटकीय पात्रों का संवध दो परस्पर विरोधी भावनाओं, विचारों अथवा परिस्थितियों से नहीं होता तबतक इसमें प्राण-की प्रतिष्ठा नहीं होती। इसमें प्राण-प्रतिष्ठा के पाँच उपाय हैं—(१) कभी पात्र और परिस्थिति के मध्य दीख पहनेवाले विरोध में इसका उदय होता है, (२) कभी परस्पर विरोधी परिस्थितियों में इसका जन्म होता है, (३) कभी दो विरोधी पात्र इसकी लृष्टि करते हैं, (४) कभी जब एक प्रकार और जूँड़ने के सारे प्रकार के जीवन से टक्कर लेता है तब इसको अभिभाव होना है और (५) कभी घटनाओं में दैवयोगा के समिश्रण-द्वारा इसका अभ्युदय होता है।

[३] मनोवैज्ञानिक वस्तु-विधान—इस प्रकार के वस्तु-विधान में मुख्यतः ऐसे पात्रों की चित्त-नृत्तियों का द्वन्द्व रहता है जो निरुट-संवंधी होते हैं। इसमें तीन वातों पर विशेष रूप से ध्यान दिया जाता है—(१) प्रत्येक कार्य पात्रों के गुण, शील, मर्यादा, पद आदि के अनुकूल होना चाहिए, (२) पात्रों का व्यवहार और संवाद अत्यन्त स्वाभाविक तथा परिहिति के अनुकूल होना चाहिए और (३) प्रत्येक घटना का पूर्वापर संवेद अत्यन्त कमिक, संगत तथा पूर्वज घटना का स्वाभाविक तथा अपरिहार्य परिणाम होना चाहिए।

[४] कौनूहल-प्रधान वस्तु-प्रधान—कथानक में समव-असमव तथा अप्रत्याशित घटनाओं का समावेश करके जय वस्तु की रचना की जाती है तब उसे कौनूहल-प्रधान कथा-वस्तु कहते हैं। आजकल के चलनित्रों में इसी प्रकार की कथा वस्तु का प्रयोग होता है। इसमें साधारण जनता की विशेष अभिरुचि होती है।

[५] दृवानुकूल वस्तु-विधान—इस प्रकार के वस्तु-विधान में दृश्य के अनुसार घटनाओं का क्रम रखा जाता है और वे एक ही दृश्य पर आयोजित रहती हैं। इसमें दो वातों पर विशेष रूप से ध्यान दिया

जाता है—(१) योड़ी-योड़ी देर के पश्नात् नाटकीय ब्यापार में परिवर्तन होना चाहिए और (२) कोई भी घटना असंभव अथवा वलपूर्यक सार्थी हुई नहीं होनी चाहिए। विशेष प्रकार के रंग-मंचों के अनुकूल जो नाटक लिखे जाते हैं वे इसी के अन्तर्गत आते हैं।

अब कथान्वस्तु की गति पर विचार कीजिए। हमारे प्राचीन नाटककारों ने नायक के गुण-दोष के अनुसार वस्तु की तीन प्रधान गतियाँ बतायी हैं—(१) ऊर्ध्व गति, (२) अथोगति और (३) समगति। जब वस्तु का विधान नायक के गुणों की दोनों पर आधित रहता है तब वस्तु की ऊर्ध्व गति होती है। इसके विपरीत जब नायक के दोनों पर वस्तु-विधान अवलंबित रहता है तब उसकी अथोगति होती है। समगति उस समय होती है जब नायक साम्भारण मानव का-सा चरवहार करता है। आधुनिक नाटकों के वस्तु-विधान में इन गतियों का विशेष महत्व नहीं है। पाश्चात्य नाटककारों के मतानुसार वस्तु की योजना घटनाओं की समता और विषमता पर अवलंबित रहती है। इसलिए उसमें वाह दृढ़ और अन्तदृढ़, दोनों का समुचित प्रयोग किया जाता है। नाटकीय विधान में इसकी पांच अवस्थाएँ होती हैं—(१) दृढ़ात्मक वातावरण (२) दृढ़ का विस्तार, (३) चरम सीमा, (४) अपर्यंप, अपरोद अथवा फल की सूचना और (५) फल की प्राप्ति। संस्कृत के नाटककावायों ने भी कथान्वस्तु की ऐसी ही पांच अवस्थाएँ मानी हैं जिनका उल्लेख अन्यत्र हो चुका है। इन अवस्थाओं का स्पष्टीकरण आगे के पृष्ठ पर दिये हुए चित्र द्वारा किया जाता है।

अ से व तक की अवस्था नाटकीय कथान्वस्तु में प्रारम्भिक अवस्था होती है। इस अवस्था से दृढ़ का आरंभ होता है। यह दृढ़, आन्तरिक और बाह्य, दोनों प्रकार का हो सकता है। इस अवस्था को इम प्रारम्भिक दृढ़ात्मक वातावरण कह सकते हैं। इसके पश्नात् व से स तक दृढ़ में गति और तीव्रता आती है और शैः शैः उसका विकास होता है। इस अवस्था को इम संघर्ष अथवा दृढ़ का उत्कर्ष कह सकते हैं। जह

यही दून्द अपनी सीमा पर फुँच जाता है अर्थात् एक ऐसी स्थिति पर आ जाता है जहाँ से विजय अथवा पराजय का आभास मिलने लगता है।



### काया-वस्तु की गति

जब चरम सीमा का अभ्युदय होता है। स विन्दु पर दून्द अपने पूर्ण विकास पर होता है। स से द तक की अवस्था संशय पूर्ण होती है। विजय होगी अथवा पराजय—यह निश्चय नहीं हो पाता, पर स से अग्रम्भ होकर द तक आते-आते अवस्था स्थग हो जाती है और देसों में से एक की स्थग रुचना मिल जाती है जो द से य तक निश्चित हो जाती है। इसे अपकर्ष वह सकते हैं। अन्त में कार्य सिद्ध हो जाता है इसे फल-प्राप्ति कह सकते हैं। इन पांच अवस्थाओं से नाटकीय गति का स्थग आभास मिल जाता है। इस सम्बन्ध में एक बात ध्यान रखने की है। हमारे प्राचीन नाटकों में संघर्ष होता अवश्य था, पर उसे महत्त्व नहीं दिया जाता था। पाश्चात्य नाटककार संघर्ष को ही अधिक महत्त्व देते हैं और पात्रों को संघर्षमय परिस्थितियों में छालकर ही उनका चरित्र-चित्रण करते हैं।

(3) चरित्र-चित्रण—ग्रामनिक नाटकीय विधान में चरित्र-चित्रण अस्यन्त महत्त्वपूर्ण तत्त्व माना जाता है। वास्तव में इसी की सफलता पर गमत नाटकीय काया-वस्तु की सफलता निर्भर करती है। प्राचीन नाटकों में चरित्र-चित्रण को विशेष महत्त्व नहीं दिया जाता था। उनमें पात्र आदर्शवादी होते थे। अतएव उनके चरित्र का केवल उद्घाटन होता

था। आधुनिक नाटकों में यह बात नहीं है। पारंचात्य प्रणाली के अनुसार आधुनिक नाटकों के पात्र वयार्थवादी होते हैं। अतएव उनका स्वामाविक चरित्र-चित्रण ही नाटक की सफलता का मापदंड माना जाता है। यह चरित्र-चित्रण जितना संक्षेप और नाटककार के व्यक्तित्व से अप्रभावित रहता है उतना ही प्रभावशाली और वास्तविक होता है। इसे परस्तने के निम्न साधन हैं:—

[१] आकृति-द्वारा चरित्र-चित्रण—किसी पात्र का प्रथम दर्शन ही उसके चरित्र के सम्बन्ध में बहुत-सी बातें बता देता है। पात्र की वेश-भूषा, उसके आकार-प्रकार, उसकी मुख-मुद्रा, उसकी चाल-दाल, उसकी आङ्गुष्ठि आदि से अनुभवशील व्यक्ति उसके चरित्र के बारे में रहस्यपूरण बातें जान लेते हैं। अतः नाटककार को अपने पात्रों की सजावट में वही सावधानी से काम लेना चाहिए। संस्कृत और पारंचात्य नाटकों में इसका विधान विशेष रूप से पाया जाता है।

[२] वाणी-द्वारा चरित्र-चित्रण—चरित्र-चित्रण का दूसरा साधन है वाणी। अनुभवशील व्यक्ति वाणी-द्वारा मनुष्य की पहचान करने में बड़े दब्द होते हैं। कोयल और कोवे की पहचान वाणी-द्वारा ही होती है। वाणी की गंभीरता, मृदुता, सरसता, कठोरता अथवा कर्कशता द्वारा पात्रों के हृदय के भाव आणानी से जाने जा सकते हैं। वाणी ही आन्तरिक भाषों का वायर रूप है। पात्र कैसी भाषा बोलता है? कैसे शब्दों और कैसे वाक्यों का प्रयोग करता है?—इन सब बातों से जहाँ पात्र की योग्यता और उसके मानसिक विकास का पता चलता है, वहाँ यह भी जात हो जाता है कि वह किस प्रकार का व्यक्ति है। यह उच्च भेणी का है अथवा निम्न भेणी का; वह उदार है अथवा अनुदार; यह असम्य है अथवा असम्य; यह नागरिक है अथवा ग्रामीण। वाणी मनुष्य की पहचान में बहुत सहायक होती है।

[३] अन्य पात्रों-द्वारा चरित्र-चित्रण—किसी पात्र के चरित्र-चित्रण में उसके संबंध में कही गयी अन्य पात्रों की बातों से भी बड़ी

सहायता मिलती है। इम अपने प्रति दिन के व्यवहार में वहुधा इसी प्रक्रिया से काम लेते हैं। यही बात एक नाटककार अपने पात्रों के विषय में भी किया करता है। पात्र की वेश-भूषा, उसकी वाणी तथा उसकी आकृति आदि से हमें जो बातें ज्ञात होती हैं उनके अतिरिक्त हमें वहुत कुछ उसके उन साथियों से मालूम होता रहता है जो उसके चरित्र के सम्बन्ध में समय-समय पर अपना भव प्रकट किया करते हैं।

[४] अन्य पात्रों के संबंध में कही गयी बातों-द्वारा चरित्र-चित्रण—कोई पात्र अन्य पात्रों के सम्बन्ध में अपनी क्या धारणा रखता है!—इससे भी चरित्र-चित्रण में विशेष सहायता मिलती है। परिस्थितियों के अनुसार एक पात्र अन्य पात्रों के सम्बन्ध में अपने विचार बदला करता है। जिस पात्र को वह एक परिस्थिति में अन्या समझता है उसी को दूसरी परिस्थिति में वह बुरा समझने लगता है। ऐसी दशा में परिस्थितियों एवं परस्पर विरोधी भतों के अध्यवन-द्वारा पात्र-विशेष के चरित्र का अवलोकन एवं निरीक्षण करके हमें अपना निर्णय देना पड़ता है।

[५] आत्म भाषण-द्वारा चरित्र-चित्रण—किठी पात्र के चरित्र को परखने के लिए उसके उन विचारों से भी सहायता लेनी पड़ती है जो वह समय-समय पर अपने संबंध में व्यक्त किया करता है। यहुतसे मनुष्य कहते कुछ और करते कुछ और हैं। ऐसे पात्रों की मानसिक स्थिति का रहस्य समझना अत्यत कठिन होता है। नाटककार वही सखलता से इस रहस्य का उद्घाटन करता है और ऐसे पात्र का चरित्र स्पष्ट करदेता है।

[६] स्वगत भाषण-द्वारा चरित्र-चित्रण—पात्रों का चरित्र परखने में आत्म-भाषण की ही भाँति स्वगत भाषण से भी सहायता मिलती है। इम बता चुके हैं कि कभी-कभी पात्र अपने मन की गुन मावनाओं को रंगमंच पर इस प्रकार प्रकट करते हैं कि दूसरे पात्र उसे सुन नहीं सकते, पर दर्शक उसे सुनकर उसके सम्बन्ध में एक निश्चित धारणा बना लेते हैं। पात्र के मनोगत रहस्यों का मेद इब साधन-द्वारा सखलता से दृष्ट हो जाता है जिससे चरित्र-चित्रण में वही सहायता मिलती है।

[३] कार्य-व्यापार द्वारा चरित्र-चित्रण—पात्रों के कार्य-ब्लाशर द्वारा भी उनके चरित्र को समझने में विशेष सहायता मिलती है। कोई पात्र क्या करता है?, किस प्रकार करता है? और क्यों करता है?—इन प्रश्नों का उसके चरित्र से विशेष सम्बन्ध रहता है। नाटककार पात्रों का चरित्र-चित्रण करते समय इन प्रश्नों पर धिरोप रूप से ध्यान रखता है और प्रत्येक परिस्थिति में पात्रों की योग्यता और उनकी स्थिति के अनुकूल इनका उत्तर देता है। ऐसी दशा में वह रंगमंच पर और ऐसा कार्य नहीं होने देता जिसका पात्रों के साथ सीधा सम्बन्ध न हो। वह रंगमंच पर घटित होनेवाली, महान अथवा सामान्य, सभी प्रकार की घटनाओं के लिए पर्याप्त कारण और पर्याप्त स्थेय उपस्थित करता रहता है। वह व्यापार के अनुरूप पात्र और पात्र के अनुरूप व्यापार की सुषिट करता है और नाटक के प्रबोजन-द्वारा दोनों में सामंजस्य व्यापित करता है। असः कार्य-व्यापार द्वारा पात्रों का चरित्र-चित्रण करते समय नाटक के प्रयोजन पर ध्यान रखना परम आवश्यक है।

इस प्रकार हम देखते हैं कि चरित्र-चित्रण ही वह तत्त्व है जिस पर नाटक की सफलता का संपूर्ण भार है। ऐसी दशा में नाटककार को वही सावधानी से काम लेना चाहिए। उसे अपने पात्रों का चरित्र-चित्रण उनकी योग्यता, परिस्थिति, वाराष्ठरण, देश-काल और आदर्श के अनुरूप दर्शावत् करना चाहिए। उनके गुणों के साथ-साथ उनके दोपों का भी चित्रण वही सावधानी से होना चाहिए और उनके चरित्र का विकास, हास अथवा उसमें परिवर्तन सकारण होना चाहिए। समय और परिस्थितियों के हैर-फैर से उनके विचारों में परिवर्तन होना स्वाभाविक ही है, पर इसके साथ ही उनमें साम्य होना भी आवश्यक है। यदि उनमें साम्य न हुआ तो चरित्र-चित्रण अपूर्ण रह जायगा और नाटककार अपने उद्देश्य में कभी सफल नहीं होगा।

(४) कथोपकथन—कथोपकथन नाटक का चौथा तत्त्व है। इनका अर्थ है पात्रों का पारस्परिक वार्तालाप। वाया-वस्तु और चरित्र-चित्रण

का समस्त भार इसी तत्त्व पर निर्भर करता है। वास्तव में उक्त दोनों सत्त्वों का यही तत्त्व सबस्त है। इस बता चुके हैं कि नाटक में नाटक-कार को अपनी और से कुछ कहने अथवा टीका-टिप्पणी करने का अधिकार नहीं होता। उसे जो कछु कहना होता है, उसे वह पात्रों के कथोपकथन-द्वारा ही व्यक्त करता है। इसी के सहारे वह अपने विचारों, सिद्धान्तों और आदर्शों को जनता के समक्ष उपस्थित करता है और जन जीवन की आत्मोचना करता है। वह अव्यक्त रहकर पात्रों के रूप में व्यक्त होता है और यही वह कला है जिसके सफल निर्दर्शन एवं निर्वाह में नाटक की लोक-प्रियता निहित रहती है।

कथोपकथन की दो वृत्तियाँ होती हैं—(१) उपयोगिनी और (२) अनुपयोगिनी। उपयोगिनी कथोपकथन वह होता है जो कथा-बस्तु को गति प्रदान करता है; पात्रों के विचारों, उनके मनोवेगों तथा उनके धार्मिक रत्नों को प्रसारित करता है और नाटकीय विधान का वर्णन करता है। इसके विपर्यास अनुपयोगी कथोपकथन अपनी काल्पनिक विशदता से दर्शकों की रुचि को विकसित करता है। इससे स्पष्ट है कि सामान्य घारीलाप और नाटकीय कथोपकथन दोनों एक नहीं हैं। यामान्य घारीलाप लादवहीन होता है। वह असंयत, उखड़ा-नुखड़ा और विषयान्तर होता है। नाटकीय कथोपकथन पर उन सब घारों का मरपूर नियंत्रण रहता है जो दृश्य-निर्माण में सहायक होती है। नाटकीय कथोपकथन कथा-बस्तु को गतिशील बनाता है और उसे नाटक के लक्ष्य की ओर अग्रसर करता है। अब प्रश्न यह है कि वह अपने इस गुरुतर कार्ये को किये प्रकार संपन्न करता है? नाट्य-कला-विशारदों ने इसके दो प्रमुख साधन बताये हैं—(१) सहकारी और (२) सूच्य। जब रंगमंच पर दिखाये जानेवाले कार्य-व्यापार के प्रति दर्शकों के हृदय में कथोपकथन-द्वारा विद्यात् उत्पन्न किया जाता है तब उसका रूप सहकारी होता है। इसके विपर्यास जब कथोपकथन-द्वारा रंगमंच पर न दिखाये जानेवाले कार्य-व्यापार की यूनना दर्शकों को देने की आवश्यकता

ध्यान रखना पड़ता है। ऐसी दिष्टि में नाटक की भाषा का सरल और सुवोध होना भी आवश्यक है। अभिनय होते उम्मय यदि भाषा की दुरुहता एवं गम्भीरता और कथोपकथन की दीर्घता के कारण दर्शक नाटककार के भावों को हृदयंगम न कर सके तो उनका जी ऊब जायगा और अभिनय का उद्देश्य ही नष्ट हो जायगा। जी का ऊब जाना नाटक की नाटकीयता के लिए अत्यन्त धातुक है। ऐसी दशा में कथोपकथन को जीवन में व्यवहृत होनेवाले वार्तालाप के अनुरूप बनाकर उसे साहित्यक रूप देना एक सफल नाटककार का प्रथम कर्तव्य है। वास्तव में कथोपकथन की भाषा ही नाटक का सर्वस्त्र है। कथोपकथन की भाषा जितनी स्पष्ट, सरल, सुवोध, प्रसंगानुसार, स्वाभाविक, प्रभाव-पूर्ण, मार्मिक, स्थित और व्यंजक होती है उतनी ही वह दर्शक के हृदय को अपनी और आकृष्ट करने में सफल होती है और नाटककार की कला की उत्कृष्टता प्रमाणित करती है। नाटक में कथा-वस्तु और चरित्र-चित्रण की शिथिलता क्षम्भव हो सकती है, पर भाषा की शिथिलता तो किसी भी दशा में क्षम्भ नहीं है। जो नाटककार भाषा नहीं जानता, उसे न तो रंगमंच पर आने का साहस करना चाहिए और न लेखनी उठाकर नाटक लिपने की मूर्खता। जो आलोचक नाटक की भाषा के सम्बन्ध में किसी चिदान्त-विशेष के पक्षपाती हैं ये भी भूल करते हैं। नाटक नाटककार की प्रतिभा और उसकी कला का विद्युत-स्थल है। अपने इस क्षेत्र में वह पूर्ण स्वतन्त्र है। प्रसंग और परिस्थिति के अनुकूल वह अपने जिस पात्र से जो भाषा चाहे बोलवा सक्ता है और उसी में उसकी नाटकीय कला का रहस्य निहित है।

(५) देश-काल-विधान—हमने अवश्यक नाटक के जिन तत्त्वों पर विचार किया है उनके अतिरिक्त देश-काल-विधान भी उसका एक तत्त्व माना जाता है। इस तत्व के अनुसार नाटककार का यह कर्तव्य है कि वह अपनी रचना में थोड़े-बहुत विस्तार के साथ देश और काल के उस विधान का भी निरूपण करा दें जिसमें उसके द्वारा वर्णित घटनाएँ

घटित हुई है। उसने का लाभर्य यह कि कथान्कलु की प्रत्येक पट्टना और उससे संबंधित प्रत्येक पात्र को उस देश के दत्तकालीन राजनीतिक, सामाजिक, सांख्यिक तथा धार्मिक चातावरण के अनुस्पष्ट चिह्नित करना चाहिए जिससे उसका संबंध है। शिष्याजी दो आज के चातावरण और आज की वेदान्भूषा में दिखाना असंगत ही नहीं, नाटकीय कला का उपहास करना होगा। इसी प्रकार आँगरेजी रंगमंच पर भारतीय पात्रों को उतारना अनुचित और हास्यात्मक होगा। इससे स्वास्थ है कि नाटक य कला दो उम्मीदों के लिए देश-चाल के अनुसार रंगमंच के शृंगार एवं पात्रों की वेदान्भूषा पर ध्यान रखना परम आवश्यक है। इसके लिए नाटककार को दृश्य आरंभ करने के पहले ही थोड़े शब्दों में संकेत कर देना चाहिए। हिन्दौ-नाटकों में रंगमंचित बहुत ही कम लिखे जाते हैं। हमारे नाटककारों में अपने विचारानुसार रंगमंच पर पात्रों को उतारने और उनमें अपने मनोनुकूल अनिनय कराने की रुचि ही नहीं है। वे अपने पात्रों के कथोपकथन में अपने हृदय के सभी विचारों को भर देना ही अपने कार्य की इतिहासी समझते हैं। ऐसी दर्या में रंग-मंच-संचालक और नाटककार दोनों प्रायः एक-दूसरे के विरुद्धी बन जाते हैं। पाश्चात्य नाटककार अपने अंक के अनुकूल जिन-जिन चलुओं की आवश्यकता रंगमंच पर समझते हैं उन सबका पूर्व ही निर्देश दर देते हैं और रंगमंच-न्यूचालक को उन्हीं के अनुसार कार्य करने के लिए विकल्प करते हैं। इससे नाटककार जनता के समझ मनोनुकूल चातावरण की सुष्ठि में सफल होना है और रंगमंच पर संचालक को दूधर-उधर भटकने वा अवसर नहीं देता।

(६) उद्देश्य—नाटक का अन्तिम उन्न्य है उत्तरा उद्देश्य। सामन्यतः अन्य साहित्यांगों की भाँति नाटक का भी उद्देश्य जीवन की चालस्था अथवा आलोचना करना है। नाटककार अपनी स्वनान्दारा जीवन के किस पक्ष की आलोचना करना चाहता है और आलोचना के आधार पर वह किस सिद्धान्त को चारितार्थं करना चाहता है।—आदि

प्रश्न नाटक देखने के पूर्व जागरूक जनता के हृदय में उठते हैं और वे इन प्रश्नों का सन्तोषजनक उत्तर पाने के लिए ही नाटक देखने जाते हैं। इसी बात को यदि हम यों कहें कि नाटककार वस्तुतः जीवन-संवेदी इन्हीं प्रश्नों अथवा समस्याओं को लेकर अपनी रचना के कथानक का साँचा तैयार करता है तो अनुचित न होगा। इससे स्पष्ट है कि नाटक का मुख्य उद्देश्य मनोरंजन प्रस्तुत करना ही नहीं, अपितु उसके द्वारा जनता के समझ कुछ विचार-सामग्री प्रस्तुत करके उसके हृदय को आनंदोरित और उसके मस्तिष्क को क्रियाशील बनाना है। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए नाटककार नीति, राजनीति, देश-भक्ति, धर्म, मानवता, विश्वव्यंधुर्व आदि कोई भी विषय तुन सकता है, पर उसका वास्तविक उद्देश्य मानव-जीवन का आदर्श एवं व्याधार्य चित्रण ही है। वहने का तात्पर्य यह कि मानव-जीवन में जो सत्-असत्, जल और मिथ्या के समान, घुला-मिला है उसका चित्रण करना, उसका स्वधीकरण करना ही नाटककार का मुख्य उद्देश्य है। मानव में अनेक विभिन्न, विपरीत एवं विरोधी अन्तःवृत्तियां पायी जाती हैं। किसी समय उसमें इनमें से कोई प्रत्युत्ति प्रधान रहती है और किसी समय कोई अन्य। एक ही मनुष्य में देश, काल और परिवर्थितियों के कारण उनमें बहबर परिवर्तन होता रहता है। ऐसी दशा में नाटककार को बड़ी सावधानी से अपने समस्त पात्रों को एक उद्देश्य-सूत्र में बांधना पड़ता है और उन्हें एक संकुचित सौमा के भीतर रखकर अपत्यक्ष रूप से जीवन के अपेक्षित पक्ष की आलोचना करनी पड़ती है।

अब प्रश्न यह है कि नाटककार अपनी रचना में किस साधन-द्वारा अपने उद्देश्य की पूर्ति करता है। पाश्चात्य कलाकारों का बहना है कि यूनानी ग्राउंड नाटकों में गायकों के मुँह से जो शार्तें निरुलती थीं उनमें जीवन विषयक तत्त्वशान का निष्कर्ष रहता था। आधुनिक नाटकों में गायकों का कोई स्थान नहीं है। अतएव इस कार्य के सपाइन के लिए नाटककार को अपने समस्त पात्रों में से एक ऐसे पात्र का चयन

करना पड़ता है जिसका मुख्य कथा-वस्तु के साथ विरोप संबंध नहीं रहता, पर वह नाटककार के विचारों का बाहक अवश्य होता है। हम अभी बता चुके हैं कि आधुनिक नाटकों का मुख्य उद्देश्य प्रेक्षकों के सम्मुख लोबन की सामाजिक शरण यजमीनीक समत्याएँ प्रस्तुत करना है। इन समत्याओं से संबंध रखनेवाले सिद्धान्तों के स्पष्टीकरण के लिए नाटककार अपनी रचना में एक ऐसे पात्र को जन्म देता है जो आदि से अन्त तक संपूर्ण कथावस्तु में एक पैदानिक दर्तक की भाँति उपस्थित रहकर अपने जनक दी विचार-धारा को प्रेक्षकों के सम्म प्रस्तुत करता रहता है। नाटक में उसका स्थान अन्य पात्रों से पृथक् नहीं होता। नुख्य कथावस्तु के साथ उसका व्यक्तित्व इतना संघटित होता है कि वह नाटक में असंबद्ध व्यक्ति न प्रतीत होकर उसका एक अधिभाष्य श्रंग बन जाता है। कभी-कभी सामान्य पात्रों-द्वारा ही यह कार्य संपादन कराना नाटककार के लिए अस्तकर होता है। वसुदःरंगमन्त्र पर जो कृष्ण दिसायी देती है उसका सूप्ता नाटककार होता है। ऐसी दशा में उसकी रचना में उसके भावों, विचारों तथा सिद्धान्तों आदि का समा जाना अनिवार्य एवं स्वाभाविक ही है। उसकी साहित्यिक कृति से हमें इस बात का आभास मिलना चाहिए कि वह इस संसार को किस दृष्टि से देखता है? वह उसका क्या तात्पर्य समझता है? और यह उसके किन नैतिक आदर्शों को जीवनोपयोगी मानता है? यदि कोई नाटककार अपनी रचना-द्वारा इन प्रश्नों का संतोषजनक उत्तर दे सकता है तो वह अपनी रचना में उफल है।

यह तो हुआ पाइचात्य नाम्यकला की दृष्टि से उद्देश्य का विवेचन। हम पहले बता चुके हैं कि मारणीय नाटकों में उक्त प्रकार के उद्देश्य का कोई स्थान नहीं या और यदि किसी अर्थ में या भी तो वह या केवल सं-परिपाक-द्वारा प्रकान्तर से पुरुष और पात्र की व्याख्या जिसमें असूत् पर चतुर की, अन्याय पर न्याय की और अमंगल पर यंगल की प्रियतम धोरित की जाती थी। यानव की दुर्दम प्रवृत्तियों को शासन,

दमन और पीड़िन से हिल पशुओं की माँति संयत करके रखने की अपेक्षा उन्हें सौंदर्य से, प्रेम से, मंगल से समूल नष्ट करना ही हमारे प्राचीन नाट्यकारों का एकमात्र उद्देश्य था। बल को थल से, अग्नि को अग्नि से शान्त करना कठिन है। इन उपायों से जीवन की दुरंत प्रवृत्तियाँ शान्त नहीं हो सकती। उनके दावानल के तो अनुत्तम हृदय के अथु ही शान्त कर सकते हैं। जीवन की व्याख्या के इसी आदर्श को ध्यान में रखकर हमारे आचारों ने धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की सिद्धि को ही नाटकीय कथा-वस्तु के फल अथवा उठाके कार्य के रूप में स्वीकार किया था। कहने का तात्पर्य यह कि इन चारों अथवा इनमें से किसी एक की निष्पत्ति होना आवश्यक था। जिस नाटक में इनमें से किसी एक तत्त्व की भी प्राप्ति नहीं होती थी, वह अर्थ समझा जाता था। इस प्रकार जीवन के मंगलमय रूप का प्रदर्शन ही हमारे नाट्य-साहित्य का एक मात्र उद्देश्य होता था। आज पाश्चात्य नाट्य परंपराओं के प्रभाव से हमारी चिन्तन-धारा में विशेष परिवर्तन हो गया है और इस कारण हमारा नाट्य-साहित्य नित नूतन रूप धारण करता जा रहा है, पर भारतीय सम्मता एवं संस्कृति के अनुकूल वह उसी अवस्था में समझा जायगा जब उसमें आध्यात्मिक हाइ से जीवन-निर्माण की शक्ति होगी और वह अधिक से अधिक मानव का कल्याण करने में समर्प्त होगा।

अभी हमने संक्षेप में नाटकीय तत्त्वों पर विचार किया है। इन

तत्त्वों के अतिरिक्त नाटकीय वस्तु, स्थल तथा काल नाटकीय विधान में के सम्बन्ध में हमें एक बात पर और ध्यान देना है।

संकलनत्रय का नाटकीय विधान में इसे संकलनत्रय कहते हैं। इस

महत्त्व संकलनत्रय का अन्यत्र उल्लेख कर चुके हैं। इसके

अनुसार प्राचीन धूनामी नाटककारों ने यह सिद्धान्त स्थिर किया था कि आदि से अन्त तक समल अभिनय किसी एक ही कृत्य, किसी एक ही स्थान और एक ही दिन का होना चाहिए। इससे स्पष्ट है कि प्राचीन नाटकों में स्थान, समय और कार्य की एकता पर

विशेष रूप से ध्यान दिया जाता था। उस समय के नाटककार चाहते थे कि नाटक में जो घटनाएँ दिखायी जायें, उनका सम्बन्ध एक ही स्थान से हो। इसे वे स्थल-संकलन कहते थे। एक दृश्य प्रदान तथा और दूसरा कार्य का दिखाना नाट्यकला की होड़ि से वे उपयुक्त नहीं बन सकते थे। इसी प्रकार नाटक-नियम में समय की एकता अथवा काल-संकलन आवश्यक छोंग माना जाता था। इसके अनुसार जो घटना नाटक में दिखायी जाती थी वह वात्तव ने उतने ही समय की होड़ी यी जितना कि उसके अभिनय ने लगता था। ऐसा करने से वात्तविक समय वा रंगमंच के समय से ऐक्य हो जाता था। इन दोनों प्रकार के संकलनों के अतिरिक्त कथानक्तु की एकरसता पर भी ध्यान दिया जाता था। इचलिए उसकी एकरसता के उपल निर्वाह के लिए नाटकीय कथानविधान में प्रारंगिक कथाओं को स्थान नहीं दिया जाता था। इच नियम को काम की एकता अथवा कार्य-संकलन बहते थे।

संकलनवय के उपर्युक्त विवेचन से स्पष्ट है कि यूनानी कलाकारों ने अपने रंगमंच की आवश्यकताओं के अनुरूप ही काल, कार्य और स्थल की एकता पर वल दिया था। वे अपने नाटकों में दृश्य-परिवर्तन नहीं करते थे। दो दृश्यों में अन्तर दिखाने के लिए वे सानूदिक गान अथवा कोरस की सुधिकरते थे। यही वात्तव में पद्मे का काम करता था। इस प्रकार रंगमंच पर स्थान-परिवर्तन नहीं होता था। समय की काट-कूट में भी उनका विश्वास नहीं था। उनके नाटक दिन-दिन भर और यात-रात मर होते रहते थे। ऐसी दृश्य में काल की एकता के साथ-साथ कार्य की एकता भी एक अनुचित सीमा तक पहुँच जाती थी। यह उनके अनुकरण-प्रधान आदर्श का फल था। वे रंगमंच और वात्तविक घटनाओं में भेद नहीं रखना चाहते थे। नाटक-नियम का यह नियम यूनान से इटली में और इटली से फ्रांस में पहुँचा जहाँ दहुत दिनों तक इसका पालन होता रहा; पर जपो-जपो कला का ज्ञेय विकसित होता गया औन्तर्यो उत्तर बलाकारों ने इह नियम का पिरोव करना

आरम्भ किया। सूक्ष्म दृष्टि से विचार करने पर उन्हें ज्ञात हुआ कि कला अनुकरण-भाव नहीं है। उसमें चयन का भी स्थान है। इसके अतिरिक्त उत्तरोत्तर बढ़ती हुई सामाजिक जीवन की जटिलता ने भी इस नियम के विरोध में उन कलाकारों को भरपूर सहयोग दिया। फलतः शैश्वपियर ने अपने नाटकों में इस नियम का पालन नहीं किया। संस्कृत-नाटक सो इससे सर्वथा दूर ही रहे। नाटक-चना में उन्होंने न तो स्थल-सकलन पर बल दिया और न काल-संकलन की ही अधिक चिन्ता की। उन्होंने एक उचित सीमा के भीतर ही कार्य, काल तथा स्थल की एकता स्वीकार की। कार्य की एकता को नाटक का आवश्यक तत्त्व मानते हुए भी वे उसकी शुद्ध वैविद्यहीनता में विश्वास नहीं करते थे। अनेकता में एकता स्थापित करना वस्तु-समग्रन की दृष्टि से ये अत्यन्त आवश्यक समझते थे। इसीलिए प्रारंभिक कथाओं का सर्वथा बहिष्कार करके नाटक में एकरसता की सृष्टि करना कला की दृष्टि से ये उपयुक्त नहीं मानते थे। कालान्तर में अंगरेजी-साहित्य में जब रोमांटिक विचार-धारा को स्थान मिला तब उसके समर्थकों ने भी कार्य-सकलन को उसके व्यापक अर्थ में स्वीकार किया। इस प्रकार धीरे-धीरे पारचाल्य नाट्य-साहित्य से संकलनशय का बहिष्कार होतो रहा, और आज जब मानव समाज पहले की अपेक्षा अत्यन्त जटिल और उसके सम्बन्ध का जाल अधिक विस्तृत हो गया है तब नाट्य-साहित्य में उसका क्या महत्त्व है!—यह सहज ही श्रनुभान किया जा सकता है।

नाटकीय विधान में संगीत का स्थान महत्त्व होना चाहिए।—यह-

प्रश्न भी अन्य प्रश्नों की भाँति अत्यन्त जटिल और नाटकीय विधान विवाद-प्रस्त है। संगीत को उपयुक्तता के सम्बन्ध में में संगीत का हमारे प्राचीन नाटककारों एवं आचार्यों का मत समझ महत्त्व

परिवाक के लिए थे संगीत को नाटकीय विधान का एक आवश्यक अंग मानते थे। सामवेद से गायन लेकर नाट्य-कला की

रुपरेखा स्थिर करनेका चर्ये ही यह दोता है कि संगीत अभिनय वा अभिज्ञ अंग है। 'गीत, शायं, नर्तनं च त्रयं संगीतमुच्चते' अर्थात् गायन, बादन और नृत्य—इन तीनों की उमस्ति से संगीत वा जन्म होता है। हमारे ग्राचीन आचार्य नाटकीय विद्यान में तीन हाइडों के इन तीनों का घौचित्व स्वीकार करते थे। उनका कहना था कि भाव-विभाव आदि के प्रकाशन, रसों के परिपाक और दर्शकों के मनोरंजन के लिए अमिलन में गायन, बादन और नृत्य—तीनों का उत्कम होना चाहिए। योहरी शताब्दी-पूर्व के पाश्चात्य नाटककारों ने भी इन्हीं हाइडोंसे अपने नाटकों में संगीत वा विद्यान किया है। हिन्दी-नाट्य-कला के जन्मदाता भारतेन्दु हरिश्चन्द्र तो संगीत-कला के परम पश्चाती थे। उन्होंने अपने नाटकों में संगीत को विशेष रूप से स्पान दिया। उनकी मृत्यु के पश्चात् हिन्दी-नाट्य-साहित्य के इतिहास में जब प्रतादिवी के शोभाटिका नाटकों का आरम्भ हुआ तब भी अभिनय में संगीत को डचित् स्थान मिला। प्रतादिवी ने अपने नाटकों में संगीत को विशेष महत्व दिया और उनके समकालीन नाटककारों ने भी उसे अपनाया। पर आगे चलाकर जब हिन्दी-नाट्य-कला पर इन्सेन आदि पाश्चात्य नाटककारों वा द्रव्यान पढ़ा और बुद्धिकारी साहित्यकारों वा आदिर्मांदि हुआ सब अभिनय में संगीत की उपेक्षा की जाने लगी। इस सम्बन्ध में बुद्धिकारी नाटककार प० लद्दर्मनायपण वा मत विशेष रूप से विचारणीय है। उन्होंने अपने नाटक मुक्ति का रहस्य वी मूर्मिका में लिखा है—'मेरी यदि मे नाटक में गीत-रचना कोई बहुत जरूरी नहीं है। कभी-कभी तो गीत समर्पणों के प्रदर्शन में दाष्ठक हो जाते हैं। इस युग में नाटक का उद्देश्य मनो-रंजन की बेहुदा पारणा से आगे बढ़ गया है। जीवन को बटिलता और गृह रहस्यों को लोलकर दिलाने का काम आजकल नाटकों-द्वारा जितनी सुगमता से हो जाता है, उहाँहें के किसी भी उन्हें विनाश से उत्तर सुगमता के साथ नहीं हो सकता। रंगभूमि के ऊपर कृष्ण भी ना रहे हैं, शिव भी गा रहे हैं, दुर्गा भी गा रही है, गरुद भी गा रहे हैं—

यह अच्छा नहीं है। नाटक में गीत का पद्धती में वहीं तक हूँ, जहाँ तक इसे जीवन में देश पाता हूँ। जिस किसी चरित्र का स्वाभाविक मुकाब में संगीत की ओर देखेंगा, उसके द्वारा दो-तार गीत गवा देना मैं मुनाफ़िय समझूँगा।'

संगीत के सम्बन्ध में मिथज्जी के उपर्युक्त विचारों की कोई भी कलाकार उपेक्षा नहीं कर सकता। अभिनय में देश, काल और पात के अनुसार संगीत का आयोजन स्वाभाविक ही होता है। विवेग के अधिकार पर संगीत का स्वर दर्शकों के लिए कर्ण-मुख्यद भले ही हो, पर उससे तत्त्वमयन्धी विषय की ओर से चित्त हट जाता है और रस के परिपाक में वाधा पड़ती है। इसी प्रकार देवताओं, नायकों अथवा नायिकाओं से गवाना अवाञ्छनीय है। संगीत अधिकार के अनुकूल होना चाहिए और उन्हीं पत्रों से गवाना चाहिए जो इस कार्य के लिए उपयुक्त और इस कला के मर्मत हैं। हरिश्चन्द्र नाटक का अभिनय करते समय यदि हरिश्चन्द्र अथवा रीव्या से गाने गवाये जायें तो हास्यास्पद ही होगा। सिनेमा-धरी में आजकल जैसे अभिनयों का प्रदर्शन हो रहा है और उनमें संगीत का जिस प्रकार आयोजन किया जाता है वह रब्बथा असंगत और अस्वाभाविक है। उससे हमारा मनोरंजन अवश्य ही जाता है, पर हमारी उचित परिष्कृत नहीं होती। अभिनय का उद्देश्य केवल मनोरंजन ही नहीं, रचि का परिष्कार भी है।

संगीत भाजणिक व्यायाम है। जिस प्रकार व्यायाम करने से शरीर को शक्ति और सूक्ष्म मिलती है उसी प्रकार संगीत से मस्तिष्क को गति और चेतना प्राप्त होती है। भाजणिक शैधिलय दूर करने के लिए संगीत रामबाण है। उससे हमारी मुन मावनाएँ जागरित होती हैं और हृदय में नवीन अनुभूतियों का उदय होता है। हृदय और मस्तिष्क में सम्बन्ध स्थापित करने का भी यही गांधीजी का लक्ष्य है। इसीलिए हमारे प्राचीन नाटककारों ने अपनी रचनाओं में इसको उचित स्थान दिया है। उनके अनुसार अभिनय आरम्भ होने के पहले रंग-मंच के भीतरी

भाग में गायन-यादन—नेपथ्य संगीतक—का आयोजन होता है। इसका उद्देश्य उपस्थित दर्शकों का मनोरंजन-मात्र है। इसके पश्चात् पूर्वरंग—कुशलपूर्वक नाटक की समाप्ति के लिए किये जानेवाले कृत्य के शास्त्रीय विधान—में भी मंगल-पाठ आदि होता है। संगीत के साथ ही नृत्य का, भी समुचित विधान रहता है। नृत्य और नृत तो रूपक के उपररण माने गये हैं। नृत्य में आंगिक अभिनय की प्रधानता रहती है और अभिनय-रहित केवल नाचना नृत कहलाता है। इन दोनों के साथ गीत और कथन का संयोग होने से रूपक का पूर्ण रूप उपस्थित होता है। नृत के अनेक भेद हैं जिनमें से 'ताडव' और 'लास्य' ही प्रमुख हैं। ताडव रूत्य भगवान् शकर की देन है। यह पौष्पेय और कठोर होता है। पूर्वरंग में इसी का विधान मिलता है। नाटकीय दृश्यों की भिन्न-भिन्न जीवन-परिस्थितियों को प्रभावयाल। बनाने के लिए संगीत का किस रूप में उपयोग किया जाय ?— इस बात पर भली भाँति विचार करके 'लास्य' के दस भेद किये गये हैं। उन भेदों का सविस्तर वर्णन शास्त्रीय ग्रंथों में मिलता है। उनके विवरण से हमें ज्ञात होना है कि इसी तथा जीवन-परिस्थितियों के अनुकूल उपयुक्त गीतों का नाटकों में समावेश होना चाहिए। संगीतहीन नाटक कोरा वादिलात है जिससे हमारे मस्तिष्क की भूल तो मिट सकती है, पर हृदय को स्फुर्त्य नहीं मिल सकता।

अबतक हमने हिन्दी की आधुनिक नाट्य-कला के संबंध में जो कुछ विचार किया है उससे स्पष्ट है कि उस पर पाश्चात्य हिन्दी नाटकों पर नाट्य-कला का विशेष प्रभाव पड़ा है। हिन्दी की पारपात्य प्रभाव नाट्य-कला का आरंभ भारतेन्दु-काल से मना जाता है। दिन्दी-साहित्य के इतिहास में भारतेन्दु-काल नदि-चैतना का युग समझा जाता है। उस युग में अङ्गरेजी सत्ता अपने चमोत्कर्ष पर थी। बेद्य-भूपा, रहन-सहन और सान-सान की ही नहीं, अङ्गरेजी भाषा और साहित्य की भी लोक-प्रियता भारत के शिक्षित

समाज में बढ़ रही थी। लोग अँगरेजी वेश-भूषा में रहना, अँगरेजी साहित्य का अध्ययन करना और उसी भाषा में बोलना अपने लिए बड़े गौरव और प्रतिष्ठा की बात समझते थे। इस प्रश्नर जीवन का प्रत्येक चेत्र अँगरेजी सभ्यता, अँगरेजी समाज और अँगरेजी संस्कृति से प्रभावित था। ऐसी दशा में तत्कालीन भारतीय साहित्य पर उम्रका प्रभाव पहुँचा स्वाभाविक ही था। उस समय अँगरेजी साहित्य ने बँगला साहित्य को विशेष रूप से प्रभावित किया। बँगला साहित्यकारों ने अँगरेजी साहित्य की प्रायः सभी विशिष्ट शैलियों और कलाओं की अपनाया और उन्हें अपने ढंग से अपने बातावरण के अनुकूल बनाकर अपने साहित्य में स्थान दिया। इससे थोड़े ही दिनों में बँगला-साहित्य में उत्कृष्ट लेखकों और कवियों का एक ऐसा समुदाय उत्पन्न हो गया जिन्हें अपनी-अपनी रचनाओं के दान से उसे समृद्धशाली बना दिया। बँगला-नाट्य-साहित्य में द्विजेन्द्रलाल राय के नाटकों की बड़ी धूम थी। अँगरेजी नाट्य-कला के आवार्य शेक्सपियर के नाटकों की रचना की उनकी लोक-प्रियता इतनी बड़ी कि हिन्दी-साहित्य भी उनसे अछूता न रह सका। हिन्दी में भी शेक्सपियर के कई नाटकों का अनुवाद हुआ और उनकी शैली पर कई स्वतंत्र नाटक लिखे गये। इस प्रकार बँगला नाट्य-साहित्य के समर्क में आने से हिन्दी नाट्य-साहित्य को जो प्रेरणा मिली उसने उसकी कला, उसके रूप और उसके विधान में थेट्ट परिवर्तन कर दिया। आगे चलकर पाश्चात्य नाट्य-साहित्य में जब 'इब्सेन' और 'शू' की कृतियाँ समादृत होने लगीं तब हिन्दी में भी उनका प्रचार हुआ और उनसे भी हमारे नाट्य-साहित्य को विशेष उत्तेजना मिली। इससे स्पष्ट है कि हिन्दी नाट्य-साहित्य पर पाश्चात्य नाट्य साहित्य की मुख्यतः दो शैलियों का प्रभाव पड़ा है। यहाँ हम उन्हीं के संबंध में विचार करेंगे।

(१) शेक्सपियर का प्रभाव—हम बता सुके हैं कि मारतेन्दु-युग-हिन्दी-साहित्य के इतिहास में नव चेतना का युग था। मारतेन्दु स्वयं

उस युग के प्रवर्तक और संचालक थे। साहित्य के क्षेत्र में उनके नाटकों का बड़ा महत्व था। उनकी कुछ रचनाओं पर तो संस्कृत-नाट्य-शैली का प्रभाव था और कुछ पर शेखसपियर की नाट्य-शैली का। उनकी देखा-देखी कुछ लोगों ने तत्कालीन पारसी रंग-मंचों के अनुकूल भी नाटक लिखे थे। ऐसे नाटकों पर एलिजाविथ-युग की नाटकीय सीन-सीनरी और अतिनाटकीय तत्त्वों का प्रभाव था। भारतेन्दु-युग के पूर्व हिन्दी का अपना कोई रंगमंच नहीं था। भारतेन्दु ने इस कमी को भी पूरा किया। वह स्वयं नाटकला में निपुण थे और अभिनय में भाग लेते थे। इससे उन्हें रंगमंच के अनुकूल नाटक लिखने में विशेष सुविधा हुई। उनके परचात् हिन्दी-नाट्य-साहित्य के क्षेत्र में जयशंकर प्रसाद ने प्रवेश किया। उनके स्पर्श से हिन्दी-नाट्य-साहित्य में रोमांटिक प्रवृत्ति का दूषपात सुआ। इस प्रवृत्ति के अन्तर्गत सुदर्शन, मालवनलाल चतुर्वेदी, वर्दीनाथ भट्ट आदि ने अपनी रचनाओं से हिन्दी-नाट्य-साहित्य के एक विशेष अभाव की गृह्णी की। यह प्रवृत्ति पारचात्य नाटकों की देन थी। कहने का तात्पर्य यह कि भारतेन्दु-युग से प्रसाद-युग तक हिन्दी में जो नाटक लिखे गये उन पर शेखसपियर की नाट्य-कला का विशेष प्रभाव पड़ा। इस प्रभाव ने हिन्दी-नाटकों की स्पन्नेसा ही बदल दी। कथावस्तु की दृष्टि से यदि देखा जाय तो पता चलेगा कि पीराणिक तथा ऐतिहासिक कथानकों के अतिरिक्त देश, समाज और जीवन की यथार्थ घटनाओं को लेकर कई नाटकों की रचना हुई और आदर्श के स्थान पर यथार्थ का चित्रण किया गया। इससे कथोपक्यन और चरित्र-चित्रण की शैलियाँ भी परिवर्तित हो गयीं। सुदि का स्थान भावुकता ने ले लिया, आदर्श चरित्र का स्थान यथार्थ चरित्र ने लिया और चरित्र का विकास स्वाभाविक ढंग से होने लगा। इस आन्तरिक परिवर्तन के सापन्साम कुछ वाद्य परिवर्तन भी हुए। प्रस्तावना, नान्दीपाठ, भूलाचरण आदि प्रयाणों का लोप हो गया; अंकों के अन्तर्गत गर्भांकों के स्थान पर दृश्य लिखे जाने लगे; प्रवेशकों और संधियों का वहिकार किया गया; पृथक-

कथन स्वरगति-कथन और पद्म-वद कथन अनावश्यक समरके जाने लगे; निरर्देशक और अप्राप्यगिक गीतों का समावेश अस्वामाधिक प्रतीत होने लगा; संबादों में तीव्रता और पात्रानुकूलता आ गयी; स्व-कथन की प्रथा का पालन होने लगा और दुखान्त नाटकों की शैली अपनायी जाने लगी। इस प्रकार हिन्दी-नाटकों के आन्तरिक और बाह्य रूपों में विशेष परिवर्तन हो गया।

(२) इस्सेन का प्रभाव—प्रथम महायुद्ध की समाप्ति के पश्चात् जब राजनीतिक देशों में साम्यवाद, समाजवाद आदि नवीन वादों का जन्म और राष्ट्रीयता तथा अन्तर्राष्ट्रीयता का दृढ़ आरंभ हुआ तब एक बार फिर साहित्यिक आदशों ने पलटा खाया। मानववादी यिद्वालों ने मनुष्य को पहले की अपेक्षा अधिक सकिंच और चिन्तक बना दिया। जीवन की नयी-नयी समस्याएँ उसके सामने आने लगीं और उसके मन और महिताङ्क को आनंदोलित करने लगीं। इससे मानव-चिन्तन की रुद्रिकादी परम्परा को बड़ा घटका लगा। जीवन और जगत् की प्रत्येक समस्या तक की रुचीयी पर कसी जाने लगी। ऐसी अस्त-ब्यस्त परिहिति में साहित्य अबूता न रह सका। उमन्यासु, कहानी, कविता, नाटक आदि साहित्य के भिन्न-भिन्न शरणों में जीवन की प्रत्येक प्रकार की समस्या पर स्वतंत्र रूप से विचार होने लगा। उचित-अनुचित, पाप-पुण्य, हिंसा-अहिंसा, गुण-दोष को पुरानी परिमापाएँ एक बार फिर तर्क की तुला पर तीनी जाने लगीं और उनका मूल्य परखा जाने लगा। वैष्णविक, पारिवारिक, सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक, धार्मिक, नैतिक, आध्यात्मिक आदि जीवन की जितनी भी समस्याएँ हो सकती थीं उन सबका इल बुद्धिकौण से सोचा जाने लगा। इस प्रकार ज्ञान, विज्ञान और मनोविज्ञान ने साहित्य में एक नयी चिन्तन-धारा को, एक नये धार को जन्म दिया। पाश्चात्य साहित्य में इछ नये धार—बुद्धिकाद—के प्रथर्तन थे इस्सेन।

इस्सेन ने सबसे पहले अपने नाटकोंमें जीवन की महत्वपूर्ण समस्याओं

को बाद-विवाद का विषय बनाया और उसके पहले तथा चिरहु, देखो का प्रदर्शन किया। यहीं यह प्रश्न हो सकता है कि क्या पहले के नाटकों में जीवन-संबन्धी समस्याओं का अभाव रहता था? और यदि नहीं, तो फिर इन्हें ने नाट्य-चाहिल्य ने किस नवीन कला को जन्म दिया? इस प्रश्न का उत्तर स्पष्ट है। हमारे प्राचीन नाटकों में भी जीवन की प्रत्येक समस्या को स्थान मिला है। अन्तर केवल इतना ही है कि उत्तर समय हमारे जीवन की समस्याएँ वर्ग-संघर्ष पर आधारित न होकर आधारिक सत्यों पर आधित थीं। उनका संबंध हमारे आधारितिक जगत् से अधिक, हमारे पार्थिव जगत् से कम था। जीवन की आधुनिक समस्याएँ अधिकार्य वर्ग-संघर्ष पर आधारित हैं। उनका संबंध आधारितिक जगत् से कम, पार्थिव जगत् से अधिक है। संस्कृत में बुद्धिवादी नाटकों का लहर है—हमारे राजनीतिक, सामाजिक, पारिवारिक तथा आर्थिक जीवन के वैषम्य का प्रदर्शन, हमारे राजाज के दिन-प्रतिदिन के दृश्य का चित्रण। उसके इस प्रकार के प्रार्तीष्य के कारण प्राचीन और आधुनिक नाटकों की श्रेणियों में भी अन्तर आ गया है। प्राचीन नाटकों में मानवत्य भाव-नाशों का उल्कर्ष समा आधारिक शृंखली पराकाष्ठा का अंदन रहता था और उठके द्वारा प्रेक्षकों को आधारनवाद की शिक्षा दी जाती थी। आधुनिक समस्यालक नाटक हमारी व्याचिक न्यूनतात्रों का प्रदर्शन और हमारे पारिवारिक, सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक तथा पार्थिक विषयों की आलोचना-द्वारा उन न्यूनतात्रों, उन दोषों पर विजय प्राप्त करने का ध्यादेय देते हैं। इस प्रकार हम देखते हैं कि यहीं हमारे प्राचीन नाटकों की आत्मा आधारितवाद से प्रेरित थी, वहीं हमारे राजाज के नाटकों की आत्मा में तर्क का—आलोचना का—निवार है। राजाज के नाटकों के पावन से अफनी नीतियों से उलझते हैं और न अपने चरित्र के वैषम्य से होड़ लेते हैं। उनका प्रधान उद्देश्य है—जीवन की परिस्थितियों के अलावे में उत्तरवर दौदिक दैदर्येंच से अपनी गुतियाँ सुलभगता। स्पष्ट है कि ऐसे विचार-प्रधान नाटक केवल

शिक्षित वर्ग तक ही सीमित रहते हैं। उनका तर्क इतना गंभीर, इतना ऊँचा उठा हुआ होता है कि साधारण जनता के मानसिक स्तर को वे आनंदोलित नहीं कर सकते।

एक बात और है जिससे दोनों की शैली एक दूसरे से भिन्न हो जाती है। हम बता चुके हैं कि हमारे कथा-प्रधान नाटकों की वस्तु का संगठन किसी-न-किसी आध्यात्मिक लक्ष्य के अनुसार होता है। समस्या-प्रधान नाटकों की कथा-वस्तु का संगठन इस प्रकार का नहीं होता। उनके अनुसार पहले सत्य की सोज होती है और तब उसी के आधार पर वस्तु और पात्रों का निर्माण होता है। कहने का तात्पर्य यह कि आधुनिक नाटक जीवन की प्रत्येक समस्या के सत्य की सोज करते हैं—ऐसे सत्य की सोज करते हैं जिसे मानव-बुद्धि स्वीकार करती है। उनमें न हो वस्तु की प्रधानता है, न पात्रों का महत्व और न किसी परंपरागत आदर्श का समर्थन। वीदिक सत्य की सोज और उसका प्रचार ही उनका चरम लक्ष्य है।

जीवन के गंभीरतम् प्रश्नों पर तर्क-बुद्धि से विचार करनेवाले नाटकों की कला का क्या रूप होगा?—यह सहज ही अनुमान किया जा सकता है। कला तर्क-विरोधी होती है। जीवन के सत्य में नहीं, जीवन के सौंदर्य में कला का निवास रहता है। इसीलिए समस्या-प्रधान नाटकों के विरोधियों का प्रायः यह आदेष रहा है कि वे कला-दीन होते हैं। उनमें विचार, तर्क और विवाद, को इतना महत्व दिया जाता है कि ‘वस्तु औपधारण बन जाती है, पात्र निष्पाण हो जाते हैं, रंगमंच विधान-भवन बन जाता है और कला निष्प्रम हो जाती है।’ वस्तुतः इन आदेषों में अधिकांश सत्यता है। समस्या-प्रधान नाटकों के रंग-मंच साधारण होते हैं। उनकी आवश्यकताएँ कम होती हैं। एक ही दो दृश्यों से उनका काम निकल जाता है और उनके प्रदर्शन में समय भी कम लगता है। उनमें संवाद पर ही अधिक बल दिया जाता है और उसी को कार्य की प्रगति का आधार माना जाता है। उनकी

संवाद-कला अत्यन्त कोमल, सरल तथा स्वाभाविक होती है। उसमें न तो कपित्व रहता है, न भाषण का उद्घोष रहता है, न कलना की उड़ान रहती है और न भाषा की काढ़-छुई। उनके संवाद जीवन के इतने समीप होते हैं कि उनमें विशेष प्रयत्न की आवश्यकता ही नहीं पड़ती। इस प्रकार हम देखते हैं कि समस्या-प्रधान नाटकों का प्रदर्शन अत्यन्त सरल और स्वाभाविक होता है।

हिन्दी-नाटककारों पर बुद्धिवादी नाटककारों की विचार-भारा का भी प्रमाण पड़ा है। बुद्धिवादी नाटककार उन सत्यों पर एकाग्र होकर विचार करते हैं जिनके द्वारा जीवन के विविध तत्त्वों की व्यवस्था संभव हुई है। इससे स्पष्ट है कि उनके नाटकों का मूलाधार है, मानव आत्मा। आत्म-जगत् की परिधि में ही उनकी कला अपने उत्कर्ष पर पहुँचती है। उन्हें मनुष्य के वाह्य-जगत् से कोई संबंध नहीं रहता। मनुष्य के आत्म-जगत् के द्वन्द्वपूर्ण उत्कर्ष की कहानी कहना ही उन्हें प्रिय होता है। ऐसी कहानियों में उनके दृष्टिकोण 'वैयक्तिक, व्यंगात्मक, तथा स्वर्ववादी' होते हैं। समाज तथा परिवार से सम्बन्धित नाटकीय कहानियों में उनका व्यंग कहुता की सीमा तक पार कर जाता है। उनके व्यंग का लक्ष्य होता है—मनुष्य का आत्म-जगत्। वे विशेषतः उन आदर्शों तथा उन व्यवस्थाओं से सम्बन्धित आचार-विचार को अपने व्यंग का आधार बनाते हैं जिसे मनुष्य ने अपने दैनिक जीवन-सापन के लिए बहुत दिनों से बना रखा है। इस प्रकार जिन आदर्शों को मनुष्य अपनी जीवन-सापन में 'धूम्रतारा' मानकर चलता है उनकी निःसारता तथा उनकी निरर्थकता प्रदर्शित करना ही उनका मुख्य प्येष होता है। उनका विश्वास है कि मनुष्य अपने जीवन के संचालनार्थे जिन आदर्शों की रचना करता है वे ही उसे पोखा देते हैं। वे कोरे आदर्श होते हैं। वे कार्य में परिणत तो होते नहीं, पर मनुष्य सदैव उन्होंकी दुहाई दिया करता है जिसका फल होता है—कपट, पालंड। इसलिए ऐसे मिथ्या आदर्श मानवता के लिए कलंक हैं, भार-रूप हैं।

बुद्धिवादी नाटकों में नाटककारों का वैयक्तिक दृष्टिकोण होता है। आत्म-सिद्धि के लिए वे इसी प्रकार का दृष्टिकोण उपयुक्त समझते हैं। सामूहिक व्यवस्था में उनकी आस्था नहीं होती। उनके विचार से संगठित बहुमत सत्यता और स्वतंत्रता का घोर शब्द होता है। व्यक्ति के सुधार से परिवार, समाज, राष्ट्र—सबका सुधार हो सकता है। जब इटें ही कमज़ोर हैं तब उनसे बना हुआ भवन टिकाऊ कैसे हो सकता है। उचित ही है, पर व्यक्ति का सुधार हो कैसे। इस प्रश्न के उत्तर में उनसा कहना है कि मनुष्य जब अपनी इच्छा-शक्ति के माध्यम-द्वारा सत्य और स्वतंत्र रूप में अपनी आत्माभिष्वंजना करता है तब उसकी उच्चति होती है। उसकी उच्चति से परिवार, समाज, राष्ट्र—सभी पनपते, पूलते-फ्लते और विकसित होते हैं। जो व्यक्ति पग-नग पर जीवन में समझौता करते चलते हैं, उन्हें आत्म-सिद्धि प्राप्त नहीं होती। आत्म-सिद्धि का भूलमंडल है त्याग। मनुष्य के त्याग से ही परिवार, समाज और राष्ट्र को बल मिलता है। जो मनुष्य अपने लिए जीता है उसका जीना बास्तव में जीना नहीं है। जीना उसी का उफल है जो दूसरों के लिए जीता है। यही आत्म-शक्ति है, यही उससा आत्म-विस्तार है, यही उसकी आत्म-सिद्धि है। इस प्रकार जबतक पराये-जीवन और वैयक्तिक जीवन का समन्वय नहीं होता तबतक आत्मोन्नति नहीं होती। संचोर में यही है इडेन वा बुद्धिवाद।

इन्हें के इसी बुद्धिवाद ने आधुनिक यथार्थवाद को जन्म दिया है जिसका प्रमुख उद्देश्य है—दैनिक जीवन का प्रदर्शन और सामयिक सम्पादनों का परिशुल्लेख। इस उद्देश्य ने नाटक के चित्र-क्षेत्र को अस्वन्त विस्तृत कर दिया है। दंडित-मूर्ख, पुरुषात्मा-पापी, पूँजीरति-अमज्जीवी, अमीर-गरीब, शोषक-शोषित, स्वस्थ-रोगी, कँच-नीव—सब नाटकों के पाव बन गये हैं और बनते जा रहे हैं। इन पात्रों के अनुकूल ही नाटक के चित्र सोजे जाते हैं। आधुनिक जीवन की कोई-न-कोई समस्या—परिवारिक, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, धार्मिक, आध्यात्मिक,—

नैतिक—नाटकीय रूप में हमारे सामने आती है और हमें उस पर विचार करने तथा उसका उचित हल खोजने के लिए याभ्य करती है। हिन्दी-नाटककारों में दं० लहरीनारायण मिश्र ही इस दिया में अग्रगण्य है। हिन्दी के घह 'इन्सेन' है। उन्होंने 'इन्सेन' की कला को शृणुनाकर, उसे पनाकर अपने देश, समाज और परिवार के अनुकूल बनाया है। उनकी देखा-देखी हिन्दी के अन्य नाटककार भी इन्सेन और शा की शैली अपना रहे हैं।

अब हम प्राचीन और आधुनिक नाटकों पर तुलनात्मक दृष्टि से विचार करेंगे। हम बता चुके हैं कि प्राचीन प्राचीन और नाटक आदर्शवादी थे। उन नाटकों में नायक धर्म आधुनिक नाटक और नीति वा प्रतिनिधि होता था। यह धर्मोदाता, धीरोदत, धीरप्रशान्त और धीरलित चार प्रकार का होता था। इन चारों का परामर्श समाज को दिसी प्रकार स्वीकार नहीं था। इनकी विजय से धर्म और नीति की विजय और इनकी पराजय से धर्म और नीति की पराजय उभयों जाती थी। धर्म और नीति की पराजय का अर्थ या—समाज में अधर्म और अनाचार का प्रचार। ऐसी दिया में हमारे प्राचीन आचारों ने सूदैव आदर्शवाद का ही सहारा लिया। उनकी रचना स्वाभाविक होती है अथवा नहीं, यथार्थ परिस्थितियों का अनुगमन करती है अथवा नहीं—इसकी उन्होंने कभी चिन्ता नहीं की। उनका एक गाव उद्देश्य था—अपनी संस्कृति, अपनी सम्यता और अपनी विचार-परंपरा के अनुकूल अपने आदर्श की स्थापना। इसीलिए उन्होंने कभी दुखान्त रचना नहीं की। उनकी सभी प्रकार की रचनाओं का अंत लोक-रंजन में होता था। संस्कृत की यह नात्य-परंपरा कालान्तर में लुप्त हो गयी और उसके स्थान पर पाठ्यनाट्य-साहिल्य की नात्य-परंपरा ने अपना स्थान बता लिया। हमारे नाटककार आदर्शवादी से यथार्थवादी हो गये। आदर्शवाद के नाम पर यथार्थ और स्वाभाविकता की इत्ता करना उन्हें स्वीकार नहीं हुआ।

उन्होंने अपनी रचनाओं में जीवन की स्वाभाविकता पर ही अधिक बल दिया और 'रस' की अपेक्षा मनोवैशानिक संघर्ष का ही चित्रण किया। फलतः संस्कृत-नाटकों में जो दृश्य वर्जित थे, मानव-कल्याण के लिए जो धारक और विपाक समझे जाते थे उनका भारतीय रंगमंच से प्रदर्शन होने लगा और मृत्यु तथा परामर्श के दृश्य दिखाये जाने लगे। इस प्रकार आधुनिक नाटक प्राचीन नाटकों से संवेदा भिन्न हो गये। आज हिन्दी-साहित्य में जो नाटक लिखे जा रहे हैं उनमें जीवन का स्वाभाविक रूप अधिक सफलतापूर्वक चित्रित हुआ है। संक्षेप में दोनों प्रकार के नाटकों में निम्नलिखित अन्तर है :—

(१) कथानक की दृष्टि से प्राचीन नाटक आदर्शवादी होते थे। उनमें आदर्श-विशेष की प्रतिष्ठा के लिए यथार्थ के साथ-साथ वल्पना का पुट अधिक रहता था। इसलिए वे अस्वाभाविक-से लगते थे। आधुनिक नाटक यथार्थवादी दृष्टिकोण से लिखे जा रहे हैं। उनमें जीवन की स्वाभाविकता और यथार्थता के साथ-साथ पात्र-संघर्ष तथा अंतर्दृढ़ का धारुल्य है और जीवन की प्रमुख सामाजिक समस्याएँ रंगमंच पर आकर अपना हल खोजने लगी हैं। इस प्रकार कल्पना और भावुकतामय आदर्श के लिए आधुनिक रंगमंच पर अब कोई स्थान नहीं है। आधुनिक नाटककार ऐतिहासिक तथा पौराणिक गाथाओं के चेत्र से निकलकर वास्तविक जीवन के चेत्र में आ गये हैं और उनमें पारस्परिक द्वेष की अपेक्षा सामाजिक संस्थाओं के प्रति चिद्रोह का अधिक चित्रण हो रहा है। इस प्रकार प्राचीन नाटकों के कथानकों की अपेक्षा आधुनिक नाटकों के कानून वास्तविक जीवन के अधिक निरूप और स्वाभाविक हैं।

(२) बलु की अवस्थाओं की दृष्टि से प्राचीन नाटकों में संघर्ष केवल मध्य तक ही रहता था। इसके पश्चात् नायक की विजय का उपक्रम आरम्भ हो जाता था। इस प्रकार उनमें 'चरम सीमा' के लिए कोई स्थान नहीं था। आधुनिक नाटकों में संघर्ष अन्त तक रहता है और वह अपनी-

‘चरम सीमा’ पर पहुँचकर शान्त होता है। इस प्रकार प्राचीन नाटकों का अन्त जहाँ उदैप सुखान्त होता है वहाँ आधुनिक नाटकों का अन्त परित्यक्तियों के अनुसार कभी सुखान्त, कभी दुखान्त और कभी मध्यान्त होता है।

(३) पात्र की हाइ से प्राचीन नाटकों का चैत्र निर्मित है। नाव्य-शाल के शतुरार उनका नायक श्रीरोदाच, धीरललित, धनिष्ठांत्र अथवा धीरेष्वत होता था। वह उच्च कुल का और विशिष्ट गुण-रूप होने के साथ-साथ किंतु नन्दिती आदर्श की स्थापना करता था। आधुनिक नाटकों में इस प्रकार का कोई वर्णन नहीं है। नाटककार अपनी पात्र-जीवन में स्वतन्त्र है। वह जीवन के दिनों से त्वर हु, जिन्होंने मौजैत्र से अपने पात्र ले सकता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि प्राचीन नाटकों में वहाँ पात्र विशिष्ट गुणों के प्रतीक होने ये वहाँ आधुनिक नाटकों में जो पात्र जीता है उनको उनी सब ने प्रदण करके चिकित किया जाता है। परिणामतः प्राचीन पात्रों को अनेक आधुनिक पात्र प्रादिक भनो-देहानिक और स्यामाविक हैं।

(४) चरित्र-चित्रण की हाइ से भी दोनों में पर्याप्त अन्तर है। प्राचीन नाटकों में पात्रों का चरित्र-चित्रण एक आदर्श की पूर्ति के लिए किया जाता था। इसलिए उन्हें स्वनिर्मित भाग पर नहीं, अनितु भाट्ट-कार-द्वाय निर्मित भाग पर चलना पड़ता था और उन्होंने उन्होंने वह प्रतिसादन करना पड़ता था जो आदर्श कियोप की स्थापना में सहायक होते थे। इस प्रकार पात्र नाटककार के सर्वया निष्पत्रण में रहते थे। आधुनिक नाटकों में पात्रों को अपना भाग निर्माण करने की पूरी स्वतंत्रता है। उन्हें किसी प्रकार का वर्णन स्वीकार नहीं है। ये दूसरी स्यामाविक गति से आगे दृढ़ते हैं और इन्हें भातों का लटीकरण करते चलते हैं। उनमें बात संदर्भ की अपेक्षा अन्तरिक संदर्भ अधिक है। इस प्रकार वहाँ प्राचीन नाटकों में चरित्र की अपेक्षा सत्य और न्याय-चिदानन्दों की मिलती है वहाँ आधुनिक नाटकों में चर्तव वह

विश्लेषण ही प्रमुख है। उनमें सिद्धान्त-प्रतिपादन वहीं आता है जहाँ हमें उनकी आवश्यकता होती है, अन्यथा चरित्र-चित्रण में, सर्वोदय के साथ प्रकाश की भाँति, सिद्धान्त आपसे-आप निकल आता है।

(५) कथोपकथन की दृष्टि से प्राचीन और आधुनिक नाटकों में विशेष अन्तर नहीं है। प्राचीन नाटकों में स्वगत कथन का बहुल्य रहता था। यह आत्माभाविक-सा लगता था। आधुनिक नाटकों में अब इसका स्थान पात्र विशेष ने ले लिया है। इस परिवर्तन से उनमें स्वामाविकता आ गयी है। इसके अनिरिक्त आधुनिक नाटकों में संगीत की अपेक्षा संवाद की उपयोगिता पर अधिक बल दिया जाता है। संगीत की आवश्यकता अब केवल बातावरण के निर्माण और संगीत-प्रेमी के चरित्र-चित्रण तक ही सीमित रह गयी है। इस प्रकार स्वगत कथन की भाँति उगीत मी आधुनिक नाटकों से निर्वाचित-सा हो रहा है।

(६) अभिनय की दृष्टि से भी प्राचीन और आधुनिक नाटकों की रचना में अन्तर आ गया है। प्राचीन नाटकों में सूरधार आदि द्वारा नाटक की जो भूमिका वाँधी जाती थी वह आधुनिक नाटकों में लुप्त हो गयी है। आधुनिक नाटकों में आकाश-भाष्यित आदि की भी आवश्यकता नहीं पड़ती। इस प्रकार पहले की अपेक्षा आधुनिक नाटकों में स्वामाविकता अधिक आ गयी है।

(७) प्राचीन नाटकों की रचना में मृत्यु आत्मघात, रक्षपात आदि दुर्सद घटनाओं का समावेश नहीं किया जाता था। उस समय के आचार्यों का यह मत था कि रंगमंच से किसी ऐसी दुर्सद घटना का प्रदर्शन नहीं होना चाहिए जो जीवन की शृंखला को छिन्न-भिन्न कर दे और उसमें आरा और आनन्द का संचार करने के स्थान पर निराशा, और दुःख की सुष्ठि करने में सहायक हो; परन्तु आधुनिक आचार्यों का यह मत नहीं है। उनमा कहना है कि रंगमंच से, जीवन जैसा है वैसा ही, चित्रित होना चाहिए। फलन: आधुनिक रंगमंच से ऐसी सब प्रकार की दुर्सद घटनाएँ दिखायी जा रही हैं। उनके लिए कोई प्रतिवन्ध नहीं है।

(५) प्राचीन नाटकों का लदर था—रस का परिपाक। इसलिए उनमें आदि से अनु उक रस की प्रधानता रहती थी और उनके परिपाक के लिए उन सभी साधनों से सहायता ली जाती थी जो शास्त्रोंपर हाति से अपेक्षित थे। पर आधुनिक नाटकों का यह लदर नहीं है। उनमें रस का स्थान उद्देश्य ने ले लिया है। इस प्रकार जहाँ प्राचीन नाटकों में रघ का स्थान प्रमुख होता था वहाँ आधुनिक नाटकों में उरका स्थान गौण हो गया है और यह केवल उद्देश्य को पूर्ति में सहायता दोता है।

(६) रगमंच की व्यवस्था की हाति से प्राचीन नाटक संकेतात्मक होते थे। उस समय के नाटककार वैदानिक साधनों के अभाव में दहुर-सी जाती के लिए केवल संकेत से काम लेते थे। ऐसी दशा में रगमंच की स्वाभाविकता नष्ट हो जाती थी और दर्शकों पर भनोवांछित प्रभाव नहीं पड़ता था। आधुनिक नाटककारों ने जीवन की वास्तविकता के चिन्हों के साथ-होन्याथ रंगमंच को कला में भी विकास किया है। आधुनिक रंगमंच प्राचीन रंगमंच की अपेक्षा ध्यानिक कलात्मक और वैज्ञानिक है।

इस प्रकार हम देखते हैं कि आधुनिक नाटक जीवन की स्वाभाविकता और व्यथार्थता के अधिक निकट आ पहुँचे हैं। याप ही व्यथार्थक की प्रतिक्रिया भी चल रही है। द्वितीय समस्याओं को छोड़कर मानव जाति को चिरन्तन और मीलिक समत्याक्षोंकी ओर भी कलाकारों का ध्यान आकृष्ट हो रहा है। कहने का तार्त्त्व यह कि नयेन्ये विषय हमारे नाटककारों के सामने आते जा रहे हैं और उन्हीं की अभिव्यक्ति में वे नयेन्ये साधनों द्वारा अपनी नात्य-कला का विकास कर रहे हैं। इसके साथ ही हमें यह भी स्मरण रखना चाहिए कि हमारे प्राचीन नाटक हमारे मुख और वैमव-बाल के सूचक हैं। इसके विरुद्ध हमारे आधुनिक नाटकों का जन्म जीवन की उन परिस्थितियों में हुआ है जो संघर्षन्य हैं, और जिनमें अर्थान्ति और कोलाहल, दौड़-भूर और प्रतिहिंसा दू पूर्वित हैं। ऐसी दशा में हम अपने प्राचीन मार्ग से कितनी दूर हट आये हैं—यह मली भाँति देखा जा सकता है।

हम अभी बता चुके हैं कि नाटक में स्वगत-कथन का प्रयोग अत्यन्त अस्थाभाविक होना है। हमें यह परपरा संकृत-नाटकों नाटक में स्वगत- से मिली है। शशनात्य नाटकों में भी हमें इस पर-कथन का प्रयोग परा का पालन मिलता है। शोक्सपियर के नाटकों में इसका प्रयोग हुआ है। नाटकों में इसे क्यों स्थान दिया गया है—यह विचारणीय है। जीवन की बहुत-सी बातें हम गोप-नीय रखना चाहते हैं। उनका प्रसाधन हम अपने काल्याण और उद्देश्य में वाधक समझते हैं। इसलिए जीवन के दैनिक व्यापारों में हम उन्हें छिपाये रहते हैं। यदि जीवन की किसी परिस्थिति में उनका छिपाना हमारे लिए असंभव हो जाता है तो हम उनका प्रसाधन अपने विश्व-सनीय मित्र-द्वारा ही करते हैं। नाटक हमारी जीवन-परिस्थितियों का साहित्यिक प्रतिनिधि है। इसलिए उसमें स्वगत-कथन को भी स्थान दिया गया है। इसके द्वारा पात्र अपने गोपनीय विचारों और भावों का उद्घाटन नाटकीय कथा-नूत्र के निवाह के लिए करता है। पर जीवन का यह सत्य, जीवन की यह स्थाभाविकता कलात्मक प्रदर्शन में असत्य और अस्थाभाविक-सी दीख पड़ती है।

नाटकों में स्वगत-कथन की दो शैलियाँ मिलती हैं। इसकी एक शैली तो उस अवस्था में मिलती है जब पात्र अचेला रहता है। उस समय वह रंगमंच पर अपने-आप बातें करता हुआ दिखायी पड़ता है और वह भी योड़ी देर तक नहीं, कभी-कभी इतनी देर तक कि दर्शकों का जी ऊर जाता है और सारा बातावरण अस्थाभाविक जान पड़ता है। स्वगत कथन की दूसरी शैली उस समय मिलती है जब दो व्यक्तियों में बातें होती हैं और उनमें से एक, दूसरी और मुँह केरकर, इस प्रकार अपनी गोपनीय चान कहता है कि उसे दर्शक तो सुनते हैं, पर उन्हीं के पास खड़ा हुआ उसका साथी उसे नहीं सुन पाता। यह आत्म-प्रबंचना और प्रदर्शन अस्थाभाविक नहीं तो और क्या है! ऐसी दशा में फिर वही मूल प्रश्न हमारे सामने आता है और वह यह कि गोपनीय विचारों का

प्रकाशन रंगमंच से किए प्रकार किया जाय कि कथा-सूत्र के सफल निर्वाह में वाधा न पड़े और रंगमंच की स्थामाविकता भी नष्ट न हो !

पाइचात्य नाट्यकारों ने वडे स्थामाविक ढङ्ग से इस प्रश्न को सुल-माया है। उन्होंने एक ऐसे पात्र की वल्पना की है जो नायक अथवा नायिका का विश्वसनीय होता है और वही उनके गोपनीय पिचारों को जानकर उनका प्रकाशन करता है। इस युक्ति से पात्रों के कथोपकथन में स्थामाविकता बनी रहती है और कथा-निर्वाह में भी कोई वाधा नहीं पड़ती। भारतेन्दु और प्रसाद-काल फे नाटकों में स्वगत-कथन की भरमार है, पर आब जो नाटक लिखे जा रहे हैं उनमें इसका उपयोग नहीं के बावर है।

नाटक-रचना के सम्बन्ध में एक अभाव का उल्लेख करके हम इस अध्याय को समाप्त करेंगे। हमने यह देखा है कि नाटक में रह-हमारे अधिसौश नाटक अभिनेय नहीं हैं और यदि वे संकेतों का महाव हैं भी तो रहगमन पर खरे नहीं उतरते। इसका प्रमुख कारण उनमें रह-संकेतों का अभाव है। रह-संकेतों के न होने से रहगमन पर नाटक की आत्मा का प्रकथन नहीं हो पाता। कहा जा सकता है कि संस्कृत-नाटकों में रह-संकेत कहाँ थे ? ऐसा प्रश्न वही कर सकते हैं जिन्होंने संस्कृत-नाटकों की आत्मा में प्रवेश नहीं किया है। संस्कृत-नाटकों में रह-संकेत अवश्य नहीं हैं, पर संस्कृत का नाट्य-शास्त्र इतना समृद्ध है कि उसमें प्रत्येक नाटक और उस नाटक के प्रत्येक पात्र और उसके अनुकूल रंगगत के लिए पांच मात्रा में रह-संकेत मिलते हैं। यही कारण है कि यदि हम आज भी उन नाटकों को खेलना चाहें तो हमें उनके अनुकूल रहगमन निर्माण के लिए दूसरे का मुँह ताकने कि आवश्यकता नहीं होगी, पर हिंदी-नाटक आधुनिक होते हुए भी अपने अनुकूल रहगमन-निर्माण में हमारी सहायता नहीं कर सकते। हिन्दी का अपना कोई नाट्य-शास्त्र नहीं है, उसका अपना कोई सिद्धान्त नहीं है। नाटक-रचना में हम कथाएँ पनी रखते हैं, पर उसके यस्तुविधान, चरित्र-चित्रण, तथा आवाजों के

के लिए हम पाश्चात्य कलाकारों की कृतियों के पन्ने उलटते-पलटते हैं। हमारी स्वर्तन्त्र परम्परा के लिए यह मनोवृत्ति बाधक है। इसे दूर करने और अपने सांस्कृतिक वातावरण के अनुकूल नाट्य-कला का विकास करने के लिए नाटकों में रहन-संकेतों का देना परम आवश्यक है। नाटककार अपने नाटक के अभिनय के लिए किस प्रकार का रहन-मंच चाहता है, अपने पात्रों को दर्शकों के सामने किस रूप में, किस वेश-भूषा में और किस वातावरण में उपस्थित करना चाहता है, विशेष परिस्थिति में उनकी मुद्रा कैसी होनी चाहिए, देश-काल और समाज के अनुसार उन्हें कैसा आचरण करना चाहिए, आदि-आदि बातों के लिए जब नाटक में पर्याप्त संकेत रहते हैं तब न तो मंच-संचालक को कठिनाई होती है और न दर्शकों के सामने नाटक की आत्मा का हनन। हिन्दी के लोक-प्रिय एकाँकीकार डा० रामकुमार वर्मा ने इस दिशा में विशेष प्रयत्न किया है। यदि हमारे अन्य नाटककार भी उनके मार्ग का अवलंबन करें तो रहन-मंच-निर्माण की एक बाधा आसानी से हल हो सकती है और नाटक-कार को अपने उद्देश्य में विशेष सफलता मिल सकती है।

: ६ :

## एकांकी की उत्पत्ति और विकास

नाथ्य-साहित्य में एकांकी का जन्म क्या और किस प्रकार हुआ ?—

यह बताना अत्यन्त कठिन है। संस्कृत-साहित्यकार संस्कृत-एकांकी धार्मिक कृतियों से एकांकी की उत्पत्ति स्वीकार करते हैं। वा अन्य प्रादादजी का कहना है कि वैदिक काल में यज्ञ के अवसरों पर संवाद-रूप में छोटे-बड़े अभिनय हुआ करते थे। इसी प्रकार के एक छोटे अभिनय का प्रसंग सोमशाग के अवसर पर मिलता है। इसमें केवल वीन पात्र है—(१) यजमान, (२) सोम-विक्रेता और (३) अध्यर्यु। संभव है, ऐसे ही छोटे अभिनयात्मक संवादों के आधार पर नाटकों के साय-साथ एकांकी की रचना आरंभ हो गयी हो और कालान्तर में उसका विकास हुआ हो। जो भी हो, यह निर्विदाद है कि एकांकी की उत्पत्ति धार्मिक कृतियों से ही हुई है और हम उसका प्रथम दर्जन वैदिक संवादों में पाते हैं।

ऐतिहासिक रूप में यदि हम एकांकी की उत्पत्ति जानना चाहें तो हमें मरत मुनि के नाथ्य-शास्त्र पर विचार करना होगा। मरत मुनि ने रूपक और उपरूपक के जो दृष्टि भेद किये हैं उनमें से अधिकांश ऐसे हैं जिनकी गणना एकांकी के अन्तर्गत की जा सकती है। भाण, व्यायोग, अंक, शीथी, प्रहसन, गोष्ठी, नाट्यरासक, उल्लाप, काव्य, मौरण, रासक, श्रीगद्वित तथा विलासिका—सर्वां एकांकी नाटक हैं। इनके अध्ययन से ऐसा प्रतीत दोता है कि मरत मुनि के समय से संस्कृत-नाटककारों ने अपनी चात को कई अंकों में न कहकर अवसर और आंदेशक्ता के अनुकूल केवल एक अंक में ही बहने का नवीन प्रयोग किया होगा और इस प्रयोग में सफलता मिलने पर उनसे दाय

एकांकी लिखने की प्रथा चल पड़ी होगी। यही कारण है कि इम संस्कृत के छोटे-बड़े विविध नाटकों में केवल शैली-भेद पाते हैं। उनमें एक-नीक<sup>१</sup> का अन्तर तो है, पर यिद्वान्त का अन्तर नहीं है और इसीलिए संस्कृत-नाट्य-साहित्य में एकांकी का गूँजाकन नाटक के ही अन्तर्गत होता है। एकांकी का नाटकों से पृथक् भूल्याकन पाश्चात्य साहित्यकारों ने किया है। उनके एकांकी-रचना के सिद्धान्त नाटकों के सिद्धान्तों से सर्वथा भिन्न है।

संस्कृत-नाट्य-साहित्य में एकांकी की उत्पत्ति के सम्बन्ध में एक तीसरा मत भी है और वह है सामाजिक। इस मत के अनुसार दो समस्याएँ स्पष्ट रूप से सामने आती हैं—एक तो है समयाभाव की समस्या और दूसरी है इसी से संबद्ध मनोरंजन की समस्या। इसमें सदैह नहीं कि हमारे जीवन में मनोरंजन का भी स्थान है, पर कला और साहित्य के विकास में हमें सर्वप्रथम प्रेरणा मिली है लोक-कल्याण की भावना से। मनोरंजन का—उस प्रकार के मनोरंजन का जो पाश्चात्य जीवन और साहित्य का मुख्य लक्ष्य है—हमारे जीवन और साहित्य में गौण स्थान है। संक्षेप में, लोक-कल्याण-जन्य मनोरंजन ही हमारे जीवन और साहित्य का लक्ष्य रहा है। ऐसी दशा में हमने मनोरंजन की लालसा से प्रेरित होकर एकांकी को जन्म दिया हो—यह सहस्र विश्वास नहीं किया जा सकता। अब रही समयाभाव की बात। शास्त्रीय अंधों तथा प्राचीन एकांकियों के अध्ययन से यह कही भी स्पष्ट नहीं होता कि संस्कृत-काल में उनकी क्यों आवश्यकता हुई? नाटकों के खेले जाने के जिन अवसरों का उनसे पता चलता है, वे या तो किसी धार्मिक उत्सव—देव-पूजा, यज्ञ आदि—से सम्बन्ध रखते हैं या किसी राजकीय उत्सव—राज्याभियेक, विवाह, विजय, वन-विहार, सन्तानोत्पत्ति, आखेट आदि—से। ऐसे आनन्द और उल्लास के अवसरों पर समयाभाव के कारण नाटक के स्थान पर एकांकी खेले जाने की आवश्यकता पड़ती रही हो—यह समझ में नहीं आता। प्राचीन मार-

तीय जीवन के अंतर्गत का चिन्ह हमें जिन विषयों से मिलता है उनके अध्ययन से हमें कहीं भी अत्यधिक व्यस्तता का पता नहीं चलता। संभव है, गुप्त-काल में अथवा उसके आस-पास नाटकों का प्रचार बढ़ने और रंगशाला-सम्बन्धी कठिनाइयों के सामने आने पर, अबसर पिशेष के अनुकूल, एकांकी की रचना हुई हो, पर उनका न तो नाथ्य-साहित्य में विशिष्ट स्थान है और न नाथ्य-कला के विकास में कोई सराहनीय सहयोग। ऐसी दृष्टि में यह मानना कि संस्कृत-एकांकियों का जन्म सामाजिक आवश्यकता के बारण हुआ है, हमारे मत से उचित नहीं जान पड़ता।

अँगरेजी-नाथ्य-साहित्य में एकांकी के उदय का एक रोचक इतिहास है। अँगरेजी नाटककारों का कहना है कि दसवीं अँगरेजी-एकांकी शताब्दी के आस-पास एकांकी का जन्म हुआ है। का जन्म उनके मत के अनुसार उस समय के ईसाई मिथुन और पादरी सर्वसाधारण में अपनी धार्मिक शिक्षाओं का प्रचार करने के लिए सन्तो और धार्मिक महापुरुषों की जीवनी से ऐसे रोचक एवं आश्चर्यजनक पठनाओं का व्यय करके उनका नाथ्य-काय ढंग से प्रदर्शन करते थे जो योड़ी देर तक दर्शकों को अपनी और आकृष्ट करने के साथ-साथ धार्मिक नेतृत्व से उन्हें परिपूर्ण और उनके हृदय में धार्मिक शिक्षाओं के लिए उचित पृष्ठभूमि बैंधार कर देते थे। ऐसे कथानकों में कहीं प्रेम की पराकाष्ठा रहती थी, वही दया और कषण की विजय का उल्लास रहता था, कहीं सहानुभूति की अविरल वर्ण होती थी और वही उदारता एवं त्याग की कीर्तियाँ मिलती थीं।

इस प्रकार धार्मिक शिक्षाओं के साथ-साथ जनता में धैर्य, प्रेम, त्याग, सहानुभूति, उदारता, त्याग, अद्वा, भक्ति, सेवा और दान आदि संवंधी उच्च कोटि की नैतिक भावनाओं का भी प्रचार हो जाता था। पाश्चात्य नाथ्य-साहित्य में ऐसी ही नैतिक तथा धार्मिक भावनाओं की पृष्ठभूमि और उनके उद्देश्य में हमें एकांकी का प्रयत्न दर्शन मिलता है। इसके

स्वतंत्र अस्तित्व की घोषणा सबसे पहले हठली में 'कमेडिया-डेलन्ट्रार्टी' में दिखायी देती है। मिस्ट्री (रहस्यात्मक), मिरेकिल (अलौकिक) तथा मोरेलटी (नेत्रिक) झेल (अभिनव) भी अधिकांश एकांकी होते थे। फ्रांसीसी तथा सोलहवीं शताब्दी के इन एकांकी नाटकों में कथानक की संज्ञिस्तता के साथ-साथ विषय का एकांकीपन भी रहता था। एलिजबेथ के सुग में बड़े-बड़े नाटकों के बीच में गर्मांक (इंटरल्यूड) जोड़ दिये जाते थे जिनका मुख्य उद्देश्य मूल नाटकों की गति में घोड़े काल के लिए विश्राम उपस्थित करना तथा दर्शकों का मनोरंजन-मात्र होता था। इसी प्रकार दुखात नाटकों का प्रभाव हल्का करने के लिए नाटक के अन्त में 'आफ्टर पर्सेन' का अभिनव होता था। सब्रह्मवीं और अठारहवीं शताब्दी तक एकांकी नाटक अपने इसी रूप में दर्शकों के सामने आते रहे। परन्तु आज जिस रूप में हम अँगरेजी-एकांकी पाते हैं उस रूप में उनका जन्म बीसवीं शताब्दी की बात है।

कहा जाता है कि बीसवीं शताब्दी के आरम्भ में नाटकों का प्रचार बढ़ने पर जब रंगशालाओं की ओर दर्शकों का ध्यान आकृष्ट हुआ तब दर्शकों की उपस्थिति-सम्बन्धी कठिनाई सामने आयी। बात यह थी कि नाटक आरम्भ होने के समय तक सभी दर्शक एकत्र नहीं हो पाते थे। रात्रि में देर से—लगभग नीं बजे तक—भोजन करने के कारण दर्शक प्रायः अपनी-अपनी सुविधा के अनुसार रंगशालाओं में आ पाते थे और ऐसे उस समय आरम्भ हो पाता था जब प्रायः सभी दर्शक आ जाते थे। ठीक यही कठिनाई प्रीनिमोजों के अवसर पर लोगों को मेलनी पड़ती थी। जबतक यभी आमंत्रित सज्जन एकत्र नहीं हो जाते थे तबतक कोई भोजन नहीं कर पाता था। ऐसी दशा में जो दर्शक अपना अतिथि निश्चित समय से पूर्व आ जाते थे उनके मनोरंजन के लिए एक उपयुक्त साधन की आवश्यकता हुई। इसी साधन की सोन में एकांकी का निर्माण हुआ। इसका प्रथम उद्देश्य था—योड़े समय में उपस्थित दर्शकों के लिए मनोरंजन प्रस्तुत करना। फलतः

उस समय जो एकांकी लिखे गये वे पट-उन्नायक अथवा 'कर्टैन रेजर' के रूप में अबतक मिलते हैं और वही आधुनिक एकांकी के जनक हैं। विक्टोरियन-युग में ऐसे ही एकांकियों का विशेष प्रचार हुआ है। ऐसे छोटे एकांकी नाटक का पर्दा उठने के पूर्व खेले जाते थे। सन् १८०२ में एक विशेष घटना हुई और उस घटना ने पट-उन्नायकों की रक्षा में विशेष परिवर्तन कर दिया। उस वर्ष जैकब बी एक बहार्ना 'बन्दर का नाच' एकांकी के रूप में, नाटक के रूप, प्रस्तुत की गयी। यह इतनी लोक-प्रिय रिक्द हुई कि दर्शकों ने नाटक देखने की आवश्यकता ही नहीं समझी। इसी साधारण घटना ने अँगरेजी नाट्य-साहित्य में आधुनिक एकांकी को जन्म दिया और पिर कई एकांकी लिखे गये।

विक्टोरियन युग की समाति के पश्चात् ही अँगरेजी-नाट्य-साहित्य में एक महान् प्रतिक्रिया हुई। इस प्रतिक्रिया के प्रेरक थे—इक्सेन और पिनेरो। इन नाटककारों ने शोक्समियर की भावुकता के स्थान पर बुदिकाद को प्रश्रय दिया और अपने कथानकों की सामग्री यथार्थ जीवन से एकत्र की। इससे नाटकीय कला में विशेष परिवर्तन हो गया। सस्ते भावुकतापूर्ण नाटकीय प्रदर्शन-दूरा धन कमाने की अपेक्षा नाट्य-साहित्य में यथार्थ जीवन की अभिव्यञ्जना अधिक उपयुक्त एवं उचित समझी जाने लगी। नाटकों के आकार छोटे हो गये और वे एकांकी के रूप में सम्य नागिरकों के लिए लिखे जाने लगे। पाश्चात्य एकांकी नाटकों के यत्तमान रूप का सूत्रपात दर्शी समय में होता है।

हिन्दी में एकांकी की उत्तरति अर्मी दाल की बात है। इस वर्णयने साहित्यकारों के दो भूत हैं। एक के अनुसार हिन्दी-हिन्दी-एकांकी एकांकी संस्कृत-एकांकी की देन है, पर यह सत्य का जन्म नहीं है। वस्तुतः संस्कृत नाट्य-साहित्य में 'एकांकी' नाम का कोई रूपक अधिक उपरूपक-मेद है ही नहीं।

यह तो अँगरेजी के 'धन एकट फ्लै' का संधार और सरल अनुवाद है। इसके अतिरिक्त हिन्दी-एकांकी इसी भी बात में संस्कृत-एकांकियों से

नहीं मिलते। संस्कृत-एकांकियों की शैली, उनकी कला, उनकी पात्र-कल्पना, उनकी टेक्नीक हिन्दी-एकांकियों से सबथा मिलता है। उनका प्रणयन साधारण प्रवृत्ति के विपरीत हुआ है। वे उद्देश्यपूर्ण भी नहीं हैं। ऐसी दशा में यह गानना होगा कि हमारे हिन्दी के एकांकी संस्कृत की इस परंपरा से नहीं आये। आधुनिक हिन्दो-एकांकी में जिस कला का उद्घाटन हम पाने हैं, उसमें पाश्चात्य एकांकियों का ही बहुत बड़ा हाथ है—वही कला, वही टेक्नीक, वही शैली, वही उद्देश्य और वही पात्र-कल्पना। अँगरेजी-एकांकियों की यह परंपरा बँगला से होती हुई हमारे साहित्य में आयी और भारतेन्दु-युग में अंकुरित होकर प्रसाद-युग में हिन्दी नाट्य-साहित्य का एक पृथक् थंग बन गयी। भारतेन्दु-युग के पूर्व हिन्दी में जो एकांकी लिखे गये, उसमें हम हिन्दी-एकांकी-कला का प्रथम दर्शन पाते हैं।

अब प्रश्न यह है कि आज के जीवन में एकांकी का क्या महत्व है! इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए हमें आधुनिक एकांकी का जीवन की विषम और संघर्षमय परिस्थियों पर विचार महत्व करना होगा और साथ ही यह देखना होगा कि एकांकी की उत्पत्ति के पश्चात् उसके विकास एवं लोक-प्रिय होने में कौन-कौन सी प्रेरणाएँ रहायक हुई हैं। इस विष्ट से विचार करने पर हमें जो बात अधिक महत्वपूर्ण बात होती है वह है—एकांकी की रोचकता। एकांकी इतने रोचक और प्रभावशाली होते हैं कि उन्हें देखकर दर्शकों की आत्मा तृप्त हो जाती है। अँगरेजी नाट्य-साहित्य में उनकी उत्पत्ति पर विचार करते हुए हम यह बता सकते हैं कि आरम्भ में पट-उज्जापक अथवा प्रवेशिका (कॉन्वेजर) का उद्देश्य रंग-शालाओं के प्रबन्धकों की कठिनाइयों को दूर करना था। इसलिए आरम्भ में नाटकों को उनसे विशेष ज्ञान नहीं पहुँची, पर धीरे-धीरे जब अपनी रोचकता के कारण वे लोक-प्रिय होने लगे तब मूल नाटकों का प्रभाव घटने लगा। कभी-कभी तो ऐसा होता था कि दर्शकगण एकांकी देखने

के परचात् मूल नाटक की विधिलता से ऊपर कर रंगशाही से बाहर निकल जाते थे। ऐसी दशा में प्रथम्यकों ने अपनी सुविधा के लिए जो योजना बनायी थी वह असुविधाजनक चिद हो गयी। आगे चलकर कट्टेनरेजुर तो बन्द हो गये, पर उनके स्थान पर एकांकियों को प्रोत्साहन मिला।

एकांकियों का महत्व एक दूसरी बात से भी अँकिया जा सकता है। हमारा शाज का जीवन इतना संधर्षमय, इतना जटिल और इतना व्यस्त है कि समय उसके कार्य-कलापों का प्रधान एवं निर्णायिक अंग बन गया है। हम कार्यारंग से पद्दते ही यह सोचने लगते हैं कि उसमें कितना समय लगेगा। माचीन काल में यह चात नहीं थी। उत समय हमारे पास पर्यात समय था और हम अपने साहित्य में सम्पूर्ण जीवन को देखने की चेष्टा करते थे। समय की वेदी पर हम उपयोगिता का वलिदान नहीं करते थे। पर शाज हम सैक्षणिक सुग में हमारी वह भावना पदल गई है, हमारा वह विचार पदल गया है, साहित्य के प्रति हमारा वह दृष्टिकोण पदल गया है। हम प्रत्येक यात को संक्षेप में ही सोचना और जानना चाहते हैं। हमारे पास समय नहीं है। महाकाव्य, उपन्यास, नाटक — इन मोटे-मोटे अन्यों को पढ़ना अपना समय नष्ट करना है। संक्षेप में, शाज हम अपने साहित्य से मनोरंजन की आशा करते हैं। यह मनोरंजन हमें जिस साहित्य से, जिसने घोड़े समय और सत्ते दामों में, मिल जाय, उतना ही लोकन्प्रिय हम उसे यना देते हैं। हिन्दी-नाट्य-साहित्य में एकांकी की लोकन्प्रियता का यही रहस्य है।

अब उक्त एकांकी की उत्तरति और उसके महत्व के संदर्भ में जो

बातें बतायी गयी हैं उनसे उसकी परिभाषा का	
एकांकी की	सामान्य परिचय मिल जाता है और हम कह सकते हैं
परिभाषा	कि अपने सरलवेम रूप में एकांकी एक ऐसी साहित्यिक
	शृंगि है जिसमें एक ही अंक होता। पर हमें एकांकी
	की इस परिभाषा से वोष और सन्तोष नहीं होगा है। बास्तव में एकांकी
	इतनी कलापूर्ण रचना है कि उसे परिभाषा की संकुचित सीमा के भीतर

व्यक्त ही नहीं किया जा सकता। कुछ लोगों का कहना है कि एकांकी, नाटक का संस्कृत रूप है। नाटक तो वह है ही अपने अभिनेय होने के कारण; पर नाटक की शास्त्र-द्वारा जो परिभाषा की जानी है उससे वह 'नाटक' छोटा नाटक नहीं जान पड़ता। छोटा नाटक कहने का चात्पर्य तो यह है कि उसमें नाटक के सभी तत्त्व मिलते हैं। एकांकी में नाटक के सभी तत्त्व नहीं मिलते। इसी प्रकार हम किसी बड़े नाटक के एक अंक को भी एकांकी नहीं कह सकते। एकांकी, नाटक से भिन्न, एक स्वतंत्र कलापूर्ण रचना है। उसके सिद्धान्त नाटक के सिद्धान्तों से भिन्न हैं, उसकी टेक्नीक नाटक की टेक्नीक से भिन्न है; उसकी सीमाएँ नाटक की सीमाओं से भिन्न हैं। उसका द्वेष इतना वित्तृत और विद्याल है कि हम उसकी संतोषजनक परिभाषा बना ही नहीं सकते।

अब एकांकी की विशेषताओं पर विचार कीजिए। हम यहले बता

चुके हैं कि संस्कृत-नाट्यशास्त्र में एकांकी का पृथक् एकांकी की मूलयोग्यता नहीं हुआ है। अतः हम संस्कृत एकांकियों की विशेषताओं के आधार पर हिन्दी-एकांकियों की विशेषताओं का स्पष्टीकरण नहीं कर सकते। अँग-रेजी-एकांकियों की भाँति हिन्दी-एकांकियों की पृथक् सत्ता है; नाट्य-शाहित्य में उनका पृथक् मूल्य है। हिन्दी-एकांकी अँगरेजी-एकांकी से अधिकांश प्रभावित भी है। इस दृष्टि से हिन्दी-एकांकी की निम्नलिखित विशेषताएँ हमारे सामने आती हैं:—

(१) एकांकी का कथानक अत्यन्त आकर्षक, संरक्ष, संयत, मुन्द्र-वस्थित, सुरक्ष, वेगपूर्ण और अपने में संपूर्ण होता है। उसमें केवल एक घटना, एक विचार, एक परिस्थिति अथवा एक समस्या प्रबल होती है और उसका एक सुनिश्चित, मुकुलिपत लक्ष्य होता है। इस लक्ष्य की सिद्धि के लिए उसमें एकता, एकाग्रता और आवस्मिकता का होना अनिवार्य है।

(२) एकांकी में कार्यकारण की घटनावली अथवा कोई गौण

परिस्थिति अथवा समस्या के समावेश का उत्तम नहीं होता और यदि कोई ऐसी सहायक घटना आ भी जाती है तो वह अपना अस्तित्व मुख्य घटना में लीन कर देती है। डा० बर्मा का कहना है कि 'उसमें दिल्लार के अभाव में प्रत्येक घटना कर्ता की माँगि स्थितकर पुष्प की माँगि विकसित हो उठती है।'

(३) एकांकी का आरंभ किसी प्रश्नार की भूमिका से नहीं होता। उसका थीरण दुरंत होता है। वही एकांकी का सबसे बड़ा आकर्षण है।

(४) एकांकी की कथा विद्युत् गति से अप्रचर होती है और नाटकीय कौशल से कौदृश, संधर्म और अन्तर्दृश्य का संचय फरती हुई चरमसीमा तक पहुँचती है और फिर वही उसका अवसान होता है। इसीलए आरंभ की माँगि उसका अन्त भी आकृत्मिक होता है।

(५) एकांकी एक ही अंक में सम्पूर्ण होकर समाप्त होता है। एक अंक के अंतर्गत एक या कई दृश्य हो सकते हैं, पर उनके निर्माण में विषय की लाभवत्ता के साधनाय नमय की लाभवत्ता का भी ध्यान रखा जाता है। वह एक ही वैठक और एक ही समय में समाप्त होनेवाली कहते हैं।

(६) एकांकी में नायक-प्रतिनायक की कल्पना अनिवार्य नहीं है। प्रपान पात्र के अतिरिक्त अन्य सभी पात्र गौण हो सकते हैं, पर ऐसे समस्त पात्रों की संख्या पाँच के भीतर ही होनी चाहिए। अधिक पात्र दोनों से एकांकी का महत्व नष्ट हो जाता है और उसके प्रबन्ध में कठिनाई होती है।

(७) एकांकी में कथोपकथन प्रमाणयाली, वेगपूर्ण, चुटीला, संयत और शिष्ट होता है। उसमें माया की व्यंजकता और उसकी सरसता पर विशेष रूप से ध्यान रखा जाता है।

(८) एकांकी में संख्लनरूप—काल, कार्य और स्थान आँ एकत्र—का विशेष नियम नहीं है। कवित्य एकांकीकार एकांकी के लिए काल की एकत्र अनिवार्य मानते हैं, पर ऐसे भी एकांकी हैं जो इतनी उपेक्षा करके अपने में सम्पूर्ण और सफल हैं।

(६) एकांकी में जीवन के मर्म का उद्घाटन होता है। उसके निर्माण में हमें उसकी अभिनव-श्रानुकूलता की अपेक्षा उसकी सार्थकता पर विशेष रूप से ध्यान देना पड़ता है। इस सम्बन्ध में हमें यह न भूलना चाहिए कि उसका उद्देश्य दर्शकों के लिए सत्ता मनोरंजन प्रस्तुत करना ही नहीं, बरन् उनके जीवन का परिष्कार करना भी है।

एकांकी की जिन मौलिक विशेषताओं का उल्लेख अभी किया गया है उनसे यह अम दूर हो जाता है कि एकांकी नाटक और नाटक एक द्वोषा नाटक अथवा नाटक का एक लघु एकांकी संस्करण है। वास्तव में दोनों में महान् अन्तर है। नाटक की उत्पत्ति की कहानी हम पढ़ चुके हैं, एकांकी के उद्गम पर भी हम विचार कर चुके हैं और यह देख चुके हैं कि दोनों ने अपने भिन्न-भिन्न मार्ग अपनाये हैं, दोनों की उत्पत्ति भिन्न-भिन्न बातावरण में हुई है, दोनों की प्रगति और विज्ञात में अन्तर है, दोनों के प्रमाण और रचना-शैली में भेद है। यहाँ हम अँगरेजी-नाट्य-शास्त्र के अनुसार दोनों का अन्तर स्पष्ट करने की चेष्टा करेंगे :—

(१) नाटक हमारी प्राचीनतम् सम्पत्ति है। उनका उदय हमारी सम्यता के उत्थान के साथ हुआ है। एकांकी हमारी नवीनितम् संपत्ति है। उनका आविर्भाव हमारी सम्यता के चरमोत्तर का थोड़क है।

(२) नाटक चार्मिक गुल्मों को उपज है; एकांकी हमारी चार्माजिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए लिखे गये हैं।

(३) नाटक की उत्पत्ति उत्त समय हुई जब हमारे जीवन में कौलाहल नहीं था, हमारी समस्याएँ कम थीं और हमारे पास मनोरंजन के लिए पर्याप्त अवकाश था। एकांकी जीवन की व्यस्तता का परिणाम है, उस जीवन की व्यस्तता का परिणाम है जिसकी अनेक समस्याएँ हैं और जिसमें विवारों का दब्द और आदर्शों का सर्वर्प है।

(४, नाटक के प्रदर्शन में चार-पाँच घटे का समय लगता है) एकांकी एक अभवा दो घटे में समाप्त हो जाता है। इससे कम समय

में मी अभिनीत होनेवाले एकांकी लिखे गये हैं। रेडियो-एड्डांकी तो दृष्ट-पन्द्रह मिनट में ही समाप्त हो जाते हैं।

(५) नाटक में विषय का विलार है। यह समूर्ण जीवन अथवा जीवन के किसी महत्वपूर्ण अंश की रंग-विरंगी झाँकियाँ उतार सकता है। एकांकी में विषय का संकोच होता है। यह जीवन की एक ही झाँकी उतार सकता है, पर वह झाँकी ऐसी होती है जिसमें जीवन के भूत, वर्तमान और मधिष्ठ—तीनों काल एक साथ प्रतिविवित होते हैं।

(६) नाटक का कथानक जटिल होता है। उसमें घटनाओं का जमघट-सा रहता है। एक के बाद दूसरी और दूसरी के बाद तीसरी—इस प्रकार घटनाओं का प्रवर्तन आदि से अन्त तक अजूबे स्पष्ट से होता रहता है। एकांकी में जीवन की एक ही घटना अथवा समस्या का चित्रण रहता है और पहीं पनीभूत होकर उसे आदि से अन्त तक अनुभागित एवं संदित करती रहती है।

(७) नाटक का विषय-निर्वाचन-क्षेत्र सीमित होता है। उसमें घटनाओं की विविधता और उनके पित्तार के लिए पर्याप्त अवलम्बन भी रहता है। एकांकी का विषय-निर्वाचन-क्षेत्र अपेक्षाकृत व्यापक होता है। जिस प्रकार जीवन की अनन्त समस्याएँ हो सकती हैं, उसी प्रकार एकांकी के विषयों की कोई सीमा नहीं है।

(८) नाटक का आरंभ भूमिका से होता है। एकांकी का आरंभ किसी प्रकार की भूमिका से नहीं होता। उसका उद्घाटन तुरन्त होता है और 'उसके प्रारंभिक वाक्य में ही कौनहूल और जिहाका की अपरिमित शक्ति भरी रहती है।'

(९) नाटक में जीवन की विषय परिस्थितियों का अन्तर्दृष्ट रहता है। इसलिए उसमें दर्शकों की चित्त-वृत्तियों की एकाग्रता तथा उनके उपसुक्ष्म संतुलन के लिए जो कला अपेक्षित है उसका अभाव-सा रहता

है। एकाकी में प्रायः विचारों का अन्तर्दृष्ट रहता है जो घनीभूत और संतुलित होकर दर्शकों की चित्त-वृत्तियों को समेट लेता है और उन्हें एकाग्र कर देता है।

(१०) नाटक का कथानक धीरे-धीरे आगे बढ़ता है और अपना रहस्य सोजता चलता है। एकाकी द्विप्र गति से अप्रसर होता और 'एक-एक भावना घटना को घनीभूत करती हुई गूँड़ कीदूदल के साथ चरम सामा में चमक उठती है।'

(११) नाटक में विषय की विविधता के अनुरूप चरमसीमा का विस्तार रहता है। उसमें उसका कथानक अपने समर्त वेग के साथ एक विन्दु में सबा रहता है, पर वहीं उसका अन्त नहीं होता। एकाकी अपने कथानक के संकोच के अनुरूप द्विप्र गति से चरमसीमा तक पहुँच-कर और फिर विजली की भौंनि कीधकर समाप्त हो जाता है।

(१२) नाटक की पात्र-कल्पना जटिल होती है। उसमें नायक, प्रति-नायक आदि का समुचित विधान रहता है और उनके चरित्र-चित्रण के लिए धन्य अनेक सहायक पात्रों की आवश्यकता पड़ती है। एकाकी की पात्र-कल्पना सरल होती है। उसमें नायक-प्रतिनायक आदि का विधान नहीं रहता।

(१३) नाटक का कथोपकथन शिखिल होता है और कभी-कभी उपदेशात्मक हो जाता है। एकाकी का कथोपकथन कुत्त, आवेग-पूर्ण और संयत होता है।

(१४) नाटक में चार-चार अंक होते हैं और प्रत्येक अंक में कई दृश्य। उनमें कल्पवद्धता तो होती है, पर वे अपने में सम्पूर्ण नहीं होते। एकाकी में केवल एक ही अंक रहता है और वह अपने में सम्पूर्ण रहता है। एक अंक के अन्तर्गत दृश्यों का विधान अनिवार्य नहीं है।

(१५) नाटक का रंगभंग जटिल होता है। उसका शुरूगार करने

के लिए कई प्रकार के बजाकारों का सहयोग अपेक्षित होता है और उस पर जीवन की विविध प्रवार जी कईकियाँ प्रदर्शित करने के लिए अनेक प्रवार को सामग्री जुटानी पड़ती है। एकांकी का दंबनंब सुरक्षा और स्वाभाविक होता है। वह एक 'इंगलॉम' ऐसा होता है जिसमें निर्माण आसानी से हो सकता है।

एकांकी और कहानी में भी सीलिंग भेद है। दोनों के विषय एक हो सकते हैं, दोनों की गढ़न भी एक-सी हो सकती है, पर एकांकी कहानी नहीं हो सकता। आजकल जो कहानी कहानिर्बाहिती जारही हैं उनमें ने कुछ ही एकांकी का रूप घारण वर सकती है। इतों प्रवार सभी एकांकी सफलठापूर्वक करानियों के कर्मानक नहीं बन सकते। बस्तुतः दोनों में सीलिंग अन्तर है और वह अन्तर है उद्देश्य का। कहानी का उद्देश्य एकांकी के उद्देश्य से मिल होता है। उद्देश्य की इसी भिन्नता के बारण उन दोनों की कला में भी अन्तर आजाता है। कहानी के इसके अध्य और पठनीय है। उसका उद्देश्य पाठकों का मनोरंजन करना अथवा उनके दृष्टिकोण को चिह्नित करना होता है। एकांकी हमारी समस्त इन्द्रियों को एक साथ प्रभावित करता है। एकांकी उच्छ्वास है। उसका आनन्द देखने से ही प्राप्त हो सकता है। उसमें हमारी आशाएँ और आकांक्षाएँ, हमारे भाव और विचार, साक्षात् रूप घारण करके हमारे सामने आते हैं। यह सत्य है कि कविषय एकांकी अभिनव-प्रधान नहीं होते, पर अधिकांश अभिनव-प्रधान ही होते हैं। अभिनवता उनसा बुखर गुण है। एकांकीकार जो को कुछ कहना होता है वह शाश्वों के संवाद अथवा उनके अभिनव द्वारा ही कहता है। उसमें उसका अक्षित्व अप्रत्यक्ष रहता है। कहानीकार अपनी वात जो केवल संवाद-शाय ही व्यक्त कर सकता है और उसमें उसका अक्षित्व स्वप्न रूप से भलकरता रहता है। हम संवाद वा आनन्द न भी लें, पर एकांकी का अभिनव देखने के लिए हम लालापित हो उठते हैं।

एकांकी की इन विशेषताओं से एकांकी की भूमिल रूप-रेखा सामने आ जाती है और हम यह जान जाते हैं कि उसकी एकांकी के रचना में हमें किन-किन वृत्तों पर ध्यान देना पड़ता है। एकांकी के तत्त्व प्रायः वही है जो नाटक के है। यहाँ संक्षेप में हम उन्हीं वृत्तों पर विचार करेंगे :—

(१) कथानक—एकांकी की रचना में कथानक का अत्यन्त महत्व पूर्ण स्थान है। जिस प्रकार प्रासाद खड़ा करने के लिए भूमि की आवश्यकता होती है उसी प्रकार एकांकी के लिए कथानक—आवश्यक है। कथानक एकांकी की आधार-भूमि है। इस आधार-भूमि का जुनाव हम जीवन के किसी भी हेतु से कर सकते हैं। इतिहास की कहानियाँ, पुराण की कथाएँ, सामाजिक जीवन की घटनाएँ, दैनिक जीवन की समस्याएँ, राजनीतिक दैविष्यें और विचारधाराएँ, मानव-मानव में उठने-दूबनेवाले माव तथा इनसे सम्बन्धित अन्य व्यापार और विचार—इनमें से कोई भी एकांकी का कथानक बने सकता है। यद्यपि इस प्रकार के विषयों के चयन में एकांकीकार की दक्षि और उसकी क्षमता का मान करती है, तथापि उसे यह देखना पड़ता है कि उसने जिस कथानक का जुनाव लिया है वह एकांकी की आत्मा और उसके उद्देश्य के अनुकूल है अथवा नहीं। वहने का तात्पर्य यह कि सफल कथानक में कतिपय विरोप तत्त्वों का होना परम आवश्यक है। वे तत्त्व हैं—उसकी वास्तविकता अर्थात् साधारण जीवन से उसका अवन्ध, एकाग्रता अर्थात् परम-परा पर कीदूहल और जिजासा की सुषिद्धि; एकता अर्थात् प्रभाव और वस्तु का ऐक्य और आकस्मिकता अर्थात् अनितम फल को चरमसीमा तक अपने में छिपाये रखने की क्षमता। यह अनितम गुण ही कथानक का प्राण है और इसी के सफल निर्वाह में एकांकीकार की कला का उद्घाटन होता है।

(२) वस्तु-निर्माण—कथानक के जुनाव के पाश्चात् एकांकी की रचना में वस्तु का महत्व है। वस्तु का पर्याय है 'प्लाट'। यह कथानक

का वल्तामक पक्ष होता है। जिस प्रकार कुशल माली अपने शार्टरिंग परिषम से भूमि को उकेरा और पौधों को सुदौल बनाकर पुष्ट-वाटिया ने चीन-दर्ये की दृष्टि करता है उसी प्रकार एकोकीवार अपने मानविक अन से कथानक को क्राट-फ्रैंटफर उसे आकर्षक और सजीव बनाता है। कथानक के इसी सर्वाय और आकर्षक स्तर को बत्तु कहते हैं। बत्तु कथानक का परिणाम है। बत्तु की समलैंगा के लिए कथानक को रंगमंच का भी ध्यान रखना पड़ता है। रंगमंच की कठिनाइयाँ पत्तु-निर्माण में बहुत याथक होती हैं। सकल एकांकीवार उन सभ्यता कठिनाइयों पर विवर शाहू करने के लिए कई साधनों से दान लेता है। ऐतिहासिक कथानकों के वस्तु-निर्माण में वह तत्वालीन जीवन के मिश्र-मिश्र द्वंगों का अध्ययन करता है और उन्हीं के अनुकूल बत्तु का शुभार करता है। अशोक के समय की बत्तु की आधुनिक वेश-भूमा और रहन-रहन के मापदण्ड से चिकित्सा बरना इतिहार और एकांकी की आत्मा पर कुठारप्राप्त बरना होगा। इसी प्रकार साधारण जीवन से सम्बन्धित कथानकों के अनु-निर्माण में निरीक्षण-शक्ति की आवश्यकता होगी। भनुष्यों की रहन-रहन, उनके आचार-विचार, उनके आदान-पदान तथा उनकी दैनिक जीवन-चर्चाएँ का वात्सल्यिक परिचय निरीक्षण-शक्ति द्वारा ही शान्त किया जा सकता है और पिरउनके द्वारा बत्तु में सजीवता लायी जा सकती है। वस्तु-संविधान ने देय, काल और पात्र का ध्यान रखना आवश्यक है।

बत्तु-निर्माण में ध्यान देने योग्य दूसरी बात है घटना-सम्बन्धी। घटना की दृष्टि से एकांकी की बत्तु, नाटक की बत्तु है, मिश्र होती है। नाटक की बत्तु में कई घटनाओं—मुख्य बदा प्रारंभिक—का समावेश रहता है, पर एकांकी में एक ही घटना, एक ही समत्वा, एक ही नाय घटना विचार की प्रयत्नता रहती है। उसमें प्रारंभिक घटना, दृश्यता अथवा दिव्यार को स्पान नहीं दिया जाता और यदि आपरपक्षकावश दिया भी जाता है तो दोनों दूष-वानी की यांत्रि एक-दूसरे के मिश्र रहते हैं। इस प्रकार बत्ता की दृष्टि से एकांकी-लेखक की बत्तु के

अनेक भागों पर कहा नियंत्रण रखना पड़ता है। बल्लु के जो-जो अंग और जो-जो स्थान वह चुनता है उन पर उसका पूरा अधिकार रहता है और उनमें ऐस्य तथ समंजस्य स्थापित करता हुआ वह आगे बढ़ता है।

वस्तु-निर्याण में तीसरी ध्यान देने योग्य बात है दर्शकों का स्थान-कर्पण। वस्तुतः वस्तु के विभिन्न अंगों में ऐस्य और समन्वय के परचात् इसी का महत्व है और इसकी स्थापना तभी हो सकती है जब उसमें विस्मय और सशयपूर्ण अन्त का विधान हो। कहने का तात्पर्य यह कि दर्शक आरंभ से ही विस्मय, कौनूहल और संशय के पाश में इतना जकड़ दिया जाय कि अन्त तक उसका छुटकारा न हो सके और एकाकी के पदार्थके परचात् भी उसकी आत्मा विस्मय, संशय और उद्दिग्नता के सागर में छूटती-उत्तराती रहे। इसमें सन्देह नहीं कि यह कार्य कठिन है। कथानक चुनना सरत है, वस्तु-समन्वय भी सरल है, पर दर्शक के मानस में विस्मय के प्रसार-द्वारा उसका स्थानाकर्पण देढ़ी खीर है। सभी दर्शकों का एक-सा मानसिक स्तर नहीं होता। वे एक ही विस्मय-भाव से सामान्य रूप से प्रभावित नहीं होते। कोई भावात्मक संशय से प्रभावित होता है तो कोई घटनात्मक संशय से। किसी को तार्किक संशय प्रिय है तो किसी को कल्पनात्मक संशय। ऐसी स्थिति में सब को समान रूप से प्रभावित करना असंभव है। देखा गया है कि घटनात्मक संशयवाले एकाकी प्रायः साधारण स्थिति के लोगों को और भावात्मक, तार्किक तथा कल्पनात्मक संशयवाले परिष्कृत मस्तिष्क के लोगों को प्रिय होते हैं। ऐसी दशा में वह एकाकी कमी लोकप्रिय न होगा जिसका वस्तु-निर्माण कल्पना और तर्क के आधार पर होता है। 'लोकप्रियता के लिए घटनाओं का चक्रबूह चाहिए' जिसमें पग-पग पर संशय और विस्मय का प्रसार हो। इसका यह तात्पर्य नहीं कि एकाकी की वस्तु में कल्पना और तर्क का कोई स्थान ही नहीं है। वास्तव में एक उचित सीमा के भीतर ही इन दोनों के समावेश से वस्तु-

निर्भाण में वही सहायता मिलती है और घटनाओं का सौदर्य दढ़ाता है।

अब प्रश्न यह है कि वस्तु को अपनी चरमसीमा तक पहुँचने के लिए किन-किन अवस्थाओं से गुजरना पड़ता है। इस प्रश्न के उत्तर में कलाकारों ने वलु-निरूपण की चार अवस्थाएँ निर्धारित की है—(१) प्रवेश, (२) अन्तर्दृढ़ि, (३) चरमसीमा और (४) अन्त। एकांकी का आरंभ बिना विसी भूमिका के होता है। ऐसी दशा में एकांकीकार को एकांकी की पृष्ठभूमि, उसकी दिपति रूपा उसके पात्रों के सम्बन्ध में दर्शकों को शीघ्रसे-शीघ्र, संज्ञेष में, परचय दे देना पड़ता है। इसके साथ ही वह उन समस्त प्रासंगिक वातों का भी संकेत रूप में उल्लेख कर देता है जो एकांकी में त्वरण स्पष्ट रूप से तो नहीं बतायी गयी हैं, पर उनकी छाया संपूर्ण एकांकी पर पड़ी है। वही एकांकी, नाटक से मिल हो जाता है। 'एकांकी के प्रारंभिक चालन में ही चैतूहल और चिह्नाता की अपरिमित शक्ति भरी रहती है। उसका क्यानक वही सीमता से अप्रसर होता है और उसका प्रत्येक भाव घटना को धनीभूत करता हुआ गूढ़ चैतूहल के साथ चरमसीमा में चलक डूँढ़ता है।' अबने इस उद्देश्य-सिद्धि के लिए एकांकीकार प्राप्तः तीन मुकिनों से काम लेता है। वह या तो रंग-संकेतों-द्वारा एक ऐसे चैतूहलपूर्ण वाचाकरण की सूषित करता है जिसके अनुभवभाव से दर्शक उसकी और आकृष्ट हो जाते हैं या फिर वह मूक अभिनय करता है। एक सीमरी युक्ति और है और वह है संवाद-द्वारा वालाकरण की सूषित। संवाद जितना ही योग्य और वोधगम्य होगा, एकांकी के प्रति दर्शकों का व्यान उतना ही अधिक आकृष्ट होगा।

वलु-निर्भाण की दूसरी अवस्था अन्तर्दृढ़ि से आरंभ होती है। प्रवेश के पश्चात् यही एकांकी का महात्वपूर्ण स्थल है। इस स्थल के निरूपण में विस्मय और संशय के बीचारेभण से एकांकी गतिशील हो जाता है। इसके अविरित दो परस्पर विरोधी रूपों, विचारों अद्यता

पात्रों के व्यंजनापूर्ण चित्रण से एकांकी की वस्तु का प्रसार होता है और वह दर्शकों को अपनी औरआङ्गृष्ट करने लगता है। ऐसी दशा में एकांकीकार को बड़ी सावधानी से अपनी लेखनी उठानी पड़ती है। उसे यह देखना पड़ता है कि उसके कथानक की वस्तु जटिल से नहीं होती जा रही है। प्रायः यह देखा गया है कि इस अवस्था के निर्माण में जटिल वस्तु को शीघ्र मुलझाने के लिए किसी नवीन पात्र को या तो जन्म देना पड़ता है या किसी पुराने पात्र को आत्महस्या के लिए विवश करना पड़ता है। एकांकी में ऐसी दोनों दशाएँ अस्वाभाविक हैं। एकांकीकार को इस प्रकार के दोपों से बचने के लिए पहले से ही सावधान रहना चाहिए। उसे अपनी कथा-वस्तु को चरमसीमा तक शीघ्र पहुँचाने की धून में अपरिचित पात्रों की सुष्टि नहीं करनी चाहिए और यदि विवश होकर करनी ही पड़े तो उन्हें देर से रंगमंच पर नहीं लाना चाहिए। ऐसे दोपों का परिहार रहस्यात्मक संकेतों से हो सकता है। अन्तदून्दू के चित्रण में जितने अधिक स्वाभाविक रहस्यात्मक संकेतों से काम लिया जाय उतना ही अधिक एकांकी सफल होगा।

इस संबंध में यह भी विचारणीय है कि प्रवेश और अन्तदून्दू की अवस्थाओं में समय का अन्तर होना चाहिए अथवा नहीं? यदि इस प्रश्न का संक्षेप में उत्तर दिया जाय तो बहा जा सकता है कि 'नहीं'। घास्तव में एकांकी का क्षेत्र इतना संकुचित होता है कि प्रवेश की अवस्था समाप्त होते ही अन्तदून्दू की अवस्था आरंभ हो जाती है और ज्यों ही दोनों का मिश्रण होता है त्यों ही तीसरी अवस्था—चरमसीमा का स्वर्वदात हो जाता है। इस अवस्था में दून्दू एक ऐसे अत्यन्त ऊँचे स्तर पर आ जाता है जहाँ भावों का चरम विकास होता है। बहने का सात्त्वपूर्ण यह कि इस अवस्था के आगे एकांकी में भावों के प्रसार के लिए अवसर ही नहीं रहता। ऐसी दशा में एकांकीकार को वहे स्वाभाविक ढङ्ग से प्रथम दोनों अवस्थाओं—प्रवेश और अन्तदून्दू—से होते हुए अपनी कथा-वस्तु को इस सीमा तक पहुँचाना चाहिए। उसे यह स्मरण रखना

चाहिए कि एकांकी में एक भाव, एक विचार की ही प्रधानता होती है। अदः जहाँ अनेक भाव हों वहाँ उसे उनमें से केवल एक ही महत्वपूर्ण भाव को अग्रसर करना चाहिए। यदि अनेक भाव उच्च स्तर पर आने के लिए संघर्षशील होंगे तो एकांकी का उद्देश्य नष्ट हो जायगा और उसके प्रभाव में बाधा उपस्थित होगी।


पारचात्य एकांकीकारों ने चरमसीमा के दो रूप स्थिर किये हैं—आन्तरिक और बाह्य। आन्तरिक में भावों की प्रधानता होती है और बाह्य में घटनाओं की। कभी-कभी दोनों का समन्वय भी हो जाता है और हमारी समझ से यही चरमसीमा का उत्कृष्ट रूप है। जैसा कि पहले कहा जा चुका है, भावोत्कर्प परिष्कृत मस्तिष्कवालों को प्रिय होना है, और घटनात्मक उत्कर्प सर्वसाधारण को अपनी और आहृष्ट करता है। यदि चरमसीमा तक पहुँचते-पहुँचते दोनों का समन्वय हो जाय तो विस्मय का अन्त हो जाता है और एकांकी दोनों बगों के लिए समान रूप से प्रिय हो जाता है।

बस्तु-निर्माण की चौथी और अन्तिम अवस्था है—अन्त। इस अवस्था में दर्शक समूर्ण बस्तु की गुत्तियों को सुलझी हुई दशा में देखता है। इसलिए यहाँ घटनाओं का विस्तार अनावश्यक और शब्दचिकर है। एकांकी की यह अवस्था इतनी आकर्षित होती है कि उत्कर्प और उपकर्प के बीच कितना समय बीता—यह बताना कठिन हो जाता है। एक प्रकार से उत्कर्प में ही अपकर्प का अपसान एकांकी की आत्मा के अनुकूल पड़ता है। पारचात्य नाट्य-कला की दृष्टि से यह अपसान कभी सुखान्त होता है और कभी दुखान्त। दुखान्त हमारी संस्कृति और सम्यता के अनुकूल नहीं है। ऐसी दशा में हमें सुखान्त एकांकियों की रचना की ओर ही अग्रसर होना चाहिए।

बस्तु-निर्माण के उन्नन्दन में अब तक जो बातें बतायी गयी हैं उनसे यह स्पष्ट है कि उसकी चारों अवस्थाओं—प्रवेश, अन्तर्द्वन्द्व, चरमसीमा और अन्त—में सामेजस्य का होना परम आवश्यक है। प्रवेश

की अवस्था में विस्मय, अन्तर्दंद की अवस्था में संशय, उत्कर्ष को अवस्था में दृढ़ का वेग और अन्त की अवस्था में दृढ़ का स्वाभाविक, पर आकर्षित दृढ़ से अन्त जितना ही सामंजस्यपूर्ण होगा उत्तना ही एकांकी कला की दृष्टि से सफल और अधिक होगा। एकांकी-रचना में लेखक को इस बात का सदैव ध्यान रखना चाहिए कि कहाँ, किस स्थल पर, किस घटना पर, किस संवाद पर तथा किस प्रभाव पर उसका अंत होना चाहिए। एकांकी की आत्मा के निरुट आने का यही रहस्य है।

डा० रामकुमार दर्मा ने हिन्दौ-एकांकी की गति-विधि का जो चित्र अपनी 'रेशमी टाई' में दिया है वह इस प्रकार है :—



एकांकी की गति

एकांकी के इस गति-विधि के संबंध में उनका मत है कि 'प्रवेश कुतूहलता की वक्रगति से होता है। घटनाओं की व्यंजना उत्सुकता से लम्बी हो जाती है। फिर घटना में गति की तरंगें आती हैं जो कुतूहलता से खिचकर चरमसीमा में परिणत हो जाती हैं। चरमसीमा के बाद ही एकांकी नाटक की समाप्ति हो जानी चाहिए, नहीं तो समस्त कथानक फौका पड़ जाता है।'

(३) **चरित्र-चित्रण**—अब चरित्र-चित्रण पर विचार कीजिए। आधुनिक नाट्यशास्त्र के अनुसार चरित्र-विकास में दो उपादानों से विशेष सहायता मिलती है—एक जो गौण पात्रों से और दूसरी प्राकृतिक व्यापारों से। नाटक के अन्तर्गत इम नायक-नायिका आदि के सम्बन्ध में बता चुके हैं। यहाँ इतना ही बताना अलम् होगा कि एकांकी में नायक-प्रतिनायक की सुष्ठि विशेषतः ऐसे अवसरों पर की जाती है जहाँ प्रेम का वाहा संघर्ष प्रस्तुत करना रहता है, अन्यथा इसकी आवश्यकता नहीं पड़ती। केवल नायक अथवा नायिका से ही एकांकी का पूरा ढाँचा खड़ा हो जाता है। प्रधान पात्र के अतिरिक्त सभी पात्र गौण होते हैं और वे प्रधान पात्र से संबंधित नाटकीय घला को विकसित करने में ही उपर्युक्त होते हैं। ये चार प्रकार का कार्य करते हैं—(१) उत्तेजक, (२) माध्यम, (३) सूचक और (४) प्रभाव-व्यंजक। ऐसे गौण पात्र जो कथा-सूत्र को उच्चेन्नित करके उसे आगे बढ़ाते हैं, उत्तेजक होते हैं। माध्यम पात्र जो तात्पर्य उस पात्र से है जो प्रधान पात्र के मनोगत भावों को 'स्वगत' होने से रोकता है। आजकल नाटक में 'स्वगत' का प्रयोग अस्वाभाविक माना जाता है। ऐसी दशा में मिथ्र आदि के रूप में एक ऐसे पात्र की कल्पना की जाती है जो प्रधान नायक के मनोगत मात्रों को व्यक्त करता चलता है। सूचक ऐसे पात्र होते हैं जो नाटकों-पर्यागी कोई सूचना देते हैं अथवा पिछली किसी घटना की याद दिलाकर कथा को गतिशील बना देते हैं। माध्यम सूचक का भी कार्य कर सकता है, पर ऐसा तभी होता है जब पात्रों की संख्या कम करनी हो।

प्रभाव-व्यंजक ऐसे गौण पात्र होते हैं जो कहीं रहस्यमय संकेत, इंगित अथवा मूर्मिका की माँति अकस्मात् उपस्थित होते हैं और एकांकी के प्रभाव को कुछ-का-कुछ रूप दे देते हैं। इस प्रकार हम देखते हैं कि इन पात्रों की सहायता से प्रधान पात्र के चरित्र-विकास में यहीं सहायता मिलती है। कुशल एकांकीकार इनका उपयोग यहीं साधारणी और कलात्मक ढङ्ग से करते हैं।

चरित्र-विकास में प्राकृतिक व्यापारों से मी सहायता ली जाती है। उत्तेजक के लिए कोई भी उद्दीपक सामग्री हो सकती है। तार, फल, फूल, पत्र आदि किसी से मी प्रधान नायक उत्तेजना ग्रहण करके बस्तु-विस्तार कर सकता है। इसी प्रकार बसुओं अथवा संघादों-द्वारा माध्यम का काम लिया जा सकता है। ऐसीन्हीं कि पहले द्रुताया जा चुका है माध्यम, सूचक हो सकता है, पर सूचक माध्यम नहीं होता। बहुत से ऐसे पदार्थ हैं जिनसे भाविष्य में होनेवाली बातों का संकेत मिलता है। इसके साथ ही ऐसे भी पदार्थ अथवा प्राकृतिक व्यापार हैं जिनसे भूतकालीन बातों का भी परिचय मिलता है। प्रभाव-व्यंजक पात्रों की माँति पदार्थ मी प्रभाव-व्यंजक होते हैं जो अकर्मात् अपनी उपस्थिति से एकांकी के प्रभाव को कुछ-का-कुछ रूप दे देते हैं। संक्षेप में, एकांकी में ऐसे उपादान आवानी से मिल सकते हैं जिनके कारण उसमें गति आती है और प्रधान पात्र के चरित्र-विकास में सहायता मिलती है।

उपर्युक्त पंक्तियों में चरित्र-विकास के जिन उपादानों पर विचार किया है उन्हें प्रयोग में लाते समय यह स्मरण रखना चाहिए कि चरित्र-चित्रण जितना ही स्वाभाविक, निष्पक्ष सहानुभूतिपूर्ण, देश-काल के अनुरूप और भनोवैज्ञानिक होगा उतना ही अधिक एकांकी सफल होगा। एकांकी में नायक का व्यक्तित्व अन्य पात्रों के व्यक्तित्व की अपेक्षा सर्वथा भिन्न होता है। उसका स्वत्व और उसके उत्तरदायित्व की सीमा भी पृथक होती है। ऐसी देशों में नायक और गौण पात्रों के पारस्परिक

में कथोपकथन ही एकांकी का सर्वस्व है। इसी के सफल निर्वाहि पर एकांकी उद्देश्यपूर्ण होता है। इसी के द्वारा उसकी जागी अवस्थाएँ—प्रवेश, अन्तर्दृढ़, उत्तर्पय और आपकर्य—सामने आती हैं और पाठों के चरित्र-विकास में सहायता प्रदान करती है। संदोष में, यही एकांकी का प्राण और वही उसकी आत्मा है। अतः यह जितना स्पष्ट, जितना मार्मिक, जितना स्वाभाविक और जितना प्रभावपूर्ण तथा मुलमता हुआ होगा उतना ही एकांकी सजीव, गतिमय और कला की दृष्टि से परिपूर्ण होगा।

संवाद का प्रधान गुण है प्रभावोत्पादकता। यदि संवाद स्थायी प्रभाव नहीं दालता तो दर्शक अछूता रहेगा और एकांकी के किसी भी अंग की पुष्टि नहीं होगी। ऐसी दशा में एकांकीकार को वही साधारणी से संवाद-रचना की ओर अप्रबल होना चाहिए। उसे अपने संवाद के प्रत्येक शब्द को नाप-तीलकर, तथा एकांकी की आत्मा के अनुरूप सचिये में दालकर स्थान देना चाहिए प्रीर अपनी भाषा तथा अपने भावों पर पूरा निर्यंत्रण रखना चाहिए। एकांकी का बलु-चेत्र नाटक के बलु-चेत्र की अपेक्षा संकुचित होता है। ऐसी दशा में एकांकी की भाषा अत्यन्त सुव्यवस्थित, सुविचिपूर्ण, सयत, प्रसाद-गुण-युक्त और साधारण बोल-चाल से कुछ उठी हुई होनी चाहिए। योड़े में अधिक कहने की कला एकांकी के संवाद का मूलाधार है। साप ही उसका कोई न-कोई प्रयोजन होना आवश्यक है। प्रयोजन-हीन संवाद का एकांकी में कोई स्पान नहीं है। संवाद के तीन ही प्रयोजन हैं—वह वस्तु की प्रगति, चरित्र के विकास और भावों के स्पष्टीकरण एवं उनको गंभीर बनाने में सहायक होता है। यदि उससे ये तीनों प्रयोजन सिद्ध नहीं होते तो उसका कोई मूल्य ही नहीं है। एकांकी का मुख्य कार्य है—जीवन के किसी एक स्थल अथवा अनुभव को स्पष्ट और प्रभावोत्पादक बनाना। लोकक यदि अपनी संवाद-कला-द्वारा सफलतापूर्वक इस उद्देश्य की पूर्ति कर देता है तो संपूर्ण एकांकी अनुभावित और संदित्त हो उठता है। नीरुष, गतिहीन

और हास्य, व्यंग्य, श्लेष आदि से रहित संवाद एकांकी रचना में आकार-चूदि के अतिरिक्त कोई महत्व नहीं रखते।

(५) शैली—शैली एकाकीकार की अपनी वस्तु है, उसके माप-प्रकाशन का मुख्य मार्ग है। इसी से उसकी प्रतिभा, उसकी कला, उसकी निरीक्षण-शक्ति, उसकी ज्ञानता और उसके व्यावहारिक ज्ञान का योग्य एवं वास्तविक परिचय मिलता है। इसों के द्वारा हम उसकी आत्मा का दर्शन करते हैं और उसे सहजों के बीच शीघ्र पहचानने में समर्थ होते हैं। लेखक और पाठक के बीच शैली ही एक ऐसा माध्यम है जो अप्रत्यक्ष रूप से दोनों में एक-दूसरे के प्रति अद्वा, प्रेम और यहानुभूति की सुष्टि करता है और उनके पारस्परिक सम्बन्ध को स्पष्टित प्रदान करता है। अतः एकांकी-रचना में शैली का भी महत्व-पूर्ण स्थान है।

हम बता नुके हैं कि शैली का संबंध मुख्यतः लेखक के व्यक्तित्व से होता है। ऐसी दशा में उसके मिदान्तों का निरूपण अपूर्ण ही रहता है। सुविधा की दृष्टि से उसके दो रूप हो सकते हैं—वाद्य और आन्तरिक। एकांकी-रचना में शैली के वाद्य रूप का सम्बन्ध उसकी कथावस्तु, उसकी पात्र-कल्पना, उसकी संवाद-योजना, उसको उद्देश्य-स्थापना, उसकी प्रभाव-व्यञ्जकता और उसकी भाषा से होता है। इस दृष्टि से उसके, एक नहीं, द्वनेक भेद हो सकते हैं। आन्तरिक दृष्टि से एकांकी की शैलियाँ दो प्रकार की होती हैं। एक है विकास की शैली और दूसरी है उद्घाटन की शैली। इन दोनों में से किसी एक का आरंभ एकांकी की वस्तु में प्रवेश के प्रचात् गति शाने पर होता है। ग्रन्थ शैली के अनुसार एक क्रमिक उत्तर-चढ़ाव के सहारे घटना अथवा चरित्र अपनी चरमस्थिति तक पहुँचता है और अन्त में उसका संपूर्ण रहन्य उद्घाटित होता है। दूसरी शैली में विकास का कोई कम नहीं होता। उसमें पठनात्रों अथवा विचारों की तरह खुलती चलनी है और उनका अन्त कहीं पर भी जाकर हो जाता है। इस प्रकार पहली विकास-

प्रधान है, दूसरी व्याख्या-प्रधाना। पहली के द्वारा जहाँ हमारी जिशासा अनुप्राणित होकर पुष्ट हो जाती है, वहाँ दूसरी के द्वारा उसके परितोष का कोई निश्चित साधन नहीं है। वह प्रायः बीच में ही उलझी रह जाती है। इस प्रकार पहली में वस्तु-कौशल है और दूसरी में मनोविश्लेषण की शक्ति। इन दोनों शैलियों के अनुतार हिन्दा में दो प्रकार के एकांकी मिलते हैं—एक सो विकासवाले और दूसरे संघर्षवाले। जिस प्रकार बीज धीरे-धीरे विविध प्राकृतिक तत्त्वों से पोषक सामग्री ग्रहण करता हुआ वृक्ष का रूप घारण कर लेता है उसी प्रकार विकासवाले एकाकियों में जाटकीय तत्त्वों से शक्ति संचय करती हुई घटना आगे बढ़ती है और अपनी गति को चरितार्थ एवं दर्शकों की जिशासा को तृप्त करने के लिए अनेक उपादानों और दृश्यों का सदाचार लेती चलती है। ऐसी दशा में उसमें बाहरी संघर्षों के लिए स्थान नहीं रहता। सेठ गोविन्ददास तथा डा० रामकुमार बर्मा के एकांकी प्रायः इसी शैली में निरूपित हुए हैं। इसके विषद् मुख्नेश्वर के एकांकी 'संघर्ष' की शैली में लिखे गये हैं। संघर्षवाले एकाकियों में संघर्ष स्पष्ट दिखायी भी देता है। उनमें दो पात्र गुण्य हुए, एक-दूसरे पर धात-प्रतिवात करते हुए चलते हैं। यहाँ यह स्पष्ट कर देना उचित होगा कि इस संघर्ष से जात्यर्थ चारित्रिक दृन्द से नहीं है। चारित्रिक दृन्द व्यक्तिगत होता है और यह विकासवाले एकाकियों में भी रह सकता है। संघर्षवाले एकाकियों में पात्रों का दृन्द होता है, चारित्रिक दृन्द नहीं। ऐसे एकांकी प्रायः यिना चरमोत्कर्ष (क्लाइमेट) के होते हैं। इससे यह भी स्पष्ट है कि एकांकी-रचना में चरमोत्कर्ष का होना अनिवार्य नहीं है। इलाकार अपनी सूक्ष्मनूक, अपनी प्रतिभा और अपनी कला के समुचित प्रयोग से उसकी उपेहा भी कर सकते हैं। सेठ गोविन्ददास ने दोनों प्रकार के प्रयोग वड़ी सफलता पूर्वक किये हैं। उनका 'स्पद्ध' एकांकी यिना क्लाइमेट का है।

(६) उद्देश्य—अब इम एकांकी के अन्तिम तत्त्व पर आरे हैं। यह

है उसका उद्देश्य। प्राचीन नाट्यशास्त्र के अनुसार रूपक और उरुरूपक की रचना किसी उद्देश्य-विशेष से नहीं होती थी, पर आब पाठ्यचात्य विचार-धारा के प्रभाव से हमारी साहित्यिक मान्यताओं में अन्तर आ गया है और हमारी रचनाएँ सोहेश्य होने लगी हैं। एकांकी भी सोहेश्य रचना है। उसके कई उद्देश्य हो सकते हैं। नीति, राजनीति, धर्म, देश-भक्ति, विश्व-वस्तुत्व, मानवता, जीवन-दर्शन, सामयिक सन्स्थाएँ आदि कोई भी विषय चुनकर एकांकीकार अपने उद्देश्य की ओर पहुँच कर सकता है, पर उसका वास्तविक उद्देश्य मानव-जीवन का आदर्य एवं व्याख्या चित्रण ही है जिसके द्वारा वह असत्य पर सत्य की, अन्याय पर न्याय की, अधर्म पर धर्म की विजय दिखाता है। मानव में सत्-असत् जल और मिथी की माँति शुल्क-मिले हैं। उसके हृदय में परस्पर विरोधी एवं विरर्णन अन्तः कृतियाँ भी पायी जाती हैं। कभी उसमें सत् की प्रधानता होती है, कभी असत् की। एक ही मनुष्य में देश, काल और परिस्थिति के कारण वे बदला भी करती हैं। ऐसी दृश्या में एकांकीकार अपने प्रत्यक्षानुभव के आधार पर अपनी रचना का उद्देश्य स्थिर करता है और उसे अपनी कला की खराद पर चढ़ाकर इतना आकर्षक और मोहक बना देता है कि दर्शकों पर उसका तुरन्त प्रभाव पड़ता है। आज हिन्दी में जितने एकांकी लिखे जा रहे हैं वे जीवन की कोई-न-कोई समस्या दी लेकर हमारे सामने आ रहे हैं।

एकांकी के तत्त्वों के संबंध में अमीं जो बुध कहा गया है उससे यह सुमझ में आ गया होगा कि उसका क्षेत्र, विषय और नात्य-विधान अधिक विस्तृत और व्यापक है। उसमें विषय की एकता के साथ-साथ प्रभाव की एकता तथा वातावरण की एकता होना परम आवश्यक है। विषय की एकता होने पर भी यदि घटनाओं के प्रभाव में एकरसता न हुई, और भिन्न-भिन्न घटनाओं का दर्शकों पर भिन्न-भिन्न प्रभाव पड़ा तो एकांकी का उद्देश्य विफल हो जाता है। उद्देश्य की सफलता के लिए प्रभाव-ऐक्य अनिवार्य है। हसी के लाय बहावरण की एकता भी

वाच्यनीय है। एकांकी में उद्देश्य की ओर अप्रबल करनेवाले जो उपकरण होने हैं उन पर वातावरण की एकता का विशेष प्रभाव पड़ता है। इस प्रकार विषय, प्रभाव और वातावरण का जब भूरी तरह गठबंधन हो जाना है और उनका सम्मिलित प्रभाव प्रधान पाठ पर पड़ता है तब एकांकी अपने चर्चात्कर्ष पर पहुँचता है।

अब प्रश्न यह है कि हिन्दी-एकांकी का वर्गीकरण किस आधार पर किया जाय ? यह तो निर्विवाद है कि नाट्य-कला एकांकी के भेद की यह परम्परा हमें शैगरेजी से मिली है और अभी इसका साहित्य अपने निर्माण-काल में है। ऐसी दशा में हमें अब तक जो एकांकी उपलब्ध है हम् उनके आधार पर ही केवल शैली, विषय और मूल-वृत्ति के अनुसार उनका वर्गीकरण कर सकते हैं।

### १—शैली के अनुसार एकांकी के भेद

पाश्चात्य नाटककारों ने शैली के अनुसार एकांकी के मुख्यतः दो भेद किये हैं—(१) सुखांत और (२) दुखांत। सुखांत की शैली हमारी नाट्य-परम्परा के अनुकूल है, पर दुखांत पाश्चात्य नाट्य-साहित्य की देन है। हिन्दी में अभी इस प्रकार के एकांकी कम मिलते हैं। इन दो भेदों के अतिरिक्त आठ भेद भी किये जा सकते हैं जो इस प्रकार हैं—

(१) सरल शैली के एकांकी—इस शैली के अन्तर्गत एकांकीकार केवल उतना ही कहता है जिनसे उसका उद्देश्य सिद्ध हो जाता है। वह कथन की वक्रता में नहीं, कथन की सरसता एवं सरलता में विश्वास करता है और साधारण परिवर्यतियों से अपने कथानक का चयन करता है। डॉ रामकुमार वर्मा का परीक्षा सरल शैली में लिखा गया है।

(२) गम्भीर शैली के एकांकी—इस शैली के अन्तर्गत एकांकीकार गम्भीर विषयों का प्रतिपादन गम्भीर भाषा में करता है। विचार-

त्मक और दार्शनिक एकांकी इसी शैली में लिखे जाते हैं। महजी का धूम शिखा इसी शैली में लिखा गया है।

(३) व्यंगात्मक शैली के एकांकी—इस शैली के अन्तर्गत एकांकीकार जो कुछ कहना चाहता है उसे ऐसे शब्दों में कहता है जिनसे एक दूसरी ही घटनि निकलती है। इस शैली में व्यंग, कठाक, झुटीलाल, उक्ति-वैचित्र्य, वाक्-वैदाष होता है। भुवनेश्वर का स्ट्राइक इसी शैली में लिखा गया है।

(४) हास्यात्मक शैली के एकांकी—इस शैली के अन्तर्गत एकांकीकार हास्य और चिनोद की सुष्ठि करता है। भगवतीचरण वर्मा का सबसे बड़ा आदमी इसी शैली में लिखा गया है।

(५) भावात्मक शैली के एकांकी—इस शैली के अन्तर्गत एकांकीकार अनुभूति तथा कल्पना प्रधान कथानकों को एकांकी का रूप देता है। इसमें पद्य की प्रधानता रहती है और पात्र प्रायः देवता होते हैं। हमारे साहित्य में इस शैली के एकांकी कम सिखे गये हैं। इस शैली पर पारचात्य नाट्य-कला का विशेष प्रभाव है। उदयशंकर भट्ट का विश्वामित्र भावात्मक शैली में लिया गया है।

(६) गीतात्मक शैली के एकांकी—इस शैली के अन्तर्गत एकांकीकार अनुभूति तथा कल्पया-प्रधान कथानकों को एकांकी का रूप देता है। पह आदि से अन्त तक पद्यात्मक रचना होती है और इसमें दृश्यों का अभाव-सा रहता है। महजी भी का मत्स्यगंधा इसी शैली में लिखा गया है।

(७) प्रवीकात्मक शैली के एकांकी—इस शैली के अन्तर्गत एकांकीकार अनूतं को मूर्त रूप देकर कल्पना एवं अनुभूति के आधार पर कथानकों की सुष्ठि करता है और फिर उन्हें एकांकी का रूप देता है। यह शैली अत्यन्त पुष्ट, गमीर और चिन्ताशील होती है। प्रसादजी का एक घॅट इसी शैली में लिखा गया है।

(८) आत्मोचनात्मक शैली के एकांकी—इस शैली के अन्तर्गत

एकाकीकार अपने को जीवन का आलोचक समझकर उसकी दुर्बलताओं का उद्घाटन करते हैं। ऐसा करने में वे न तो किंतु समस्या की सुष्ठि करते हैं और न किसी आदर्श की स्थापना। यथार्थ का चित्रण भी उनका उद्देश्य नहीं होता। वर्तमान जीवन में जो हो रहा है, उसी को प्रशंसा में लाना उनका एकमात्र ध्येय होता है। इस ध्येय की पूर्ति के लिए वे ऐसे कथानकों की सुष्ठि करते हैं जो कलियत होते हुए भी यथार्थ अगत् से समन्वित होते हैं। इसके दो रूप हैं—एक विवेकात्मक और दूसरा भावुकात्मक। विवेकात्मक की रचना तर्क-प्रधान होती है। उसमें बुद्धि-विलास रहता है और प्रत्येक समस्या बुद्धि की तुला पर तीली जाती है। भावुकात्मक में तर्क का अभाव रहता है। उसमें घटना विश्लेषित होकर स्वयं लाभिन और शालोचित हो जाती है। भावुकता का अंश उसमें अधिक रहता है।

(९) समस्या-प्रधान शैली के एकाकी—इस शैली के अन्तर्गत एकाकीकार वर्तमान काल की समस्याओं को कथानक का रूप देकर जनता का ध्यान उनसी और आहृष्ट करते हैं। ऐसी समस्याएँ मुख्यतः तीन प्रकार की होती हैं—सामाजिक, राजनीतिक अथवा यौन-सम्बन्धी। सफल एकाकीकार देश, काल और परिस्थिति के अनुकूल अपनी संस्कृति एवं सम्भता का ध्यान रखते हुए ही इन समस्याओं पर विचार करते हैं और उनका निर्णय या तो स्वयं करते हैं, या उसका भार समाज के कर्णधारों पर छोड़ देते हैं।

(१०) चारित्रिक शैली के एकाकी—इस शैली के अन्तर्गत एकाकीकार का उद्देश्य किसी व्यक्ति का विशेष रूप से चरित्र-चित्रण करना होता है। यह घटना-प्रधान एकाकी से भिन्न होता है। सेठ गोविन्ददास का अधिकार लिप्सा चारित्रिक एकाकी का सफल उदाहरण है।

(११) संवादात्मक शैली के एकाकी—इस शैली के अन्तर्गत एकाकीकार संवाद-रूप में अपने कथानक को प्रख्युत करते हैं। ऑगरेजी

के भोगोद्ग्रामा भी इसी प्रकार के होते हैं। सेठ गोविन्ददास का चतुर्मुख इसी शैली में है।

(१२) घटना-प्रधान शैली के एकांकी—इम शैली के अन्वर्ग एकांकीकार की प्रवृत्ति पात्र की पात्रता की अपेक्षा घटना के लाखबन्ध जी और अधिक रहती है और उसे वह तीन पृथक्-पृथक् लोगों में प्रस्तुत करने की चेष्टा करता है। इनमें से पहला रूप है तथ्य-प्रदर्शक एकांकी का। इस प्रकार के एकांकी में एकांकीकार घटना-विशेष द्वारा सदैश देने अथवा निष्कर्ष निपालने की प्रवृत्ति से दूर रहकर जो देखता है और जो समझता है केवल उसे ही यथार्थतः प्रस्तुत कर देता है। सेठ गोविन्ददास का मानव-मन इसी शैली में लिखा हुआ एकांकी है। इसके बिंदु हैं आदर्श मूलक एकांकी। वह घटना-प्रधान एकांकियों दा दूसरा रूप है। इसमें एकांकीकार पुराण, इतिहास अथवा कल्पना-प्रस्तुत घटना-विशेष के आधार पर किसी आदर्श की स्थापना करता है। घटना-प्रधान एकांकी का तीसरा रूप हमें व्याख्यामूलक एकांकियों में मिलता है। इस प्रकार के एकांकियों के कथानक या तो पौराणिक कथाएँ होती हैं अथवा इतिहास-प्रसिद्ध घटनाएँ। एकांकीकार इन कथानकों को अपनी कला का विषय बनाकर भूतन सामविड दृष्टिकोण से उनकी व्याख्या करता है।

## २—विषय के अनुसार एकांकी के भेद

नाटककारों के समुख नाटकन्त्रचना के लिए विषय की कमी नहीं रहती। मानव-जीवन से सम्बन्ध रखनेवाले प्रत्येक प्रकार के विषय उनके कथानकों के विषय बन सकते हैं। यद्याँ विविध विषयों के अनुसार एकांकी के निम्न भेद ही सकते हैं :—

(१) पौराणिक एकांकी—हमारे देश की पौराणिक कथाओं में नाटकीय विषयों का अद्य माल्हार है। इन कथाओं के आधार पर एकांकी-रचना का उद्देश्य शाचीन उत्कृष्टते और नार्चीन सम्भवता को

जीवित रखना है और उससे वरावर प्रेरणा प्रहण करते रहना है। हम इसी दृष्टि से अपने पौराणिक ग्रन्थों का अध्ययन करते हैं और उन्हें साहित्यिक रूप देते हैं। हिन्दी में पौराणिक एकांकियों का यही महत्व है। डा० रामकुमार वर्मा का राजरानी सीता पौराणिक एकांकी का सफल उदाहरण है।

(२) ऐतिहासिक एकांकी—नाटककारों के सम्मुख पौराणिक कथाओं के अनिरिक्त ऐतिहासिक कथाओं का अमर कोष भी प्रस्तुत रहता है। ऐतिहासिक विषयों में राजाओं की जीवनी, उनके अनेक महत्वपूर्ण कार्य, उनका परिवारिक, सामाजिक तथा राष्ट्रीय और वैयक्तिक जीवन; सामन्तों, वीरों, नेताओं और भुधारकों के त्याग की कहानियाँ, तथा इसी प्रकार की अन्य उथल-पुथल करनेवाली राजनीतिक घटनाएँ ऐतिहासिक एकांकियों के लिए सामग्री उपलिख्यत बर सकती हैं। एक कुराल एकांकीकार ऐसी ही सामग्री को कथानक का रूप देकर जब उसे रंगमंच पर प्रदर्शित करता है तब दर्शक का हृदय अपने देश के भूतकालीन गौरव से अनुग्राणित हो उठता है और उसमें राष्ट्रीय मानवना का उदय होता है। ऐतिहासिक एकांकी का यही लक्ष्य है। डा० रामकुमार वर्मा का शिवाजी ऐतिहासिक एकांकी का सफल उदाहरण है।

(३) सामाजिक एकांकी—सामाजिक आचार-विचार, रीति-रिवाज तथा रहन-रहन ने भी नाटक-नृत्य के लिए यथेष्ट विषय प्रस्तुत किये हैं। इन विषयों का उद्देश्य है सामाजिक गुत्थियों को मुलमाना और उनके प्रति जनता को सचेत करना। इस दृष्टि से समस्त सामाजिक विषयों के दो रूप हो सकते हैं—एक तो सामाजिक व्यवस्था-संवंधी और दूसरा सामाजिक समस्या-संवंधी हिन्दी-नाटककारों ने इन दोनों क्षेत्रों में विशेष सफलता प्राप्त की है। उन्हें जहाँ एक और सामाजिक व्यवस्था की तीव्र आलोचना द्वारा समाज को जागरित किया है वहाँ कुछ ऐसी नवीन समस्याओं की ओर भी उनका ध्यान आकृष्ट किया है जिनका मुलमाना अत्यन्त आवश्यक हो गया है। उद्यशंकर मट का खी का हृदय इसका सफल उदाहरण है।

(४) राजनीतिक एकांकी—इस प्रकार के एकांकियों का विषय राजनीति होता है और इसके अन्तर्गत उन समस्त विचारों तथा घटनाओं को स्थान दिया जाता है जो जनता के राजनीतिक जीवन को समय-समय पर प्रभावित करते रहते हैं। वर्तमान राष्ट्रीय जीवन में पूँजीपतियों, अमर्जीवियों और किसानों आदि की समत्याएँ इतनी घर कर गयी हैं कि साहित्य में हम उनकी उपेक्षा ही नहीं कर सकते। इसी प्रकार युद्ध आदि ने भी साहित्य के विभिन्न अंगों को प्रभावित किया है। ऐसी दशा में भिज्ञ-भिज्ञ वादों की सृष्टि हुई है और उनमें अपने अस्तित्व के लिए संघर्ष चल रहा है। फलतः आज हम अपने साहित्य में पूँजी-वाद के विशद् साम्यवादी आदर्शों का प्रचार, तानाशाही के विशद् जनतंत्र की धोपणा, हिंसा के विशद् अहिंसा का प्रचार, साम्राज्यवाद के विशद् जनतंत्र के आदर्शों का प्रचार, युद्ध के विशद् शान्ति का प्रचार तथा इसी प्रकार अनेकानेक विषयों को जब हम एकांकी के माध्यम से जनता के सामने प्रस्तुत करते हैं तब हम उन्हें राजनीतिक प्रचारात्मक एकांकी कहते हैं। इस प्रकार के एकांकियों की रचना में एकांकीकार को निष्पक्ष होकर और अपने व्यक्तिल को सबसे पृथक् रखकर, अत्येक 'वाद' के आदर्शों की छानबीन करनी पड़ती है और तब उसे अपना निर्णय देना पड़ता है। हिन्दी में अभी ऐसे कलाकारों का अभाव है।

(५) दार्शनिक एकांकी—इस प्रकार के एकांकियों का विषय दर्शन अध्यया अध्यात्म होता है और कल्पना अथवा अनुभूति के आधार पर उनके कथानक की सृष्टि की जाती है। उनमें आदि से अन्त तक शान्त रस रहता है और पात्र गंभीर और तत्त्वदर्शी होते हैं। हिन्दी में ऐसे एकांकी डा० रामकुमार चर्मा और तेढ गोविन्ददास के मिलते हैं।

(६) दृश्यात्मक एकांकी—इस प्रकार के एकांकियों के विषय दैनिक जीवन की साधारण घटनाएँ होती हैं—ऐसी साधारण घटनाएँ होती हैं जिनकी और साधारण मनुष्य की दृष्टि ही नहीं जाती और यदि जाती भी है तो अत्यंत खेलते हुए हैं। एकांकीकार उन फटकारों को

एक विशेष दृष्टिकोण से देखता है और उन्हें अभिनयात्मक रूप देकर उनकी और सर्वसाधारण को आकृष्ट करता है। डा० एस० पी० खन्नी का चौराहा इसी प्रकार का एकांकी है।

(७) मतोवैज्ञानिक एकांकी—इस प्रकार के एकांकियों का मुख्य उद्देश्य मनोविज्ञान के आधार पर मनुष्य की विचार-प्रणाली का दिग्दर्शन कराना है। वास्तव में मनुष्य विचारशील होने पर भी अपने आपको भूला रहता है। ऐसी दशा में जब वह रंगमच से अपने आन्तरिक विचारों की माँकियाँ प्रस्तुत होते हुए देखता है तब वह जाग उठता है, चेतना-समझ हो जाता है और अपने आपको पहचानकर स्वर्य अपना सुधार करने लगता है। हिन्दी में ऐसे एकांकी अभी कम लिखे गये हैं।

इस प्रकार हम देखते हैं कि एकांकी, शैली और विषय की दृष्टि से, कई प्रकार के होते हैं जिनमें आपस में मीलिक मैद है। वास्तव में विभिन्न दृष्टियों से एकांकी के इतने रूप और इतने प्रकार हो सकते हैं कि यहाँ उन सब पर विचार ही नहीं हो सकता। एकांकी का चेत्र विस्तृत होता जा रहा है। रेडियो के प्रचार एवं प्रसार से उत्ते विशेष प्रोत्साहन मिला है और उसकी कला में भी परिवर्तन हुआ है। अभिनय और संवाद के चेत्र में नये-नये प्रयोग हो रहे हैं। छाया-अभिनय, मौनोड्रामा, फैटेसी, प्रतीकात्मक एकांकी, गीति-नाट्य, भाव-नाट्य, नृत्य-नाट्य आदि नवीनतम् प्रयोगों के ही परिणाम हैं। अभी इस दिशा में विशेष उल्लेख-नीय कार्य नहीं हो पाया है, पर होगा अवश्य। यहाँ विद्यार्थियों की सुविधा की दृष्टि से हमने उनमें से अधिकांश को केवल उपर्युक्त दो ही बगों में विभाजित किया है।

एकांकी के जिन रूपों का उल्लेख उपर्युक्त पंक्तियों में हुआ है उनके अतिरिक्त रेडियो-एकांकी भी इस युग की एक देन रेडियो-एकांकी है। यह विज्ञान का चमत्कार है। इस चमत्कार के फलस्वरूप एकांकी की शैली और वस्तु में पिशेष परिचर्तन हुआ है। इससे एकांकी की दो भिन्न-भिन्न धाराएँ हो गयी हैं

जिन्हें हम रेडियो-एकांकी और रंगमंचीय एकांकी कह सकते हैं। इन दोनों प्रकार के एकांकियों में निश्चित रूप से अन्तर है। रेडियो-एकांकी के बेल घटनि पर अबलंबित रहते हैं। उनके अभिनेता हमारी आदाओं के सामने नहीं आते। वे केवल चब्दोंदारा ही हमारा मनोरंवन और हमारे विचारों का परिमार्जन एवं पोषण करते हैं। रंगमंचीय एकांकी के अभिनेता हमारे सामने आते हैं और अपने शारीरिक, मुख्य एवं धार्चिक अभिनयोंद्वारा हमारे जीवन और जगत् की झड़ियों प्रस्तुत करते हैं। इस प्रकार रेडियो-एकांकी जहाँ केवल हमारी कलेंन्द्रिय के विषय है वहाँ रंगमंचीय एकांकी हमारी चब्दान्द्रिय और कलेंन्द्रिय को समान रूप से एक साथ प्रभावित करते हैं। रेडियो-एकांकी में केवल संवाद होता है जिसका माध्यम है रेडियो-स्टेशन का भाइकोफोन। दूसरे एकांकी की भाष-भंगिमा के स्थान पर इसमें स्वर-संक्रम अथवा स्वर-मेद का महत्वपूर्ण स्थान रहता है। उसी के आधार पर कार्यगति की कलना की जा सकती है।

रेडियो-एकांकी का एक रूप रेडियो रूपक—रेडियो फोचर भी है। इसमें नाटकीयता कम, पर वर्णन अधिक रहता है। इसमें जो वातें सम्भापण-द्वारा प्रस्तुत नहीं की जा सकतीं उन्हें वर्णन-द्वारा प्रस्तुत करते हैं। रंगमंचीय एकांकी में संवाद और अभिनय—दोनों का समावेश रहता है। रेडियो-एकांकी से चब्दहीन साम उठा सकते हैं और रंगमंचीय एकांकी से बिपरि। इसीलिए रेडियो-एकांकी को 'अधो वा ऊपरो' कहा गया है।

हम अन्यत्र यता जुके हैं कि संस्कृत-यरन्तरा में एकांकी का अभाव नहीं या। आगे चलकर कई कारणों से उनका हिन्दी-एकांकी विकास नहीं हो सका, पर उनका इतिहास तो है ही और उस इतिहास की अपनी मौलिक विशेषता है। वस्तुतः संस्कृत के हास और भारतेन्दु के आविमांव के बीच का समय इतना छोलाहलपूर्ण, अत्त-व्यस्त और असंयत है कि

वह संस्कृत-एकांकी-परम्परा के इतिहास और विकास में वायक हो गया है। ऐसी दशा में हिन्दी-एकांकी के इतिहास का श्रीगणेश भारतेन्दु-काल से ही माना जाता है। विद्यार्थियों की सुविधा के लिए हम उस समय से अबतक के एकांकी-इतिहास को तीन भागों में विभाजित कर सकते हैं—(१) भारतेन्दु-युग—सं० १६३०-१६८४, (२) प्रसाद-युग—सं० १६८५-१८८५ और (३) आयुनिक युग—सं० १८८६—... यहीं एकांकी के इतिहास पर इसी क्रम से विचार किया जायगा।

[१] भारतेन्दु-युग में एकांकी—(सं० १६३०-१६८४)—हम अन्यत्र बता चुके हैं कि हिन्दी में भारतेन्दु ही एकांकी के जन्मदाता थे। उन्होंने कई मौलिक एकांकियों की रचना की। उनका पहला एकांकी है—‘वैदिकी हिंसा हिंसा न भवति।’ इसमें दात्य रस की प्रधानता है। इसके बाद उन्होंने ‘प्रेम जोगिनी’, ‘भारत जननी’ ‘विष्ट्य विष-मौपघम्’ ‘भारत दुर्दशा’, ‘नील देवी’ और ‘भारत-दुर्दशा’ आदि की रचना की। इन रचनाओं-द्वारा भारतेन्दु का एकमात्र उद्देश्य संस्कृत-नाटकों की मिलन-भिल शैलियों को हिन्दी में स्थान देकर अपने सम-कालीन साहित्यकारों को उनकी ओर आकृष्ट करना था। यही कारण है कि उन्होंने अपने समय के नवीन विषयों के आधार पर एकांकियों की रचना की। ‘एकांकी’ नाम से वह, उस समय, परिचित ही नहीं थे। उनके साथने नाटकों के तीन आदर्श थे—(१) संस्कृत-नाटकों का आदर्श, (२) अँगरेजी-नाटकों का आदर्श और (३) अँगरेजी से प्राप्त बँगला-नाटकों का आदर्श। इन्हीं आदर्शों की मिली-जुली शैली के अनुकूल उन्होंने रूपक और उपरूपक लिखे और दूसरों को भी उनकी रचना के लिए प्रेरित किया। उनके समय में ‘रूपक’ ही ‘एकांकी’ का पर्याप्ताची बना रहा। उदाहरणार्थः काशीनाथ खड्डी ने तीन छोटे-छोटे ऐतिहासिक एकांकी ‘सिंध देश की राजकुमारियाँ’, ‘गुजरात की रानी’, और ‘महाराजा लवजी का स्वप्न’—लिखे और उन्हें ‘तीन ऐतिहासिक रूपक’ के नाम से प्रकाशित किया। ऐसे रूपक विविध विषयों पर विविध

शीलियों में और भी लिखे गये। भी निषाटदात ने 'प्रह्लाद-चरित' नाम का पौराणिक एकांकी लिखा, बद्रीनारायण 'प्रिमधन' ने 'प्रवाग-रामागमन' नामक पौराणिक एकांकी की रचना की तथा राघाचरण गोस्वामी ने 'भारत में यज्ञन लोग' का ब्रजभाषा से हिन्दी में अनुवाद किया और पाँच दृश्यों में 'श्रीदामा', सात दृश्यों में दुखात 'सती चंद्रावली', पन्द्रह दृश्यों में 'अमरसिंह राठौर' और आठ दृश्यों में एक प्रह्लन 'तन, मन, धन श्रीगोसाई जी के अर्पण' लिखा। वह अपने समय के अत्यन्त सफल एकांकीकार ये। उनके अतिरिक्त भरतपुर-नरेश बलदेव सिंह के भर्तीजे के पुत्र कृष्णदेवशरण सिंह 'गोर' ने 'माधुरी' नामक एकांकी की रचना की और चालकृष्ण भट्ट ने 'प्रदीप' में कई छोटे-छोटे रूपक सामयिक विषयों के आधार पर लिखे जिनमें से 'कलिराज की सभा', 'रेल का विकट खेल', 'चाल-विवाह' आदि प्रमुख हैं। प्रताप नारायण मिश का 'कलि कीहुक', शालिप्राम का 'मधूरव्यन्न' और देवकीनन्दन खन्नी का आमीण भाषा में 'जयनार सिंह का' आदि रचनाएँ भी इसी काल वी हैं। इसी काल में प्रसिद्ध नाटककार राधाकृष्णदास ने भी 'दुखिनी बाला' और 'धर्मलाप' शीर्षक एकांकी लिखे। शम्भिका दत्त व्याच के 'कलियुग और धी' तथा 'मन की उम्मेंग' नाम की दो रचनाएँ भी इसी कोटि की हैं। इनके अतिरिक्त अयोध्यासिंह उपाध्याय 'हरिश्चीध' के 'प्रयुक्त विजय व्यायोग' और किरोरीलाल गोस्वामी के 'चौपट चपेट' की गणना भी इसी काल के अन्तर्गत की जा सकती है।

भारतेन्दु-काल की उपर्युक्त रचनाओं में हिन्दी-एकांकी की कोई अपनी प्रणाली, कोई अपनी परम्परा नहीं थी। एकांकी-निर्माण में प्रत्येक लेखक स्वतन्त्र या और यह अपनी विशेष रुचि, प्रतिभा और आबद्धता के अनुकूल अपने कथानकों को एकांकी का स्वर दे देता था। अंक और दृश्य-सम्बन्धी सापारण नियम भी गिरिल थे। कोई अपने कथानक को एक या कई अंकों में विभाजित करता था, कोई एक या कई दृश्यों में। दृश्यों की संख्या भी निश्चित नहीं थी। ऐसा लगता है कि

तत्कालीन लेखक अंक और दृश्य में विशेष अन्तर नहीं मानते थे। ऐसी दशा में हम उस समय के रूपकों में आधुनिक एकांकी-कला का सर्वथा अभाव ही पाते हैं। उनके कथानक ऐतिहासिक, पीराणिक, सामाजिक, सामयिक और कलिपन होते हुए भी अव्यवस्थित, अस्थिरिक और शिथिल हैं। आरम्भ में हीता भी ऐसा ही है। बल्तुतः भारतेन्दु-काल हमारे साहित्य के विभिन्न अंगों का शिलान्यास-काल अथवा प्रयोग-काल था। उस समय साहित्यकारों का ध्यान कला की उत्कृष्टता और उसकी परिपक्वता की ओपेक्षा साहित्य के विभिन्न अंगों की पूर्ति एवं उनके प्रचार और प्रसार की ओर अधिक था। इसीलिए उस समय का समस्त साहित्य एक प्रकार से प्रचारात्मक साहित्य था। उसमें शक्ति नहीं थी, उसमें कला नहीं थी, पर उसमें साहित्य के अंगों के बीज अवश्य थे और वही बीज आज वृक्ष के रूप में हमारे सामने लहलहा रहे हैं। इस दृष्टि से भारतेन्दु-काल के रूपक आधुनिक एकांकियों के पूर्वज हैं।

[२] प्रसाद-युग में एकांकी—(सं० १६८५-१६९४) भारतेन्दु-युग समाप्त होने के पश्चात् द्विवेदी-युग का प्रादुर्भाव हुआ। इस युग में एकांकी को विशेष प्रोत्साहन नहीं मिला। इसके बाद आया प्रसाद-युग। इस युग के प्रबन्धक थे जयशंकर प्रसाद। एकांकी-साहित्य के प्रसार में उनसे बड़ी सहायता मिली। भारतेन्दु-युग पूर्व और पश्चिम के संघर्ष का, प्रसार का, ‘अपनी-अपनी डफली अपना-अपना राग’ का युग था। प्रसादजी ने इन सब का अन्त करके एकांकी-साहित्य को स्थिर और कलात्मक रूप प्रदान किया। उनके समय में बंगला के नाटककार द्विजेन्द्र-लाल राय के प्रायः सभी नाटक और रवि बाबू के प्रमुख नाटक—दाक-घर, राजा-रानी, चित्रागदा, कर्णकुन्तो आदि हिन्दी में अनूदित हो चुके थे। इन अनूदित रचनाओं का प्रसादजी पर विशेष प्रभाव पड़ा। रवि बाबू की संवाद-कला से वह अधिक प्रभावित हुए, जिसके फलस्वरूप सं० १६८६ में उनका ‘एक घैट’ प्रकाशित हुआ। यह उनका प्रथम

संवाद-प्रश्नान् एकोंठो था। इसमें उन्होंने एकांकी की वर्तमान टेक्नीक का अधिकांश निवांह किया था। इस एकांकी की देसा-देशी हिन्दी में कहौं और एकांकी लिखे गये। तत्कालीन मासिक पत्रों में गोविन्द बल्लभ पन्त तथा धीं सुदर्शन के कहौं एकांकी प्रकाशित हुए। सं० १९६२ में भुव-नेश्वर का 'कारबॉ' निकला और इसी के आस-पास ढा० रामकृष्णार वर्मा वा० एकांकी-संग्रह 'पृथ्वीराज की शारिं' प्रकाश में आया। इनके अतिरिक्त और भी कहौं साहित्यकारों ने एकांकी की रचना की। सत्येन्द्र वा० 'कुनाल' सं० १९६४ में प्रकाशित हुआ। इस प्रश्नार व्यू० वर्ष के मीडियर कहौं प्रकाश के एकांकियों की रचना हुई। इन एकांकियों पर विदि टेक्नीक की दृष्टि से विचार किया जाय तो उस समय तीन प्रश्नार के एकांकीकार मिलते हैं :—

(१) बँगला से प्रभावित एकांकीकार—इस वर्ग के एकांकीकार मैट्रलिङ से प्रभावित बँगला की टेक्नीक से प्रेरणा अद्वा करके एकांकी की रचना करते थे। उनके एकांकियों में संकलन-नवय—समय, स्थान और वार्य—के निवांह की भरपूर चेष्टा रहती थी। किन्तु इसके साथ ही उनके कथानक, उनके चरित्र-निवेदण और उनके कथोपकथन अमने होते थे।

(२) ब्रॅंगरेजी से प्रभावित एकांकीकार—इस वर्ग के एकांकीकार एकांकी-रचना के लिए ब्रॅंगरेजी-एकांकियों की टेक्नीक से प्रेरणा अद्वा करते थे और उनके कथानक, उनके चरित्र-चित्रण और उनके चथोपकथन की टेक्नीक पारचाल्द टेक्नीक की अनुकरण-साप्र-होती थी।

(३) स्वतंत्र एकांकीकार—इस वर्ग के एकांकीकार न तो बँगला से ही प्रेरणा महसा करते थे और न ब्रॅंगरेजी से ही। वे एकांकी की आत्मा और उसकी टेक्नीक से अच्छी तरह अवश्य परिचित थे, पर उस पर वे अपनी मौलिकता और नवीनतम् सूक्ष्म का पुट चढ़ाकर उसे एक नये रूप में रखने का प्रयत्न कर रहे थे।

इस प्रकार प्रसाद-युग के एकांकी मारतेन्दु-काल के एकांकियों की अपेक्षा कथानक, चरित्र-चित्रण, कथोपकथन तथा भाषा आदि की दृष्टि से अधिक संयत, परिमार्जित और कलापूर्ण सिद्ध हुए।

[३] आधुनिक युग की एकोकी—(सं० १६६५—“”)—हिन्दी-एकांकी-साहित्य में भुवनेश्वर के ‘कारवाँ’ ने एक नये परिवर्तन की दृच्छा दी। उनकी इस रचना पर पश्चिम का प्रत्यक्ष प्रभाव पड़ा। इससे हिन्दी में पाश्चात्य एकांकी-कला का अच्छा प्रचार हुआ। लाहौर के चन्द्रगुप्त विद्यालंकार इस अभिनव-कला के विरोधी थे। वह नाथ्य-साहित्य में एकांकी का पृथक् अस्तित्व मानने को तैयार नहीं थे। अतः इस प्रश्न को लेकर हिन्दी में बहुत वाद-विवाद उठ सड़ा हुआ। इस वाद-विवाद से एकांकी-कला को विशेष प्रोत्साहन मिला जिसके फल-स्वरूप सं० १६६५ में ‘हंस’ का ‘एकांकी नाटक’ अंक प्रकाशित हुआ। इस अंक में मीलिक एकांकियों को ही नहीं, अनूदित एकांकियों को भी स्थान दिया गया। इससे हिन्दी के कतिपय श्रेष्ठ एकांकीकार सामने आये जिन्होंने एकांकी के इतिहास में आधुनिक युग का सूत्रगत किया। सं० १६६७-६८ के पश्चात् महायुद्ध समाप्त होने पर सो एकांकी-रचना की धूम मच गयी। इसी अवसर पर आल इंडिया रेडियो के स्टेशनों पर एकांकी की आवश्यकता प्रतीत हुई। इस आवश्यकता ने नये एकांकी-कारों को जन्म दिया। उन्होंने रेडियो के लिए संवाद-प्रधान एकांकी लिखकर एक अभिनव एकांकी-कला की सृष्टि की। उसी समय रेडियो फीचर—रेडियो रूपक—भी लिखे गये। इस प्रकार सं० १६६५ से सं० २००२ तक का समय हिन्दी-एकांकी के विकास और इतिहास में अत्यन्त महत्वपूर्ण सिद्ध हुआ। आधुनिक युग के अन्तर्गत हम इस समय को एकांकी का प्रथम उत्थान काल कह सकते हैं।

एकांकी का द्वितीय उत्थान काल सं० २००२ से आरम्भ होता है। यही वर्तमान एकांकी-काल है। इस काल में एकांकी-कला ने स्थायी रूप धारण कर लिया है और उसका प्रचार बढ़ रहा है। मनोवैज्ञानिक,

सामाजिक, राजनीतिक, प्रचारात्मक, छायानाटक, गीति-नाटक, भाष-नाटक, नृत्य-नाटक, घटनि-नाटक तथा रेडियो-रूपक आदि लिखे जा रहे हैं। डा० रामकुमार वर्मा, सेठ गोविन्ददास, उदयशंकर भट्ट, हरि-कृष्ण प्रेमी, उपेन्द्रनाथ 'आश्रक', सुदर्शन, शंभूदयाल सरसेना, गणेश-प्रसाद द्विवेदी, जे० पी० श्रीबास्तव, देचन शर्मा 'उग्र' रामगुण्ठरण अवस्थी, चाल्हायन, जगदीराप्रसाद माझुर, धर्मप्रकाश 'आनन्द', भगवतीचरण वर्मा, कमलाकान्त वर्मा, विष्णु प्रमाकर, अर्णेय आदि हस काल के प्रमुख एकाकीकार हैं जिनकी रचनाएँ हिन्दी-एकाकी साहित्य में महत्वपूर्ण स्थान रखती हैं।

उपर्युक्त पंक्तियों में एकाकी की रूप-रेखा तथा उसके इतिहास के सम्बन्ध में जो विचार प्रक्षुत किये गये हैं उनसे यह प्राचीन और नवीन एकाकी स्पष्ट हो जाता है कि आधुनिक एकाकी प्राचीन एकाकियों से सर्वथा भिन्न है। तुलनात्मक दृष्टि से विचार करने पर हम देखेंगे कि :—

(१) प्राचीन एकाकी, विशेषतः भारतेन्दु-कालीन एकाकी नाटक के सबु संस्करण मात्र होते थे। उनमें घटनाओं की जटिलता ऐसी ही रहती थी जैसी नाटकों में। आधुनिक एकाकी में घटनाओं की जटिलता का अभाव रहता है। उसमें जीवन की कोई भी घटना कथानक के रूप में प्रस्तुत की जा सकती है।

(२) प्राचीन एकाकी का विषय-निर्वाचन-नेत्र संकुचित और सीमित था। उसमें पौराणिक कथाओं का ही मुख्यतः अंकन होता था। आधुनिक एकाकी जीवन के प्रत्येक नेत्र से अपनी सामग्री एकत्र करने में स्वतंत्र है। उसका विषय-निर्वाचन-नेत्र जीवन का वास्तव रूप ही नहीं, मानव-दृढ़य और मास्तिष्क भी है। वह जीवन के अधिक निकट है। 'यथार्थता, मनोवैज्ञानिक सत्य श्रीरामनन्द' का उसमें पूरा समावेश है।

(३) प्राचीन एकाकी का उद्देश्य था योङे समय में अधिक-से-अधिक लोगों का मनोरंजन और उस 'मनोरंजन-द्वारा किसी मुदार की

योजना का प्रचार। आधुनिक एकांकी गाहित्य के एक विशिष्ट अंग का पोषक और जीवन के विकास में सहायक होता है।

(४) प्राचीन एकांकी की अपनी कोई कला नहीं थी। उसमें न तो रंग-संकेत होते थे और न अंकों तथा दशों के निश्चित नियम। आवश्यकतानुसार उसकी रचना में स्वयंत, नान्दी, मंगलाचरण, प्रस्तावना आदि का भी विधान रहता था। आधुनिक एकांकों की अपनी कला है, अपने नियम हैं। उसमें नियमों की जटिलता नहीं है। उसमें पवांप्त रंग-संकेत भी रहते हैं।

(५) प्राचीन एकांकी आदर्शवादी होते थे। उसमें रस-परिपाक पर विशेष महत्व दिया जाता था। इसलिए उसमें पात्रों के चरित्र-विकास के लिए विशेष स्थान नहीं था। आधुनिक एकांकी पात्रों के चरित्र-विकास पर अधिक ध्यान देता है। अतएव उसका सम्बन्ध जीवन के यथार्थ अनुभव से अधिक रहता है। जीवन की प्रत्येक समस्या के बीच मानव-दृढ़य और मस्तिष्क में जैसी प्रतिक्रियाएँ होती हैं—उन्हीं का उपलब्ध अंकन उसका एकमात्र लक्ष्य होता है।

(६) प्राचीन एकांकी प्रायः वेग-शूल्य होता था। उसमें भावों की सीत्रता और चड़पन नहीं होती थी और वह चरमोत्कर्ष के पश्चात् भी आगे बढ़ता रहता था। आधुनिक एकांकी में भावनाओं का वेग ही महत्वपूर्ण होता है। उसकी घटना विजली की भाँति कौंधती हुई क्षिप्रगति से आगे बढ़ती है और चरमोत्कर्ष पर पहुँचकर दर्शकों को चकानौंध कर देती है।

(७) प्राचीन एकांकी में पात्रों का जमघट-सा रहता था। आधुनिक एकांकी में पात्रों वा निर्वाचन वड़ी समझ-बूझ से किया जाता है। उसमें पात्रों का कम-से-कम उपयोग किया जाता है। पात्र किसी भी वर्ग के हो सकते हैं।

(८) प्राचीन एकांकों के कथोपकथन प्रायः लम्बे, उपदेशात्मक, और वेग-शूल्य होते थे। आधुनिक एकांकी में कथोपकथन वेगपूर्ण,

ब्यंजक, चुटीले और मार्मिक होता है। उसमें विचारों की गहनता और भाषों की गंभीरता रहती है।

(९) प्राचीन एकांकी में संगीतात्मक पदों तथा नृत्य आदि का आयोजन रहता था। आधुनिक एकांकी में इस प्रकार का विधान प्रायः नहीं रहता, केवल कार्य और संवाद का वेग ही दर्शकों के आकर्षण के लिए अपेक्षित उभमात्र जाता है।

(१०) प्राचीन एकांकी का रंगमंच अधिक श्ट्रोगारिक होता था और दृश्य-परिवर्तन आदि के लिए अधिक सामग्री बुटानी पड़ती थी। आधुनिक एकांकी का रंगमंच साधारण होता है। उसके लिए विशेष कौशल की आवश्यकता नहीं होती।

अबतक हिन्दी-एकांकी की जो मीमांसा प्रस्तुत की गयी है उससे

उसकी अन्तर्धारा का सामान्य परिचय मिल जाता है। हिन्दी-एकांकी की विशेष रूप से उसका अध्ययन करने के लिए हमें प्रश्नियाँ उन 'वादों' पर विचार करना होगा जो आधुनिक हिन्दो-साहित्य के विभिन्न श्रंगों को अनुप्राणित और प्रभावित करते रहे हैं। 'वाद' एक प्रकार की विशिष्ट चिन्तन-प्रणाली है।

\*प्रत्येक लेखक की अपनी रचि, अपनी सूक्ष्म-वूक्ष और जीवन तथा जगत् के प्रति अपना स्वतंत्र दृष्टिकोण होता है। इस दृष्टिकोण को व्यक्त करने की उपकी अपनी शैली होती है। उसके इस प्रकार के तत्व-चिन्तन एवं प्रकाशन में जब विशिष्टता आ जाती है, जब वह स्वतंत्र रूप से जीवन और जगत् की जटिलताओं एवं गुरुत्यों को सुलझाने लगता है और उन्हें अपनी कला के माध्यम से व्यक्त करने लगता है तब उसका स्थान अन्य साहित्यकारों से पृथक् हो जाता है और वह एक स्वतंत्र चिन्तक के रूप में स्वीकार किया जाने लगता है। उस समय उसके चिन्तन के चिन्हानों को दार्शनिक महत्व प्राप्त हो जाता है और हम उन्हें उन्हीं के अनुरूप किसी 'वाद' के नाम से प्रतिष्ठापित कर देते हैं। हिन्दी-नाय्य-साहित्य, विशेषतः हिन्दी-एकांकी, में इस प्रकार के कई 'वाद' मिलते हैं।

एकांकीकार अपनी-अपनी रचनाओं में इन 'वादों' का समावेश अपनी-अपनी रुचि और आवश्यकता के अनुसार करते हैं। कुछ उनमें से किसी एक के अन्वय में हो जाते हैं, कुछ उसमें आंशिक परिवर्तन करके उसे स्वीकार कर लेते हैं और कुछ केवल अपनी कला की आवश्यकता की पूर्ति के लिए उसे अपना लेते हैं। इस प्रकार प्रत्येक एकांकी कार किसी-न-किसी रूप में उसे अपनाता अवश्य है। यदि वह अपने को किसी 'वाद' से प्रभावित न भी माने तो मानव-प्रदृष्टियों से बचकर वह कहाँ जायगा ! वे तो रहेंगी ही और उन्हीं के आधार पर आलोचक उसी रचना को किसी-न-किसी 'वाद' के अन्तर्गत रख देगा। हिन्दी-नाय-साहित्य में जबसे एकांकी का अन्युदय हुआ है तब से उसमें कई 'वादों' को स्थान 'मिला है जिनमें से मुख्य' है—आदर्शवाद, यथार्थवाद, प्रगतिवाद, कलावाद, अभिव्यञ्जनावाद तथा प्रभाववाद। इन्हीं 'वादों' पर यहाँ विचार किया जायगा :—

[१] एकांकी में आदर्शवादी प्रवृत्ति—आदर्शवाद भारतीय साहित्य का मूलमंत्र रहा है। प्राचीन काल से हम आदर्श के उपासक रहे हैं और हमारे साहित्यकारों ने रथूल-से-स्थूल तथा मूद्दम-से-दूदम आदर्शों की कल्पना की है और उन्हें जीवन के प्रत्येक क्षेत्र के लिए अनुकरणीय बनाया है। उन्होंने अपने इस आदर्शवाद को दो रूपों में स्वीकार किया है—(१) वीर-पूजा के भाव से प्रेरित आदर्शवाद और (२) पूर्णता की कल्पना से प्रेरित आदर्शवाद। वीर पूजा से प्रेरित आदर्शवाद के विधान में किसी पीराणिक, ऐतिहासिक अथवा कल्पित पात्र का चरित्रनिचित्रण रहता है और उसके किसी एक गुण का चरमोत्कर्ष दिखाया जाता है। सेठ गोविन्ददास के अधिकांश एकांकी इसी आदर्श प्रवृत्ति के द्योनक हैं। हरिकृष्ण प्रेमी के एकांकियों में यह बात नहीं है। उनकी रचनाओं में पूर्णता की कल्पना से प्रेरित आदर्शवाद मिलता है। इस प्रकार का आदर्श समाज अथवा जीवन को विविध समस्याओं के लिए प्रस्तुत

किया जाता है और इसमें मनुष्यों की उदार वृत्तियों को उचेचित, अनुशासित, संतुलित एवं आनंदित करने की शक्ति होती है। प्रभाव के अनुग्रह ऐसे एकांकियों की दो भेणियाँ हो सकती हैं—एक तो वे जिनमें केवल मानव-प्रवृत्तियों को उभारने का सरल आग्रह रहता है और दूसरी वे जिनमें मानव-प्रवृत्तियों को उभारने के साथ-साथ उनके आहान वा भाव भी रहता है।

[२] पूर्वांकी में यथार्थवादी प्रशृति—आदर्शवादी प्रशृति की प्रतिनिधि के सब में यथार्थवाद का जन्म हुआ है। इस बाद के यथार्थदों का कहना है कि आदर्शवाद कल्पना-जन्म है। इस कारण मानव-जीवनकी यथार्थ परिस्थितियों से वह कोसों दूर रहता है। उसमें वास्तविकता को उपेक्षा की जाती है और वह मानव को कियार्थलन बनाकर भावुक बना देता है। इससे उसकी विचार-शक्ति नष्ट हो जाती है और वह एक वैध-वंशाये मार्ग पर चलता है। जीवन में जो उलट-फेर द्वारा रखते हैं उनका सामना करने की उसमें शक्ति नहीं होती। वह पलायनवादी हो जाता है और जीवन की संवर्धनय परिस्थितियों में वह या तो नियति का विगत का पूजक हो जाता है या विकास का विरोधी। कला को भी उससे स्फूर्ति और चेतना नहीं मिलती। यथार्थवादी कलाकारों के इन आक्षेपोंमें अधिकांश सत्यता है और उसी सत्यता के दल पर यथार्थवाद का प्रवर्त्तन हुआ है। यथार्थवाद जीवन के मौलिक एवं निहित रूप की यथात्थथ घटनाओं से निकालकर रंगमंच पर रख देने के पक्ष में है। इसमें न तो कला को स्थान है और न जीवन के आध्यात्मिक पक्ष का समावेश। इस बाद के समर्थकों को संसार में सर्वत्र दुर्बलताएँ और विकल्पगाएँ ही दीख पड़ती हैं। उनकी आँखों के सामने जीवन के ऐसे ही चित्र आते हैं जो मानव-समाज के बिनारा और संदर्भार के आरप हैं। उन्हें जीवन में चारों ओर निराशा-दी-निराशा दिखायी देती है। मैत्रिसम गोरक्षों ने अपने नाटकोंमें जीवन के ऐसे ही चित्रों को स्थान दिया है। उन्होंने समाज के निम्न स्तरों से सामग्री लेकर अपने नाटकोंमें गविशीकृ

बनाया है। हिन्दी-एकांकी पर उनकी इस विचार-धारा का विशेष प्रभाव पड़ा है। गणेशप्रसाद का 'मुहाग चिन्ही' इसी प्रवृत्ति का प्रति-निधित्व करता है। इसमें विशुद्ध यथार्थवाद पाया जाता है। तटस्थता-मूलक यथार्थवाद इससे कुछ भिन्न होता है। इसमें नाटकार निराशा का आवरण हटाकर जीवन के चित्रों को तटस्य दृष्टि से देखता है। उदयशक्ति भट्ट के एकांकियों में इसी प्रकार की यथार्थवादी प्रवृत्ति है। इस प्रवृत्ति में जब कार्य-कारण की परंपरा का भी उद्घाटन किया जाता है तब एक तीसरे प्रकार के यथार्थवाद की सुष्ठुप्ति होती है जिसे हम मनो-विश्लेषणात्मक यथार्थवाद कह सकते हैं। मुबनेश्वर इसी प्रकार के यथार्थवादी कलाकार है। अति यथार्थवाद के समर्थक अधिकारा छूटहड़ होते हैं। उनमें न तो मंकोच होता है और न किसी प्रकार की हिचक। वे जीवन का नम चित्र बिना उसके कार्य-कारण की परंपरा पर विचार किये ही प्रस्तुत करते हैं। उनकी ऐसी रचनाओं से जीवन को शक्ति नहीं मिलती, प्रत्युत जीवन का हाथ होता है। युद्धिवादी यथार्थवाद इससे सर्वया भिन्न होता है। इसमें कलाकार सामाजिक मर्यादा और शील का ध्यान रखने हुए सामाजिक शदियों का अनावरण करता है और उसे कलात्मक रूप में हमारे सामने प्रस्तुत करता है। उपेन्द्रनाथ 'थर्क' के अधिकारा एकांकी इसी वर्ग में आते हैं।

[३] एकांकी में प्रगतिवादी प्रवृत्तियाँ—यथार्थवादी प्रवृत्तियों के अतिरिक्त आधुनिक एकांकियों में प्रगतिवादी प्रवृत्तियाँ भी मिलती हैं। प्रगतिवाद का सीधा संबंध मानवर्थवाद से है। मार्क्स ने अपने राजनीतिक, आर्थिक, धार्मिक और साहित्यिक विचारों से विश्व के साहित्यकारों को विशेष रूप से प्रभावित किया है। उनका प्रगतिवाद पूँजीवाद की प्रतिक्रिया के रूप में हमारे सामने आया है। उन्होंने धर्म, इतिहास, संस्कृति, युद्ध आदि के मूल में 'अर्थ' को ही बैठा हुआ पाया है। उनके मत के अनुसार समस्त संलाल शोपक-शोपित, शारक-शासित, धनी-गरीब, मालिक-भजदूर—इन्हीं दो प्रधान वर्गों में विभाजित है और इसका

मुख्य कारण है व्याक्रितगत पूँजी। व्यक्तिगत पूँजी का विनाश करके बगं-विहीन समाज की स्थापना करना मानसिकवाद का अन्तिम लक्ष्य है। मानव ने विश्व के मूल में किसी चेतन-उत्ता, विचार अथवा आत्मा को स्वीकार नहीं किया है। इनके स्पान पर उसने परायं की सत्ता त्वीकार की है। इस प्रकार मानव का दर्शन मीतिकवाद का दर्शन है और वह अध्यात्मवाद का प्रत्यक्ष विरोधी है। यथार्थवाद मी अध्यात्मवाद का विरोधी है। प्रगतिवाद और यथार्थवाद दोनों मीतिकवाद से प्रभावित हैं। अन्तर केवल इतना है कि यथार्थवाद किसी उद्देश्य को प्रश्न नहीं देता, वह जो है उसे प्रकट करके रह जाता है। प्रगतिवाद उद्देश्य को प्रश्न देता है और इसके साथ ही जो है उसे प्रकट मी बरता है। यथार्थवाद में वस्तु का वर्णन है और प्रगतिवाद में वस्तु के वर्णन के साथ-साथ उद्देश्य वा यथार्थ मी है। मानव-जीवन का वास्तविक संघर्ष ही प्रगतिवादी साहित्य का मूलाधार है और इस संघर्ष का कारण है आधिक विषयता। जन-कान्ति-द्वारा इस प्रकार के दैषम्य को दूर करना ही प्रगतिवादी साहित्य का लक्ष्य है। इस रसी-विचार-धारा का हिन्दी साहित्य पर विशेष प्रभाव पड़ा है। हम यहाँ इम प्रकार के साहित्य की विवेचना नहीं करेंगे, पर इह संबन्ध में इतना अवश्य कहेंगे कि प्रगति-शीलता के नाम पर आज जिस प्रकार के साहित्य की दृष्टि हो रही है उसमें न तो किसी प्रकार का आकर्षण है और न जीवन को उन्नत रूप देने-वाली सामग्री। रंगमंच के लिए तो वह और मी अनुपयुक्त है। प्रगति-शील लेखकों की दृष्टि अधिकांश जीवन की कुरुक्षता की ओर रहती है। प्रकृति अथवा जीवन के मंगलमन रूप की ओर उनकी दृष्टि ही नहीं उठती। साहित्य के पुनीत ज्ञेय में वे प्रतिहिता की भावना लेकर उत्तरते हैं और उसों का प्रचार करते हैं। प्रतिहिता ने जीवन का सौंदर्य नहीं, जीवन का विहृत रूप ही रहता है। इसलिए ऐसा साहित्य मानव-जाति के द्विष्ट कभी भी कल्याणकारी नहीं हो सकता। कल्याणकारी तो वह तभी होगा जब उसमें सत्य-शिवं-सुन्दरं की स्थापना होगी।

[४] कलावादी प्रवृत्तियाँ—आजकल हिन्दी-साहित्य में चतुर्दिश् कला की माँग है और प्रत्येक रचना उसकी कसीटी पर कसी जा रही है। कला के संबंध में पाश्चात्य आचार्यों के भिन्न-भिन्न सिद्धान्त हैं और उन सिद्धान्तों के अनुसार उन्होंने अपनी-अपनी कसीटियाँ बना रखी हैं। कुछ कला-पारस्मी यथार्थ के मानसिक चित्रण को ही कला मानते हैं। उनका विश्वास उपर्योगतावादी कला में है। वे कला-निर्माण में आचार का यहरव स्वीकार करते हैं। इसके विषद् कला-पारस्मियों का एक ऐसा सम्प्रदाय भी है जो कला को कल्पना-प्रसूत मानता है। इस सम्प्रदाय के विद्वानों का कहना है कि धार्तविक जगत् में सम्यता और समाज-व्यवस्था के कारण हमारी जो इच्छाएँ दबी रहती हैं वे ही कल्पना में आती हैं और कल्पना-द्वारा कला में व्यक्त होती है। इस सम्प्रदाय के जनक हैं आचार्य फूड। उनका कहना है कि 'स्वप्न में मनुष्य की कल्पना और भावना उन दिशाओं में जाती है जिन दिशाओं में वे समाज की सुधिति के सामने नहीं जा पाती'। फूड के इन स्वप्न-सिद्धान्तों को कुछ लेखक साहित्य में भी चरितार्थ करते हैं। उनके मतानुसार जिस मनोभाव का नैतिक दृष्टि से विद्विकार होता है और जो सामाजिक दृष्टि से निष्ठनीय है वही मनोभाव कला के रूप में प्रकट होकर सबको मान्य हो जाता है। इस प्रकार संसार की असुन्दरता को द्विषाने का नाम कला है। आचार्य फूड कला की रचनाओं के पीछे काम-भावना ही पाते हैं और यही पाश्चात्य मनोविश्लेषण विशान की सहि है। यहाँ इस सिद्धान्त की आलोचना करना अभीष्ट नहीं है, पर हमें यह अच्छी तरह समझ लेना चाहिए कि फूड महोदय के इस अनोखे सिद्धांत ने कला की सीमा से आचार का विद्विकार करके मानव-जाति का कल्याण करने की अभिकाश अद्वितीय ही किया है। पाश्चात्य विद्वानों का एक वर्ग और है जो यथार्थवाद के नाम पर बहुत कुछ इसी प्रकार की वाते करता है। उसका कहना है कि मनुष्य की मूल प्रवृत्तियाँ आहार, निद्रा आदि शरीर-जन्य हैं और उसकी अन्य उदाच वृत्तियाँ मौलिक न होकर

सम्यता की आवश्यकताओं की पूर्ति मात्र है। एक और बर्ग है जो 'कला के लिए कला का' विद्यान्त उपस्थित करता है और आचारण कला के बाहर की वस्तु बताता है। पाश्चात्य विद्यानों के इन मर्तों से हम सहमत नहीं हैं। उनकी कला की प्रवृत्ति कुछ वास्तव जगत् से प्राप्त प्रेरणा को ही रूप देने की रही है, किन्तु यह प्रवृत्ति कला को जन्म नहीं दे सकती। अपने विश्वास के अनुसार हम संसार में व्यापक सौंदर्य को व्यक्त वरने के कौशल को कला की संज्ञा देते हैं। वास्तव में कला तभी सत्य होती है 'जब वह जीवन और अनुभव के गिरफ्त रहकर उष्णी अभिव्यञ्जना के लिए सौंदर्य का माध्यम स्थीकार करती है।' जन-जीवन से जितनी दूर कला होती है उतनी ही वह असत्य और अप्रिय होती है। सत्य-कला जीवन का यथावत् चित्रण करती है। इस संवंध में आचार्य कारलायल का मत हमें मान्य है। उनका कहना है कि दोष किसी पदार्थ में न होकर हमारी दृष्टि में है। हमारे नीच भाव जब किसी पदार्थ पर आरोपित हो जाते हैं तब हम उसे बुरा समझने लगते हैं। कलाकार अपनी कृतिन्द्राग्र हमारे अन्नात दूषित भावों को परिष्कृत करने की चेष्टा करता है। इन भावों के शुद्ध हो जाने से जहाँ हम घृणास्पद वस्तु देखते थे वहाँ हमें सुन्दर वस्तु दिखायी देने लगती है। इस प्रकार कला-कार संसार की मौलिक सेवा करता है। आचार्य कारलायल के इन शब्दों में हिन्दी-कलाकारों के लिए एक चेतावनी, एक संदेश है। पाश्चात्य विद्यानों के कला-संबंधी भ्रमात्मक विद्यान्तों के आधार पर इधर जो एकांगी लिखे गये हैं व्ययवा लिखे जा रहे हैं उनसे हमारे जीवन की भूख तृप्त नहीं होगी। हमारे लिए ही नहीं, मानव-जीवन के लिए वही कला अभिनन्दनीय होगी जो मन को सुखी, स्वस्थ और सुन्दर बनाने का एक साधन है।

[८] अभिव्यञ्जनावादी प्रवृत्तियाँ—हिन्दी एकांगी की वस्तु, शैली और रूप पर जिन पाश्चात्य 'वादों' का प्रभाव पड़ा है उनमें अभिव्यञ्जना-वाद का मी प्रमुख स्थान है। अभिव्यञ्जनावाद कलावाद का ही शैलीयठ

पह है। अभिव्यंजना का साधारण अर्थ है—मनोमाओं को च्यक्ष करने की शक्ति। पाश्चात्य कलाविद् लेसिंग के मतानुसार यही कला का लद्दय है और उसका अनिवार्य गुण है सौदर्य। सौदर्यहीन अभिव्यंजना भेष्ठ अभिव्यंजना नहीं होती। लेसिंग के इस कलागत सौदर्य-सिद्धान्त को क्रोचे ने और भी स्पष्ट किया है। उनका कहना है कि मानव-मन पर दृश्य जगत् की नाना वस्तुओं की जो छाया पड़ती है उसी को नया विव प्रदान कर अभिव्यंजित करना कला का लद्दय है। उनकी इष्टि में दृश्य जगत् की कोई सत्ता नहीं है। मन की एक प्रतिक्रिया दृश्य जगत् को स्वरूप देती है और उसी की एक दूसरी प्रतिक्रिया उसका कलात्मक आकलन करती है। उनके मत से समस्त कला एक ही अखंड अभिव्यंजना है। रंड काब्य, महाकाब्य, उपन्यास, नाटक आदि ऊपरी विमाजन हैं, मौलिक नहीं। वह मानसिक क्रिया, जो कलाओं को जन्म देती है, सर्वत्र और सब काल में एक है। नाटक की वस्तु, उसके विधान, उसकी शैली और उसके रूप में जब इस प्रकार की मानसिक क्रिया का प्रतिफलन सौदर्य के माध्यम-द्वारा उद्घाटित होता है तब उस नाटक में हम अभिव्यंजनावाद का ही स्पृश्य पाते हैं। रामकृष्ण वर्मा का 'ग्रंथकार' शीर्षक एकांकी इसी कोटि का है। इन्दी में अभी इस प्रकार के नाटक कम लिखे गये हैं।

[६] प्रभाववादी प्रवृत्तियाँ—कला के कई 'वादों' में प्रभाववाद का भी स्थान है। प्रभाववाद के अनुसार कला के लिए जीवन के किसी क्षण में जो उसका रूप उदय होता है उसका सूजन करना ही परम श्रेय है। ज्ञानिक, किन्तु सत्य 'प्रभाव' का मूर्च-माध्यमो-द्वारा उद्घाटन करना कला का लद्दय है। जब हम मानव-आकृति अथवा प्रकृति के किसी भी सेत्र में किसी वस्तु के स्थिर रूप का दर्शन करके उसके ज्ञानिक रूप को ग्रहण करते हैं तब प्रभाववादी प्रवृत्तियों का उदय होता है। इस प्रकार की प्रवृत्तियों में वस्तु का सौदर्य उसके प्रभाव में निहित रहता है। उनमें अर्थ की व्यंजकता नहीं, प्रभाव की अभिव्यक्ति रहती है। अर्थ में दुदिनत्य

की प्रधानता रहती है और प्रभाव में बुद्धित्त्व का अभाव। किसी पुस्तक पर जब हमारी सहसा दृष्टि पढ़ती है तब हम उसके स्थिर रूप की विवेचना न करके उसके दृष्टिकोण से ही पुलकित हो उठते हैं। हमारी उस समय को पुलकन में बुद्धि की अपेक्षा सहज आकर्षण का सबल आपद्वय ही रहता है। यही आकर्षण प्रभाववाद का मूलमंत्र है। प्रभाववादी कला के तनु न तो प्रतीक होते हैं, न अपने से परे की कोई सूचना देते हैं और न किसी रहस्य का उद्घाटन करते हैं। हिन्दी-एकांकी में अभी इस कला का प्रयोग कम हुआ है।

हिन्दी-एकांकी की जिन नवीनतम् प्रवृत्तियों की संक्षिप्त विवेचना उपर्युक्त पंक्तियों में प्रस्तुत की गयी है उससे स्पष्ट है कि हमारे एकांकी कार अधिकांश यथार्थवाद और प्रगतिवाद के विविध रूपों से प्रभावित हैं। रामकुमार वर्मा के एकांकियों में कलावाद और अभिव्यञ्जनावाद का अधिक पुट अवश्य दिखायी देता है। इन दोनों देशों में हरिहरप्त भ्रेमी तथा उद्ययन्कर मण के प्रयत्न भी प्रशंसनीय हैं। ऐसे एकांकियों के लिए अभी अपना रंगमच नहीं है, इसलिए लौकिक दृष्टि से हिन्दी-प्रेमियों के बीच उनका जैसा प्रचार होना चाहिए वैसा नहीं हो रहा है। फिर मी उनका भविष्य उज्ज्वल है और हमारा विश्वास है कि भविष्य में हमें ऐसे एकांकी देखने को मिलेंगे जो कला की दृष्टि से स्वस्थ और जीवन के लिए उपयोगी सिद्ध होंगे।

अब तक एकांकी के संबंध में जो कुछ कहा गया है उससे उसका भविष्य अत्यन्त उज्ज्वल प्रतीत होता है। योड़े ही दिनों एकांकी का में अपने कला की विशिष्टता और विषय की रोचकता के कारण आधुनिक साहित्य तथा लोक-जीवन में उसने अपना जो स्थान बना लिया है और जिस द्रुतिगति से उसका निर्माण हो रहा है वह इस बात का स्पष्ट प्रमाण है कि हमारे साहित्य से नाटकों का युग धर्म-धर्मीरे समाज हो रहा है। वैदिक अन्वेषणों तथा यिद्वा के प्रसार ने हमारे जीवन में इतनी व्यस्तता

और उसकी अन्तर्धारा में इतना दृढ़ उपरिथित कर दिया है कि हम एकांकी की उपेक्षा कर ही नहीं सकते। एकांकी हमारे जीवन के अधिक समीप और अनुकूल है। हमारे मनोगत भावों और विचारों का सफलता-पूर्वक चिन्ह उत्तारने के कारण वह हमारी मानसिक छुप्ता को जितनी शीघ्रता से तृप्त करने में सहायक होता है उतना अन्य किसी साधन से नहीं हो पाता। आज का युग विचार का युग है; ज्ञान-विज्ञान का युग है, साहित्य को जीवन के अधिक-से-अधिक सम्पर्क में लाने का युग है। साहित्य का प्रत्येक अंग विश्व-व्यापो जीवन की समस्याओं से प्रभावित है। इसलिए साहित्य में सर्वत्र नये प्रयोग हो रहे हैं। एकांकी भी उन्हीं प्रयोगों का फल है। उसका उद्देश्य दर्शकों का मनोरंजन-मात्र ही नहीं, साहित्य के एक अंग की पुष्टि करना भी है। भविष्य में उसका क्या रूप होगा—यह तो अभी सहसा नहीं कहा जा सकता, पर २०-२५ वर्षों के लगातार प्रयत्न के पश्चात् आज हम जिस रूप में एकांकी को देख रहे हैं वह अत्यन्त मन्य और मुख्यिष्यूर्ण है। उसका प्रचार बराबर बढ़ रहा है। स्कूल और कालेजों के धार्षिक उत्कर्षों पर ही अब उसका अभिनय नहीं होता, कस्तों और गाँवों में भी उसका प्रचार हो गया है। राजनीतिक और सामाजिक समितियों उसे अपने प्रचार का साधन बना रही है। इस प्रकार वह हमारे जीवन के इतने निकट आता जा रहा है कि हम उसकी उपेक्षा कर ही नहीं सकते।

: ७ :

## नाट्य-साहित्य में प्रहसन का स्थान

नाटक में हास्य रस का अत्यन्त महत्वपूर्ण स्थान है। स्वत्थ, रंगव

श्रीर शिष्ट हास्य से दर्शकों को जो स्फूर्ति और  
नाटक में हास प्रेरणा मिलती है वह कल्पनातीत है। इसीलिए  
के रूप प्राचीनकाल से ही नाटकों में उसका उपयोग किया  
जा रहा है। उस काल से आजतक उसका जो  
साहित्य हमें मिलता है उसमें उसके दो रूप मिलते हैं—(१) आधिकारिक कथा-वस्तु के रूप में, (२) प्रारंभिक कथा-वस्तु के रूप में। यहाँ  
हम इन्हीं दोनों शैलियों पर विचार करेंगे :—

(१) आधिकारिक कथा-वस्तु के रूप में हास्य—रंगत्वनाट्य परंपरा के अन्तर्गत विदूषक हास्य का एकमात्र प्रतिनिधि माना जाता था। उसके व्यक्तित्व में हास्य के सभी उपकरण समादित रहते थे। नाटक में उसका प्रधान कार्य होता था—सामाजिकों का मनोरंजन करना। वह नायक का अंतरंग होता था और उसके साथ प्रत्येक छंक में उपस्थित रहता था। उसकी वेश-भूषा विचित्र और हास्योत्तरक होती थी। लालची और पेटू तो वह प्रत्येक अवसर पर दिखाया जाता था। बीरता के समय वह कायरता का ही प्रदर्शन करता था। महाङ्गा लगाने में वह अत्यन्त कुरुत कुरुत होता था। नायक का अंतरंग होने के कारण वह उच्च कुल का ब्राह्मण, चपल, विद्वान् और प्रत्येक जटिल प्रश्न का तत्काल उत्तर देने में समर्थ होता था। नाटक की आधिकारिक कथा-वस्तु के साथ ही उसका विशेष संबंध रहता था। 'रत्नावली' में चत्संवक और 'अभिशान शाकुन्चल' में माढब्य इसी प्रकार के विदूषक हैं। दिनदी में हस परंपरा वा पालन भारतेन्दु-सुग में मिलता है।

प्रसाद-युग में इस परंपरा के दो रूप मिलते हैं :—(१) नायक से संबद्ध विदूपक और (२) नायक से तटस्थ विदूपक। जिन नाटकों में विदूपक नायक के साथ संचरण करते हैं उनमें प्रसादजी के 'कन्द-गुम' का प्रमुख स्थान है। 'अजातशत्रु' में विदूपक का स्थान नायक से तटस्थ है। आधिकारिक कथा-वस्तु की दृष्टि से इन दोनों के दो रूप और मिलते हैं—(१) कथा-वस्तु से संबद्ध विदूपक और (२) कथा-वस्तु से तटस्थ विदूपक। 'लक्नदगुप्त' में विदूपक का संबंध कथा-वस्तु से है, पर 'अजातशत्रु' में वह कथा-वस्तु से तटस्थ है। घटना-प्रवाह के साथ उसका सीधा तंत्रंधन नहीं है। इन प्रणालियों के अतिरिक्त नाटक में अन्य पात्र अथवा पात्रों-द्वारा भी हास का विधान मिलता है। ऐसे पात्र अथवा पात्रों में संस्कृत-परंपरा ये विदूपक की प्रतिष्ठा नहीं होती। प्रसादजी ने इस प्रणाली का भी अनुसरण किया है। मिथ्य-न्यून्यों के नाटकों में भी हम इस प्रणाली का प्रयोग पाते हैं। उन्होंने अपने नाटकों में कई पात्रों-द्वारा हास की सुषिक्षा की है। ऐसे नाटकों को हम विदूपक-यिहीन नाटक कह सकते हैं।

(२) प्रासंगिक कथा-वस्तु के रूप में हास—संस्कृत-परंपरा के अन्तर्गत भारतीय रूपकों में प्रासंगिक कथा-वस्तु के आधार पर भी हास का विधान मिलता है। इस परंपरा के अनुसार नाटककार अपनी कल्पना-शक्ति से आधिकारिक कथा-वस्तु की आत्मा के अनुरूप हास्यात्मक प्रासंगिक कथा-वस्तु की सुषिक्षा करते थे और उसे आधिकारिक कथा-वस्तु के अन्तर्गत स्थान देते थे। इस प्रकार के दृश्यों के प्रदर्शन का प्रधान लक्ष्य होना था आधिकारिक कथा-वस्तु की जटिलताओं को दूर करना और उसके प्रति, आदि से अंत तक, सामाजिकों का आनुरूपण बनाये रखना। इस प्रकार विदूपक-द्वारा हास की सुषिक्षा न होकर, कई पात्रों-द्वारा यह कार्य संपन्न होता था। हिन्दी में इस शैली का प्रयोग भी मिलता है।

नाटक की कथा-वस्तु के अन्तर्गत चिन प्रणालियों-द्वारा हास औ सृष्टि की जाती है। उनके अतिरिक्त हास के सृष्टि प्रहसन का को एक स्वतंत्र प्रणाली भी संस्कृत-परंपरा में मिलती है। स्वरूप इस प्रणाली के अनुसार नाटक की संपूर्ण कथा-वस्तु ही हास का माध्यम बन जाती है। ऐसे नाटक प्रहसन कहलाते हैं। यह रूपक का एक भेद माना गया है। आज संस्कृत-परंपरानुगत उसका वह रूप हमें स्वीकार नहीं है। पाश्चात्य नाट्य कला के प्रभाव से उसमें यथेष्ट परिवर्तन हुआ है। आधुनिक नाट्य-साहित्य में उसकी स्वतंत्र सत्ता है, उसकी अपनी विशेषताएँ हैं, उसमें अपना इतिहास है। उसकी गणना एकाकी के अन्तर्गत होती है। उसमें कथा-वस्तु अत्यधिक बढ़ा-चढ़ा कर कही जाती है और पात्रों के चरित्र असंभाव्य रूप में चिनित किये जाते हैं। उसमें अंक के अन्तर्गत दृश्यों का विधान अनिवार्य नहीं है। प्रहसनकार को इस संबंध में पूरी स्वतंत्रता है। इस प्रकार वह अपनो रचना में एकाकी के सभी तत्त्वों का उपयोग करता है। हिन्दी में प्रहसन के प्रवर्तक भारतेन्दु हरिश्चन्द्र माने जाते हैं। उनको 'अंघेर नगरी' एक प्रहसन ही है। प्रहसन का उत्तर उदाहरण मुदर्युन का 'आनरेरी मजिस्ट्रेट' है।

प्रन उठता है कि नाट्य साहित्य में प्रहसन का क्या प्रयोगन है !  
क्या उसके बिना नाट्य-साहित्य संपन्न नहीं माना जा सकता ? प्रहसन की उत्पत्ति और उसके विकास के संबंध में इन प्रश्नों का विशेष महत्व है। प्रहसन द्वारे जीवन की सुखान्त भावनाओं का प्रदर्शन रंगमंच पर करता है। हास्य-रस प्रधान होने के कारण वह हमारे जीवन के अस्तमन्त निकट है। उसकी भावनाएँ हमारी भावनाएँ हैं, उसकी परिस्थितियाँ हमारी परिस्थितियाँ हैं, उसकी घटनाएँ हमारे जीवन की घटनाएँ हैं। हम अपने जीवन के प्रत्येक क्षण में गंभीर रहना अपने लिए शातक समझते हैं। हास्य हमारे जीवन का प्रमुख अंग है। वह बहन्त बनकर हमारे जीवन

में आता है और हमें शारीरिक, आत्मिक तथा मानसिक बल प्रदान करता है। जीवन की सँकरीली गलियों में चलते-चलते जब हम ऊब जाते हैं और अब गिरे कि तब गिरे की नौवत आ जाती है तब हास्य की एक क्षीण रेखा ही हम में अपार शक्ति और बल का संचार कर देती है। हम उससे प्रेरणा और स्फूर्ति पाकर आगे बढ़ते हैं और अपनी जीवन-यात्रा में सफल होते हैं। हास्य का जीवन के साथ जब इतना घनिष्ठ और महस्त्वपूर्ण संबंध है तब साहित्य में उसे स्थान मिलना ही चाहिए। साहित्य भी तो जीवन की ही व्याख्या है। उसके विविध अंग हमारी भावनाओं का ही आकलन करते हैं। इन अंगों में नाटक हमारे जीवन के अधिक समीप है। वह प्रत्यक्ष रूप में हमारी भावनाओं का प्रदर्शन करता है। उसमें हास्य की सुष्ठि क्यों की जाती है? — इस प्रश्न का उत्तर देते हुए एक प्रसिद्ध पाश्चात्य नाटककार ने लिखा है कि नाटकों की निरंतर गंभीरता जब मस्तिष्क को आक्रमित कर देती है तब हमें अपने मस्तिष्क को कमी-कमी उसी तरह स्वस्थ तथा सजीव बनाने की आवश्यकता पड़ती है जिस प्रकार हम चलते-चलते थककर विश्राम की सोज करते हैं। साहित्य के गंभीर चिन्तन में इस आवश्यकता की पूर्ति हास्य-रस के उपकार आयोजन से होती है। इस प्रकार हास्य हमारे गंभीर मानसिक चिन्तन का विश्राम-स्थल है। उससे हमारा पर्याप्त मनोरंजन होता है।

नाटक की कथा-वस्तु में हास्य की सुष्ठि-द्वारा हम सामाजिकों का केवल मनोरंजन ही नहीं करते, उसकी एकरसता को सरसता भी प्रदान करते हैं। आरंभ से अन्त तक दर्शक एक ही रस का आनन्द नहीं ले सकते। नाटक के प्रधान रस को अधिक गतिशील, प्रभावोत्पादक और आनन्दप्रद बनाने के लिए रस-विवरण की भी आवश्यकता होती है। इस आवश्यकता की पूर्ति में हास्य-रस बहुत सहायक होता है। इसकी सुष्ठि से नाटकीय कथा-वस्तु की और सामाजिकों का स्थान अधिक काल तक आकृष्ट रहता है। उनमें उत्सुकता और जिशासा उत्सन्न होती है और नाटककार को उनकी मनोवृत्ति के अध्ययन का अवसर मिलता है।

प्रहसन का एक महत्वपूर्ण प्रयोगन और भी है। हात और मंग द्वारा समाज और जीवन की जटिल परिस्थितियों का विश्लेषण और उनका प्रत्यक्ष स्पष्टीकरण जैसा रंगमंच हे होता है वैसा अन्यत्र नहीं हो पाता। प्रहसन देखकर दर्शक अपनी बहुत-सी जटिल समस्याएँ सुनना लेते हैं और फिर उनके अनुसार अपने जीवन का मार्ग निश्चित बरते हैं। समाज और जीवन के हास्य तथा व्यंग्यपूर्ण चित्र अपने प्रभाव ने बड़े सबल होते हैं। उन्हें दर्शकों को सांख्यिकी, धूतों तथा चनाड़ के अन्य शब्दों से सावधान रहने की धिन्हा मिलती है। इस प्रकार प्रहसन सामाजिक हितों की धिन्हा तथा रक्षा के सशक्त साधन हैं। सामाजिक सुधार का जो द्वारा उपरेक्षण योगों ने कर दिया है उसे प्रहसन दर्शकों द्वारा एक बैठक में सफल कर देता है। नाट्य-वाहिन्य में प्रहसन का सुख्लदः यही प्रयोगन है।

**नाट्य-साहित्य** में प्रहसन का बो प्रयोगन है उसके स्वरूप है कि

उसका समाज से घनिष्ठ संबंध है। प्रहसन समाज के	प्रहसन की
चेत्र से ही अपने लिए सामग्री बटोरता है और उसी	पृष्ठभूमि
के आधार पर अपने कथा-बस्तु का निर्माण करता	
है। प्रहन हो रहता है कि क्या एक ही व्यक्ति को	
लक्ष्य करके प्रहसन की रचना नहीं हो सकती। ही सकती है, पर एक	
व्यक्ति के जीवन का आधार लेकर जो प्रहसन प्रत्युत किया जानगा वह	
एकांगी होने के बारह लोकप्रिय नहीं सकेगा। प्रहसन को लोकप्रिय बनाने	
के लिए व्यक्ति-विशेष को किसी वर्ग के प्रतिनिवित के रूप में ही चिह्नित	
करना होगा, या यिर उसने उन समस्त दोषों की कलना करनी	
होगी को समाज में साधारणतः प्रचलित है। सफल प्रहसन की रचना	
समाज की ही पृष्ठभूमि पर होनी है, ऐसे समाज की पृष्ठभूमि पर जो	
गुण-दोषमय होता है। यदि समाज उच्चत है, यदि उसका सांस्कृतिक	
स्तर ऊँचा है, यदि उसमें दोष की अपेक्षा गुण अधिक हैं तो उसकी	
पृष्ठभूमि पर या यो प्रहसन की रचना होगी ही नहीं और यदि किसी	

प्रकार होगी भी तो उस रचना का स्तर इतना ऊँचा होगा कि लाख प्रयत्न करने पर भी उसके प्रदर्शन से दर्शकों को हँसी नहीं आयेगी। मानसिक हास्य को पूर्णतया समझकर उसका रस लेने में शिक्षा, सांस्कृतिक पृष्ठभूमि तथा परिष्कृत मस्तिष्क की आवश्यकता होती है। दर्शकों में अधिकांश साधारण स्थिति के ही लोग रहते हैं। उनका मानसिक स्तर अधिक उन्नत नहीं होता। ऐसी दशा में मानसिक हास्य दर्शकों के बीच अधिक लोक-प्रिय नहीं हो पाता और इसीलिए उसकी रचना भी कम होती है। साहित्य में तो ऐसा हास सदैव लोक-प्रिय रहा है जिसमें छोटे-से-बड़ोंठा व्यक्ति, अशिक्षित-से-अशिक्षित प्राणी भाग ले सके। इस प्रकार के हास के लिए उन्नत समाज सामग्री प्रस्तुत नहीं कर सकता।

प्रसन होता है कि ऐसे हास की जिसमें सभी आनन्द ले सकें, रचना क्य होती है? समाज-शास्त्र-मर्मजों का कहना है कि साहित्यक दृष्टि से प्रहसन की रचना उस समय होती है जब समाज के सांस्कृतिक स्तर का हास होने लगता है। समाज में उन्नति और अवनति का, उत्थान और पतन का, वरावर चक्र चलता रहता है। प्रत्येक देश के सामाजिक इतिहास के अध्ययन से यह पता चलता है कि ज्योंही कोई समाज उन्नत अवस्था को प्राप्त होता है त्यो ही वह ऐसा पलटा खाता है कि उन्नति अवनति में परिणत होने लगती है। उस समय उसके सिद्धान्त बदलने लगते हैं और उसके आदर्शों का मापदण्ड परिवर्तित होने लगता है। समाज के इस ऐतिहासिक उथल-पुथल में ही प्रहसन की सामग्री निहित रहती है और नाटककार उसी का प्रयोग करके सफल प्रहसन की रचना करते हैं।

इससे दो बातें हमारे सानने आती हैं—एक तो यह कि प्रहसन सामाजिक पृष्ठभूमि पर ही पनपता है और दूसरी प्रहसन के विषय यह कि समाज के सांस्कृतिक हास के साथ प्रहसन के विषयों की संख्या में बढ़ि होती है। प्रत्येक समाज की तीन श्रेणियाँ होती हैं—उत्तम, मध्यम और निम्न। उत्तम

अथवा अेष्ट श्रेणी के सामाजिकों का मानसिक स्तर इतना उत्तम होता है कि उन्हें प्रहसन के प्रति विशेष अभिभवि नहीं होती और यदि होती भी है तो उनके प्रहसन के विषय दर्शन दुर्लभ और मानसिक अन साध्य होते हैं कि उन्हें लोक-प्रियता प्राप्त नहीं होती। मध्यम श्रेणी में उत्तम श्रेणी की अपेक्षा गंभीर विषयों का यानुल्य कम रहता है। ऐसी दशा में उसमें प्रहसन के विषय मिल जाने हैं। निम्न श्रेणी में गुण कम, दोष अथवा पाखंड अधिक होते हैं। इसलिए उसमें हास्य की सामग्री, प्रचुर मात्रा में मिलती है। प्रहसन ही भी समाज के मध्यम और निम्न श्रेणी के लोगों के लिए। उन्हीं के आचार-विचार का परिष्कार करना प्रहसन का प्रधान लक्ष्य होता है।

प्रत्येक समाज में अन्य श्रेणी के लोगों की अपेक्षा उत्तम श्रेणी के व्यक्तियों की संख्या इतनी कम होती है कि प्रहसन के विषयों की सौज करते समय उन पर ध्यान देने की आवश्यकता ही नहीं पड़ती। इसलिए ऐसा प्रत्येक सामाजिक विषय जो यिह हास्य की दृष्टि कर सकता है प्रहसन का विषय हो जाता है। हमारा आधुनिक जीवन इतना अपाप्त है कि उसमें प्रहसन के विषय को सौजने के लिए माथा-बच्ची करने की आवश्यकता नहीं पड़ती। जीवन के लो विषय आवासी से प्रहसन को लोक-प्रिय बना सकते हैं उनका बर्गीकरण इस प्रकार किया जा सकता है :—

(१) पारिवारिक जीवन के विषय—इस प्रकार के विषय के अन्तर्गत पति-पत्नी, सास-बहू, देवरानी-बेटानी, नंद-मौजाई, मालकिन-नौकरानी, स्वामी-सेवक आदि को त् त्-मैं मैं; अनमेल विवाह; दहुविवाह; अविशिष्ट जीवन तथा अन्य पारिवारिक दृश्य आ लकड़ते हैं।

(२) सामाजिक जीवन के विषय—इस प्रकार के विषयों के अन्तर्गत छुल-कपटपूर्ण ब्यवहार, मरणान, चूतक्रीड़ा, असंगत प्रेम, वेश्या-कूच, रुदिवादी जीवन, पाखंडपूर्ण जीवन, समाज-सुधारकों की पो-

लीलाएँ, साधुओं का जीवन, आधुनिक फैशन, थ्रॅगरेजी शिक्षा का चालक-चालिकाओं पर प्रमाव आदि सम्मिलित किये जा सकते हैं।

(३) राजनीतिक जीवन के विषय—इस प्रकार के विषयों के अन्तर्गत राजनीति की चालें, पाखंडी नेताओं का जीवन, दलवंदी के दाँव-पेंच, नेताओं की स्वेच्छाचारिता; नेताओं के कुचक्क, उनके आचार-विचार, उनकी रहन-सहन आदि आ सकते हैं।

(४) साहित्यिक जीवन के विषय—इस प्रकार के विषयों का चयन साहित्यिक व्यक्तियों के जीवन से किया जाता है। कवि की मुद्रा, उसकी मावभंगिमा, उसकी रहन-सहन, सम्पादकों का दंभ और पाखंड, लेखकों की भ्रममूलक आशाएँ, उनका आचार-विचार, उनका भिध्याभिमान आदि हास्य की अच्छी और आकर्षक सामग्री प्रस्तुत कर सकते हैं।

(५) आर्थिक जीवन के विषय—इस प्रकार के विषयों के अन्तर्गत पूँजीपतियों की स्वार्थ-साधना, उनकी धन-ज्ञानप्रदाना, उनका आह-म्वरपूर्ण जीवन, मजदूरों की निर्धनता, पूँजीपतियों और मजदूरों की नोक-फोक, प्राइवेटों और दूकानदारों के झगड़े, उनकी वेर्दमानी, उनका पाखंड, उनके आचार-विचार, उनकी रहन-सहन आदि की गणना की जा सकती है।

(६) व्यावसायिक जीवन के विषय—इस प्रकार के विषयों के अन्तर्गत वकीलों के दाँव-पेंच, बादी-प्रतिवादियों के झगड़े, उनके तर्क-वितर्क, जजों के पाखंड, उनकी कचहरी के दृश्य, घूस, अत्यापकों की शिक्षण-पद्धति, उनका पाखंड, उनकी वेश-भूषा, उनके आचार-विचार, प्रधान कर्मचारियों और उनके सहायकों के बीच होनेवाला तू-दू-मै-मै, आदि आ सकते हैं।

(७) वैयक्तिक जीवन के विषय—इस प्रकार के विषयों का चयन व्यक्तिगत जीवन से किया जा सकता है। शरीर की स्थूलता, विचित्र वेश-भूषा, मूर्खता, मोजन-प्रियता, मानसिक-विलास, पाखंड,

आदंबरपूर्ण आचार-विचार, रहन-सहन, मूलंतापूर्ण योजनाएँ, दंभ, मिथ्या गर्व, अस्वाभाविक चेष्टाएँ, कूरुपता, श्रैतिकता, अशिष्टता, प्रपंचपूर्ण कार्य आदि से हास्य को अच्छी सामग्री मिल सकती है।

इस प्रकार हम देखते हैं कि प्रहसन के विषय अनन्त हैं और उन सबका सम्बन्ध किसी-न-किसी रूप में हमारे व्यक्तिगत अथवा सामाजिक जीवन से रहता है। इन विषयों का चयन करते समय हमें निम्नलिखित बातों पर ध्यान रखना चाहिए :—

(१) अश्लील, कुरुचिपूर्ण, फूटङ्ग; वीभत्त अथवा इसी प्रकार के अन्य विषयों को प्रहसन में स्थान न देना चाहिए। हमें यह कभी न भूलना चाहिए कि प्रहसन का उद्देश्य सामाजिकों के लिए केवल मनो-रंजन प्रस्तुत करना ही नहीं, बरन् उनकी अधोगामिनी मनोवृत्तियों का संस्कार करना भी है।

(२) प्रहसन का विषय देश, काला और पात्र के अनुरूप शिष्ट, संयत, व्यापक, सरल, मृदु, प्रभावोत्तमादक, व्यंजक तथा प्रसंग, अवसर और दर्शकों की मनोवृत्ति के अनुरूप होना चाहिए। जबतक हास्य के विषय के प्रति दर्शकों का आकर्षण न होगा तबतक हास्य की सुष्ठि नहीं हो सकती।

(३) जीवन की जिन घटनाओं से हास्य का उद्देश होता है उन्हें ज्यो-का-न्त्यों ही हमें न अपना लेना चाहिए। जिस प्रकार नाटक के वस्तु-विधान में कला और सौंदर्य की प्रतिष्ठा की जाती है उसी प्रकार प्रहसन के वस्तु-विधान को भी संजाने-सुनारने की आवश्यकता है।

उपर्युक्त बातों से स्पष्ट है कि प्रहसन के विषय-निर्वाचन में वड़ी सायदानी से काम लेना पड़ता है। यह कार्य जितना ही सरल है, उतना ही कठिन भी है। इस दिशा में फाँसीसी नाटककारों को ही विशेष सफलता मिली है। उन्होंने मानवीय भावों में से किसी एक को चुनकर उसी को प्रहसन का विषय बनाया है और हास्य की सुष्ठि के साथ-साथ पांचों के चरित्र का मनोवैज्ञानिक विवेचन किया है। अँगरेजी-नाटककारों

ने भी इस शैली को अपनाया है। उन्होंने लोभ, गर्व, प्रतिहिसा, आहं-भाव आदि मानवीय भावनाओं को लेकर सफल प्रहसनों की रचना की है। संस्कृत-नाट्य-साहित्य में हास्यात्मक दृश्यों को लेकर प्रहसन लिखे गये हैं। इन शैलियों का हिन्दू-नाट्य-साहित्य पर भी प्रभाव पड़ा है और कई मौलिक प्रहसन लिखे गये हैं।

अब हम प्रहसन में हास्य के सिद्धान्तों पर चिंचित करेंगे। इस संबन्ध

में ह मारे दर्शककार ने हास्य के जिन तरीयों की प्रहसन में हास्य व्याख्या की है व आज सर्वाधितः मौना नहीं है। के मिद्दान्त उन्होंने वेश-भूषा, शब्दावली अथवा कार्यकषाप को हास्य का कारण बताया है और वह 'कहा' है कि 'निद्रालत्य थम ग्लानि मूर्छारचं शहं चारिणः' अर्थात् निद्रा, आलूल्य, अम, ग्लानि और मूर्छा इसके साथ संचरण करते हैं। पाठ्यानुह्यमन्ताविज्ञान-वेत्ताओं ने हास्य के तत्त्वों की विशद व्याख्यों की है और उसके सम्बन्ध में मनोवैज्ञानिक सिद्धान्त निश्चित रिये हैं। सत्रहवीं शताब्दी में हास्य के 'अनायास उत्तर्प' का विशेष महत्व रहा है। शरीर-विज्ञानवेत्ताओं ने 'अतिशय शक्ति का उद्देश' ही हास का कारण माना है। उन्नीसवीं शताब्दी के प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक स्पैशर ने 'असंगति के निरीक्षण' को ही हास का कारण बताया है। उनके सिद्धान्त के अनुसार हास की स्वाभाविक उत्पत्ति उस समय होती है जब बोधज्ञान बड़ी वस्तु से छोटी वस्तु की ओर आकृष्ट होता है। इसे वह 'अधोमुख असंगति' कहते हैं। इसके विषद् 'उत्तरोत्तर असंगति' से आशर्च्य की उत्पत्ति होती है। हास की उत्पत्ति का एक कारण 'विपर्यय' भी माना जाता है। इसमें परिस्थितियाँ विपरीत होती हैं। जब बच्चे बूढ़ों को पढ़ाते हैं तब अनायास हँसी आ जाती है। आधुनिक शताब्दी के प्राचीसी दार्शनिक योग्यसन का हास्य-सिद्धान्त 'आबृत्ति' और 'विपर्यय' पर आधारित है। उनका मत है कि हास्य के आलम्बन को समाज प्रिय न होना चाहिए, हँसनेवाले को उसका शन न होना चाहिए और पाथ में

'यात्रिक क्रिया' होनी चाहिए। विकासवादियों का मत इससे भिन्न है। वे हात्य को हर्ष का एक वात्य-सूचक मानते हैं। उनके मत के अनुसार हात्य में अकस्मात् जो मूँह खुल जाता है वह मनुष्य की उस प्रारंभिक अवस्था का चोरक है जब उसे भोजन मिल जाना ही परम हर्ष का कारण होता था। इस प्रकार भोजन और हर्ष का अविच्छिन्न संबन्ध हो गया और उसका प्रभाव हमारे स्नायु-संस्थान पर जम गया। आज जब हमें किसी बात से हर्ष होता है तब पूर्वकालीन संस्कारोंद्वारा स्थापित वह संबन्ध हमारे मुख की पेशियों को चलायमान कर देता है। एक दूसरे विकासवादी का कहना है कि मात्स्तिष्ठ में दधिर का यंचार स्थगित हो जाने से हात्य की उत्तरति होती है। हात्य के इन समस्त मिदान्तों में सत्य कम, बुद्धि-विलास अधिक है। बल्कुतः हात्य हमारे जीवन का इतना व्यापक भाव है कि उसके लिए निश्चित रूप से सिद्धान्त विधर करना आवश्यक है। इसीलिए साहित्य-शास्त्र में 'साधारणीकरण' के महत्वपूर्ण विद्वान्त की रचना की गयी है। पात्र-द्वारा हृदय के मादों की व्यंजना करना आधारणीकरण कहलाता है। इसमें पात्र तथा दर्शक के हृदय के भाव और आलंबन एक हो जाते हैं। शुद्ध हात्य, उपहास तथा वामदेवघ में उल्काष्ट साधारणीकरण होता है। यह भी एक प्रकार की रसात्मक अनुभूति ही है। तात्पर्य यह कि हात्य के संबंध में जितने मूँह उतनी बात है। उन सब का समन्वय करके वहाँ हम हात्य के निम्नलिखित महत्वपूर्ण तत्त्वों का उल्लेख करते हैं:—

(१) प्रत्येक हात्य-विषय का संबन्ध किसी-न-किसी रूप में समाज और उसके व्यक्तियों से होना आवश्यक है। किसी टूँड को देखकर हमें उसी दिया में हँसी आती है जब वह हमें मनुष्य के अनुरूप दिखायी पड़ता है। एक बर्फ की दाढ़ी देखकर हम उसी दिया में हँसते हैं जब हम उसको दाढ़ी को किसी शेख अथवा मुल्ला की दाढ़ी समझने लगते हैं। इसी प्रमाण ऐसे सभी आलंबनों के संबंध में यह निश्चयपूर्वक कहा जा

सकता है कि उनके भीतर मानव छिपा रहता है। मानव और उसके समाज की उपेक्षा करके हास्य की सुष्ठि हो दी नहीं सकती।

(२) प्रत्येक हास्य-विषय में एक बुद्धि से दूसरी बुद्धि के लिए संकेत का रहना अपेक्षित है। इसका तात्पर्य यह है कि हासन-परिहास में एक बुद्धि का लगाव दूसरी बुद्धि से चना रहना चाहिए। हास्य का विषय ऐसा होना चाहिए जिसे सुनकर और समझकर दूसरों को हँसी आ जाय। हास्य की सुष्ठि में यह सिद्धान्त बहुत उपयोगी होता है। सफल हास्य का अर्थ ही यह है कि दूसरे उसका आनन्द लें। सभाचारपत्रों में बहुत से चुटकुले निकलते हैं। जो लोग उन्हें समझते हैं, उन्हें हँसी आती है, पर जो नहीं समझते वे मुँह ताका करते हैं। प्रहसन में वही नाटककार हास्य की अच्छी सुष्ठि कर सकता है जो अपने सामाजिकों की मनःस्थिति तथा परिस्थितियों का ध्यान रखता है।

(३) प्रत्येक हास्य-विषय में वेदना अथवा सहानुभूति का अभाव रहता है। मारतीय साहित्य-शास्त्रियों ने कवण रस को हास्य का विरोधी माना है। वास्तव में वहाँ वेदना है, सहानुभूति का सफल आग्रह है, वहाँ हास्य की सुष्ठि कैसे हो सकती है। हास्य की सुष्ठि के लिए वेदना का अभाव परम शत्रु है। एक व्यक्ति साइकिल पर चढ़ते समय गिर पड़ा। ऐसी दशा में जो व्यक्ति उसके प्रति सहानुभूति का प्रदर्शन करेगा उसे हँसी नहीं आयेगी। हँसेगा वह जिसकी उसके प्रति सहानुभूति नहीं होगी। इससे स्पष्ट है कि वेदना-शब्द हास्य ही उच्च कोटि का हास्य होता है।

(४) प्रत्येक हास्य-विषय में हास्य का जनक अपनी श्रेष्ठता का और हास्य-विषय की हीनता का अनुभव करता है। अधिकतर उपहास ऐसे लोगों का किया जाता है जिनके प्रति अप्रत्यक्ष रूप से हम हीनता का माव रखते हैं, परन्तु सामाजिक भव से हम उस माव को प्रत्यक्ष नहीं करते। उपहास में वही भाव सुन्दर रूप घारण करके सामने आता है

और सामाजिकों का मनोरंजन करता है। दूसरों को भूल करते देखकर भी हमारे आत्म-भाव की मात्रा बढ़ जाती है और हम भूल करनेवाले की हँसी उड़ाने लगते हैं। उपहास करनेवाला सदा अपने आपको अन्य लोगों की अपेक्षा उत्तम समझता है और उनका उपहार कर अपनी अेष्ठता की छाप जमाना चाहता है। नगर-निवासी देहातियों का जो उपहास करते हैं उसके मूल में यही सिद्धान्त काम करता है।

(५.) प्रत्येक हास्य-विषय में कोई-न-कोई बात साधारण से विपरीत होती है। जो कुछ हम साधारणतया देखते हैं, जो कुछ हम आशा करते हैं उसके अनुकूल न होना ही विपरीतता है। इसमें छोटी बात को बहुत बड़ी, बड़ी को बहुत ही बड़ी अथवा बहुत ही छोटी करके कहना पड़ता है। समाचारपत्रों में जो व्यंग-चित्र निकलते हैं उनमें विपरीतता ही हमारे हास्य का कारण होती है। नाटे पुरुष के साथ लंबी स्त्री, कुल्प स्त्री के साथ मुन्दर पुरुष, लंबे हटे-कटे पुरुष के साथ छीणकाय नाटी स्त्री, काले पुरुष के शरीर पर पारचात्प वेश-भूपा देखकर किसे हँसी नहीं आयेगी ! व्यंग में विपरीततामूलक हास्य होता है। सम के दानी, कायर को बीर और मूर्ख को पंडित सिद्ध करना व्यंग-दाता ही संभव है।

हास्य के उपर्युक्त रिदान्तों के अतिरिक्त अन्य सिद्धान्त भी हो सकते हैं। मानसिक अथवा शारीरिक यांत्रिक किया भी हास्य का एक कारण है। इस प्रकार हमारी हँसी के अनेक कारण हैं, अनेक सिद्धान्त हैं। समय की गति के साथ उनमें परिवर्तन भी होता रहता है।

प्रह्लन में हास्य के जिन सिद्धान्तों का स्पष्टीकरण किया गया है

उनसे हास्य के आलंबनों का ज्ञान हो जागा है।

प्रह्लन में हास्य	वास्तव में हास्य के कारण ही हास्य के आलंबन हैं।
के आलंबन	संस्कृत-याहित्य में विद्युक हास्य का आलंबन माना जाता है। उसका काम लोगों को हँसाना है। उसकी वेणु-भूपा, उसका व्यवहार, उसके कार्य-कलाप ऐसे होते हैं कि उन्हें

देखते हो हँसी आ जाती है। प्रहसन में उसकी स्थिति इतनी व्यापक है कि उसकी सुष्ठुप्ति में हास्य के सभी तत्त्वों का समन्वय हो जाता है। पर साहित्य अथवा जीवन के दैनिक व्यापारों में सर्वत्र विद्युपक-द्वारा ही हास्य का उद्गेक नहीं होता। यहाँ ऐसे आलंबनों का उल्लेख किया जाता है जिनके कारण हास्य की सुष्ठुप्ति होती है :—

(१) शारीरिक गुण-द्वारा हास्य का उद्गेक—शारीरिक गुण निष्टुप्त हास्य की सुष्ठुप्ति में सहायक होते हैं। इसमें 'अपकर्ष' का सिद्धांत अधिक काम करता है। लंबे आदमी के साथ उसकी नाई छी देखकर हँसी आ ही जाती है। बड़ी तोड़ भी हमारी हँसी का कारण है। शरीर की स्थूलता, शारीरिक यांत्रिक क्रियाएँ, ब्राह्मण की मोदक-प्रियता, कृपण सेठ की रहन-सहन, पाखंडियों की कृतिम सुद्रा, गूखों का पोजित्यपूर्ण वाह्य प्रदर्शन आदि हास्य के सबल उपकरण हैं और इनका प्रयोग प्रहसन में बराबर किया जाता है।

(२) मानसिक गुण-द्वारा हास्य का उद्गेक—गत्र के चरित्र में उत्कृष्ट हास्य की पर्याप्त सामग्री रहती है। इस प्रकार की हास्य-सुष्ठुप्ति में पात्र का सम्पूर्ण चरित्र सामने नहीं आता। यदि हमें किसी सेठ को हास्य का आलंबन बनाना है तो हम उसके समस्त वैयक्तिक गुणों की चर्चान करके केवल उस समुदाय के सामान्य गुणों पर आकेप करेंगे जो उसे धन-लोलुप, पाखंडी, निष्ठुर तथा कृपण सिद्ध करने में सहायक होते हैं। हास्य के ऐसे आलंबनों में 'मानसिक अपकर्ष' का विशेष महत्त्व रहता है। मिथ्याढंबर मानसिक अपकर्ष का सूचक है। उस पाखंडी पंडित को देखकर किसे हँसी नहीं आयेगी जो किसी अद्भूत को देखकर तीन बार स्नान करता है। मानसिक अपकर्ष जब मूर्खता की सीमा का स्पर्श करता है तभी वह हास्य का विषय बनता है। मानसिक यांत्रिक क्रियाएँ भी हास्य का कारण होती हैं। बार-बार 'जो है सो' कहनेवाले पंडित कथा के अवश्यों पर हास्य के प्रतीक बन जाते हैं। इसी प्रकार पात्रों की मानसिक असंबद्धता पर भी हँसी आती है। यह असंबद्धता दो प्रकार

की होती है—(१) आन्तरिक संघर्ष-जन्य तथा (२) वास्त्र संघर्ष-जन्य। असंबद्धता में वैपर्य-द्वारा हास्य का चित्रण होता है। अनुभवी डाक्टर के साथ मूर्ख कमाउडर, बीर के साथ कायर, कृपण सेठ के साथ खर्चाला नीकर हास्य की परिस्थितियाँ उत्पन्न करने में सहायक होते हैं।

(३) घटना-द्वारा हास्य का उद्गेक—घटना-द्वारा हास्य की स्टॉटि प्रहसन का मुख्य विषय है। प्रहसन में 'अपकर्ष' के आधार पर ऐसी अनेक कल्पित घटनाओं का विश्लेषण किया जाता है जिनकी और सामाजिकों का विशेष आकर्षण रहता है। इसी प्रकार असंगति, घटना-विभर्णप, हारमनक भूल, घटना की आवृत्ति आदि प्रहसन की क्या-दत्तु में जान डाल देते हैं। यात्रा में जाते समय जब बार-बार किसी को काना मिलता है तब हँसी रोके नहीं सकती। वर्तमान जीवन में आत्मस्वातंत्र्य की प्रवृत्ति भी हास्य की उत्पत्ति में सहायक होती है। धर्मान्वारों का उपहास और उनके नियमों की जो सिन्हली उड़ाई जाती है उसमें आत्मस्वातंत्र्य की भावना ही मुख्यतः काम करती है।

(४) रहन-सहन-द्वारा हास्य का उद्गेक—रहन-सहन-द्वारा हास्य का उद्गेक दो कारणों से होता है। किसी पंडित को जुआँही अथवा पियँकड़ों की मंलडी में देठा देखने से जब हास्य का उद्गेक होता है तब उसके मूल में 'अपकर्ष' का काम करता है। आधुनिक फैलन के बाबुओं पर प्राचीनतावादी हँसते हैं और उन पर अंग छरते हैं। यात्रिक किया भी हास्य की स्टॉटि करती है। किसी की नकल बनाकर उसी प्रकार का आचरण करने से भी हास्य का उद्गेक होता है। वर्कल का प्रत्येक अवसर पर अपने पेशे की दुहाँ देना, वैद्य का प्रत्येक रोगी को किसी-न-किसी धारक रोग से लीडित धोरित करना यात्रिक किया के ही परिणाम है। विदूपक रहन-सहन-जन्य हास्य का शेषतम् आलंबन है।

(५) संवाद-द्वारा हास्य का उद्गेक—इस साधन-द्वारा हास्य का उद्गेक अधिकांश राहितिक प्रहसनों में होता है। विचार तथा शैरी की असंपद्धता अथवा असंगति ही इसका कारण है। हमें हँसी इसलिए

आती है कि पात्र जो कुछ कहना चाहता है उसे वह उचित भाषा का रूप नहीं दे पाता। इस प्रकार अर्थ का अनर्थ हो जाता है। बेफजूल, निखालिस, बनमोर्स आदि ऐसे ही शब्द हैं जो अपने अनुचित प्रयोग के कारण वाक्य में हास्य की सुषिटि करते हैं। एक मदरासी अधवा बंगाली जब अटपटी हिन्दी में बातें करने लगता है तब हम बिना हँसे रह नहीं सकते। इस गंवंध में हमें यह स्मरण रखना चाहिए कि ऐसे समस्त अवसरों पर हमें शब्दार्थ का ध्यान लेशमात्र भी नहीं रहता।

हास्य के उपर्युक्त आलंबन अनितम नहीं है। हास्य-श्रिय नाटककार समय-समय पर नवीन आलंबनों की उद्भावना करके अपनी रचनाओं में हास्य की सुषिटि करते हैं। छद्म वेश भी हास्य का एक आलंबन है। अत्यन्त घमड़ी तथा दर्प में चूर्ण लोग भी हास्य के साधन होते हैं। मिथ्या भाषण, गप्पा, आत्म-प्रशंसा आदि भी हास्य के उपकरण हो सकते हैं। कहने का तात्पर्य यह कि हास्य के आलंबनों की सीमा अत्यन्त विस्तृत और श्रीर व्यापक है। सभ्यता के विकास के साथ-साथ हास्य के अभिनव उपकरण सामने आते हैं और हमारा मनोरंजन करते रहते हैं।

प्रहसन के उपर्युक्त विवेचन से स्पष्ट है कि उसमें हास्य के विधान की एक नहीं, अनेक शैलियाँ हो सकती हैं। अँगरेजी-प्रहसन में हास साहित्य में गुण तथा उद्देश्य और उपकरण के अनु-को शैलियाँ सार हास (कामिक) के चार मुख्य भेद माने गये

है—(१) शुद्ध हास (२) भ्रान्त हास (३) उपहास और (४) वामैदरध। इन्हीं भेदों के अनुसार हास की चार शैलियाँ हो सकती हैं—(१) हासात्मक शैली, (२) भ्रान्तात्मक शैली (३) उप-हासात्मक शैली और (४) वैश्वात्मक शैली। अनेकांक्षी और एकांकी में इन्हीं चारों शैलियों के अन्तर्गत गौण रूप से और प्रहसन में मुख्य रूप से हास्य का विधान मिलता है। इसलिए यहाँ हम इन्हीं चारों शैलियों पर विचार करेंगे :—

(१) शुद्ध हास्तात्मक शैली—इस शैली के अन्तर्गत शुद्ध हास्य का (खूब) विधान किसी घटना, चरित्र अथवा कार्य के माध्यम से किया जाता है। इसलिए यह वास्तविक हास होता है। हास्य और विडम्बना में अन्तर है। विडम्बना में हम उस वस्तु में विश्वास करने का दोग रचते हैं जिसमें हमारा विश्वास नहीं है। हास्य में हम उस वस्तु के प्रति अविश्वास करते हैं जिसके प्रति हमारा विश्वास होता है। इसमें प्रहसनीय विषय की ओर हमारी हल्की-सी सहानुभूति भी रहती है। हम विषय की दुर्बलताओं पर हँसते हैं। प्रहसनकार उन दुर्बलताओं का चिन्हण इतने कलात्मक ढंग से करता है कि उनके प्रति दर्शकों के हृदय में सहानुभूति का भाव ही उत्पन्न होता है, पृणा अथवा द्वेष के भाव उत्पन्न नहीं हो पाते। सहानुभूति में कल्पणा की एक अत्यन्त गूँज धारा का सदैव प्रवाह रहता है। दर्शक प्रहसनीय पात्र पर हँसते अवश्य हैं, पर वे हृदय से यही दृश्या करते हैं कि उसकी दुर्बलता का अन्त हो जाय। सुधार की इच्छा यह उनमें सदैव गौण ही रहती है। इसके प्रधान होने पर हास्य की सुषिटि नहीं हो सकती। इस संबंध में हमें यह भी स्मरण रखना चाहिए कि इस शैली-द्वारा निरूपित हास्य वैयक्तिक ही होता है और इस व्यक्तिगत प्रधानता के कारण ही पात्र की जो दुर्बलता एक को उचित प्रतीत होती है, दूसरे को यह अर्थगत जान पड़ती है। ऐसी दशा में यदि सभी दर्शक एक साथ स्थिलखिलाकर न हँसें तो यह शैली का दोष नहीं, मानव-मन की व्यक्तिगत साधना का परिणाम है। हिन्दी में इस शैली का सफल प्रयोग प्रशादजी तथा जै० पी० श्रीवास्तव ने किया है। जै० पी० श्रीवास्तव ने अपने प्रहसनों में घटना, पात्र और कार्य—इन तीनों साधनों से हास्य की सुषिटि की है और उन्हें अपने उद्देश्य में सफलता भी मिली है।

(२) आन्तात्मक शैली—इस शैली के अन्तर्गत भान्त अथवा निरथेक (नान्देस) के माध्यम से हास की सुषिटि की जाती है। इस शैली का प्रयोग प्रदृढ़न में अत्यधिक होता है। इसके प्रायः तीन रूप हैं—(१)

‘इसका पहला रूप हमें उनमें कल्पित कथा-वस्तुओं में देखने को मिलता है जो वास्तविकता की सीमा से अत्यधिक दूर हो जाते हैं। ऐसी कथा-वस्तुओं को हम ‘गप्प’ कह सकते हैं। (२) इसका दूसरे प्रकार का रूप हमें उन कल्पित कथा-वस्तुओं में मिलता है जो अतिशयोक्ति के कारण अपना अस्तित्व ही बिलीन कर देती है और अभिनव कथा-वस्तु में परिणत हो जाती है। (३) इसका तीसरे प्रकार का रूप हमें उन कथा-वस्तुओं में मिलता है जिनके आकार विकृत कर दिये जाते हैं। प्रहसनों की रचना में भ्रान्त की इन तीनों शैलियों का प्रयोग होता है। भ्रान्त अथवा निरर्थक हमारी हँसी के आदि कारण है। हम अपनी शैशवावस्था में जिन बातों पर हँसते हैं वे ग्रायः निरर्थक ही होती हैं। उस समय हमारी हँसी का कोई विशेष कारण नहीं होता। हम अपनी प्रीढ़ावस्था में जिन बातों को निरर्थक समझकर उनकी ओर से विमुख हो जाते हैं उन्हीं बातों की ओर शैशवावस्था में हमारा विशेष आकर्षण रहता है। इस प्रकार भ्रान्त का प्रहसन से विशेष संबंध है। इसका प्रयोग करने से घटनाएँ इतनी अतिरंजित हो जाती हैं कि उनमें हमारा विश्वास नहीं रहता। हम बता चुके हैं कि शुद्ध हास में प्रहसनीय विषय के प्रति हमारी सहानुभूति होती है, ‘पर जब वही प्रहसनीय विषय भ्रान्त के माध्यम से हमारे सामने आता है तब उसके प्रति हमारी सहानुभूति नहीं होती। दोनों में एक अन्तर और है। शुद्ध हास में द्वात्यास्पद पात्र को अपनी वास्तविक स्थिति का ज्ञान रहता है, भ्रान्त हास्य में उसे अपने उपहास्यास्पद होने का ज्ञान नहीं रहता। यदि ऐसा हो जाय तो भ्रान्त हास्य की सुषिटि ही नहीं हो सकती। गप्पी उसी समय तक दून की हँकिता है जबतक उसे अपने उपहास्यास्पद होने का ज्ञान नहीं रहता, पर ज्यों ही वह यह जान जाता है कि दूसरे उस पर हँस रहे हैं, वह डींग मारना बन्द कर देता है।

(३) उपहासात्मक शैली—इस शैली के अन्तर्गत उपहास (सुठायर) के माध्यम से हास की सुषिटि की जाती है। हम बता चुके हैं कि शुद्ध हास में सहानुभूति की हल्लकी भावना रहती है। उपहास इससे भिन्न होता

है। उसमें सदानुभूति का आमद नहीं होगा, विशेषतः अनकर्प अथवा पृणा का माय रहता है। एक अन्तर और है। शुद्ध अथवा आनंद हाथ में धटना, पात्र अथवा कार्य स्वयं हास्यास्त्रद नहीं बनता, उसके माध्यम से हास की सुष्ठि मात्र होती है। उपहास ने वही धटना, वही पात्र, वही कार्य स्वयं हास्यास्त्रद बन जाता है। उपहास की एक संज्ञा व्यंग मी है। उपहास किसी पात्र, समाज, संस्या अथवा वर्ग की दुर्वलताओं का उद्घाटन ही नहीं करता, वह उस पर आक्षेप और व्यंग भी करता है। शुद्ध हास अथवा आनंद हास का लक्ष्य होता है—हमारा मनोरंजन करना। उपहास द्वारा हम उसी का विरोध मी करते हैं। इसके दो रूप हैं—एक तो वह जो विश्वास वाण की माँगि हमारे हृदय को उत्सीड़ित कर देगा है और हम छुटका उठते हैं और दूसरा वह जो मधुर चुटकियाँ होता है और हमारा हृदय गुदगुदा देता है। प्रहसन में उपहास का दूसरा रूप ही वांछनीय है। उसका विषय सब प्रकार की मूर्खताओं का उद्घाटन है और उसका संबन्ध हृदय की अपेक्षा मत्तिष्ठक से अधिक होता है। ऐसी दशा में कुशल कलाकार ही इसका प्रयोग करने में सफल होते हैं। हिंदी में के प्रायः सभी प्रहसनकारों ने इसका सफल प्रयोग किया है। जै० पी० भीवास्तव-कृत 'साहित्य का सपूत' इसी प्रकार का उपहासात्मक प्रहसन है।

(४) वैद्यनात्मक शैली—संदाद ने वामैदग्ध (विट्) द्वाय जब हास्य की सुष्ठि होती है, तब वैद्यनात्मक शैली का आविर्भाव होता है। वामैदग्ध, हास्य का गुण नहीं, एक शैलीमात्र है। वह शैली अधिक हास्योत्तादक होती है। यह हास (कामिक) की नहीं, हास्य की, उल्कुलता की सुष्ठि करती है। जिस प्रकार श्लोकार के प्रयोग से काव्य आनन्दमय हो जाता है उसी प्रकार वैद्यन एक सफल प्रयोग से दाय (कामिक) की उचितता और उसका चमत्कार पढ़ जाता है। इसीलिए इते हास के अन्तर्गत माना गया है। यह विचार के अभिव्यक्ति की एक कलापूर्ण प्रणाली है। यह वाणी के आधित है और वाणी-द्वारा ही इसकी अभि-

व्यक्ति होती है। इसकी कहीं भी स्वतंत्र सत्ता नहीं होती। यह कहीं शब्द पर और कहीं अर्थ या विचार के आश्रित रहती है। इसीलिए इसके दो भेद माने गये हैं—(१) शब्द-वैदर्घ्य और (२) अर्थ-वैदर्घ्य। शब्द-वैदर्घ्य की विदर्घता शब्द के आभित रहती है। इसमें एक शब्द पहले अपना निश्चिन अर्थ सूचित करता है, फिर दूसरी बार उस शब्द को विमक्ष कर एक नया अर्थ निकाला जाता है। यद्यु दोनों अर्थ, वैदर्घ्य तथा हास्य के कारण होते हैं। अलाकार की दृष्टि से इसे हम 'यमक' कह सकते हैं। जिस प्रकार शब्दालंकार में उस विशेष अलंकृत शब्द के स्थान पर अन्य पर्यायवाची शब्द रख देने से उस बाक्य की शोमा नष्ट हो जाती है उसी प्रकार शब्द-वैदर्घ्य में यदि उस प्रयुक्त शब्द के स्थान पर अन्य शब्द रख दें तो उसकी विदर्घता जाती रहती है। शाब्दी अंजना में भी शब्द के दो अर्थ होते हैं, पर उसमें प्रयोक्ता का संदेश केवल एक और रहता है। अर्थ-वैदर्घ्य की विदर्घता अर्थगत होती है। जिस प्रकार अर्थालंकार की आलाकारिकता शब्द-परिवर्तन से नष्ट नहीं होती, उसी प्रकार अर्थ-वैदर्घ्य भी शब्द-परिवर्तन से नष्ट नहीं होता। अलाकार की दृष्टि से उसे हम 'श्लेष' कह सकते हैं। प्रहसन में इन दोनों का प्रयोग दो विभिन्न दृष्टियों से किया जाता है—एक तो केवल मनोरंजन के लिए और दूसरा अश्लीलता का उद्घाटन अथवा व्यंग के लिए। सामिग्राय वैदर्घ में आक्षेप के अनुकूल वैदर्घ की प्रधानता रहती है। इस प्रकार हम देखते हैं कि यह हास्य का एक कला-पूर्ण आलबन है। इससे कथोपकथन में जीवन आ जाता है और उसकी रोचकता बढ़ जाती है। इसका प्रयोग भाषा तथा शैली पर पूर्ण अधिकार की अपेक्षा रखता है। हिन्दी के प्रायः सभी नाटककारों ने अपने नाटकों में इसका प्रयोग किया है।

अबतक हमने हास की जिन शैलियों का निरूपण किया है उससे यह न समझना चाहिए उनमें किसी प्रकार की समता नहीं होती। वास्तव में अपनी पूर्णता के लिए उक्त शैलियाँ एक-दूसरे की अपेक्षा रखती हैं।

और एक शैली के अन्वर्गत दूसरी शैली को स्थान मिलता है। प्रहसन की रोचकता तो उन समस्त शैलियों के कलापूर्ण समन्वय में ही निहित रहती है। यह कलाकार का काम है कि वह अपनी रचना में इनका समन्वय किस प्रकार करे। जो इस कार्य में सफल है वही प्रहसन का सफल लेखक है।

**अब हमें प्रहसन के भेदों पर विचार करना है। संस्कृत-नाटकाचार्यों ने नाटकीय पात्रों के अनुग्राह उसके तीन भेद माने गये हैं—(१) शुद्ध, (२) विष्णुत और (३) संकर शुद्ध-प्रहसन में पाण्डी, संन्यासी, तपस्वी आदि पुरोहित नायक होता है और उसके चरित्र का उपराजात्मक उद्याठन होता है। इसमें चेट, चेटी, चिट आदि नीच पात्र भी आते हैं। पात्रों की वेश-भूग्रा और उनकी विचित्र आकृति तथा बोलने के ढंग से इस प्रकार के प्रहसनों का विशेष प्रभाव रहता है। इसमें हारयपूर्ण उच्चियों का प्राधिकरण रहता है। विष्णुत प्रहसन में नपुंसक, कंचुरी तथा तपस्वी कानूनों के बेहु में चित्रित किये जाते हैं। संकर-प्रहसन में हास्य का खुलकर प्रयोग होता है। इसका नायक भूर्ज होता है और इसमें छल, कपट, हास-निरहार तथा व्यंग आदि का बाहुल्य होता है। असत्य को सत्य और सत्य को असत्य, गुण को अवगुण और अवगुण को गुण घोषित करके पाव हास्यात्मक परिस्थितियाँ डरत्त करते हैं जिनका प्रदर्शन अत्यन्त ऐचक और शिक्षापद होता है।**

पारचात्य नाटकारों ने नाटकीय तत्वों की दृष्टि से प्रहसन के चार भेद किये हैं—(१) परिस्थिति-प्रधान, (२) चरित्र-प्रधान (३) कथोपकथन-प्रधान और (४) विदूपक-प्रधान। इन चारों भेदों का वर्णित विवरण इह प्रकार है:—

(१) परिस्थिति-प्रधान प्रहसन—इस प्रकार के प्रहसनों में कथा-चल की प्रधानता रहती है। प्रहसनकार अपने निरोक्तण, अनुभव

अथवा कल्पना से पहले वास्तविक परिस्थितियों का निर्माण करता है और किर वह उन परिस्थितियों को वस्तु में इस प्रकार सजाता-चौधारता है कि स्वाभाविक रूप से हास्य की सुषिष्ठि हो जाती है। इस कार्य में उसे बड़ी साक्षातानी वरतनी पड़ती है। पारिवारिक एवं सामाजिक जीवन से अपने उद्देश्य की पूर्ति के लिए क्या लेना है और क्या नहीं लेना है?—इसका उसे विशेष रूप से ध्यान रखना पड़ता है। इसके साथ ही उसे यह भी देखना पड़ता है कि हास्य के रूप में जो सामग्री वह प्रस्तुत करने जा रहा है वह व्यापक है अथवा नहीं। परिस्थिति-प्रधान प्रहसन के लिए उदैव ऐसी ही सामग्री जुटानी चाहिए जो व्यापक हो और सब उसका आनन्द ले सकें। सास-बहू, नम्द-भीजाई, देवरानी-जेठानी आदि के भरड़े, अनमेल विवाह, पंडितों तथा मौलिकियों की शिक्षण-भद्रति आदि में ऐसी सामग्री प्रजुर मात्रा में मिल सकती है जो दर्शकों का मनोरंजन करने के साथ-साथ शिक्षाप्रद भी हो।

(२) चरित्र-प्रधान प्रहसन—इस प्रकार के प्रहसन में मानवीय भावनाओं का चित्रण रहता है। इसमें मिथ्याभिमान, गर्व, अहंकार, पाखंड, लोम, मोह, द्वेष, घृणा आदि भावों के आधार पर पात्रों का चरित्र-चित्रण किया जाता है। एक प्रकार से इसमें हमारी ही भावनाओं का दिग्दर्शन मिलता है। इसलिए इस प्रकार के प्रहसन के प्रति हमारी विशेष अभिरुचि रहती है। इस संबन्ध में हमें यह स्मरण रखना चाहिए कि यद्यपि प्रत्येक मनुष्य में इन भावों का अस्तित्व रहता है तथापि जबतक वे अपनी मर्यादा की सीमा के भीतर रहते हैं तबतक ये नाटकीय वस्तु का रूप धारण नहीं करते। चरित्र-प्रधान प्रहसन में इनका प्रयोग तभी होता है जब ये अपनी मर्यादा का उल्लंघन कर हास्यास्पद हो जाते हैं। बात-बात पर चिढ़नेवालों, अपने शान और धन के सम्बन्ध में बढ़वढ़ कर बातें करनेवालों, गंगा के किनारे माला फेरते समय मुन्दरियों का नग्न शरीर देखनेवालों तथा इसी प्रकार के अन्य पात्रों का चरित्र जब रंगमंच से दिखाया जाता है तब कौन ऐसा सहृदय

है जिसे हँसी नहीं आती। चरित्र-प्रधान प्रहसन मानवीय भावों के निष्काल रूप है। इस प्रकार के प्रहसन में लेखक को वस्तु-प्रधान प्रहसनों की अपेक्षा अधिक सतकंता से काम लेना पड़ता है। उसे मनोविज्ञान के एहारे उग समस्त परिस्थितियों का अध्ययन करना पड़ता है जो मानवीय भावों की प्रेरणा से उत्पन्न और उद्दीप्त होती है। परिस्थिति-प्रधान प्रहसन का लेखक लौकिक जीवन से असाधारण परिस्थितियाँ बटोरकर हास्य उपस्थित करता है; चरित्र-प्रधान-प्रहसन लेखक अपनी रचना के लिए मानव-हृदय टटोलता है, मानव-भन और भस्त्रिक का अध्ययन करता है और फिर अपने तत्सम्बन्धी निरीक्षण एवं अनुभव के आधार पर हास्यात्मक सामग्री एकत्र करता है। दूसरे का कार्य पहले की अपेक्षा कहीं अधिक गुह्तात्मक, गम्भीर और कलापूर्ण है।

(३) कथोपकथन-प्रधान प्रहसन—इस प्रकार के प्रहसन में कथोपकथन की प्रधानता रहती है और उसी के माध्यम से हास्य की सृष्टि की जाती है। कथोपकथन अथवा याकृचार्य आधुनिक काल की श्रेष्ठ और लोक-प्रिय कला है। इसमें शब्द-ज्ञान के साथ-साथ व्यावहारिक शिष्टाचार आदि की भी आवश्यकता होती है और इन सब के द्वारा हास्य, ब्यंग, यमक एवं श्लेष के आधार पर हास्यात्मक परिस्थितियों का निर्माण किया जाता है। इस प्रकार के प्रहसन में शब्द संभाषण के स्तर से नीचे गिरने और तकनीकित कर्म में पड़कर हास्य और ब्यंग की मर्यादा नष्ट करने की अधिक संभावना रहती है। ऐसी दशा में लेखक को सदैव अपने लक्ष्य पर दृष्टि रखनी पड़ती है। उसे यह भी देखना पड़ता है कि उसके पात्र यातों में पड़कर भाषण न देने लगे और ये अपने उद्देश्य से विचलित न हो जायें। ब्यंग के अतिरिक्त दूसरों की शैली के उपहास-पूर्ण अनुकरण-द्वारा भी हास्य की सृष्टि हो सकती है। हिन्दी-जगत् में अनेक कवियों की कविताओं का उपहासपूर्ण अनुकरण हुआ है। 'अँगरेजी में इस प्रकार के अनुकरण को 'पेरोडी' कहते हैं। 'तकिया कलाम' भी हास्य-प्रस्तुत करने का एक उपयुक्त साधन है और कथोप-

कथन में इस का प्रयोग बड़ी सफलता से हो सकता है। 'जी सरकार', 'जो है सो', 'खाल फरमाइए', 'समझे' आदि ऐसे शब्द हैं जिनके सहारे बातचीत करने में एक विशेष प्रकार का आनन्द दर्शकों को मिल सकता है। इसी प्रकार शरीर के विभिन्न अंगों के संचालन, स्वर अदि के उत्तार-चढ़ाव एवं मुखाहृति के अनुकरण से भी शिष्ट हास्य का बातावरण उपस्थित किया जा सकता है।

(४) विदूपक-प्रधान प्रहसन—इस प्रकार के प्रहसन की इम अन्यत्र चर्चा कर चुके हैं। यहाँ फेवल इतना ही कहना पर्याप्त होगा कि इष्ट प्रकार के प्रहसन आधिकारिक कथा के साथ ही चिनित किये जाते हैं। स्वतंत्र रूप से उनका कोई अस्तित्व नहीं रहता। अँगरेजी-परंपरा में 'ड्लाउन' और स्ट्रूत-गरमरा में 'विदूपक' दोनों के व्यक्तित्व में विशेष अन्तर नहीं है।

यह तो हुआ प्रहसन का बर्गीकरण। अब हमें हिन्दी-नाट्य साहित्य में प्रहसन की प्रगति पर विचार करना है। प्रहसन प्रहसन की प्रगति के संबन्ध में कुछ लोगों का ऐसा विश्वास है कि उसकी रचना अन्य रूपकों की अपेक्षा सरल होती है। इस प्रकार के विश्वास के प्रायः तीन आधार होते हैं। पहला तो यह कि प्रहसन का विषय सरल होता है, दूसरा यह कि अन्य प्रकार के रूपकों के लिए जिस सांस्कृतिक स्तर की आवश्यकता होती है प्रहसन के लिए उसका होना अपेक्षित नहीं है और तीसरा यह कि रूपक के अन्य मेदों की रचना में जिन नाटकीय विशेषताओं की आवश्यकता होती है प्रहसन की रचना में उनका विशेष महत्व नहीं है। प्रहसन-लेखक यदि अपनी रचना-द्वारा उफल हाथ का आयोजन कर देता है तो वह अपनी रचना में सुन्दर है। प्रहसन उठता है कि इस सुविधा के होते हुए भी अन्य रूपकों की अपेक्षा प्रहसनों की संख्या न्यून क्यों है! इसके तीन कारण हो सकते हैं:—

(१) हमारे जीवन में हास-परिणाम का महत्व है अवश्य, पर वही सब्-

कछु नहीं है। यदि हम दिनमर हँसते रहें तो हम पागल ही समझे जायेंगे। बखुतः दिनभर हँसना हमारे लिए संभव भी नहीं है। यदि हम हँसना भी चाहें तो हँस नहीं सकते। घटे दो घटे भी हँसना हमारे लिए दूभर हो जाता है। वात्सव में अपने गंभीर चिन्तन के भार से इसका करने के लिए ही हम हँसने की इच्छा करते हैं। ऐसी इच्छा क्षणिक ही होती है और क्षणिक होने के कारण ही इसका विशेष महत्व है। हम अपने जीवन का अधिकांश समय गंभीर चिन्तन में ही बहुत करते हैं। ऐसी दशा में हमारे जीवन में गंभीर चिन्तन और हात में खो अनुपान होता है। उसी अनुपान ने दोनों ओं शाहित्य ने त्यान मिलता है। नाट्य-शाहित्य में लक्ष के अन्य मेदों की अपेक्षा प्रहरन दी न्यूनता का दही कारण है।

(२) प्रहरन की न्यूनता का दूसरा कारण उसकी रचना से सम्बन्ध रखता है। वात्सव में उसकी रचना सरल नहीं है। उसकी रचना के लिए नाटककार को पाप से पुण्य, अबगुण से गुण, असुन्दर से सुन्दर, असत्य से सत्य, अनीति से नीति और अनाचार से आचार निकालना पड़ता है। उसे प्रत्येक अक्षि, प्रत्येक समाज, प्रत्येक ग्राम तथा जन-जीवन की प्रत्येक गतिविधि पर दृष्टि रखनी पड़ती है और उन सबकी विचार-धारा, संस्कृति एवं सम्यता की परिस्थितियों का आकलन करने के पारचार उन्हें रंगमंच के अनुकूल बनाना पड़ता है। यह कार्य सरल नहीं है। यिरले शाहित्यकार ही इस कार्य में दक्ष हो सकते हैं। नाट्य-शाहित्य में प्रहरन की कमी का यह भी एक कारण है।

(३) प्रहरन की रचना में तीसरी वादा उपस्थित होती है भाषा की ओर ते। कुछ भाषाएँ स्वभाव से ही गंभीर होती हैं। जिस प्रकार गंभीर विषयों की चिन्ता करनेवाला शाहित्यकार हातकी सुष्ठि बरने में विफल रहता है उसी प्रकार गंभीर भाषाएँ हात की परिस्थितियों का यथावत् चित्रण करने में असमर्थ रहती हैं। इस कायन से हमारा यह लात्मन नहीं है कि गंभीर भाषा में हात की सुष्ठि ही ही नहीं रक्ती। होती अवश्य

है, पर जो चुलबुलाइट, जो व्यंजनता, जो स्पन्दन और रंगीनी हाथ-परिहास के लिए अपेक्षित है, यदि भाषा में वह नहीं आ पाती तो उस भाषा में। चित्रित हास की परिस्थितियाँ हमारा हृदय गुदगुदाकर रह जायेंगी, हमें खिलखिलाकर हँसने का अवसर नहीं देंगी। उर्दू के काव्य, कहानी तथा उपन्यास में हास्य और व्यंग का जैसा सुन्दर चित्रण हुआ है, हिन्दी में अभी वैसा नहीं हो सका है।

इस प्रकार हम देखते हैं कि हिन्दी-नान्य-साहित्य में शिष्टप्रहसन की रचना एक सीमा के भीतर ही हो सकी है। संत्खत-परंपरा में प्रहसन कम मिलते हैं। हिन्दी में प्रहसन का सूत्रपात भारतेन्दु के समय से होता है। तब से अबतक जितने प्रहसन लिखे जा चुके हैं उन्हें हम ऐतिहासिक दृष्टि से तीन कालों में विभाजित कर सकते हैं जो इस प्रकार हैं :—

(१) भारतेन्दु-काल के प्रहसन—हिन्दी-नान्य साहित्य का आरंभ भारतेन्दु-युग से होता है। भारतेन्दु अच्छे और स्वरथ नाटककार थे। उनमें हास्य प्रियता भी थी। इसलिए उन्होंने अपने समय की आवश्यकता के अनुसार 'अँधेर नगरी', 'वैदिकी हिंसा हिंसा न भवति' आदि प्रहसनों की रचना की। उनके समय में और भी कई प्रहसन लिखे गये। देवकीनन्दन त्रिपाठी ने 'लगभग सात प्रहसनों की रचना की जिनमें से 'कलियुगी जनेऊ', 'ज्वी चरित्र', 'एक-एक के तीन-तीन' अधिक प्रसिद्ध हैं। बालकृष्ण-कृत 'रिदादान या जैसा काम वैसा परिणाम', हरिश्चन्द्र कुलश्रेष्ठ-कृत 'ठगी की चपेट', पञ्चलाल-कृत 'दास्यार्णव', प्रतापनारायण मिथ-कृत 'कलिकौतक लपक', विजयनन्द-कृत 'महाअँधेर नगरी', राधाचरण गोस्वामी-कृत 'बूढ़े मुँह मुझसे', किशोरीलाल गोस्वामी-कृत 'चौपट चपेट', गोपालराम गहसरी-कृत 'दादा और मैं' राधाकांतलाल-कृत 'देसी कुत्ता बिलायती बोल' और बलदेवप्रसाद मिथ-कृत 'लल्लू बाबू' आदि का, हिन्दी के प्रहसन-साहित्य में, विशेष स्थान है। यह सच है कि कला की दृष्टि से ये रचनाएँ खरी नहीं उतरती, पर जिस युग और

जिन परिस्थितियों में उनका निर्माण हुआ उनकी दृष्टि से उनका मूल्य अद्वय है और वे हमारे साहित्य की स्थायी सभ्यता हैं।

(२) प्रसाद-काल के प्रहसन—प्रसाद-काल में भी कई प्रहसन लिखे गये। बद्रीनाथ भट्ट ने 'चुंगी की उम्मेदवारी' से इस युग का आरंभ किया। कला की दृष्टि से यह प्रहसन सफल नहीं रहा। मारतेन्दु-कालीन प्रहसन-परंपरा का इस पर भी प्रभाव रहा, पर विषय की दृष्टि से यह सर्वथा नवीन या। इसमें तत्कालीन युग की एक विशेषता चोटपट्टासात्मक रूप दिया गया या। इसलिए इसने मारतेन्दु-युग और प्रसाद-युग के बीच एक विमाजनरेखा खींच दी। प्रसाद जी ने स्वतंत्र रूप से किसी प्रहसन की रचना नहीं की, पर अपने नाटकों में उन्होंने दार्य का विपान अवश्य किया। जे० पी० भीबारतव का आविमोंद भी इसी युग में हुआ। उन्होंने 'उलटफेर', 'दुमदार आदमी', 'गढ़वड़ नाला' 'मर्दानी औरत', भूल-चूक आदि कई प्रहसनों की रचना की। राधेश्याम-कृत 'कौसिल की उम्मेदवारी', गोविन्दबल्लभ-कृत 'कंजूस की खोली'; रामदास गौड़-कृत 'ईश्वरीय न्याय'; चद्रीनाथ भट्ट-कृत 'लंबड़ धौंधौं', 'विकाह-विलापन' और 'मिल अमेरिकन'; बेचन शर्मा उप्र-कृत 'चार बेचारे' तथा सुदर्शन-कृत 'आनरेरी मजिस्ट्रेट' इस युग की प्रसिद्ध रचनाएँ हैं। कला की दृष्टि से सुदर्शन-कृत 'आनरेरी मजिस्ट्रेट' उत्कृष्ट रचना है। मारतेन्दु-कालीन प्रहसनों की अपेक्षा इस युग के प्रहसन कला, विषय और चरित्र-चित्रण की दृष्टि से विशेष महत्व के हैं। मारतेन्दु-कालीन प्रहसन दास्थात्मक हृत्य के आन्त में उपदेशात्मक बन जाते थे। इससे उनकी कला की पूर्णता में वाधा पड़ती थी। प्रसाद-कालीन प्रहसन इस दोष से सुक्ष्म है। उन पर पाश्चात्य प्रहसन-कला का अन्द्रा प्रभाव पड़ा है।

(३) आधुनिक काल के प्रहसन—प्रहसन-रचना की दृष्टि से यह काल अभी विशेष महत्व का नहीं है। वास्तव में सुदर्शन के 'आनरेरी मजिस्ट्रेट' के पश्चात् कोई ऐसी रचना सामने नहीं आयी जिसे साहित्यिक

शृंगि से प्रहसन कहा जा सके। इसके दो ही कारण हो सकते हैं—एक तो हमारा राजनीतिक संघर्ष और दूसरा सिनेमा के प्रचार के कारण हिन्दी रंगमंच की ओर से नाटककारों की उदासीनता। ये दोनों कारण इतने व्यापक हैं कि इनके सम्बन्ध में अधिक कहने की आवश्यकता नहीं है। रेडियो से प्रहसन का प्रचार अवश्य हो रहा है और उसकी आवश्यकतानुसार अच्छे प्रहसन लिखे जा रहे हैं। इस समय हिन्दी साहित्यकारों की गम्भीर विषयों की ओर विशेष अभिमुखि है।

अबतक हमने प्रहसन के सम्बन्ध में जो कुछ कहा है उससे यह

स्पष्ट हो जाता है कि साहित्य में उसकी अपनी विशेष-साहित्य में प्रहसन पता और अपनी स्वतंत्र सत्ता है। साहित्य में जीवन का स्थान की जिन परिस्थितियों और अनुभूतियों का चित्रण

रहता है वही हास्य के माध्यम से प्रहसन की सुषिकरती है। प्रहसन की सामग्री के लिए हमें अन्यत्र नहीं जाना पड़ता, जीवन को ही टटोलना पड़ता है। प्रहसन का मुख्य गुण है हास्य और वह हमारे जीवन में इस तरह मुला-मिला है कि हम उसकी उपेक्षा नहीं कर सकते। इसलिए साहित्य हास्य की और हास्य साहित्य की अपेक्षा रखता है। हमारे साहित्यकारों ने हास्य को एक स्वतंत्र रस माना है और उसकी विस्तृत व्याख्या की है। इस का विकास शृङ्खार रस दे अंतर्गत होता है। शृङ्खार का स्थायी भाव 'रति' है। इसलिए उसके अन्तर्गत हास्य हमारी समस्त अनुभूतियों को संप्रदित करता है। उससे हमारे जीवन में आनन्द की सुषिकरता होती है। उसमें व्यंग-वाण का आधात नहीं रहता। कहण रस में जब उसका परिपाक होता है तब उसकी गम्भीरता और भी बढ़ जाती है। यही कारण है कि हमारे साहित्य में ही नहीं, विश्व-साहित्य में हास्य को विशेष स्थान मिला है। यदि प्रत्येक साहित्य की छानबीन की जाय तो पता चलेगा कि उन सबमें हास्य का समावेश हुआ है और सफलतापूर्वक हुआ है। कविता, कहानी, उपन्यास, नाटक, जीवन-चरित्र, निवन्ध आदि साहित्य के जितने प्रमुख अङ्ग हैं उनमें

देख, काल और पात्र के अनुसार हास्य-लेखकों ने अपनी बुद्धि का कौशल दिखाया है।

कहा जाता है कि जर्मन-निवासियों रथा नाजियों में हास्य-प्रियता की मात्रा कम होती है। नाजियों के सम्बन्ध में यह कथन सत्य हो सकता है। अभी योड़े दिन हुए उन्होंने अपने देश में ऐसे सभी दुखान्त नाटकों पर रोक लगा दी थीं जिनका प्रदर्शन शराबखानों में होता था और जो वर्तमान सरकार की खिल्ली उड़ाया करते थे। साहित्यक टॉटि से उनका यह कार्य निन्दनीय भले ही कहा जाय, पर राजनीतिक दृष्टि से तो यह उचित ही कहा जायगा। जर्मन-निवासियों में हास्य का सर्वया अभाव ही, ऐसी बात सहसा समझ में नहीं आती। जनरल गोरिंग इसी जर्मनी के प्रबिद्ध राजनीतिक नेता थे। उन्होंने अपने राजकीय जीवन के संत्मरणों में लिखा है कि 'जब राष्ट्र के जीवन से हास्य-भावना का लोप हो जाता है तब उसके आध्यात्मिक कल्पनाएँ में वापराएँ उत्पन्न हो जाती हैं। जनरल गोरिंग का यह कथन अत्यन्य भूत्त्वपूर्ण है। इससे हास्य की साहित्यिक उत्कृष्टता लिंग होती है। इससे यह पता चलता है कि जीवन के आध्यात्मिक विकास के लिए हास्य की उपेक्षा नहीं की जा सकती। मारणन महोदय ने अपने नाटक 'दि फलेंशिंग स्ट्रीम' की भूमिका में जनरल गोरिंग के मर का विरोध करते हुए लिखा है—'हास्य ऐसा आध्यात्मिक रोग है जो राष्ट्र के जीवन के आध्यात्मिक विकास में अपने दोसों के कारण वाधक होता है और उसके कल्पनाएँ के मार्ग में रोड़े शटकाता है। जिस प्रकार धुन सूर्य के प्रकाश की अवहेलना करता है उसी प्रकार हास्य का ज्ञान, जिससे हमारा जीवन अनुशासित होता है, हमारी अनुभूतियों, हमारी कलना-शक्ति और हमारे आध्यात्मिक सीदर्य का तिरस्कार करता है। हास्य ने दुखान्त नाटकों की सृष्टि में यापा फूँचायी है, यादन्विषाद के अवसरों पर वाकपटुता का हनन किया है, और हमारी युद्ध-प्रियता पर चोट की है। उसने हमारे जीवन के प्रत्येक माल-स्फुरिंग पर तुपारपार किया है और कला, प्रेम, कर्तव्य तथा

विश्वास पर रोक लगायी है। वह प्रतिभा का उपहास करता है, मानव-आत्मा के प्रति सामान्य धृणा के भावों का प्रचार करता है, हमारी दृष्टि पर पदां डालता है और सन्तों की खिलली उड़ाता है।'

मार्गन महोदय ने हास्य की जो वीत्र आलोचना की है उससे अधिक कोई क्या कह सकता है। हास्य पर उनके जो आचेप हैं उनका कारण यह है कि उन्होंने हास्य और व्यंग को एक-दूसरे का पर्यायवाची मान लिया है। बास्तव में वह कदु व्यंग के विरोधी है। हास्य में जो परिहास अथवा व्यंग-तत्त्व होता है उसी की उन्होंने जी खोलकर भर्तना की है। पर क्या हास्य में व्यंग-तत्त्व की उपेक्षा की जा सकती है! इसमें सन्देह नहीं कि हास्य में व्यंग-तत्त्व की अत्यधिक प्रधानता होने से उसका आनन्द नष्ट हो जाता है और वह विकृत स्प धारण कर लेता है, पर इससे साहित्य तथा जीवन में उसका महत्त्व नहीं घटता। ऐसे हास्य-लेखकों से समाज, देश और विश्व का बहुत उपकार हुआ है जिन्होंने उन लोगों पर व्यंग किया है जो बास्तव में व्यंग के पात्र रहे हैं। द्रोगदी का व्यंग-बाण ही महाभारत की रचना का कारण है। साहित्य के विकास में ऐसे उदाहरणों की कमी नहीं है। यूनानी साहित्य में सुकरात का जो महत्त्व है वह अरिस्टोफेन्स के व्यंगों के कारण ही है।

बास्तव में मानव-मस्तिष्क इतना रहस्यमय और विचित्र है कि वह जिस समय किसी व्यक्ति के प्रति अद्दा के भाव व्यक्त करता है, उसी समय वह उसका उपहास करने में भी समर्थ हो सकता है। आजकल समाचार-पत्रों में बड़े-बड़े नेताओं के जो व्यंग-चित्र प्रस्तुत किये जा रहे हैं उनका यह तात्पर्य नहीं है कि उन नेताओं के प्रति कलाशार के हृदय में धृणा के भाव उदय हो गये हैं। कवियों, लेखकों, कलाकारों, महात्माओं और सन्तों पर जो व्यंग किये जाते हैं उनमें उपहास की प्रवृत्ति अवश्य रहती है, पर वे तिरस्कार अथवा धृणा के सूचक नहीं होते। यही कारण है कि प्रत्येक साहित्य के विविध अंगों—काव्य, कहानी, उपन्यास, नाटक, नियंत्र, रेखा-चित्र, भाव-चित्र आदि में हास्य और व्यंग को स्थान मिला

है और जिनके संबंध में व्यंग किया है उनका उम्मान बढ़ा है, परं नहीं। यदि मार्गन महोदय के आदेष में किञ्चित् सत्यता होती तो साहित्य में न तो प्रहसनों का सूनन होता और न पैरोटी की ही सूष्टि। युर ने राधा और कृष्ण पर व्यंग किये हैं और द्वलसी ने विद्य के तपत्तिवयों का मजाक उड़ाया है। शेख, मुल्ला, पादरी, जाहिद, रिन्द और पांप सभी व्यंग के पात्र रहे हैं। हास्य रत के देवता प्रमथ भी कवियों से नहीं बच सके हैं। कहानियों, कविताओं तथा अन्य साहित्यिक रचनाओं में ईश्वर तक की खबर ली गयी है और उन पर कटु व्यंग किये गये हैं।

व्यंग का प्रभाव अच्छा और बुरा दोनों प्रकार का होता है। वह व्यंग अच्छा और हितकर होता है जिसका सम्बन्ध सामान्य शान से होता है और जिसमें शुद्ध हास्य की प्रतिष्ठा होती है। बस्तुतः व्यंग शुद्ध हृदय की उपज होनी चाहिए। जहाँ उसमें अध्रदा का भाव आया वही वह धातक और मयानक हो जाता है। प्रत्येक साहित्य में देवी-देवताओं और महान् पुरुषों तथा सन्तों के प्रति जो व्यंग किये गये हैं उनमें भद्दा और आस्था का भाव बराबर बना हुआ है। इसलिए उन्हें सुनकर और पढ़कर हम प्रसन्न होते हैं, पृथा के भाव से उद्देलित नहीं होते। व्यंग में सुधार की प्रवृत्ति होती है। उर्दू के कवि अकबर ने अपने काव्य में मिसो, शेखों, चिञ्चित नारियों और अँगरेजी सम्बन्ध में पले हुए भारतीय बायुओं का जो मजाक उड़ाया है उसे पढ़कर किसको हँसी नहीं आती। इससे स्पष्ट है कि साहित्य के प्रत्येक श्रंग में हास्य और व्यंग का महत्व है और बराबर बना रहेगा।

साहित्य में हास्य और व्यंग का महत्व स्वीकार करने पर प्रहसन का महत्व स्वयं सिद्ध हो जाता है। इसमें सन्देह नहीं कि प्रहसन-रचना में अनेक वाधाएँ मिलती हैं, पर उन वाधाओं के रहते हुए भी प्रत्येक साहित्य में उसकी रचना हूँड़ है और भावित्य में भी होगी। उसकी रचना द्वारा जीवन और साहित्य की जिस आवश्यकता की पूर्ति होती है वह अन्य किसी साधन-द्वारा हो ही नहीं सकती।

४

## रंगमंच और रंगमंचीय नाटक

नाटक अभिनय-कला प्रधान एक साहित्यिक कृति है। उसमें अभिनय ही एक ऐसा तत्व है जो उसकी संशा, उसके नाम रंगमंच और को साधेंक करता है। अभिनय को नाटक से निकाल माटक का सम्बन्ध दीजिए, नाटक नाटक नहीं रह जायगा। नाटक और अभिनय, दोनों समेक हैं। नाटक अभिनय की और अभिनय नाटक की अपेक्षा रखता है। नाटक से अभिनय-तत्व पृथक् नहीं किया जा सकता। नाटक की उत्कृष्टता और उसकी सफलता का निर्णय अभिनय के ही अधीन रहता है। यदि नाटक अपने अभिनय में उफल है तो वह एक उत्कृष्ट साहित्यिक रचना है, अन्यथा साहित्य में उसका कोई मूल्य नहीं है। अभिनय के लिए रंगमंच की आवश्यकता है। यिन रंगमंच के अभिनय और यिन अभिनय के नाटक दोनों व्यर्थ हैं, निप्रबोजन है। रंगमंच अभिनय की और अभिनय नाटक की प्रतिष्ठा करता है। इस प्रकार नाटक और अभिनय में जो अन्योन्याश्रित संबंध है उसे रंगमंच ही साधेंग करता है। जो नाटक खेले जाने पर अपना बहुत-सा सौंदर्य खो देते हैं वे साहित्यिक दृष्टि से भले ही उत्कृष्ट हों, अच्छे नाटकों की भेणी में रखने के सर्वथा अतुपयुक्त हैं। वही नाटक वास्तव में नाटक है जो मंच पर खेला जा सके, जो अपने अभिनय-द्वारा रंगशाला में ऐठे हुए दर्शकों का मनोरंजन और उनकी कुरुचि का परिमार्जन और संस्कार कर सके। यदि नाटक अपने इस उद्देश्य को चरितार्थ नहीं कर सकता तो वह साहित्य की आमर सम्पत्ति भी नहीं रह सकता। 'अभिज्ञान शाकुन्तल' को साहित्य और जन-जीवन में जो अमरत्व प्राप्त है वह केवल इस कारण नहीं कि उसका कथानक हमारे

देश के एक ऐसे महापुरुष से सम्बन्धित है जो हमारी अद्वा का पात्र है, वरन् इसलिए कि वह रंगमंच पर खड़ा उतरता है।

उपर्युक्त विवेचन से स्पष्ट है कि हम नाटक-रचना ने रंगमंच की उपेक्षा नहीं कर सकते। पर इसके विरुद्ध नाटककारों का एक ऐसा दल भी है जिसका यह विश्वास है कि रंगमंच की दृष्टि से लिखे जानेवाले नाटक कभी साहित्यिक हों ही नहीं सकते। इस दल के नाटककारों का आच्छेप अधिकांश नाटकीय कथोपकथन की भाषा पर होता है। उनका कहना है कि नाटक की भाषा बोलचाल की भाषा होती है और बोलचाल की भाषा से साहित्य का शृंगार नहीं हो सकता। साहित्यिक भाषा मानसिक अमन्त्रात्म होती है। इसलिए जब रंगमंच पर उसका प्रयोग होता है तब वह जीवन की साधारण भाषा से दूर हो जाती है और उसके शब्द तथा वाक्य उपदास्यासपद और अनाटकीय हो जाते हैं। ऐसा ही रंगमंच-किरोधी एक दल उन नाटककारों का भी है जो नाटकीय कथोपकथन की भाषा पर आच्छेप तो नहीं करते, पर वह अवश्य कहते हैं कि नाटककार के लिए दर्शकों का कोई महत्व नहीं है। दर्शकों और मंच की आवश्यकताओं का स्थान मंच-संचालक को होना चाहिए, न कि नाटककार को। नाटककार को इन कंसलटेंस से क्या मतलब ! वह तो कलाकार है, भावनाओं का चिनकार है। उसकी कला आत्म-प्रज्ञापन, के लिए है, न कि रंगमंच के लिए। वह जो लिखता है, 'स्वान्तः सुखाव लिखता है। इन दोनों मतों से मेरा स्पष्ट विरोध है।

नाटकीय कथोपकथन की भाषा के आधार पर जो नाटककार रंगमंच का विरोध करते हैं उनके सामने व्यावसायिक नाटक कम्पनियों की भाषा का आदर्श है। उसी से प्रभावित होकर उन्होंने वह समझ लिया है कि नाटकीय कथोपकथन में साहित्यिक भाषा का प्रयोग नहीं हो सकता। यह तर्क हिन्दी-नाटकों के संघर्ष में ही नहीं, अन्य भाषाओं के नाटकों के सम्बन्ध में भी खड़ा उत्तर सकता है। नाटकीय कथोपकथन की भाषा व्यावसायिक कम्पनियों ही विगड़ती है। वे उसमें 'वाजारूपन'

लाती है और उसे साहित्य के उच्चस्तर से नीचे गिरा देती है। नाटकीय कथोपकथन में बोलचाल की भाषा का प्रयोग करने के कारण नाटक के जो दो वर्ग—साहित्यिक और असाहित्यिक—हो जाते हैं उसका एक कारण जनता में शिक्षा का अभाव भी हो सकता है। ऐसी दशा में ज्यों-ज्यों जनता शिक्षित होती जायगी, त्यों-त्यों उसकी भाषा में साहित्यिकता आती जायगी और वह साहित्यिक नाटकों के संबाद की भाषा को समझने में समर्थ होगी। हिन्दी में राधेश्याम के नाटक व्यावसायिक कम्पनियों के लिए लिखे गये हैं। वे हिन्दी-रंगमंच की शोगा नहीं बढ़ा सकते। उनकी भाषा में 'बाजारूपन' है। व्यावसायिक कम्पनियों के रंगमंच के लिए ऐसी ही भाषा का प्रयोग होता है और वह भी विशेषतः उस समय जब दर्शकों की भाषा-सम्बन्धी अभिषेचि विकृत होती है। राधेश्याम साहित्यिक नाटककार नहीं ये। यदि वह माखनलाल चतुर्वेदी, जयशुकर प्रसाद अथवा लद्दमीनारायण मिश्र की कोटि के नाटककार होते तो कभी अपनी भाषा को साहित्य के उच्चस्तर से इतने नीचे न गिराते। हिन्दी में राधेश्याम का युग समाप्त हो गया है और अब ऐसे नाटक लिखे गये हैं जो भाषा की दृष्टि से साहित्यिक और रंगमंच की दृष्टि से अत्यन्त सफल हैं। इसलिए यह कहना है कि रंगमंच की शोभा बढ़ाने-वाले नाटकों में साहित्यिक भाषा का प्रयोग हो ही नहीं सकता—सर्वथा भ्रान्तपूर्ण है।

अब उस वर्ग के नाटककारों के मत पर विचार कीजिए जो 'स्वातः सुखाय' अर्थात् केवल अपने सुख के लिए नाटक की रचना करते हैं। हम बता सकते हैं कि नाटक सामाजिकों का साहित्य है। उसमें जीवन की समस्त प्रवृत्तियाँ नाटककार के मस्तिष्क से निचुड़कर, छुनकर आती हैं और कला के भास्यम से अपनी अभिभ्यक्ति के लिए छुटपटाती रहती है। ऐसी दशा में रंगमंच ही उनके अभिव्यक्तीकरण का साधन हो सकता है। इस सम्बन्ध में डाक्टर रामकुमार वर्मा ने अपनी पुस्तक 'साहित्य समालोचना' में विलियम थार्चर का मत प्रस्तुत किया है।

विलियन आर्चर ने अपनी पुस्तक 'ज़िनेकिंग' ने लिखा है—‘जो छत्ता-  
कार इसी तरह—रंगमंच और नाटक की उत्तेजा करते—उनका  
पहलन्द बरते हैं उन्हें पूरा अधिकार है कि विवर प्रदार उन्हें नाटकों  
में—जो शादी ही नाटक कहे जा सकते हैं—अप्पदन या अभिनव-  
द्वारा आत्म-प्रदर्शन करें, परन्तु जो नाटककार चास्तूप में आत्म-प्रदर्शन  
करना चाहता है उसे तो मंच की सहायता देनी ही पड़ेगा। एक चिन्ह-  
कार जो 'स्वान्तः सुखाय' चिन्ह बनाये, नूरिंकार नूरिं बनाये, गायनाचार्य  
गीत गाये, पर नाटककार दिना रंगमंच के आत्म-प्रदर्शन कर ही नहीं  
सकता। ऐसा रंगमंच के अस्तित्व के नाटक के कुछ मानी नहीं होते। वह  
जीवन का ऐसा प्रदर्शन है जो रंगमंच के बातावरण से ही हो सकता है,  
अन्य स्थान पर नहीं। इसीलिए तो उन्मास और नाटक में भिन्नता है।  
एक का दिग्दर्शन हृदय पर होता है, दूसरे का रंगमंच पर। विलियन  
आर्चर के इन शब्दों ने यह चिद्र है कि रंगमंच और नाटक का अभिनव  
सम्बन्ध है। रंगमंच नाटक की शोभा बढ़ाता है और नाटक रंगमंच  
की। जब नाटककार नाटक की रचना करते समय इस चिद्रान्त और  
सम्बन्ध पर ध्यान रखते हैं तब नाटक और नाट्य-कला को विशेष  
प्रोत्त्वाद्वारा निलंता है और नाटककार उन्हें उत्तेजन में सकूल होता है।

रंगमंच और नाटक के पारस्परिक सम्बन्ध की इनने अमीं जो	विवेचना की है उत्तेज स्पष्ट हो जाता है कि नाटक रंगमंच की उत्तरति के साथ ही रंगमंच की उत्तरति हुर्द है। उत्तरति हमने नाटक की उत्तरति के दो आधार माने हैं—एक- तो पौराणिक कथा के ध्यानावर पर और दूसरी अनु- मान के आधार पर। रंगमंच की उत्तरति के सम्बन्ध में भी इन्हीं दोनों आधारों का सहारा लिया जाता है। हम पहले चत्ता चुके हैं कि सत्त- मुग के अन्त और जेजा के आरम्भ में सब देवताओं के कहने से जब बहा ने 'नाट्य वेद' की रचना की तब विश्वकर्मा ने रंगमंच का निर्माण किया। इस पौराणिक कथा में ऐतिहासिक सत्यता नहीं है, पर-
---	---

इससे इतना अवश्य स्पष्ट हो जाता है कि नाटक की उत्पत्तिश्च और उसके विकास के साथ-साथ रंगमंच की उत्पत्ति श्च और उसका विकास हुआ है।

रंगमंच की उत्पत्ति के सम्बन्ध में एक मत और विचारणीय है और वह है अनुमान के आधार पर। मानव-सम्यता की उत्तरोत्तर उन्नति में विश्वास करनेवाले विकासवादियों का कहना है कि नाटक की उत्पत्ति नृत्य से हुई है। उस समय जब मानव की बाह्य-शक्ति का विकास नहीं हुआ था तब मुख के आवेग को उसने नृत्य-द्वारा ही व्यक्त किया होगा। आगे चलकर उस नृत्य में गति और लय की सुधरता आयी होगी। नृत्य में गति और लय आने के पश्चात् विशेष अवसरों पर नृत्य का आयोजन होता रहा होगा और देवताओं को प्रसन्न करने के लिए प्रार्थना के रूप में गीत भी गाये जाते रहे होंगे और उन गीतों के साथ वादों का भी प्रयोग किया जाता रहा होगा। इन दो अवस्थाओं के पश्चात् धीरे-धीरे दिवंगत धीरों की जीवन-घटनाओं को भी उनके साथ मिला लिया गया होगा। इस प्रकार नृत्य, गीत और घटना के जोड़-मेल से उस समय के लोगों को मनोरंजन का एक साधन, मिल गया होगा। इसके बाद नाटक के जीवन में एक चौथी अवस्था आयी होगी और तब उसमें संवाद को भी स्थान मिल गया होगा। नृत्य + गीत + घटना + संवाद से नाटक का जो रूप आया होगा उसमें उस समय के कलाकारों ने अभिनय कला को भी स्थान दिया होगा और फिर कथानक के सुनाव में धार्मिक स्थलों और आकर्षक संवादों का विधान चल पड़ा होगा। ऐसा लगता है कि इसी के पश्चात् अधिवित लोगों के नाटक के ये पाँचों अपरिपक्व तत्त्व साहित्यकारों ने अपना लिये होंगे और उन्होंने उनमें संतुलन और सामंजस्य स्थापित करके उनको 'रस' के आधित कर दिया होगा। इस प्रकार नृत्य + गीत + घटना + संवाद + अभिनय + रस ने एक साथ मिलकर नाटक को जन्म दिया होगा। इसके बाद अन्य कलाकारों ने इन छुट्टों के अंतरंग और बहिरंग में कला का प्रवेश करके

नाटक को साहित्य का एक विशिष्ट अंग बना दिया गया होगा और फिर इसके बाद रंगमंच की स्थापना हुई होगी ।

विकासबाद के अनुसार नाटक की उत्तरति के उपर्युक्त सिद्धान्त से रंगमंच के विकास की स्टड रेखाएँ हमारे यामने आ जाती हैं। आरंभ में उत्तरव के विशेष अवसरों पर नृत्य और गायन खुले मैदानों में होते रहे होगे। इसके पश्चात् जब उसके साथ घटनाओं का समावेष हुआ होगा तब किसी टीले अथवा देव-मन्दिर के कंचे चबूतरे पर रंगमंच का आयोजन हुआ होगा। इस प्रकार के प्रारंभिक रंगमंच उत्तरव की महत्त्व और आवश्यकता के अनुसार एक ही स्थान परन होकर आज यहाँ तो कल वहाँ बनाये जाते रहे होंगे और उसमें दृश्यों का विधान करने के लिए कोई उपकरण अथवा वाटिका को ही स्थान दिया जाता-रहा होगा। रंगमंच के विकास में अन्तिम स्थिति तब आयी होगी जब एक ही स्थान पर नाटक के विविध उपकरणों और साधनों को एकत्र कर कलात्मक अभिनव का कार्य संपन्न किया जाने लगा होगा। इस प्रकार नाटक के विकास से रंगमंच का विकास और रंगमंच विकास से नाटक का विकास हुआ होगा। रंगमंच के विकास की यह कहानी अनुमान पर ही आधारित है, परन्तु इससे दो बातें सिद्ध हैं—एक तो यह कि नाटक के साथ-साथ रंगमंच का विकास हुआ है और दूसरी यह कि नाटक में जीवन की वास्तविक घटना को जो कल्पनात्मक रूप दिया जाता है उसकी उचा रंगमंच-द्वारा ही प्रमाणित होती है।

आधुनिक खोजों से पता चलता है कि वैदिक काल में रूपक के बीज चारों वैदों में ये जिनका उपयोग मनोरंजन के संस्कृत-रंगमंच लिए श्रुतु-परिवर्तन, बीर-पूजा तथा अन्य उत्तरों की रूपरेखा पर होना था। कालान्तर में लोक-धारा की इस नाट्य-परम्परा के आधार पर शृग्वेद से क्योपक्यन, सामवेद से गायन, अथवंण से रस और यजुर्वेद से अभिनव लेकर एक स्वर्तंत्र पंचमवेद—नाट्यवेद—की रचना की गयी। और उसके साथ-साथ

रंगमंच की प्रतिष्ठा हुई। संभव है, इसी निर्माण-काल में पुत्तलिका-नृत्य की उत्पत्ति हुई हो और उससे भी रूपक-रचना को प्रेरणा मिली हो। जो भी हो, इससे यह सिद्ध है कि सत्य युग के अन्त और व्रेता युग के आरंभ तक संस्कृत-नाट्य-कला अपने विकास पर थी और उसके उपर्युक्त रंगमंच का निर्माण हो चुका था तथा भरत मुनि उसके प्रथम आचार्य थे। उन्होंने अपने नाट्य-शास्त्र में रंगमंच, अभिनेता, प्रेक्षक तथा रूपक-रचना के अन्य उपकरणों की विशद व्याख्या की है।

भरत मुनि के नाट्यशास्त्र के अनुसार प्रेक्षा-गृह अर्थात् रंग-शालाएँ तीन प्रकार की होती थीं (१) विकृष्ट, (२) चतुरस्त्र और (३) त्र्यस्त्र। इन तीनों प्रकार की रंगशालाओं में से प्रत्येक के ज्येष्ठ, मध्यम और कनिष्ठ-तीन-तीन भेद और होते थे। भरत मुनि ने इनमें से प्रत्येक की उपयोगिता का उल्लेख अपने ग्रन्थ में किया है। विकृष्ट प्रेक्षा-गृह आयताकार होता था। इसकी लम्बाई ६४ हाथ और चौड़ाई ३२ हाथ होती थी। यह केवल देवताओं के लिए बनाया जाता था। यही सबसे अच्छा प्रेक्षा-गृह होता था। इससे घटकर या चतुरस्त्र। यह चर्गांकार होता था और इसकी लम्बाई-चौड़ाई १०८ हाथ होती थी। यह राजाओं तथा धनवानों आदि के लिए बनाया जाता था। त्र्यस्त्र प्रिमुजाकार होता था। इसकी तीनों भुजाएँ ३२ हाथ लम्बी होती थीं। यह निकृष्ट माना जाता था। इसमें आपस के शोड़े भे मिन आदि बैठकर अभिनय देखते थे। इन सभी प्रकार के प्रेक्षा-गृहों का आधा भाग रंग-मंच और शेष आधा भाग दर्शकों के लिए रहता था। दर्शकों के भाग में पूर्व दिशा की ओर एक द्वार रहता था जिससे वे आ-जा सकें। पश्चिम ओर के ऊद्ध भाग में रंगमंच रहता था। रंगमंच के तीन भाग होते हैं—(१) रंगशीर्ष, (२) नेपथ्य और (३) रंगपीठ।

रंगमंच का पिछला आधा भाग नेपथ्य के लिए निश्चित था। शेष आधे में दो भाग होते थे जिनमें से नेपथ्य के पास के भाग में रंगशीर्ष होता था। रंगशीर्ष के दाहिनेन्बाएँ एक-एक कक्ष होता था।

रंगरीवे के बाद रंगरीठ होता था। यह दर्शकों के सामने रहता था। इसके दाहिने-बाएँ एक-एक बद्ध होता था। नेपम्ब और रंगरीठ के बीच में एक स्थायी दीवार होती थी जिस पर अनेक प्रदार के मुन्दर चित्र बनाये जाता थे। इन चित्रों से रंगरीवे पर अभिनीत होते जाते दर्शकों की पृष्ठभूमि का काम लिया जाता था। रंगरीवे के कद्दों में नेपम्ब से आने के लिए दो द्वार होते थे। उन्हें और रंगरीवे के मध्य में प्रत्येक दिया की ओर तीन-चार स्तंभ रहते थे। इस प्रकार यह कद्द मूल रंगरीवे से गृथक् हो जाता था। इन कद्दों से रंगरीवे पर आने के लिए प्रत्येक में एक द्वार होता था। नेपम्ब से रंगरीवे और रंगरीवे से रंगरीठ कुछ कंचि स्तर पर होता था। नेपम्ब का उपयोग वेश-भूमि आदि अन्य कार्यों के लिए होता था।

रंगरीवे और रंगरीठ के बीच में एक अत्याधी पद्म रहता था। कद्द पर भी पद्म होते थे। रंगरीठ का पद्म उठतान्गिरता रहता था। इसके ऊपर शाष्ट्रनिक हैङडी की भाँति मत्तवाली होती थी। यह हाथी की अंसारी के समान होती थी जो शाढ चित्रित स्तम्भों पर बनायी जाती थी। इसके नीचे का भाग कद्द के काम में आता था। इच्छे आकाश मार्ग के दृश्य दिखाये जाते थे। रंगरीठ के सामने भी पद्म रहता था। पद्म नाटक के अनुकूल होते थे। संचारियों के दैठने के लिए रंगरीवे के कद्द-द्वारों के निकट स्थान रहता था।

रंगराला के प्रबन्ध की भी उचित व्यवस्था थी। भारत प्रधान संचालक होता था। सूत्रधार निर्देशक का दायर करता था। नट के अधीन रिहसंल वा काम रहता था। तौरिय संगीत आदि का प्रबंध करता था। वेपकर पत्रों की सजावट करता था। मुकुट-कृत मुकुट आदि, आम-रण-कृत चब प्रधार के आमरण और माल्य-कृत नालारै बनता था। चित्रक पद्मों पर चित्रकारी करता था और रखक बज्जों की रँगाई तथा चक्राई करता था।

सार्वजनिक रंगरालाओं में दर्शकों के दैठने का उचित प्रबन्ध

या। ब्राह्मण आगे बैठते थे। उनके स्थान का संकेत-सूचक श्वेत स्तंभ होता था। ब्राह्मणों के पीछे चत्रिय बैठते थे, जिनके स्थान का संकेत-सूचक लाल स्तंभ होता था। चत्रियों के उत्तर-पश्चिम में वैश्य और उत्तर-पूर्व में शदू बैठते थे जिनके संकेत-स्तंभ क्रमशः पीले और नीले होते थे। नाटक के बतावरण को स्वच्छ रखने के लिए विधर्मी, पतित रोगी, अरासिक, गंदे दर्शकों पर प्रतिबन्ध रहता था। अभिनय के संबंध में निर्णय देने के लिए सभापति होता था।

प्रेज्ञान्घटों के उपर्युक्त विवरण से स्पष्ट है कि उनके द्वारा केवल नृत्य, संगीत, वास्तुकला और ज्यामिति को ही प्रभ्रय नहीं मिला, बरन् अमूर्त भाषनाओं को मूर्त रूप देने में भी बड़ी सहायता मिली और इस प्रकार नाट्य-कला पवित्र सलिला भागीरथी के रूप में हमारे ऐहिक सुखों की अभिवृद्धि और हमारी मानसिक प्रदृशियों के प्रसार में सहायक शो सकी।

संस्कृत-परम्परा की रंगशालाओं का कब और कैसे ह्यास हुआ—यह खोज का विषय है। ऐतिहासिक प्रमाण के अभाव में जन-रंगमंच ऐसा प्रतीत होता है कि जब संस्कृत केवल विशिष्ट का विकास समुदाय की भाषा बन गयी और उसका स्थान प्रकृत आदि अन्य भाषाओं ने ले लिया, तब उस परम्परा की रंगशालाएँ भी निष्प्राण हो गयीं। बौद्ध-काल में रङ्गशालाएँ थी अवश्य, पर उन्हें उस युग में विशेष प्रोत्साहन नहीं मिला। मौर्य-काल तथा गुप्त-काल में भी उनका चेत्र सीमित ही रहा। उनके द्वारा केवल राजाओं और उच्च विद्वित वर्ग के लोगों का ही मनोरंजन हो सका, लोक-जीवन से उनका विरोप संपर्क नहीं रहा। नाटक ये, नाटककार ये, नयेनये नाटकों का प्रणयन भी होता था, नाटक के लक्षण-ग्रंथ भी लिखे जाते थे, अभिनय भी होते थे, पर यह सब कार्य एक सीमा के भीतर ही होता था। इस प्रकार नाट्य-कला धीरे-धीरे अपना प्राण सोती जा रही थी। ईशा की सातवी शतान्दी में हर्षवर्धन की मृत्यु के परचात् जब मार्तीय

राजनीतिक जीवन छिन्नमिश्र हो गया और मुख्तमानी आकर्षण होने से वह उच्च कला-भवान युग में नाट्य-कला के प्रदर्शन के लिए, विशेषतः उच्चर भारत में, कहीं भी स्थान न रह गया। दौद अलीन दार्थनिक चेतना तथा मुसलिम-कालीन मानविक इलंचल से इच्छला को विशेष ठेत लगी। मुगल-साम्राज्य को स्थाना होने पर संगीत, चित्र कला, बास्तु कला तथा अन्य प्रकार की ललित कलाओं को तो प्रोत्ताहन निला, पर नाट्य-कला की स्पष्टि पूर्वक ही बनी रही।

हम दरा चुके हैं कि मनोरंजन की प्रवृत्ति ही नाटकों की उत्तरि का बास्तु है। भारतीय जनता की इस स्वाभाविक प्रवृत्ति को मुसलिम युग का एकांगी और कठोर शाब्दन भी न देता सकता। प्राचीन दुगों में नाटक विष्ट समुदाय के मनोरंजन का एक विष्ट साधन था। मुरलिम-दुगा ने इसका स्थान प्राचीन जनता के दीव रूप के झुञ्ज हीन भेदों ने तो लिया। इतिहास से पता चलता है कि उच्च समय साधारण जनता में डलबों के अवतरण पर स्वांग, नकल, कठुपुड़ियों का चमाया, छाया चित्र, चमलोता और चरतालता का अधिक प्रचार था। अक्षर के समय में चरतालाएँ होती थीं। उनमें भनसुखा हात्य की चुट्ट छरने ने दस्त होया था। बहाल ने यात्रा का प्रचलन था। इन लोलाओं के प्रति उत्तालीन शार्मिक प्रवृत्ति के लोगों का विशेष आकर्षण था। साधारण जनता 'सांग' देखती थी। इन्हीं के साधनाय अन्य प्रकार के खेल भी होते थे। मनोरंजन के इन घासनों का प्रदर्शन खुले स्थान ने ही होता था। उच्चर प्रदेश के परिचनी नागों ने नीटकिर्ण होती थी। इनके लिए रंगमंच की आपरायकतानहीं पड़ती थी। इनके अधिकार शासित में छुट्ट क्याएँ नाटक के रूप में भी दिखायी जाती थीं। इस प्रकार मुगल-साम्राज्य के अवनति-काल में घोर-घोरे जनता की दशि नाट्य-कला के विकास की ओर हो चली थी। इसे हम जन-रंगमंच के विकास का प्रथम उत्थान-काल कह सकते हैं।

मुगल साम्राज्य का अन्त होने पर जब भारत के राजनीतिक जोदन

में अँगरेजों का प्रातुर्भाव हुआ तब एक बार फिर मानविक कांति उत्पन्न हुई जिसने तत्त्वालीन जन-भनोवृत्ति और साहित्य में कल्पनातीत परिवर्तन कर दिया। इस परिवर्तन के फलस्वरूप साहित्य में एक बार फिर नाटक को प्रतिष्ठा मिली। सं० १८१० में अमानत खाँ ने 'इन्दर-सभा' की रचना की और लखनऊ के नवाब वाजिद अली शाह की आशा से इसका प्रथम बार अभिनय कैसरचाग में हुआ। यह इतना पसंद किया गया कि इसी के आधार पर मदारीलाल ने एक दूसरी 'इन्दर-सभा' लिखी। इसके एक वर्ष पश्चात् 'नाटक हैल बटाऊ मोहना-रानी' लिखा गया। 'इन्दर-सभा' और 'मुछन्दर-सभा' का भी प्रणयन इसी समय हुआ। इस प्रकार जन-रंगमंच की एक रूप-रेखा सामने आ गयी। इसे हम जन-रंगमंच के विकास का द्वितीय उत्थान-काल कह सकते हैं।

जन-रङ्गमंच के विकास का तृतीय उत्थान-काल पारसी थियेटरों से आरम्भ होता है। पारसी कम्बनियों की उत्पत्ति सहसा नहीं हुई। उनके पहले भारत में रङ्गमंच की स्थापना हो चुकी थी। सं० १८१४ के प्लासी युद्ध के पूर्व बलकत्ता में अँगरेजी-रङ्गमंच स्थापित हो चुका था। बम्बई में भी अँगरेजी-रङ्गमंच था। सं० १८१६ में बगलाथ-शंकरनाथ ने अपना निजी थियेटर बनाया था। कलाकृता की अपेक्षा बम्बई में रंगमंच की अधिक लोकप्रियता थी। यह देखकर पारसियों का ध्यान उड़की और गया और उन्होंने उसे अपने व्यापार का साधन बना लिया। सं० १८२७ के आस-न्यास सेठ पेस्टनजी फैमजी ने 'ओरिजिनल थियेट्रिकल कम्पनी' खोली और इसके पश्चात् ही बालीबाला की 'विक्टोरिया नाटक कंपनी', कावसजी की 'अलफ़ैड थियेट्रिकल कम्पनी', न्यू अलफ़ैड थियेट्रिकल कम्पनी, शेक्सपियर थियेट्रिकल कम्पनी, श्री सर्वविजय, व्याकुल भारत आदि ने जन्म लिया। इन कम्बनियों ने कोई कलापूर्ण नाटक अथवा प्रसिद्ध नाटककार हमें नहीं दिया, परन्तु उन्होंने हमें एक अत्यंत उपयोगी वस्तु, रङ्गमंच, अवश्य दिया। उस समय रङ्गमंच हमारे लिए

एक अनोखी वस्तु थी। हम उसकी रूप-रेखा से भलीभीति परिवित नहीं थे। हमने रामलीला, रासलीला, नीटंकी आदि के रङ्गमंच देखे थे। पियेट्रिकल कम्पनियों ने हमारा वह भ्रम दूर किया और औंगरेजी रङ्गमंच को भारतीय रङ्गमंच के रूप में हमारे सामने प्रकुप लिया। उनके रङ्गमंच अस्थानी होते थे। रङ्गमंच के इन रूपों से हिन्दी के तत्कालीन साहित्यकारों को विशेष प्रेरणा मिली। उनका ध्वनि नाटकन्यन्ता की ओर आड़ा हुआ। संस्कृत और औंगरेजी के कई नाटकों के हिन्दी-अनुवाद प्रकाशित हुए। गुजरात, महाराष्ट्र, बंगलौर और कलकत्ता में रङ्गमंचों की स्थापना हो चुकी थी। हिन्दी-जगत् का अपना रङ्गमंच नहीं था।

**हिन्दी-रङ्गमंच के अभाव में जन-रङ्गमंचीय नाटकों को प्रोत्साहन**

<b>जन-रङ्गमंचीय नाटक</b>	मिलना स्वाभाविक ही था। जिन व्यवसायी नाटक जन-रङ्गमंचीय कम्पनियों ने नगरों में धूम-धूमकर जनता का मनो-रंजन किया उनके अपने-अपने नाटक और नाटक-कार थे। उदूँ-मापा का लालित्य उस समय लोगों के
------------------------------	---

दृढ़पर जमा हुआ था। इसलिए पारसी-कंगनियों के नाटककारों ने उसी भाषा में अपने-अपने नाटकों की रचना की। ऐसे नाटककारों ने उन्हीं लोगों को स्थान मिला जो उदूँ-मापा और साहित्य के पंदित थे। मोहन्मद मिर्याँ 'रैनक' बनारसी और हुसेनमिर्याँ 'जरीफ' के नाटकों की उत्त समय वहीं धूम थी। 'रैनक' साहब का 'इन्साफे-महमूद' तो इतना लोकप्रिय हुआ कि वह गुजराती लिपि में मुद्रित हुआ। 'जरीफ' ने लगभग ३० नाटक लिखे जिनमें से 'नरीजर अशमत', 'चाँद चीरी', 'गोरी-सरदार', 'लीला भजनौ', 'गुल बकाबली', 'अलीबाबा', 'वदरेनीर' आदि विशेष रूप से उत्तेजनीय हैं। विक्टोरिया पियेट्रिकल कम्पनी के प्रमुख नाटक-कार मुंशी विनायक प्रसाद 'तालिय' बनारसी थे। उनके उदूँ-नाटकों में 'लीलोनिहार' 'निगाहे गफलत' आदि बहुत प्रसिद्ध हुए। 'गोरीचन्द', 'हरिश्चन्द्र', 'रामायण', 'कनकतारा' आदि की रचना भी उन्होंने की। इन नाटकों की भाषा पर हिन्दी का विशेष प्रभाव पड़ा। कावसजी की

एलफोड थियेट्रिकल कम्पनी के नाटककार थे—हेयद मेहदी हसन ‘आहसान’ लखनवी और पं० नारायण प्रसाद ‘बेताब’ देहलवी। ‘आहसान’ ने कुछ मौलिक नाटक लिखे और शेक्सपियर के कई नाटकों का अनुवाद किया। ‘चन्द्रावली’, ‘बकावली’, ‘दिलफरोश’, ‘गुलफरोश’ आदि उनकी अच्छी कृतियाँ समझी जाती हैं। ‘बेताब’ के उदू०-नाटकों में ‘जहरी-सर्वप’, ‘फरेबे मुहूबत’ आदि का स्थान है। उन्होंने हिंदी-नाटक भी लिखे जिनमें ‘महायारत’, ‘रामायण’, ‘गोरख-धंधा’, ‘कृष्ण-सुदामा’ आदि विशेष रूप से लोकप्रिय हुए। वास्तव में इन्हीं नाटकों की लोकप्रियता ने ‘बेताब’ को बेताब बनाया। इससे स्पष्ट है कि लोक-कथि धीरे-धीरे पौराणिक कथाओं और हिंदी की ओर उन्मुख हो रही थी। इस प्रकार की लोक-कथि को पं० राधेश्याम कथावाचक की रचनाओं से विशेष संतोष हुआ। वह न्यू एलफोड कम्पनी के नाटककार थे। उनके साथी आगा मोहम्मद ‘हथ’ काश्मीरी भी अच्छे नाटककार थे। ‘हथ’ ने कई उदू०-नाटक लिखे जिनमें से ‘खूबसूरत बला’, ‘सिलघर-किंग’, ‘शहीदेनाज़’, ‘तुकी हूर’ आदि को अधिक ख्याति मिली। हिंदीमें भी उनके नाटक अच्छे उतरे। ‘सुरदार’, ‘सीता-बनवास’, ‘आँख का नया’, ‘अवणकुमार’ आदि उनके हिंदी-नाटक बहुत पसंद किये गये। पं० राधेश्याम के हिंदी-नाटकों में ‘बीर अभिमन्यु’ को जो ख्याति मिली वह अन्य किसी नाटककार के नाटक को न मिल सकी। उनका ‘ऊपा-अनिष्ट’ भी बहुत लोकप्रिय हुआ। वह नाटक काठियावाड़ की सूर विजय कम्पनी के तस्वाबधान में खेला गया था। इन नाटककारों के अतिरिक्त इफिज मोहम्मद चितौरा ‘फतेहपुरी’, मिर्जा नजीर खेग अकबरा बादी, किशनचंद ‘जेवा’, तुलसीदत्त ‘शीदा’, हरिकृष्ण ‘जीहर’, श्रीकृष्ण ‘इसरत’ आदि भी अच्छे उदू०-नाटककार थे।

‘पारसी-कंपनियों के लिए उपर्युक्त नाटकों के अध्ययन से हमारे सामने कई भावें स्पष्ट रूप से आती हैं। सबसे पहली बात तो यह कि उन नाटकों-द्वारा उदू०-भाषा का विशेष प्रचार हुआ जिसके पीछे मुग्ल-

मान नाटककारों का विशेष दाय था। उन्होंने पारसी रंगमंच से उर्दू भाषा का ही नहीं, फारसी-साहित्य के उन चरित्रों को भी अपने नाटकों में प्रभय दिया जिनका हमारी संस्कृति और सम्बद्धता के साथ कोई लगाव नहीं पा। दूसरी बार इमें वह देखने को मिली कि उन्होंने उर्दू-साहित्य के कुछचिपूर्ण प्रेम को ही अपने कथानकों में प्रभय दिया। जीवन की उदाच प्रवृचियाँ जिनसे लोक-चन्द्रि का परिमार्जन और परिष्कार होता है उनकी ओर उनका ध्यान ही नहीं गया। उन्होंने अपने कथानकों में जनठा की दूषित मनोवृत्ति को ही प्रभय दिया। तीसरी बात मद निली कि उन्होंने हमारे पौराणिक पात्रों को बड़े ही भद्रे ढंग से हमारे सामने प्रलुब्ध करके हमारी धार्मिक मापना को ठेस पहुँचाया। संता, शकुन्तला, राम और कृष्ण को उन्होंने उर्दू-साहित्य के बाजार प्रेम का आलंबन बनाया और हमसे ही उसकी दादली। इससे बढ़कर हमारी दूषित मनो-वृत्ति का उदाहरण और कहाँ मिल सकता है? चौथी बात यह देखने में आपी कि उन्होंने अपने नाटकीय आदर्शों के प्रति जनठा का ध्यान आकृष्ट करने के लिए अतिमानवीय तत्त्वों को अपने वस्तु-विद्यान में विशेष महत्त्व दिया जिसके फलस्वरूप उनका रंगमंच जीवन का बास्तु-विक प्रतिनिधि न होकर 'अजायाव घर' बन गया। पांचवीं बात नाटकों के गानों और नृत्य से सम्बन्ध रखती है। ऐसा लगता है कि गायन और नृत्य के आधार पर ही पारसी कामनियों के लिए नाटक लिखे जाते थे। उन नाटकों में अखलील प्रेम की गजलें होती थीं और नृत्य वो इतने पूर्व कि सम्म छी-पुरप ढंगे देख ही नहीं सकते थे। ऐसी स्थिति में प्रतिक्रिया कर होना स्वाभाविक ही था। पै० नारायण प्रसाद 'बिगाव' और पै० राधेश्याम कथावाचक ने प्रतिक्रिया के रूप में ही अपने-अपने नाटकों की रचना की। उन्होंने हिन्दी को प्रभय दिया और पौराणिक कथाओं को यथाशक्ति कुछचिपूर्ण होने से बचाया। काठियावाड़ की 'भी सर्व विजय' और मेरठ की 'न्याकुल-भारत' नामक नाटक-भंडलियों का जन्म प्रतिक्रिया के रूप में हो गया। इन नाटक-

मंडलियों ने अपने नाटकों में भारतीय सम्मता और संस्कृति की विशेष रक्षा की और पारसी कम्पनियों के दूषित और व्यभिचारपूर्ण बातावरण से नाट्य-कला को निकालकर हिन्दी के स्वस्थ बातावरण में उपस्थित किया। मेरठ की 'श्याकुल-भारत' नाटक-मंडली ने हिंदी की विशेष सेवा की। उसने जन-रंगमंच को हिन्दी-रंगमंच बनाने में ही नहीं, अपितु हिन्दी नाटकों को देश-प्रेम की ओर भी आकृष्ट किया। नाट्य और नृत्य में भी सुधार हुआ। गजलों के स्थान पर ढुमरी, दादरा आदि को स्थान मिला। संस्कृतभाष्य-परंपरा के अनुसार पूजन, प्रार्थना, नान्दीपाठ, सूतधार की भी योजना हुई। इस प्रकार हमारे सामने दो प्रकार की व्यवसायी कम्पनियाँ और दो प्रकार के नाटककार आये—एक तो ऐसी कम्पनियाँ जो जनता की दूषित मनोवृत्ति को प्रश्न्य देती थीं और ऐसे नाटककार जो लोक-हित का प्यान न करके उसी दूषित मनोवृत्ति को प्रोत्साहित करते थे और दूसरी ऐसी नाटक-मंडलियाँ जिनका उद्देश्य या जनता की धार्मिक, नैतिक तथा सांस्कृतिक भावनाओं की रक्षा करना और ऐसे नाटककार जो इस भावना को अपनी रचनाओं में प्रश्न्य देकर जन-दर्शन का परिष्कार करते थे। सामूहिक दृष्टि से विचार करने पर इन समस्त व्यवसायी कंपनियों में निम्नलिखित दोष थे:—

(१) कथानक की दृष्टि से व्यवसायी कंपनियों के नाटक जीवन से यहुत दूर थे। अनैतिक प्रेम और अति मानवीय तत्त्वों के मेल के कारण उनकी स्वाभाविकता नष्ट हो गयी थी। वे अधिकांश जनता की सत्ती भावनाओं पर आधित थे। इसलिए जीवन के उठान की कोई योजना उनमें नहीं थी।

(२) व्यवसायी कंपनियों के नाटकों के कथानकों में विषय की विविधता नहीं थी। आशिक-माशूक, प्रेमी-प्रेमिला ही उनके कथानक के आधार थे। तत्कालीन राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक, नैतिक तथा इसी प्रकार की अन्य समस्याओं से वे सर्वथा शून्य थे।

(३) संवाद की दृष्टि से व्यवसायी कंपनियों के नाटक कलाहीन थे।

गायन और नृत्य की अधिकता के कारण उनके संवाद अस्वाभाविक, अशलील, अनैतिक, और कुश्चिपूर्ण होते थे।

(४) चरित्रचित्रण की दृष्टि से व्यवसायी कम्पनियों के नाटक बहुत ही निम्न कोटि के थे। उनके पात्र निष्प्राण और नाटककार के व्यक्तित्व से प्रभावित होते थे। उन्हें देखने से ऐसा प्रतीत होता है कि वे नाटककार के संकेतों पर ही अपने चरित्र का उद्घाटन करते थे। उनमें न तो सोचने की शक्ति थी और न स्वतंत्र रूप से कार्य करने की ज़मदार। उनके पीछे नाटककार ही बोलता और कार्य करता हुआ दिखायी पड़ता था।

(५) नाट्यकला की दृष्टि से भी व्यवसायी नाटक सर्वथा शून्य थे। उनके रचयिता उस वातावरण से आये थे जिसमें नाट्यकला नाम की कोई वस्तु ही नहीं थी। इसलिए उन्हें नाटक के वास्तविक आदर्श और मूल्य का शान ही नहीं था। कलान्तीर्दर्श की स्थाप्ति के लिए जिए जिए संघर्ष और नियमन्यालन की आवश्यकता है उससे वे शून्य थे। उन्होंने नाटकों की संख्या अवश्य बढ़ा दी थी, पर एक भी नाटक कला की कतौती पर कसने योग्य नहीं था।

(६) उद्देश्य की दृष्टि से व्यवसायी कम्पनियों के नाटक निराशाजनक थे। यदि उनका एकमात्र उद्देश्य 'पैशा कमाना' कहा जाय तो अनुचित न होगा। वास्तव में उनकी रचना न तो नाट्यनाड़ित्य के विकास के लिए हुई थी और न तत्कालीन जनता की दूषित मनोवृत्ति के परिष्कार के लिए। उनके मूल में थी व्यवसायिक हार्दिक और इसमें उन्हें पर्याप्त सफलता मिली। इसीलिए जीवन का कोई आदर्श उनके द्वारा हमारे सामने नहीं आया।

उपर्युक्त दोपों से स्पष्ट है कि व्यवसायी नाटक हमारे लिए उपर्युक्त चिन्ह नहीं हो सके। उन्होंने इसे रंगमंच नामकी एक ऐसी पत्तु अवश्य दी जिसे हम आगे चलकर अपना सके और श्राव उसी के आदर्श पर हम हिन्दी-रंगमंच के निर्माण की कल्पना करते हैं। इस दृष्टि से हम

व्यवसायी कपनियों के श्रृणी है। यदि इसे हम निकाल दें तो उनके नाटक रही की टोकरियों में फैक देने योग्य हैं।

भारतेन्दु हरिश्चन्द्र के आविर्भाव के समय भारतीय जनता अपनी सभ्यता एवं संस्कृति से शून्य थी। उसके सामने उस हिन्दी-रंगमंच की समय कोई अपना आदर्श नहीं था। उसकी मनो-स्थापना रंजन-प्रियता उसे और भी नीचे गिराये जा रही थी। पारसी-थियेट्रिकल कपनियाँ व्यवसायी कंपनियाँ थीं।

उनका एकमात्र उद्देश्य था—पैसा। पैसा कमाने के लोभ से उनके-द्वारा ऐसे ही नाटकों का प्रदर्शन होता था जो सास्कृतिक स्तर से बहुत गिरे हुए होते थे। भारतेन्दु की संस्कृत-आत्मा ने इसे स्वीकार नहीं किया। ऐसी स्थिति में उन्होंने जनता की मनोरंजन-प्रवृत्ति का प्रसादन और परिष्कार करने के लिए स्वतंत्र रूप से हिन्दी-रंगमंच की व्यवस्था की। उनके समय में देशवर्य नारायण चिह्न के प्रयत्न से चैत्र शुक्र ११, सं० १९२५ को बनारस थियेटर्स में पहली बार शीतलाप्रसाद-कृत 'जानकी मंगल' का अभिनय हुआ। भारतेन्दु ने कई नाटक लिखे और उनके अभिनय में भी भाग लिया। इसमें उनके समय में शिक्षित समुदाय के चीज़ हिन्दी-रंगमंच की प्रतिष्ठा बढ़ गयी और जन-रंगमंच से पृथक् उनकी सत्ता स्वीकार की जाने लगी।

काशी के अतिरिक्त कानपुर और प्रयाग में भी हिन्दी-नाटकों के अभिनय का आयोजन हुआ। पं० प्रतापनारायण मिश्र के समय में कानपुर में भारतेन्दु-कृत 'सत्य हरिश्चन्द्र', 'वैदिकी हिंसा हिंसा न मवति' और 'अधेरनगरी' के सफल अभिनय हुए। इनके अभिनय से साहित्यिक नाटकों का रूप जनता के सामने अवश्य आया, पर व्यवसायी नाटक कपनियों का जनता के हृदय पर इतना गहरा प्रभाय था कि हिन्दी के साहित्यिक नाटकों का यदाकदा अभिनय उस दूषित प्रभाव को दूर करने में समर्थ न हो सका। आवश्यकता थी अव्यवसायी को रूप से हिन्दी-रंगमंच की लोकप्रियता बढ़ानेवाली नाटक-मंडलियों की। इस आवश्यकता की

पूर्विप्रयाग ने की। प्रयाग में सं० १६५५ को रामलीला के अद्वत पर 'श्री रामलीला नाटक-मंडली' की स्थापना हुई और सर्वप्रथम 'सीता-स्त्रवंवर' नाटक अभिनीत किया गया। इसमें महामना मालधीजी भी उपस्थित है। पं० माघव शुक्ल, ५० महादेव मह तथा अल्मोहा-निवासी पं० गोगलदत्त त्रिपाठी ने इसके संचालन में बड़ा उहनोग दिखा। सं० १६६४ तक यह मंडली बराबर अपना कार्य करती रही। इसके पश्चात् सं० १६६५ में पं० माघव शुक्ल ने इसे पुनः 'हिन्दी-नाट्य सभिति' के नाम से स्थापित किया। इस बार इसने दूना उत्काह आ जाया और पं० चालकुण्ड मह तथा श्री पुरुषोत्तमदास टंडन इसके सदत्त हो गये। इस सभिति ने बाबू राधाकृष्णदास-हृत 'महाहणाप्रवाप' का प्रथम बार अभिनव किया। इस नाटक का अभिनव देखने के लिए इसके लेखक स्वयं कार्यी से प्रवाय आये थे। इसमें हिन्दी के कई लेखद्वारे ने बड़ी सफलतापूर्वक अभिनव किया था। इसी सभिति ने बाबू राधामनुन्दरदास की श्रव्यदृष्टि में प्रयाग में होनेवाले हिन्दी-साहित्य-सम्मेलन के छठे अधिवेशन के द्वादशर पर पं० माघव शुक्ल-हृत महामारत (पूर्णाद्वं) का अभिनव किया था। -

प्रयाग की देखादेखी कार्यी में भी एक 'नागरी-नाट्य-बला प्रबर्तन मंडली' की स्थापना हुई। इसका ढद्दाटन सं० १६६६ में हुआ। तुङ्ग दिनों पश्चात् इसके दो भाग दो गये। एक का नाम 'कार्यी नागरी नाटक मंडली' पड़ा और दूसरी 'श्री मारतेन्दु नाटक मंडली' से मिल गयी। आरंभ में 'कार्यी नागरी नाटक मंडली' को बड़े-बड़े याजा-महाराजाओं का सह-योग प्राप्त हुआ और कई नाटक खेले गये। इन खेलों से जो आर्यिक लाम हुआ उससे धाढ़ अयवा दुर्भिज्ञ-पीड़िती की सहायता मी दी गयी। अपने जीवन-काल में इस मंडली ने बड़ा नाम पैदा किया। इसके अभिनेताओं में सर्वभी राष्ट्राचार बनाए, दुर्गाप्रिणार राखी, ३० रायामनुन्दर-दास, हरिदास माणिक, याकुरदास बी० ए०, एल-एल० बी० और लद्दी-नायवा शाखी आदि थे। इसी मंडली के समक्ष 'श्री मारतेन्दु नाटक मंडली' गी। इसे भी अन्धे अभिनेताओं का सहयोग प्राप्त था। गोविन्द

शास्त्री-दुर्गेश, दा० वीरेन्द्रनाथ दास, वीरेश्वर बनर्जी एम० एस-सों और रामचंद्र मिश्र एम० ए०, एल० टी० के सहयोग से इसमें भी कई साहित्यिक नाटकों के अभिनय हुए। चौथी उल्लेखनीय नाटक मंडली कलकत्ते की 'हिन्दी-नाट्य-परिषद' थी। इसकी स्थापना प्रयाग के पं० माधवगुल्क ने की थी। इसके अभिनेताओं में भी पर्याप्त प्रतिष्ठित व्यक्ति थे जिन्होंने समय-समय पर कई साहित्यिक नाटकों का अभिनय किया। इन अव्यवसायी नाटक मंडलियों के अतिरिक्त हिन्दी-रंगमन्च के विकास में भेरठ की व्यवसायी 'व्याकुल भारत नाटक मंडली' ने भी बहुत योग दिया।

अव्यवसायी रूप से भारतीय विश्वविद्यालयों तथा अँगरेजी पाठ्यालाओं में भी हिन्दी के साहित्यिक नाटकों का अच्छा प्रचार हुआ। प्रयाग-विश्वविद्यालय के हिन्दू बोडिंग हाउस-द्वारा प्रत्येक उपाधि-वितरण-समारोह के अवसर पर हिन्दी-नाटकों का अभिनय होता था। काशी विश्वविद्यालय में भी ऐसे ही अवसरों पर छात्रों-द्वारा अभिनय होते थे। इनके अतिरिक्त विभिन्न साहित्य-समितियाँ भी हिन्दी-नाटकों का अभिनय करती थीं। विद्यार्थी-रंगमन्च से द्विजेन्द्रलाल राय के प्रायः सर्वी नाटकों का अभिनय समय-समय पर होता रहता था। इससे हिन्दी-जनता में धीरे-धीरे साहित्यिक नाटकों के प्रति विशेष अनुरोग उत्पन्न हुआ जिसके फलस्वरूप बड़े-बड़े विद्यालयों में भी हिन्दी-नाटक खेले जाने लगे। इस समय तक साहित्य-सम्मेलन के वार्षिक अधिवेशनों तथा अन्य साहित्यिक समारोहों के अवसर पर प्रसाद तथा अन्य नाटककारों के कई नाटक बड़ी सफलतापूर्वक अभिनीत किये जा चुके हैं। पंतजी की 'ज्योत्स्ना' का भी अभिनय हो चुका है। इनके अतिरिक्त बेचनशर्मा उग्र, लक्ष्मी-नारायण मिश्र, सेठ गोविन्ददास, हरिकृष्ण 'प्रेमी', उदयशंकर मट्ट, दा० रामकुमार वर्मा, गोविन्दवल्लभ पंत, उपेन्द्रनाथ 'ग्रंथक' आदि के भी नाटक खेले जा चुके हैं। बर्तमान सुग में एकांकी नाटक लिखे जा रहे हैं और उनका भी सफल अभिनय हो रहा है।

इस प्रकार हम देखते हैं कि ज्योत्स्नों जनता में रिक्षा का प्रचार

हुआ है और हिन्दी की लोकप्रियता बढ़ी है त्योहरों हिन्दौ-रंगमंच के प्रति लोगों का आकर्षण हुआ है।

परन्तु इसना होते हुए भी अभी हिन्दौ-रंगमंच को जन-जीवन के बीच वह सफलता नहीं मिली है जो व्यक्तिगती कानूनियों को प्राप्त थी। अभी हमारा हिन्दौ-रंगमंच शिविर और शिष्ट लोगों के शोब से आगे नहीं बढ़ सका है। ऐसी दशा में हम बत्तमान हिन्दौ-रंगमंच को 'पोष्टी रंगमंच' ही कह सकते हैं। इसमें सुनदेह नहीं कि बत्तमान युग में चित्रपट के अधिक लोक-प्रिय होने के कारण हिन्दौ-रंगमंच के मार्ग में चालाएँ आ गये हैं; पर इसका यह सात्सवं नहीं कि हिन्दौ-रंगमंच की अब आवश्यकता ही नहीं है। चित्रपट की अभिनय-कला पर आधुनिक विज्ञान का प्रभाव है। उसमें वह कला नहीं है जो साहित्य का शृंगार करती है। हिन्दौ-नात्य-साहित्य की अभिनवीद्वादशी और उसका विकास तो तभी संभव है जब उसका अपना रंगमंच होगा। प्रत्येक देश में एक-दो नहीं हजारों सिनेमा-पर हैं जिनसे जनता का मनोरंजन होता है। उन सिनेमा-परों के होते हुए भी वहाँ नात्यशालाओं की संख्या कम नहीं है। रूप इस दात का ज्वलन्त उदाहरण है। वहाँ के प्रत्येक नगर में सिनेमा-परों के रहते हुए भी नात्य शालाएँ बनाती गयी हैं। चालकों के लिए अलग नात्यशालाएँ हैं। इंस्टीट्यूट, अमरीका, फ्रांस, जर्मनी, इटली, चीन, जापान आदि में भी नात्यशालाओं की कमी नहीं है। यदि कहीं उसका अभाव है तो केवल भारत में और वह भी मुख्यतः हिन्दौ-नात्यशाला की। चंगाल, गुजरात, महाराष्ट्र आदि भांतों में अपनी-अपनी नात्यशालाएँ हैं जहाँ से वे अपने नाटकों का प्रचार करती हैं। ऐसी दशा में हिन्दी की अपनी नात्य-शाला होनी चाहिए। हिन्दी अब एक समिति द्वेष की भाषा नहीं है, वह राष्ट्र-भाषा है। उसका यह व्यापक रूप बालब में सभी सार्वक होगा जब भारत के प्रत्येक प्रान्त और प्रत्येक नगर में हिन्दौ-नात्यशालाओं की स्थापना होगी। हिन्दौ-नात्यकला की आज अपनी स्वतंत्र सत्ता नहीं

है। अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए वह पराङ्मुखी बनी हुर है। उसने अन्य नाट्यकलाओं से किया श्रृणु लिया है?—इसी का लेखा-जोखा हम आलोचना के रूप में प्रस्तुत करते हैं। वह अन्य देश की नाट्यकलाओं को कुछ दे सकती है अथवा नहीं, और यदि दे सकती है तो क्या दे सकती है?—इसका निर्णय हम अभी नहीं कर सके हैं और तबतक नहीं कर सकेंगे जबतक हम अपने रंगमंच की स्वतंत्र रूप से स्थापना करके अपने नाटकों को उस पर नहीं कस लेते। इसलिए यदि हम चाहते हैं कि हमारा नाट्य साहित्य हमारी सम्यता और हमारी संस्कृति का सच्चा प्रतिनिधि बने तो हमें अपने रंगमंच की स्थापना करनी होगी और शीघ्र करनी होगी।

उपर्युक्त पंक्तियों में हम यताज्ञुके हैं कि जब हमारे देश में व्याष्यायिक और अव्यावसायिक नाटक मंडलियों की रंगमंच और चित्रपट लोकप्रियता बढ़ रही थी तब उनका स्थान चित्रपट ने ले लिया। चित्रपट का भास्तीय जन-जीवन में आँधी की तरह प्रवेश हुआ। पहले कुछ दिनों तक

अँगरेजी चित्रपटों की धूम रही। इसके पश्चात् जब भारत में भी स्टूडियो खुल गये तब वीराणिक, ऐतिहासिक और सामाजिक कथानकों के आधार पर निर्मित चित्रपट हमारे सामने आये। उस समय केवल छाया चित्रों द्वारा ही उनका अभिनय हमें देखने को मिलता था। कालान्तर में जब उन्हें वाणी मिली तब उनकी लोकप्रियता और भी बढ़ गयी और उन्होंने थोड़े ही दिनों में नाटक-मंडलियों का अन्त कर दिया। न व्यावसायिक नाटक मंडलियों रह गयीं और न अव्यावसायी। सब-की-सब काल-क्वलित हो गयीं। पर उनकी आत्मा का नाश नहीं हुआ। चित्रपटों में उनकी आत्मा ने प्रवेश करके हमारे सामने देसे ही भद्दे चित्रों को प्रस्तुत करना आरंभ कर दिया जिनके कारण व्यवसायिक नाटक मंडलियों—मुख्यतः पारसी कंपनियाँ—बदनाम थीं। आज जब उनके जीवन के लगभग ३०-४० वर्ष बीत चुके हैं और हमारे देश के छोटे-बड़े

नगरों में उनकी स्थापना हो चुकी है तब भी उनके-द्वारा बदाकदा ही तत्त्वस्य और कलापूर्ण अभिनय हमें देखने को निलंते हैं। इच्छे दो ही कारण हैं—एक तो यह कि पारसी कंपनियों के त्वामिनों की माँति उनके निर्माणाभ्यों वा ज्येष्ठ केवल पैरा कमाना है और दूसरा यह कि उन्हें साहित्य और कलाकृष्टाना प्रश्नाननेकाले नाटककारों और चर्चाकारों का उद्योग प्राप्त नहीं है। ऐसी दशा में जबतक गांत्स्त्रियङ्क और साहित्यिक आधार पर हमारे सरकार-द्वारा उनका राष्ट्रीयकरण नहीं होता तब तक उनसे मुक्तिपूर्ण अभिनय को आरा करना बालू में तेल निकालना है।

चित्रपट के संबंध में हमने अमी जोकुछ कहा है उच्चते हमारे चाल्पर्य यह नहीं है कि उसकी ओइ श्रमनी विशेषता नहीं है। रंगनंव के इतिहास में चित्रपट का भृत्यपूर्ण स्थान है। चित्रपट रंगनंव का अमर रूप है। उसने हमारे पात्रों को मुग-नुग तक जांचित रखने की कला से हमारा परिचय कराया है। उसमें हमारे पात्रों के रंगन्दय, उनकी वेशभूषा, उनके हाथ-माव, उनकी चाही, उनकी माफ-नुद्राओं और उनकी अभिनय-कला को अमरत्व मिला है। हम उसमें उनकी मृत्यु के पश्चात् भी उनको जांचित रूप में, जब चाहें तब, देख सकते हैं। पात्रों के अधिरिच्छ उसमें हमारी जीवन-परिस्थितियाँ भी सुरक्षित रहती हैं जिनसे अनिवाला मुग मेरता और रक्षी अहंकर सकता है। उसमें हमारा इतिहास, हमारी सामाजिक व्यवस्था, हमारी रहन-सहन, हमारे रीति-रिवाज, हमारे आनन्द-श्रमोद आदि इतिहास की पृष्ठों के भाँति चुलभ रहते हैं। उसमें भूत वर्तमान बनकर हमारे चानने आता है और वर्तमान माध्यम के लिए संदेश-वाहक बन जाता है। इस दृष्टि द्वारा रंगनंव का प्रमाव ज़रिक और उसकी सीमा संकुचित आत होती है।

चित्रपट ने भौगोलिक दूरियों पर भी अलाधारण विजय पायी है। सिनेमा-करों में नैठे हुए हम विश्व के प्रत्येक देश के पर्वत, नदी, चन, उपर्युक्त आदि प्राकृतिक दृश्यों की शोमा देख सकते हैं;

उसके निवासियों की सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक जीवन का परिवर्त्य प्राप्त कर सकते हैं और समय-समय पर होनेवाली उसकी इलाजलों को देख सकते हैं। इस प्रकार उसने सारे विश्व को समेटकर एक छोटे स्थेत चादर पर उतार दिया है। रंगमंच में यह विशेषता नहीं है। उसका सौंदर्य अवास्तविक है, कृत्रिम है। चित्रपट ने रंगमंच के एक और अभाव की पूर्ति की है। रंगमंच पर थोड़े नहीं दौड़ाये जा सकते, मोटरें नहीं चलायी जा सकती; बायुशान नहीं उड़ाये जा सकते, कल-कारखानों की व्यस्तता नहीं दिखायी जा सकती, युद्ध के दृश्य नहीं उतारे जा सकते। चित्रपट ने इन सबको हमारे लिए मुलभ कर दिया है। संपन्न देशोंमें चित्रपट-द्वारा बालकोंको शिक्षा भी दी जाती है; जनता में राजनीतिक विचारों का प्रचार भी किया जाता है और यह सब होता है मनोरंजन के रूप में। रंगमंच में स्थल-संकीर्णता है, काल-संकीर्णता है और कार्य-संकीर्णता है; चित्रपट में ऐसी कोई भी संकीर्णता नहीं है। हजारों-लाखों मील की दूरी, जन्म से मृत्यु तक की जीवन-परिस्थितियाँ और धरोंदे के खेल से युद्ध तक के कार्य-ध्यापार—ये सब आसानी से चित्रपट पर उतारे जा सकते हैं। विश्व का कोई कद्द, जीवन का कोई विश्व ऐसा नहीं है जिसे चित्रपट ने हमारे लिए मुलभ न किया हो।

चित्रपट में इतनी विशेषताएँ होते हुए भी आज वह प्रेमी और प्रेमिकाओं के अनगील प्रलाप में ही पड़ा हुआ है। उससे जनता की उसी बच्ची का पोषण हो रहा है जो समाज के नैतिक पतन का कारण और राष्ट्र की उन्नति में वाधक है। उसका कोई लक्ष्य नहीं, कोई उद्देश्य नहीं। उसके भद्र, अश्लील, और कुरुचिपूर्ण गानों का हमारे बालकों के हृदय और मस्तिष्क पर जो प्रभाव पड़ा रहा है वह वर्तमान के लिए धातक तो है ही, भविष्य के लिए भी भयावह है। यदि हमारे चित्रपट-निर्माता, अभिनेता और चित्रपट के लिखनेवाले कथाकार इस और ध्यान न देंगे तो वे विश्वान की इस अभूतपूर्व देन के प्रति अन्याय और अपने

स्वतंत्र हास्य की उठड़ी हुई उनगो पर कुछारपाव करेगे। उन्हें स्मरण रखना चाहिए कि घन तैयारकर हास्य है। यदि राष्ट्र उमा गा, यारे उसके नियाई चुच्चिपूर्ण होगे तो विश्व का सारा घन उनके हाथ में आ जायगा।

आज के हिन्दी नाटककारों पर चरित्रनिर्माण की बड़ी भारत विभेदारी है। उन्हें एक और अपने स्वतंत्र देख की राजनीतिक तथा आर्थिक आवश्यकताओं पर विचार करना है और दूसरी ओर जनता के दूषित मनोवृत्ति का परिष्कार करना है। ऐसी दशा में उनकी लेखनी ऐसे ही नाटकों का उजन होना चाहिए जो हमें विश्व के रूपमांच की लंचा डल सके। भारत के सिनेमा-धर दूषित वाला वर्ष के प्रभार साधन बन गये हैं। मदे गानो और कुछचिपूर्ण चरित्रों के प्रदर्शन हमारे चालक-बालिकाओं, युवक और युवतियों को खो प्रोत्साहन मिल रहा है वह हमारी संकृति और सम्बन्ध के लिया प्रतिश्लूल है। ऐसी दशा में यदि चित्रपट-निर्माणा, अभिनेता, और नाटकद्वार चब एक ताप-मिलकर ऐसे पिल्लों का निर्माण करें जो इन दोनों का परिभाजन कर के हमारी नीतिक चेतना को जागरित कर सकें तो समाज और देश दोनों का कल्पारण होगा।